राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर

उपनिरीक्षक (प्रशिक्षु) बेसिक कोर्स

प्रश्नपत्र –षष्टम्

अनुसंधान : पद्धति एवं कौशल
[Investigation : Methods & Skills]
(To be approved)

By- श्री दीपक यादव

पुलिस निरीक्षक

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर

प्रश्नपत्र षष्टम्

अनुसंधान : पद्धति एवं कौशल

कालांश : 150 अंक : 150

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	खण्ड (क) – अनुसंधान की प्रक्रिया	
1	अनुसंधान का सामान्य सिद्धान्त एवं अनुसंधान अधिकारी की विशेषताएं, प्रकरणों के अनुसंधान में उपनिरीक्षक/थानाधिकारी की भूमिका	4
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व	9
3	घटनास्थल एवं इसकी सुरक्षा करना	14
4	साक्ष्य संकलन एवं विशेषज्ञों की मदद प्राप्त करना	18
5	आपराधिक आसूचना एवं इसका संकलन	31
6	सम्पत्ति की तलाशी, जब्ती एवं बरामदगी	35
7	साक्षी का परीक्षण, कथन एवं मृत्युकालिक घोषणा लेखबद्ध करना	41
8	अभियुक्त व संदिग्ध से पूछताछ, पूछताछ का सिद्धान्त व तरीके एवं संस्वीकृति को लेखबद्ध करना (न्यायिक व गैर–न्यायिक)	53
9	अभियुक्त की गिरफ्तारी, रिमाण्ड व जमानत के प्रावधान	58
10	अभियुक्त (फरार) की सम्पत्ति का अधिग्रहण (कुर्की)	68
11	कार्यवाही शिनाख्तगी या पहचान परेड एवं इसका महत्व	70
12	अनुसंधान/मर्ग प्रतिवेदन (अन्तिम प्रतिवेदन)	76
13	जांच व अन्य थानों से समन्वय	88
14	शरीर सम्बन्धी अपराधों का अनुसंधान	89
15	सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों का अनुसंधान	92
16	सड़क दुर्घटनाओं का अनुसंधान	95
17	सफेदपोश अपराधों का अनुसंधान	96
18	दस्तावेज व सिक्कों से सम्बन्धित अपराधों का अनुसंधान	99
19	साईबर अपराधों का अनुसंधान	101
20	चाल–चलन का पूर्व रिकॉर्ड एवं धारा 75 भा.द.सं. के सन्दर्भ में महत्व	106
	खण्ड (ख) –गंभीर अपराधों का पता लगाना व अनुसंधान	
21	लूट एवं डकैती (आर. डी. ए. एक्ट के सन्दर्भ में बैंक लूट व राहजनी सहित)	107
22	नकबजनी	109
23	बलात्कार	112
24	दंगे (साम्प्रदायिक एवं अन्य लोक शान्ति से सम्बन्धित अपराध)	116
25	हत्या	117
26	सड़क दुर्घटना	118
27	आर्थिक अपराध • आपराधिक न्यासभंग, प्रतिरूपण एवं विश्वास जीत कर धोखा (छल) आदि • सिक्कों व मुद्रा (नोटों) का प्रतिरूपण ○ Frauds – Banking, Credit cards, Financial Institutions, Stock market ○ धन–शोधन	129
28	महिलाओं, कमजोर वर्गों, बच्चों व वंचित समूहों के विरूद्ध अपराध	137
29	Terrorism related crimes – Arms Act 1959, Indian Explosive Act. 1884, Explosive Substances Act. 1908	

30	संगठित अपराध– ○ Smuggling of narcotics, bullion, arms & other contraband ○ फिरौती के लिए अपहरण ○ लोक सम्पत्ति हानि निवारण (पीडीपीपी एक्ट 1984)	190
	खण्ड (ग) – संप्रेषण एवं प्रतिवेदन लेखन (लिखित संप्रेषण)	
31	कार्यालय संप्रेषण के अवयवों का परिचय	199
32	घटनास्थल के निरीक्षण की फर्द तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण	202
33	यातायात दुर्घटना के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने का अभ्यास	204
34	आत्मरक्षा में बल प्रयोग के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट	206
35	गिरफ्तारी एवं जब्ती के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट	208
36	डकैती व हत्या के प्रकरण में मौखिक सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट	209
37	दंगे, कानून – व्यवस्था सम्बन्धी घटनाओं, एनडीपीएस एक्ट व अन्य विशेष अधिनियम सम्बन्धी प्रथम सूचना रिपोर्ट	210
38	हथियार व विस्फोटक की जब्ती की प्रथम सूचना रिपोर्ट	211
39	Recording of dying declaration	
40	A report writing on arrest of a dangerous lunatic	
41	Report on information gathered about plans for agitation/demonstration by different groups	
42	Practice for recording information about a dangerous rowdy in general diary	
43	Importance of written communication- an introduction	
44	Techniques of effective written communication	
45	निरूद्ध करवाने हेतु प्रतिवेदन	214
46	Report for regulatory order	
47	Entries in history sheets	
48	कानून–व्यवस्था, अपराध से सम्बन्धित रेडियो मैसेज का प्रारूप	217
49	Drafting special branch reports	218
50	Drafting charge-sheet	
51	अन्य दस्तावेजों का प्रारूप	208
	खण्ड (घ) – संक्षिप्त परिचय	
52	वचनपत्र, विनिमय पत्र, हस्तान्तरण विलेख (वसीयत, विक्रय विलेख, मुख्तयारनामा आम/खास, पट्टा व अनुज्ञप्ति विलेख, किरायानामा विलेख, संविदा/साझेदारी विलेख आदि)	209
53	राजस्व अभिलेख (खसरा/खतौनी, गिरदावरी, भूमि सीमांकन आदि)	235
	खण्ड (ड़) –प्रकरणों का विचारण एवंन्यायालय प्रबन्धन	
54	आपराधिक प्रकरणों में विचारण का महत्व	245
55	न्यायालयों के प्रकार एवं न्यायालय प्रक्रिया	246
56	आरोप–पत्र	247
57	कोर्ट कलैंडर नम्बर	250
58	कार्य सुनवाई एवं स्थगन	251
59	साक्षियों को पेश करना	253
60	रिमाण्ड, जमानत याचिका व अभियुक्त की पहचान परेड़	255
61	अभियोजन सेवाओं के साथ समन्वय	272
62	समन एवं वारन्ट निष्पादन	275
63	लम्बित विचारण मामलो की समीक्षा	279
64	केस ऑफिसर स्कीम	281
65	निर्णय एवं निर्णय प्रति	284
66	अपील एवं अपील प्रक्रिया	289
67	मूट कोर्ट	299
	काल्पनिक प्रश्न	302

खण्ड – क (Module A)

1. अनुसंधान का सामान्य सिद्धान्त एवं अनुसंधान अधिकारी की विशेषताएं, प्रकरणों के अनुसंधान में उपनिरीक्षक/थानाधिकारी की भूमिका

(General Principal of investigation & qualities of an investigation officer, Role of Sub-Inspector, SHO in investigation)

अन्वेषण की परिभाषा एवं अन्वेषण की प्रक्रिया –

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ज) में अन्वेषण को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी आपराधिक मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिये अधिकृत किया गया हो, द्वारा साक्ष्य संकलन के लिये की गई सभी कार्यवाहियाँ अन्वेषण कहलाती हैं। अन्वेषण की प्रकृति गैर–न्यायिक होती है क्योंकि साक्ष्य शपथ पर नहीं ली जाती है।

अन्वेषण को जाँच, विचारण तथा न्यायिक कार्यवाही से भिन्न समझा जाना चाहिये। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (छ) के अुनसार आपराधिक मामले में मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किसी तथ्य की सत्यता का निर्धारण करने के लिए विचारण से भिन्न की गई प्रत्येक कार्यवाही जाँच कहलाती है। इस प्रकार जाँच की प्रकृति न्यायिक होती है तथा इसका संचालन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ज) के अनुसार जिस कार्यवाही के अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकता है, वह न्यायिक कार्यवाही कहलाती है।

अन्वेषण को अनुसंधान या विवेचना भी कहा जाता है।

अन्वेषण का उद्देश्य व महत्व –

अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य किसी मामले के वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निरापद सत्य का पता लगाना और सुसंगत व अकाट्य साक्ष्य संकलित कर अपराधी तक पहुँचना है। अन्वेषण का मुख्य प्रयोजन यह पता लगाना है कि क्या कोई अपराध कारित किया गया है? यदि हाँ तो वह कौनसा अपराध है? वह किसके द्वारा कारित किया गया है? अन्वेषण न्यायिक प्रक्रिया का प्रथम प्रक्रम या चरण है। किसी संदिग्ध को न्यायालय के समक्ष पेश करने से पूर्व समाधान कर लेना चाहिये कि वस्तुतः उसके खिलाफ प्रथम–दृष्ट्या कोई मामला बनता भी है या नहीं। अतः किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने एवं उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने से पूर्व विधि में अन्वेषण की व्यवस्था की गई है।

अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

अन्वेषण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से प्रारम्भ होकर न्यायालय में पुलिस रिपोर्ट पेश करने पर समाप्त होता है। पुलिस अधिकारी इस दौरान निम्नलिखित कार्यवाही करता है –

क. अपराध के घटनास्थल पर पहुँच कर प्रार्थी की निशादेही से घटनास्थल का बारीकी से 2 प्रतिष्ठित पड़ौसी गवाहान की उपस्थिति में निरीक्षण कर नक्शा–मौका तैयार करना तथा भौतिक साक्ष्यों को संकलित करना

ख. प्रार्थी के व एफआईआर में वर्णित, अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित एवं पड़ौसी व्यक्तियों के स्पष्ट बयान अभिलिखित करना, प्रार्थी व अन्य पीड़ितों की चोटों का मेडिकल करवाना

ग. मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति व गवाह के कथन करवाने की कार्यवाही

घ. भारत के बाहर से साक्ष्यों को संकलित करने के लिए अनुरोध – पत्र या लेटर्स रोगेटरी जारी करवाने की कार्यवाही करना

ड़. मृत्युकालीन घोषणा व संस्वीकृति को अभिलिखित करना

च. अपराध से सम्बन्धित स्थानों की तलाशी लेकर अपराध से संबंधित वस्तुओं व दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में साक्षियों के समक्ष जरिये फर्द जब्त करना

छ़. अपराधी व संदिग्ध व्यक्तियों की खोज, पूछताछ एवं गिरफ्तार करना – फरार अभियुक्त की धारा 82 – 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषणा करवाकर सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही करवाना

ज. हस्तलेख, हस्ताक्षर, फिंगर – प्रिंट व फुट – प्रिंट आदि का परीक्षण

झ. गिरफ्तार अभियुक्त के पुलिस रिमाण्ड, शिनाख्तगी, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत सूचना लेखबद्ध करना व बरामदगी की कार्यवाही तथा जमानत

ञ. चिकित्सीय परीक्षण – मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट, चोट प्रतिवेदन तथा पोस्ट – मॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त करना

ट. रसायनिक परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला को अपराध से संबंधित प्रदर्श भेजना व एफ.एस. एल. रिपोर्ट प्राप्त करना

ठ. कार्यवाही शिनाख्तगी के द्वारा अभियुक्त तथा सम्पत्ति की पहचान कराना

ड. आत्महत्या, दुर्घटना व संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामलों में मृत्यु–समीक्षा करना

ढ़. पुलिस रिपोर्ट न्यायालय को भेजने से पहले अनुसंधान द्वारा संकलित साक्ष्य पर पूर्व राय बनाना कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम–दृष्ट्या मामला बनता है कि नहीं। इस हेतु लोक अभियोजक से कानूनी राय लेकर पुलिस ब्रीफ बनवाना तथा ब्रीफ के एतराजों की पूर्ति करना, आवश्यक हो तो पूरक अन्वेषण करना, इसके लिए तितम्बा बयान महानिदेशक पुलिस के परिपत्र 5/98 के अनुसार लिये जा सकते है

ण. वृताधिकारी तथा स्पेशल रिपोर्ट केसेज में पुलिस अधीक्षक से यथास्थिति चालानी आदेश या एफ. आर. आदेश प्राप्त कर पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में भेजकर मामले का निस्तारण करना।

पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधान करने की शक्तियों के संबंध में कानूनी प्रावधान

अन्वेषण करने में सक्षम पुलिस अधिकारी –

क. संज्ञेय मामलों में अनुसंधान की शक्तियाँ मूलतः पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को धारा 156 दण्ड प्रक्रिया संहिता व असंज्ञेय मामलों में धारा 155 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्राप्त होती हैं।

ख. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ण) के अनुसार जब पुलिस थाने का एस.एच.ओ. थाने से अनुपस्थित, बीमार या अन्य कारण से ड्युटी का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी, जो वरिष्ठता में एस.एच.ओ. से ठीक नीचे की रेंक का है, लेकिन कानिस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कहलाता है।

ग. सामान्यतः राजस्थान के पुलिस थानों में पुलिस निरीक्षक या उप निरीक्षक को एस.एच.ओ. के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी अनुपस्थिति में सहायक उपनिरीक्षक व हैड कानिस्टेबल को भारसाधक अधिकारी की शक्तियाँ होती हैं।

घ. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अनुसंधान का कार्य सौंप सकता है लेकिन वह अधीनस्थ कम से कम हैड कानिस्टेबल अवश्य हो। तब ऐसा अधीनस्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 168** के तहत अनुसंधान के संबंध में भारसाधक अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

ड़. दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 36** के तहत एस.एच.ओ. से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी अनुसंधान की शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हैं।

च. यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी घटना के तथ्यों व परिस्थितियों से स्वयं परिचित हो और उसकी स्थिति साक्षी की है तो उसके द्वारा किया गया अनुसंधान अनियमित माना जाता है तथापि अनुसंधान का अनियमित होना अभियुक्त की दोषमुक्ति का आधार नहीं बन सकता है।

छ. अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत अपराधों का अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अपराधों का अनुसंधान पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।

आपराधिक मामलों का वर्गीकरण तथा पुलिस किन मामलों में अनुसंधान कर सकती है –

दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराध का वर्गीकरण **संज्ञेय** व **असंज्ञेय** तथा **जमानतीय** व **अजमानतीय** अपराध के रूप में किया गया है। इसी वर्गीकरण के आधार पर यह निर्धारित होता है कि पुलिस किन मामलों में अन्वेषण कर सकती है और किन मामलों में किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकती है।

क. पुलिस संज्ञेय मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के आदेश तथा वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय मामले की प्रथम सूचना मिलने पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर धारा 156 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान कर सकता है। यदि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर देता है तो परिवादी जिला पुलिस अधीक्षक को धारा 154 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिखित में परिवाद कर सकता है। इसी प्रकार धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया के

तहत सक्षम मजिस्ट्रेट भी पुलिस को संज्ञेय मामले में इस्तगासा प्रेषित कर अन्वेषण करने के आदेश प्रदान कर सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 156** के तहत संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी को विपुल शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिसमें सामान्यतः उच्च न्यायालय द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्वेषण में हस्तक्षेप असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है।

ख. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ग) के अनुसार जिन अपराधों में पुलिस अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची या उस समय लागू कानून के अनुसार बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है, वे **संज्ञेय अपराध**(cognizable offence) कहलाते हैं। भारतीय दण्ड संहिता के समस्त अपराधों का वर्गीकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के भाग प्रथम में किया गया है। विशेष व स्थानीय विधि में अपराधों का संज्ञेय होना विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित होता है अन्यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय के अनुसार तीन वर्ष और अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध **संज्ञेय** होते हैं।

ग. जब किसी **असंज्ञेय** मामले की सूचना मिलती है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी रोजनामचा आम में उसकी प्रविष्टि करते हुए परिवादी को सक्षम न्यायालय के समक्ष जाने हेतु निर्देशित करेगा। पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं कर सकता। असंज्ञेय मामले में अन्वेषण करने का आदेश मिलने पर पुलिस अधिकारी वारन्ट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति के सिवाय अन्वेषण के संबंध में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामलों में कर सकता है।

घ. जब किसी मामले में कम से कम एक अपराध संज्ञेय हो व अन्य अपराध असंज्ञेय हो तो वह मामला संज्ञेय मामला माना जाता है। संज्ञेय अपराध को *'काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म'* तथा असंज्ञेय अपराध को *'नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म'* कहा जाता है।

ड़. न्यायालय पुलिस को दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 155 (2) व 202 (1)** के तहत असंज्ञेय मामले में अन्वेषण कर रिपोर्ट करने के आदेश कर सकता है। इस प्रकार मजिस्ट्रेट से अन्वेषण के आदेश मिलने पर पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण कर सकता है।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 और अन्वेषण –

राजस्थान पुलिस नियम 1965 के अध्याय 6 में अन्वेषण के संबंध में नियम दिये गये हैं –

नियम 6.1 –पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अनुसार अपने क्षेत्र में हुए संज्ञेय अपराध के अन्वेषण की शक्तियाँ रखता है। धारा 157 के तहत मामले की परिस्थितिजन्य घटनाओं और तथ्यों के अन्वेषण हेतु घटनास्थल पर जाने के लिए अपने अधीनस्थ को नियुक्त करने की शक्ति रखता है और अपराधियों को खोजने व गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है। पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्र में कार्यरत गुप्तचर विभाग के प्रत्येक अधिकारी की आवश्यकता होने पर पूरी सहायता करेगा।

नियम 6.2 –अन्वेषण अधिकारियों की शक्तियाँ – अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी की शक्तियों व सुविधाओं का उल्लेख दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 से 175 तक दिया गया है। अन्वेषण अधिकारी किसी व्यक्ति को अन्वेषण के संबंध में उपस्थिति होने के लिए लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है और आदेश की दूसरी प्रति को केस डायरी के साथ संलग्न किया जाता है। पूछताछ के लिए समन किये व्यक्ति को अनावश्यक कष्ट व निरुद्ध नहीं किया जायेगा। अन्वेषण अधिकारी का कर्त्तव्य है कि मामले की सत्यता, वास्तविक तथ्यों व अपराधियों का पता लगाना व उन्हें गिरफ्तार करना है।

ग. नियम 6.9 –वैकल्पिक अन्वेषण – जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मामले में अन्वेषण के पर्याप्त आधार न होने पर अन्वेषण नहीं करने का निर्णय लेता है तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर अन्वेषण की आवश्यकता न होने की टिप्पणी लिखते हुए कारण अंकित किये जायेंगे। मामले की सूचना वृताधिकारी को दी जायेगी जो इस नियम के अधीन आदेश जारी करेंगे।

घ. नियम 6.11 –असंज्ञेय मामलों का अन्वेषण – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) व 202 (1) के तहत असंज्ञेय मामले में अन्वेषण के आदेश प्राप्त होने पर अन्वेषण अधिकारी केस डायरी में प्रतिदिन की कार्यवाही लिखते हुए प्रति वृताधिकारी के माध्यम से आदेश करने वाले न्यायालय को भेजेगा। पुलिस द्वारा केस डायरी की कोई प्रति नहीं रखी जायेगी।

ड़. नियम 6.12– प्रत्येक असंज्ञेय मामले में सभी आदेश यथा गिरफ्तारी आदेश, तलाशी आदेश, समन करने का आदेश लिखित में प्राप्त किये जायेंगे तथा केस डायरी के साथ संलग्न किये जायेंगे।

अनुसंधान अधिकारी की विशेषताएं (Qualities of an investigation officer)

क. अनुसंधान अधिकारी को निष्पक्ष होना चाहिए।

ख. अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

ग. अनुसंधान में एकत्रित किये गये साक्ष्यों का एक – दूसरे से बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करवाना चाहिए।

घ. साक्ष्यों के परीक्षण की प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए।

ड़. अपराध के बारे में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व (Registration of FIR & its importance)

दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराधों को दो भागों में विभक्त किया गया है, संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पर पंजीबद्ध करने का प्रावधान है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) –

किसी भी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध घटित होने के संबंध में थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाने वाली प्रथम सूचना को एफ.आई.आर. रजिस्टर में दर्ज करने के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के तत्व –

अ. यह संज्ञेय अपराध घटित होने के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को समय की दृष्टि से सर्वप्रथम प्राप्त होती है;

ब. यह संज्ञेय अपराध घटित (commission of cognizable offence) होने के विवरण के रूप में होती है; और

स. यह मूल घटना के संबंध में होती है न कि पश्चाद्वर्ती घटनाओं के संबंध में।

प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में दर्ज की जाती है। इसमें किसी भी काल्पनिक या संभावित बातों का यथासंभव उल्लेख नहीं होना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश होना चाहिएः–

1. अपराध के संबंध में क्या सूचना प्राप्त हुई है ?
2. अपराध का क्या कारण रहा है ?
3. पीड़ित कौन है ?
4. अपराध कब घटित हुआ ?
5. अपराध कहाँ घटित हुआ ?
6. अपराध का उद्देश्य क्या है ?
7. अपराध कैसे घटित हुआ है ?
8. घटना के साक्षी कौन–कौन हैं ?
9. अपराधियों से घटनास्थल पर क्या साक्ष्य छूट गये हैं ?
10. अभियुक्तगण ज्ञात है या अज्ञात, इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी एफआईआर में होनी चाहिये।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया –

अ. प्रथम सूचना लिखित या मौखिक रूप में दी जा सकती है।

ब. प्रथम सूचना लिखित में होनी चाहिये। यदि मौखिक हो तो उसे लेखबद्ध (reduced to writing) किया जाना चाहिये।

स. प्रथम सूचना पर पेश करने वाले के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान होने चाहिये।

द. प्रथम सूचना को एफ.आई.आर रजिस्टर में लेखबद्ध किया जाकर सारांश (substance) रोजनामचा आम में अंकित किया जाता है।

य. एफ.आई.आर. रिपोर्टकर्ता को पढ़कर सुनाई जाकर उस पर उसके हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान कराये जाते हैं ।

र. एफ.आई.आर. की एक प्रति रिपोर्टकर्ता को तत्काल निःशुल्क दी जाती है।

एफ.आई.आर. कौन दर्ज कर सकता है?

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) के अनुसार थाने का भारसाधक अधिकारी एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए अधिकृत होता है। वह उसे अपने निर्देशन में अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से भी लेखबद्ध करवा सकता है। भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके बाद वरिष्ठता रखने वाला पुलिस अधिकारी एफ.आई.आर. दर्ज करता है, लेकिन वह कानिस्टेबल की रेंक से ऊपर की रेंक का होना चाहिये।

ब. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (3) के अनुसार भारसाधक अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना को दर्ज करने से मना करने पर रिपोर्टकर्ता प्रथम सूचना संबंधित पुलिस अधीक्षक को पेश कर सकता है जिस पर वह एफ.आई.आर. दर्ज करवा सकता है।

ग. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 की उपधारा (3) के अनुसार संज्ञेय अपराध के बारे में परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके भी कोई व्यक्ति एफ.आई.आर. दर्ज करवा सकता है।

एफ.आई.आर. कौन दर्ज करवा सकता है? –

कोई भी व्यक्ति जिसे घटना के संबंध में ज्ञान हो, वह एफ.आई.आर. दर्ज करवा सकता है –

अ. पीड़ित या उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति।

ब. घटना का चश्मदीद।

स. अभियुक्त।

द. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी अपनी निजी जानकारी या सूचना के आधार पर।

य. यदि कोई 'हियर–से' (hear-say)के आधार पर संज्ञेय अपराध के बारे में थाने पर प्रथम सूचना देता है, जिसमें सूचना के स्रोत का उल्लेख हो।

राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन 1948 और प्रथम सूचना रिपोर्ट –

नियम 285 –राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन 1948 के नियम 285 में एफ.आई.आर. लेखबद्ध करने, हियर–से रिपोर्ट, वेग रूमर, टेलीग्राम, टेलीफोन से प्राप्त इत्तला के संबध में व्यवस्था दी गई है।

हियर–से रिपोर्ट मिलने की दशा में वास्तविक परिवादी या चश्मदीद गवाह हेतु इंतजार किये बिना एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। अस्पष्ट अफवाह (vague rumour) के आधार पर एफ.आई. आर. दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन उसका सत्यापन पश्चाद्वर्ती सूचना के आधार पर किया जा सकता है।

टेलीग्राम से प्राप्त संज्ञेय अपराध की सूचना के आधार पर यदि कार्यवाही करना न्यायसंगत प्रतीत हो तो पुलिस अधिकारी को एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहिए।

एफ.आई.आर. दर्ज करने में परिवाद की सत्यता की परख करने तथा मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने के आधार पर विलम्ब नहीं किया जा सकता।

कानिस्टेबल किसी भी दशा में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर सकता। अगर कानिस्टेबल को संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो वह उसका सार रोजनामचा आम में इन्द्राज करते हुए शीघ्र ही भारसाधक अधिकारी को सूचित करेगा।

एफ.आई.आर. थानाधिकारी द्वारा निरस्त नहीं की जा सकती।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट ही वह बिन्दु हैं, जहाँ से आपराधिक विधि गति (motion)में आती है और अनुसंधान के विभिन्न चरणों द्वारा पुलिस अभियुक्त तक पहुँचती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 157 –

एफ.आई.आर. को दर्ज कराने वाले व्यक्ति के न्यायालय में बयान के दौरान पूर्व कथन के रूप में सम्पुष्टि (corroboration)हेतु उपयोग में लिया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 –

एफ.आई.आर. को दर्ज कराने वाले व्यक्ति के न्यायालय में बयान के दौरान प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा खण्डन (contradiction)करने के उपयोग में लिया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 व 207 के अनुसार एफ.आई.आर. की प्रति अभियुक्त को अभियोजन द्वारा निःशुल्क दी जाती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 –

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा देखे गये, सुने गये व अनुभव किये जाने वाले तथ्य प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। रिपोर्टकर्ता द्वारा देखे गये व सुने गये तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 व 21–

एफ.आई.आर. देने वाले व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का इकबाल साबित करने के लिए एफ.आई. आर. उपयोग में लाई जा सकती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27–

कभी–कभी एफ.आई.आर. स्वयं अपराधी द्वारा लेखबद्ध कराई जाती है और उसमें अपराधी द्वारा कुछ संस्वीकृतियां की जाती हैं, तब ऐसी संस्वीकृति के फलस्वरूप यदि नये तथ्य प्रकाश (discovery) में आते हैं तो एफ.आई.आर का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के तहत महत्त्व है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8–

एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति का पश्चाद्वर्ती आचरण साबित करने के लिए साक्ष्यिक महत्व रखती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1)–

एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. मृत्युकालीन घोषणा के रूप में साक्ष्यिक महत्व रखती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 –

चूँकि एफ.आई.आर. का लेखबद्ध(reduced to writing) होना आवश्यक है, अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अनुसार साबित की जानी चाहिये।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 –

अभियुक्त की पहचान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत सुसंगत होती है। रिपोर्टकर्ता जब इस तथ्य का उल्लेख करे कि सामने आने पर वह अभियुक्त को पहचान सकता है तथा कार्यवाही शिनाख्तगी में सही पहचान हो जाने पर एफ.आई.आर. का साक्ष्यिक मूल्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 –

सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा बयान बदलने पर उसकी विश्वसनीयता की परख हेतु एफ.आई. आर. का महत्व है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 –

विचारण के समय प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचना के तथ्य याद न होने की दशा में यदि वह यह कहता है कि प्रथम सूचना में बताए तथ्य ही सही थे तो इसका साक्ष्यिक मूल्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 व 77 –

एफ.आई.आर. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जो कि लोक प्राधिकारी है, द्वारा उसके आधिकारिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में तैयार की जाती है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के अर्थों में लोक दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के अनुसार दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के सबूत के रूप में एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रतिलिपि भी न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

एफ.आई.आर. न तो सारवान् साक्ष्य (substantive piece of evidence)है और न ही इनसाईक्लोपीडिया (encyclopedia) । परन्तु परिवादी के साक्ष्य की सम्पुष्टि (corroboration)तथा विरोधाभास (contradiction)के रूप में साक्ष्यिक महत्व रखती है।

3. घटनास्थल का नक्शा–मौका एवं इसका संरक्षण

(Scene of crime & its preservation)

किसी संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी साक्ष्य संकलित करने के प्रयोजन से अपराध के घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा–मौका (Crime Scene Memo / Site Plan)तैयार करता है। फर्द नक्शा–मौका घटना की सटीक जानकारी, स्पष्टीकरण तथा पुनःस्थापन (Reconstruction) की दृष्टि से महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी अनुसंधान के लिए घटनास्थल पर पहुँच कर मौके पर घटना से संबंधित वस्तुओं, निशान, आलामात आदि को दर्शाते हुए दो मौतबिर/गवाहों की मौजूदगी में नक्शा तैयार करता है, जिसे **'फर्द नक्शा मौका'** कहा जाता है।

घटनास्थल का निरीक्षण (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157) –

क. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिये घटनास्थल के लिए प्रस्थान करता है।

ख. थानाधिकारी अन्वेषण करने में सक्षम अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को भी घटनास्थल पर जाने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

घटनास्थल का निरीक्षण करते समय एवं नक्शा मौका बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए

क. अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी का यह दायित्व है कि वह घटनास्थल को सुरक्षित करे तथा कानिस्टेबल को सुरक्षा हेतु नियुक्त कर घटनास्थल पर प्रवेश निषेध की चेतावनी का बोर्ड लगावे। रस्सी/प्लास्टिक टेप का प्रयोग श्रेयस्कर रहता है।

ख. यह आवश्यक है कि अनुसंधान अधिकारी जितनी जल्दी हो सके घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण घटनास्थल तैयार करे। घटनास्थल निरीक्षण में देरी के कारण साक्ष्यों व तथ्यों से छेड़छाड़ एवं नष्टीकरण की प्रबल संभावना रहती है। अतः अपराध के घटनास्थल का संरक्षण एवं अतिशीघ्र निरीक्षण प्रकरण की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

नक्शा–मौका में अंकित करने योग्य तथ्य –

घटनास्थल का नक्शा मौका इस तरह तैयार करना चाहिये कि जिसने घटना नहीं देखी हो, वह नक्शा मौका की फर्द देख कर आसानी से समझ सके कि घटना किस तरह घटित हुई। फर्द नक्शा मौका स्पष्ट, पठनीय तथा घटना की सजीव कहानी कहने वाला होना चाहिये, जिसे देखकर कोई अनजान व्यक्ति घटनास्थल पर पहुँच सकता हो। नक्शा मौका पीड़ित, परिवादी या चश्मदीद

गवाह की निशादेही से दो स्थानीय मौतबिर व्यक्तियों की मौजूदगी में तैयार करना चाहिये। नक्शा मौका में मौके पर दिखाई देने वाली चीजों को दर्शाना चाहिये।

क. अन्वेषण अधिकारी को फर्द नक्शा–मौका में वे ही तथ्य दर्शाने चाहिये जो उसने घटनास्थल पर देखे (officer's personal observation) हैं। गवाहों के बयानों के आधार पर नक्शा मौका तैयार कर उस पर गवाह के हस्ताक्षर करवाने से नक्शा मौका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से विरोधात्मक हो जाता है। – तोरी सिंह व अन्य बनाम यू.पी. राज्य ए.आई.आर. 1962 सुप्रीम कोर्ट 399

अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहों के बयान के आधार पर फर्द नक्शा–मौका में अंकित बातें साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। – राजस्थान राज्य बनाम भवानी व अन्य 2003 (7) सुप्रीम कोर्ट केसेज 291

ख. नक्शा मौका के पुश्त पर **'हालात् मौका'** लिखे जाने की परम्परा है और हालात् मौका में गवाहों की जानकारी पर आधारित तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। हालात् मौके पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं करवाये जाते हैं। इस संबंध में कानूनी स्थिति यह है कि हालात् मौके में विवरण नक्शा मौका में दर्शाये तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिये तथा इस तरह के हालात् मौके पर उन गवाहों के हस्ताक्षर करवाने चाहिये जिनके सामने नक्शा मौका तैयार किया गया हो। लेकिन जिस गवाह की जानकारी के आधार पर नक्शा मौका में तथ्य दर्शाये हैं, उसके हस्ताक्षर कराने से नक्शा मौका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से विरोधात्मक हो जाता है।

ग. नक्शा–मौका में घटनास्थल, आस–पास के मकानों व भूखण्डों तथा स्थायी चीजों (Landmarks) जैसे– कुँआ, पेड़, रेल की पटरी आदि को दर्शाना चाहिए। वहाँ पर मिले हथियार, वाहन, पद–चिन्ह, फिंगर–प्रिन्ट, खून, शव, बाल व अन्य आलामात इत्यादि का भी विवरण अंकित करना चाहिये। अभियुक्त के आने व जाने की दिशा के अतिरिक्त वे बिन्दु भी दर्शाये जाने चाहिये जहाँ से प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना को देखा हो। रात्रि में घटित घटना के नक्शे मौके में प्रकाश के स्रोत की स्थिति, संख्या, प्रकाश की मात्रा व अन्य सहयोगी प्रकाश स्रोतों का उल्लेख प्रचुर मात्रा में करना चाहिये।

घ. नक्शा–मौका में दिशा, दूरी व माप का सही अंकन होना चाहिये। नक्शा मौका में तैयार करने की दिनांक, समय तथा स्थान का उल्लेख करना चाहिये। प्रायः पृष्ठ के ऊपर उत्तर दिशा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि नक्शा किस ओर से देखा जाय।

ड़. नक्शा–मौका स्वयं अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर ही तैयार करना चाहिये। यदि कोई विशेषज्ञ या पटवारी नक्शा तैयार कर रहा है तो अनुसंधान अधिकारी को अवश्य उपस्थित रहना चाहिये। उचित यह रहता है कि पटवारी के सहयोग से जमीन संबंधी प्रकरणों में नक्शा मौका बनाया जावे।

च. नक्शा–मौका तैयार करते समय परिवादी या किसी चश्मदीद गवाह को साथ रखा जाना चाहिये ताकि वह घटनास्थल की निशादेही कर सके। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 (2) के तहत बंधपत्र निष्पादित कर मौतबिर व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थिति हेतु पाबंद करना चाहिये।

छ. अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाह के कथन के आधार पर आपराधिक घटना के समय, स्थान व रीति के बारे में नक्शा–मौका में दिया गया विवरण सुनी–सुनाई बात होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 (2) के दायरे में आने के कारण सम्पुष्टि(corroboration)के प्रयोजन से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुसंधान अधिकारी के व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर देखी गई बातें ही सारवान् साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।

ज. ड्राफ्ट्समेन द्वारा तैयार किये गये मानचित्र के बारे में विधिक स्थिति कुछ भिन्न है। जब अनुसंधान अधिकारी ने हत्या की घटना के चश्मदीद गवाहों की जानकारी के आधार पर नक्शा मौका तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से विरोधात्मक माना गया। लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने ड्राफ्ट्समेन से घटनास्थल का नक्शा बनवाया। ड्राफ्ट्समेन ने मानचित्र बनाते समय हमलावर तथा पीड़ित के खड़े रहने की स्थिति को गवाह से प्राप्त जानकारी के आधार पर नक्शे में दर्शाया, जिसकी पुष्टि गवाह ने न्यायालय में आकर विटनेस–बॉक्स में कर दी तो यह साक्ष्य में ग्राह्य माना गया।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 व नक्शा मौका –

क. नियम 6.10 – घटनास्थल पर अविलम्ब पहुँचना – संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस अधिकारी तुरन्त घटनास्थल के लिए रवाना हो जायेंगे। यदि ऐसा अधिकारी अन्वेषण के लिए अधिकृत नहीं है तो घटनास्थल को सुरक्षित करके विवरण लिखेगा, साक्षियों को रोके रखेगा, मामले की सूचनाएँ एकत्रित करेगा और अपराधी को गिरफ्तार करेगा।

ख. नियम 6.13– घटनास्थल का मानचित्र/नक्शा मौका –

किसी भी मामले में घटनास्थल के दो मानचित्र तैयार किये जायेंगे। एक मानचित्र आरोप पत्र या अंतिम प्रतिवेदन के साथ तथा दूसरा मानचित्र अभियोजन की दृष्टि से विभागीय उपयोग हेतु रखा जाता है।

गंभीर मामलों तथा जमीन विवाद के मामलों में पटवारी से दो प्रति में मानचित्र बनवाया जायेगा। पहली प्रति में पुलिस अधिकारी द्वारा देखे गये तथ्य प्रविष्ट किये जायेंगे जो न्यायालय में पेश की जायेगी। दूसरी प्रति में साक्षियों के बयानों पर आधारित बातें लिखी जायेगी जो केवल विभागीय उपयोग में लाया जायेगा क्योंकि इसका साक्ष्य की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है।

पुलिस अधिकारी द्वारा पटवारी को मानचित्र में दर्शाये जाने वाले भूमि संकेत तथा मुख्य प्राकृतिक बिन्दु बताये जायेंगे। मानचित्र में प्रविष्टियां पटवारी द्वारा काली स्याही से तथा पुलिस द्वारा लाल स्याही से की जानी चाहिये।

नक्शा मौका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

मजिस्ट्रेट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण –

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 310 के तहत कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट संबंधित पक्षों को उचित नोटिस देने के उपरांत अपराध के घटनास्थल का निरीक्षण कर सुसंगत सूचनाओं की फर्द बना सकता है।

भूमि संबंधी मामलों में पटवारी द्वारा नक्शा–मौका तैयार करवाना –

भूमि विवाद से संबंधित मामलों में पटवारी से रेवेन्यू रिकॉर्ड व खसरा नम्बर इत्यादि सूचनाएँ प्राप्त करने के बाद फर्द नक्शा–मौका तैयार की जानी चाहिये। पटवारी से भूमि के नक्शे का प्रारूप अवश्य बनवा लेना चाहिये।

अपराध के घटनास्थल की एनालॉग व डिजीटल फोटोग्राफी –

क. घटनास्थल की फोटोग्राफी से सम्पूर्ण घटनास्थल का सही चित्रण सामने आता है और मजिस्ट्रेट के दिमाग में घटनास्थल की परिस्थितियों की पुनःस्थापना करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत फोटोग्राफी साक्ष्यिक मूल्य रखती है।

ख. फोटोग्राफी करते समय एक फोटो में सम्पूर्ण घटनास्थल तथा अन्य क्लोज–अप फोटोग्राफ्स में महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य व फुट–प्रिन्ट इत्यादि कवर किये जाने चाहिये।

ग. एनेलॉग फोटोग्राफी की स्थिति में नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिये और डिजीटल फोटोग्राफी की स्थिति में हैश–वेल्यू निकालनी चाहिये ताकि न्यायालय को डिजीटल फोटोग्राफ्स के साथ छेड़छाड़ का संदेह न हो।

4. साक्ष्य संकलन व विशेषज्ञों की राय प्राप्त करना

(Collection of evidences for crime scene & secure help of experts)

विज्ञान की समस्त शाखाओं से बना विधि विज्ञान की मदद से आपराधिक तत्वों की पहचान, उनकी तुलना और विज्ञान के सिद्धान्तों पर आधारित परिणामों से घटना, पीड़ित, अपराधी की सटीक पहचान भरोसेमंद साक्ष्यों के साथ कायम होती है।

भौतिक साक्ष्य और इनका महत्व

कोई भी पदार्थ या वस्तु जिसके वैज्ञानिक परीक्षण से अपराध घटित होने, अपराधी की पहचान व घटनाओं से संबंध स्थापित हो सके जो प्रायः अपराध स्थान पर पाये जाते हैं भौतिक साक्ष्य कहलाते हैं।यह पदार्थ जैविक उत्पत्ति, जिसमें पेड़–पौधे सम्मिलित हैं, रसायनिक उत्पत्ति, हथियार, छाप–निशानियों, औजार, वाहन, कागजात धागे, रेशे इत्यादि जो घटना से उत्पन्न होकर घटनास्थल पर मौजूद होते हैं।

अंगुल चिन्ह (Finger Print) –

अंगुल चिन्ह प्रत्येक के अलग–अलग होते हैं अंगुली के बारीक छिद्रों से जैविक रसायन का स्त्राव निरन्तर होता है जो सतह पर अपनी बनावट की छाप छोड़ता है जिसकी पहचान एवं तुलना से व्यक्ति की सटीक पहचान का सर्वोत्तम साक्ष्य प्रकट होता है। चोरी, सेंधमारी, हत्या, लूट, तोड़फोड़, डकैती, बलात्कार जैसे अपराधों में मुल्जिम अपनी अंगुल छाप/निशान छोड़ता है जिसकी पहचान एवं तुलना कर व्यक्ति विशेष का सर्वोत्तम साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

अंगुल चिन्ह दो प्रकार के पाये जाते हैं–

1. दृश्य (Visible) – प्रायः रंगीन पदार्थों जैसे रक्त, स्याही, ग्रीस, पेन्ट, धूल इत्यादि के सम्पर्क में आने से जो दिखाई देते हैं और उन्हें (Develop) विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि सीधे फोटोग्राफ स्केल लगाकर किया जाता है।
2. Invisible या Plastic Print– निशान जो दिखाई नहीं देते जिन्हें विकसित कर दिखाई देने योग्य बनाये जाते हैं जो विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है। सतह जो अपराध स्थल पर पहुँचने के स्थान, ताला–कुन्दा, छूकर उपयोग में लाई वस्तु, तिजोरी–दस्तावेज, टेबिल–कुर्सी, बोतल, गिलास, वाहन इत्यादि पर सहज पाये जाते हैं।प्लास्टिक प्रिन्ट नर्म पदार्थों जैसे गीले पेन्ट, मोम, पुट्टी, रक्त, डामर जो थ्री डाईमेन्शियल होते हैं जो अंगुली के कटकों (Ridges) के कारण उत्पन्न होते हैं इनको विकसित करने की जरूरत नहीं होती।

पद चिन्ह (Foot Print) –

पद चिन्ह प्रत्येक के अलग–अलग होते हैं, जिसका है उसी से मिलान होता है इसमें नंगे पद चिन्ह सबके अलग होंगे तथा जूते–चप्पल के मार्क भी अलग होंगे, जो व्यक्ति विशेष की चाल–ढ़ाल, घिसावट भिन्न होती है जो अपने आप में व्यक्ति की सही पहचान है जो एक अहम साक्ष्य होता है।

यह दो प्रकार से उठाये जाते हैं –

1. मिट्टी में आये पद चिन्हों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड उठाना।
2. चिकनी फर्श जहां मिट्टी नहीं है, पर आने वाले पद चिन्ह डस्ट मार्क लिफ्टर किट की सहायता से उठाये जाते हैं।

काँच की बोतल पर आये हुये फिंगर प्रिन्ट उठाने की विधि –

फिंगर प्रिन्ट डवलपिंग किट में से ग्रेफाईट पाउडर ब्रुश से लगाने पर आये हुये प्रिन्ट दिखाई देने लग जायेंगे। इस बोतल को परीक्षण हेतु एफ.पी.बी. में भेजने के लिये लकड़ी के डिब्बे में इस तरह पैक करेंगे कि बोतल का मुँह व पैंदा ही टच करे बाकी सतह चारों तरफ से टच नहीं हो।

पथ चिन्ह (Track Marks) –

प्राणी के पैरों के निशान या साक्ष्य के पहियों के निशान को पथ चिन्ह कहते हैं। साक्ष्य के रूप में घटनास्थल पर ऐसे चिन्ह पाये जाते हैं जो अपराधी की उपस्थिति दर्शाते हैं जिनके अध्ययन एवं तुलना से आपसी संबंध स्थापित किया जाता है। प्रायः पथ चिन्ह निम्न प्रकार के होते हैं –

I. Foot Print(पद चिन्ह)
II. Paw marks(पंजा चिन्ह)
III. Shoe Prints(पादुका चिन्ह)
IV. Track Marks(पथ चिन्ह)
V. Host Marks(खुर के चिन्ह)
VI. Skid Marks(फिसलन के चिन्ह)
VII. Stick Marks(छड़ी चिन्ह)
VIII. Drag Marks(खींचने के निशान) इत्यादि

इनके संरक्षण (Preservation) फोटोग्राफी एवं कास्ट विधि से होता है।

बाल (Hair) -

अपराधस्थल पर बाल जैसे सूक्ष्म अवशेष प्रायः अपराधी की दृष्टि में नहीं रहते और इनकी उपस्थिति सहज होती है। बाल किसी भी अंग के हो सकते है। जिनका ट्रांसफर अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। बलात्कार, हत्या, हिट एवं रन जैसे अपराधों में प्रायः पाये जाते हैं। इस सूक्ष्म साक्ष्य से व्यक्ति की पहचान बालों की तुलना से स्थापित हो जाती है। यदि बाल जड़ सहित हैं तो

डी.एन.ए. टेस्ट द्वारा व्यक्ति की निश्चित पहचान हो जाती है। बालों की तुलना के लिये उसी अंग के बालों का नमूना आवश्यक है सावधानी से चिमटी से बाल उठाकर कागज की पुड़िया बनाकर लेबल अंकित करें। नमूना कंघी करने पर, हल्के झटके से या चिमटी से एक–एक कर निकाले जाने चाहिये।

खून (Blood)-

रक्त जैविक पदार्थ है व्यक्ति विशेष के समस्त गुण रक्त में विद्यमान होते हैं रक्त जो घटनास्थल पर आपराधिक आदान–प्रदान में आता है, की सटीक पहचान साबित होती है। यहां यह भी निश्चित करना होता है कि रक्त समूह क्या है? संदिग्ध के रक्त नमूने से सबसे उत्तम पहचान का भौतिक साक्ष्य है इससे घटनास्थल, मृतक और मुल्जिम के कपड़ों पर लगे छींटे से उसकी उत्तम पहचान होती है।

जैविक पदार्थ जैसे रक्त, वीर्य, थूक, चमड़ी इत्यादि

जैविक पदार्थों को सामान्य ताप पर सुखाना चाहिए। किसी भी प्रकार से मिश्रित नहीं हो। अलग–अलग जगह से कपड़े, मिट्टी इत्यादि को अलग–अलग ही रखें। बंद डिब्बे में पेक नहीं करें क्योंकि समस्त जैविक पदार्थों में नमी की वजह से पहचान के तत्व समाप्त हो जाते हैं।

रक्त– सुखाकर, फर्श पर हो तो खुरचकर या फर्श का टुकड़ा ज्यों की ज्यों या गॉज पट्टी नमकर स्थानान्तरित कर कागज में लपेट कर, कपड़े की थैली में सील करें, रक्त से सने हुये कपड़े या रक्त धब्बे पर दोनों तरफ साफ कागज लगाकर फोल्ड कर पेपर में लपेटकर कपड़े की थैली में सील करें।

रक्त से सनी हुई मिट्टी को सुखाकर लगभग 50–100 ग्राम पेपर की थैली में डालकर कपड़े की थैली में सील करें।

वीर्य, कपड़ों पर धब्बे, जन्नांगों पर लगे धब्बे और मेडीकल परीक्षण में लिये जाने वाले नमूने–

जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो कुछ साक्ष्य अवश्य छोड़ जाता है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में मुख्य जैविक स्त्राव Semen वीर्य जो पुरुष वर्ग से बाहर आता है, योनि, जननांगों, बिस्तर, अण्डर गारमेन्टस पर लगना स्वाभाविक है। दोनों तरफ के वस्त्रों में भी लग जाता है। यह पदार्थ मुलजिम की सटीक पहचान जैविक द्रव्य के रूप में है और इस पदार्थ की पूरा चैन एकत्रित कर बलात्कारी की पहचान निःसंदेह हो जाती है। ऐसी महत्वपूर्ण साक्ष्य को भली भांति सुरक्षित करना आवश्यक है।

जैसाकि समस्त जैविक पदार्थों के पहचान के तत्व नमी के कारण नष्ट हो जाते हैं इसलिये वस्त्रों को पूरी तरह सुखाकर, धब्बों के दोनों तरफ साफ कागज लगाकर लपेटे और कपड़े की थैली में पैक कर सील लगावें। मेडीकल जाँच में लिये जाने वाले स्वाब व स्लाईड भी सुखाकर पैक करावें जो Airtight नहीं हो और वास्ते परीक्षण भेजे कि वीर्य है या नहीं मानव वीर्य है तो ग्रुप क्या है।

क्या संदिग्ध के रक्त–थूक के नमूनों से मिलता है। गैंगरेप में समस्त के रक्त–थूक के नमूना से मिलान तथा DNA टैस्ट कर मिलान कर रिपोर्ट प्राप्त कर सही मुलजिम की पहचान सिद्ध हो सकेगी।

शराब –

शराब का मुख्य घटक Ethyl alcohol होता है। एक निश्चित मात्रा मेंEthyl alcohol के साथ पानी, रंगरोगन तथा स्वाद पैदा करने वाले रसायनों का उपयोग भी होता है। Ethyl alcoholके अलावा Methyl alcohol या अन्य कोई भी एल्कोहल बहुत कम मात्रा में भी यदि शराब में मिल जावे तो जहरीली शराब हो जावेगी। प्रायः Methyl alcohol के ज्यादा चान्स होते हैं।

शराब निर्माण में दो इकाई काम आती है। (Under proof) UP या एल्कोहोल की प्रतिशत मात्रा जो एक दूसरे के पूरक है प्रायः शराब UP में बनती है। (Over Proof) बनाना प्रतिबन्धित है। Proof का मतलब 57.15 मि.ली. Ethyl alcohol और 42.85 मि.ली. पानी अर्थात् 100 मि.ली. यू भी कहा जा सकता है कि 100 मि.ली. बनी शराब में 57.15 प्रतिशत Ethyl alcohol तथा 42.85 प्रतिशत Water पानी होने पर शराब का स्टेण्डर्ड Proof है।

बाजार में शराब पर 25 UP लिखा हो तो इसका मतलब 25 प्रतिशत Ethyl alcohol की मात्रा Proof alcohol मात्रा 57.15 में से घटाकर Ethyl alcohol मिलाये शेष पानी। 25 UP को गणना में 42.55 प्रतिशत एल्कोहोल शेष पानी होगा।

मादक पदार्थ–

ऐसे पदार्थ या रसायन जो सीधे केन्द्रीय तन्त्रिका तंत्र पर (CNS) असर करते हैं और आदत में डालने की तासीर रखते हैं। समस्त ऐसे रसायन मादक पदार्थों/दवाओं की श्रेणी में आते हैं।

इन दवाओं से समाज नष्ट नहीं हो, लोग इन दवाओं के जाल में नहीं फंसे, इसके लिए एक कठोर अधिनियम बनाया गया। जिसमें ऐसे रसायनों को सूचीबद्ध कर अलग किया गया । जिनकी तासीर ही है – आदत बनाना क्योंकि ये रसायन रक्त में अपना स्थान बना लेते हैं और इनकी क्षणिक कमी होने पर शरीर काम का नहीं रहता और उस दवा रसायन को व्यक्ति विशेष को देना ही पड़ता है। प्राकृतिक रूप से कुछ मादक पौधे भी है, जिन्हें इस अधिनियम में डाला गया है जिनके लक्षण घातक है ऐसे तीन पौधे हैं–

1. Papaver Somniferum पापावर सोमनीफेरम नामक पौधे से अफीम मिलता है जिसमें मादक रसायन है।

2. Cannabis Sativaकनाबिस सटाईवा – (भांग का पौधा) जिसके फल–फली गाँजा तथा पौधे पर होने वाला चिपचिपा पदार्थ चरस होता है। पत्ती भाँग कहलाती है जो NDPS में नहीं आती।
3. Erythroxylon coca– कोका नामक पौधे से कोकिन मिलता है इन पौधों में पाये जाने वाले रसायन गम्भीर मादक दवा Narcotic Drug कहलाती है।

अफीम –

पापावर सोमनीफेरम (PapaverSomniferum) नामक पौधे के फल को Poppy कहा जाता है। अधकच्ची Poppy पर चीरा लगाने से सफेद रंग का दूध (Latex) निकलता है। जिसको अफीम कहते हैं। अफीम में 25 प्रकार के रसायन होते हैं। जिनके सामूहिक रूप से Alkaloids कहा जाता है। फल Poppy को पोस्त का डोडा कहते हैं। सूखने पर लोग पानी में भीगोकर छिद्रों में रहने वाले अफीम को निकालकर नशे की पूर्ति करते हैं। इसकी खेती सरकारी लाईसेन्स प्रक्रिया से होती है तथा दवाओं में काफी उपयोग होता है। इसका रंग काला समय के अनुसार हो जाता है। विशेष प्रकार की गंध लिये होता है। स्वाद Bitter तीखा–कसायला होता है। सूखने पर रबड़ जैसे लचक व चमक होती है। Narcotic Drug का प्रमुख सदस्य अफीम है।

हेरोईन –

अफीम में 25 Alkaloids होते हैं। जिनमें प्रमुख Papaverin, Narcotin, Thebain, Codeineएवं Morphineकी प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा होती है। प्रायः 9 से 14 प्रतिशत मोरफीन अफीम में होती है। हिरोईन मोरफीन का Semi synthesis Product है। मोरफीन को Acetic Anhydride नामक रसायन से क्रिया कराने पर एक नया पदार्थ Diacetyl morphine नाम का बनता है और यही हिरोईन है जिसका रसायनिक नाम Diacetyl morphine या Diamorphine होता है। ब्राउनशुगर, स्मैक नाम भी हिरोईन के ही है और इन सबका रसायनिक AlkaloidsDiamorphine ही होता है। यह कम मात्रा में मादक तथा कुछ समय नियमित लेने पर आदत में शुमार हो जाता है।

आगजनी का घटनास्थल –

आगजनी वाले कमरे में प्रथमदृष्टया देखने पर आलीशान बैडरूम लगता है, पर केरोसिन का यहाँ होना जरूरी नहीं है, पर गंध से प्रतीत होता है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। अनुसंधान में सीट ऑफ फायर से गंधयुक्त जले पदार्थ पॉलीथीन की थैली में उठाकर बन्द डिब्बे में सील कर जाँच

के लिये भेजेंगे कि क्या केरोसिन है। इसके अलावा केरोसिन का टिन जलाने व अन्य सामान के सेम्पल लेते हैं।

स्प्रीट (Spirit)

स्प्रीट दो प्रकार की होती है।

1. रेक्टीफाईड स्प्रीट जिसमें 90 प्रतिशत इथाईल, एल्कोहोल , शेष पानी यानि 10 प्रतिशत होता है।
2. डीनेचर्ड स्प्रीट (denatured sprit) इसमें 95 प्रतिशत ईथाईल, एल्कोहोल एवं 5 प्रतिशत मिथाईल एल्कोहोल Methyl alcohol जो जहरीला होता है तथा अन्य बदबूदार घटक मिला होता है। इसका उपयोग मेडीकल, पेन्ट, पॉलिस एवं उद्योग में होता है। किन्तु पीने में नहीं क्योंकि Methyl alcohol जहरीली होती है और शराब में मिल जावे तो जहरीली शराब हो जावेगी और पीने वाले की मृत्यु हो जायेगी।

मादक पौधे

वनस्पति में तीन पौधों को एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 में सम्मिलित किये गये है। जिनमें पाये जाने वाले रसायनिक पदार्थ गम्भीर प्रकृति के नारकोटिक ड्रग होते हैं।

1. पापावर सोमनीफेरम (Papaver somniferum) अफीम का पौधा।
2. कैनाविस स्टाईवा (Cannabis sativa) भांग का पौधा।
3. अरिथ्रोजाईलोन कोका (Erythroxilon coca) कोकिन का पौधा।

अफीम– यह एक गाढ़ा दूध होता है जो अधकच्चे पापावर पौधे के फल में चीरा लगाने पर सफेद रंग का दूध निकलता है यही अफीम होता है, जो समय के अनुसार रंग बदलता है सफेद, हल्का भूरा, गहरा भूरा व काला भूरा हो जाता है। इसमें 25 प्रकार के रसायन होते है। जिनका समूह Alkaloid कहलाता है। सबसे अत्यधिक मात्रा Morphine नामक Alkaloid की होती है। codein, Narcotine, papaverine एवं Thebine अन्य 25 में से प्रमुख हैं।

हिरोईन

अफीम में पाये जाने वाले मोरफीन को Acetic Anhydride नामक रसायन जिसे करसर कहा जाता है, जिसका उल्लेख एन.डी.पी.एस. एक्ट में है से क्रिया कराये जाने पर नया रसायन तैयार होगा, जिसका नाम Diacetyl Morphine या Diamorphine होता है जो हिरोईन का रसायनिक नाम है, बाजार में ड्रग व्यापारी स्मैक या ब्राउनशुगर नाम से दवा बेचते हैं जिसका

रसायनिक नाम Diamorphine ही होता है। अतः हिरोईन, स्मैक या ब्राउनशुगर में Diamorphine ही होता है।

विस्फोटक (Explosive)

विस्फोटक खतरनाक प्रकृति तथा अत्यन्त संवेदनशील रसायन होते हैं जो अत्यधिक दाब व ताप मामूली घर्षण, चोट, टक्कर, उष्मा या विद्युत स्पार्क से क्रियाशील हो जाते हैं। उत्पन्न गैसेज अत्यधिक आयतन व दबाव पैदा कर उष्मा के साथ भयंकर विस्फोट पैदा करते हैं।

ये रसायन क्रिया की गति के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं।

1- Low explosive

2- High explosive जैसे RDX, PETN, HMX आदि

विस्फोटक पदार्थ घर्षण, स्पार्क या टक्कर से क्रियाशील होकर भंयकर दाब से कई गुणा गैस बहुत ही अल्प समय में उत्पन्न करता है और ज्वाला या अत्यधिक ताप से जोर से फैंकता है, जिससे कम्पन, आवाज होकर आसपास की वस्तु पलभर में नष्ट हो जाती है, इसे विस्फोट कहते हैं। सामान्य विस्फोट की क्रिया वाहन में भी होती, स्पार्क के कारण पेट्रोल विस्फोटित होकर गैस ताप बनाता है जिससे पिस्टन को धक्का लगता है और मूमेन्ट हो जाता। समस्त गोला – बारूद, जिनसे इस प्रकार विस्फोटित होकर प्रोजेक्टाईल को धक्का लगता है और टारगेट तक पहुँचता है।

आई ई डी (IED)

IED का पूरा अर्थ है Improvised Explosive Device अर्थात् विस्फोट कराने के लिये एक तकनीकी का प्रयोग कर वांछित स्थान पर वांछित समय पर वांछित कार्य को अन्जाम देने के लिये Device तैयार की जाती है जिसे IED कहा जाता है। High Explosive को प्राईमर Explosive से बने डेटोनेटर की मदद से Explode कराये जाने के लिये एक बैटरी से वांछित समय पर टाइमर की सहायता से डेटोनेटर को विद्युत प्रवाह से Detonate कर मूल क्षमताधारक विस्फोटक को विस्फोटित किया जाता है जिससे प्रोपर्टी, जनहानि क्षणभर में हो जाती है। इनको बम भी कहते हैं।

विसरा

पोस्टमार्टम (PM) के समय मेडीकल ज्यूरिस्ट या एम.ओ. अंगों के परीक्षणार्थ टुकड़े संग्रहित करता है जिसे विसरा कहा जाता है। मानव की मृत्यु के कारणों की जानकारी रसायनिक परीक्षण

कराकर निश्चित की जाती है जिससे संदिग्ध जहरीली वस्तु की प्रमाणिकता होती है। संदिग्ध वस्तु की तलाश के लिये विसरा लिये जाने का क्रम निम्न प्रकार रहता है।

1. खानपान से विष शरीर में पहले पेट (Stomach) छोटी आँतों (Small intestine) व बड़ी आँतों (Large intestine) में पहुँचता है। इसलिये पहले JAR में Stomach, Small intestine में Large intestine के टुकड़े लेता है।
2. विष या कोई भी रसायन पाचन तंत्र से अवशोषित होकर ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स तथा स्प्लीन में पहुँचता है इसलिये दूसरे जार में समस्त अंगों के टुकड़े लेता है।
3. पाचन संस्थान से अंगों में रक्त द्वारा संचारित होता है इसलिये रक्त का 50–100 मिली. सैम्पल भी लिया जाता है।

इन सबको कोमन पाईजन परीक्षण के लिये Common Salt में प्रिजर्व किया जाता है ।

जहरखुरानी (Poisoning)

प्रायः विषपान प्रकरणों में निम्न कॉमन पाईजन प्रयोग में होते रहते हैं।

1. Cyanide जिसमें पोटेशियम व सोडियम साईनाईड प्रमुख है।
2. Alcohol जिसमें Ethyl व Methyl Alcohol आते हैं।
3. Insecticides /Pesticides कीटनाशक औषधियाँ – जो आर्गेनोक्लोरो, आर्गेनोफोसस व कार्बानेट, सिन्थेटिक पाईरे थ्राईडस इत्यादि होते है। Endo sulphan, Malathion इत्यादि।
4. Metallic Poisons– जिसमें धातु सम्मिलित हो जैसे Copper sulphate नीला थोता, Aluminum phosphide, Zinc Phosphide, Arsenic, Mercury इत्यादि।
5. Alkaloids– पादपों के रासायनिक तत्व जिसमें मादक पदार्थ इत्यादि जैसे Morphine अफीम से, Atropine धतूरा इत्यादि से।
6. Tranquillizers – नींद की गोली Diazepam Alprazolam इत्यादि।
7. Barbiturates – बेहोशी की दवा, मनोरोगियों में काम आने वाली दवाऐं। Phenobarbitone, thiopental, इत्यादि ये सभी Barb tunic acids से निर्मित रसायन होते हैं।
8. मूल रूप से खाये जाने वाले पौधे से प्राप्त वस्तुऐं धतूरा, चिरमी, कड़वे बादाम, बारिश में उगी घास–ज्वार इत्यादि कुचीली के भी रसायनिक तत्व घातक विष होते है।

डी.एन.ए.

डिओक्सी राईबो न्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic acid) DNAका पूरा नाम है जो जैव कोशिका के केन्द्रक में पाया जाता है। नमूने जैसे रक्त, वीर्य, थूक, बालजड़ सहित हड्डी, दाँत अर्थात् जीव की हर कोशिका के केन्द्रक में DNA होता है। DNA सबका भिन्न होता है अर्थात व्यक्ति विशेष की पहचान उसके विशिष्ट गुणों की उपस्थिति जिसमें माँ–बाप से आये गुण सम्मिलित है पूर्ण रूप से हो जाती है। इसकी महत्वत्ता पैतृक पहचान, गैंगरेप में प्रत्येक की पहचान उनके द्वारा छोड़े वीर्य कोशिकाओं से हो जाती है अर्थात् सम्पूर्ण पहचान व मिलान इससे (DNA) निश्चितता से हो जाती है। शक की कोई गुंजाईश नहीं रहती।

उदाहरण – एन.डी. तिवारी के प्रकरण में डी.एन.ए. जाँच से सिद्ध हुआ कि एन.डी. तिवाड़ी ही शिकायतकर्ता का पिता था।

कंकाल की पहचान

कंकाल से पहचान के दो तरीके प्रचलित है।

1. Super imposition– इसमें खोपड़ी का मिलान संभावित की फोटो जो सामने से ली गई हो से हो जाता है। फोटो व खोपड़ी की एक्स–रे प्लेट से उपलब्ध फीचरों के मिलान कर निष्कर्ष निकाला जाता है।
2. डी.एन.ए. के लिये सबसे उपयुक्त सैम्पल सबसे बड़ी हड्डी जांघ की (Femur)और दाँत होते हैं जिन्हें सूखाकर पेपर में लपेटकर कपड़े की थैली में पैक कर सील किये जाने चाहिये। संभावित के रक्त नमूना से हड्डी की कोशिकाओं के नमूने से डी.एन.ए. मिलान कर पहचान कायम की जाती है।

दस्तावेज

विक्रेता के रजिस्ट्री पर अंकित सभी हस्ताक्षर विवादग्रस्त कहलायेंगे। इन हस्ताक्षरों को प्रायः Q1, Q2, Q3 मार्क किये जावेंगे।

विक्रेता के बावक्त किये गये हस्ताक्षर जिसे वह स्वीकार करता है जो रोजमर्रा के काम में करता था को Admitted अर्थात् विवादरहित हस्ताक्षर जाँच में इक्कठे कर A1, A2, A3..... मार्क करेंगे। ध्यान रहे विवाद रहित समकालीन होने चाहिये अर्थात 20 वर्ष के लगभग पुराने। मिलान के लिये यदि विक्रेता जिन्दा है तो तीन गतियों में हस्ताक्षर के नमूने लिये जावेंगे, जो प्रमाणितकर्ता के सामने लिये जाते हैं। इन परS1, S2, S3 .....मार्क किया जावेगा। इस प्रकार Q, Aव S मार्क हस्ताक्षरों को मिलान के लिये FSL भेजा जावेगा और नतीजे के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

गैंग रेप

जोर जबरदस्ती से या नशे की हालत में जब दो शरीरों का करीब आना होता है तब एक दूसरे के जैविक स्राव जैसे लार, वीर्य तथा बालों का आदान–प्रदान होगा। बाल सिर के तथा गुप्तांगों के आपसे में रगड़ से उत्पन्न होकर एक दूसरे के शरीर बावक्त पहने कपड़ों पर अदला–बदली से पहुँच जाते हैं। कपड़ों पर भी जैविक स्राव लगता है कपड़ों के फटने से धागे, छीनाझपटी में बटन, चूड़ियों इत्यादि भी बतौर पहचान मिलते हैं। जिनका वैज्ञानिक, परीक्षण कराकर प्रमाणित किया जा सकता है।

पीड़िता मेडीकल के वक्त डॉ. गुप्तांग से स्वाब व स्लाईड लेता है जिसमें गैंगरेप वाले अपराधियों का वीर्य होने की पूरी संभावना होती है तथा वैज्ञानिक जाँच से प्रमाणित होता है जिसके मिलान के लिये संदिग्ध अपराधियों के मेडीकल में प्रत्येक के रक्त व थूक (लार– Saliva) के नमूने लिये जाना आवश्यक है ताकि उनके वीर्य से जो स्वाब कपड़ों के दाग धब्बों पर आया है मिलान हो सके। ध्यान रहे वीर्य के नमूने नहीं लिये जाते हैं। मात्र रक्त व लार के नमूने पर्याप्त होते हैं। यदि पीड़िता नशे की हालत में हो या ऐसी बात सामने आवे तो घटनास्थल नशीली वस्तु की तलाश गम्भीरता से की जानी चाहिये। इसमें मुलजिम की पहचान के फुटप्रिन्ट, व फिंगरप्रिन्ट भी अहम हो सकते हैं। अदला बदली में आये बालों की पहचान के लिये प्रत्येक सिर–गुप्तांग से बाल के नमूने लिये उखाड़कर अर्थात् बाल जड़ सहित हो लेने चाहिये।

कमरे में बैड पर बिछी चादर, तकिये या कोई तोलिया, कपड़ा इत्यादि जिस पर वीर्य के धब्बे, कोई बाल, रक्त के धब्बे जो चूड़ी इत्यादि टूटने व रगड़ खाने से पीड़िता अथवा अपराधी का खून इत्यादि हो, को सावधानीपूर्वक उठाये जावेंगे। मिलान के लिये अपराधी के रक्त, थूक के नमूने, बाल के नमूने, (शरीर के संभावित भाग के) लिये जायेंगे।

1. वीर्य की पहचान, इसका ग्रुप व डी.एन.ए. हो सकेगा जिसका अपराधी से मिलान होगा।

2. बाल की पहचान, मानव का तथा शरीर के किस अंग का है कि जानकारी से पीड़िता व अपराधी से मिलान हो सकेगा।

3. (ए) रक्त की पहचान, मानव का या जानवर का। मानव है तो ग्रुप और यह ग्रुप अपराधी का है या पीड़िता का मिलान किया जायेगा।

(बी) रक्त की रचना यदि महावारी है तो पीड़िता की स्थिति स्पष्ट करेगा तथा अपराधी के जब्त कपड़ों से मिलान हो सकेगा।

4. पीड़िता का रक्त, उस अंग के बाल, माहवारी की जानकारी व नमूना तथा अपराधी का रक्त, थूक, बाल आदि।

आग्नेय शस्त्र

वो मैकेनिकल हथियार जिनसे Ammunition दागा जाता है तथा क्षमतानुसार वांछित स्थान पर मार करते है।

Ammunition में भरा Primary Explosive पर जब चोट लगती है तोExplosionहोता है जिससे उच्च क्षमता की गैस का निर्माण मय ताप के होता है। जिससे कारतूस–गोली के आगे का हिस्सा नाली से निकलकर वांछित टारगेट पर मार करता है किन्तु वह खोका जिसमें Explosive Charge था चैम्बर से बाहर निकलकर घटनास्थल पर गिर जाता है और बन्दूक अस्त्र पुनः लोड स्थिति में ले लिया जाता है। खाली खोका जो घटनास्थल पर मिलता है तथा छर्रे इत्यादि से वैज्ञानिक जाँच से प्रमाणित हो जाता है कि खोका इसी बन्दूक से Fire arm से चला है। हैमर की चोट का निशान गोली पर, फायर करने वाले के हाथ में Explosive से उत्पन्न गैस धुआं की उपस्थिति तथा टारगेट स्थान पर छिद्र, एक्सप्लोजिव की उपस्थिति से भी मिलान हो सकेगा। शरीर से प्राप्त छर्रे, अस्त्र शस्त्र से आये घाव इत्यादि से मिलान कर Fire arm चलाने वाले की सटीक पहचान कायम होती है।

सामान्यतौर पर फाइरिंग के वक्त चैम्बर में से गैसेज के साथ बारूद के कण भी उच्च गति से गोली के साथ ही निकलते किन्तु बाहरी वायु के टकराव से गति प्रभावित होती है और धीरे–धीरे इनकी कणों की पहुँच टारगेट तक कम हो जाती है किन्तु मृतक के कपड़े व चमड़ी के छिद्र अर्थात् प्रवेश द्वार पर कालिख नजदीक होने के कारण उच्च ताप व बारूद के कणों के अवशेष प्रवेश द्वार के चारों तरफ एक रिंगनुमा धब्बा प्रतीत होता है जिसका वैज्ञानिक टैस्ट कराकर तय किया जाता है कि फायर बिल्कुल नजदीक से हुआ है अर्थात् शूटर बिल्कुल पास है चाहे मृतक स्वयं हो जिसकी स्थिति के अनुसार अनुसंधान बढ़ाया जाता है। यहाँ पर कपड़े के छिद्र, डॉ0 द्वारा चमड़ी के प्रवेश द्वार वाली चमड़ी का नमूना सावधानी से सुरक्षित किया जाना है जिससे बारूद, कारतूस के धातु की उपस्थिति का वैज्ञानिक प्रमाण सिद्ध हो सके।

मृत्यु (Death)

मृत्यु के तीन प्रकार होते हैं–(Three modes of death)

1. Asphyxia दम घुटना।
2. Syncope रक्त संचार का रुकना अथवा रक्त की कमी।
3. Coma तंत्रिका तंत्र का निष्क्रिय होना।

कारण–

- Asphyxia– फाँसी से, डूबने से, जलने से, गला घोंटने से, या कोई जहरीली गैस सूँघने से कारित होता है।
- Syncope – इसके कारण हृदय गति रुकने से, रक्त प्रवाह में रुकावट से अथवा रक्त की कमी से।
- Coma– ब्रेन अथवा तंत्रिका तंत्र के फेल होने से। मृत्यु के लिए इनका शोक Shock भी कहा जाता है।

धारदार हथियार

1. घटनास्थल से रक्त।
2. शरीर पर पहने व रक्त से सने हुये, कपड़े रक्त के धब्बे, रक्त रंजित पांव के धब्बे वासबेसिन पर रक्त धोने के निशान।
3. कपड़ा जिस पर कट का निशान हो का हथियार से मिलान।
4. बीड़ी, सिगरेट के जले टुकड़ों से सलाईवा (Saliva) का मिलान।
5. आपसी छिना झपटी में बालों की अदला–बदली।
6. पोस्टमार्टम रक्त से मृतक के रक्त की पहचान।
7. बाल हों तो मृतक के बाल के नमूने।
8. थूक के लिये सलाईवा (Saliva) का नमूना।
9. घाव का चाकू से मिलान इत्यादि।

फाँसी (Homicide, Suicide अथवा Accident)

किसी प्रकरण में मार कर साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से फाँसी लगाने में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट होते हैं, जिनके आधार पर आत्महत्या या हत्या रूपी फाँसी का आंकलन संभव है।

1. मरने वाले व्यक्ति के शव पर फन्दा लगाना जो कसकर बाँधा जावेगा।
2. शव पर विरोध के घाव अन्य लक्षण होंगे।
3. शव पर मुट्ठी में अपराधी की कोई निशानी संभव होती है। जैसे – बाल, धागा, बटन।
4. शव को लटकाने, घसीटने, बांधने में मरने से पूर्व के घाव, रक्त इत्यादि।
5. अपराधी की पहचान के साक्ष्य, उसके पदचिन्ह, अंगुल चिन्ह, छीना झपटी के निशान व वस्तु का आदान–प्रदान।

6. निशान एवं वस्तु का आदान–प्रदान से दो व्यक्तियों के होने के आलामात।
7. आत्महत्या रूपी फाँसी में इस प्रकार के साक्ष्यों का अभाव होगा।
8. दवा का नशा या शराब के नशे में फाँसी से हत्या की जा सकती है।
9. याद रहे नशे में स्वयं फाँसी नहीं लगा सकता।

Complete Hanging & Partial Hanging

यदि गाँठ नेप ऑफ दी नेक (NAP of the neck) गुद्दी पर हो और पूरा शरीर बिना किसी आधार के झूल रहा हो तो Complete Hanging फाँसी कहलाएगी। ज्यूडिशियल फाँसी इसी प्रकार होती है।

Partial Hanging में शरीर किसी भी वस्तु, दीवार या फर्श पर टिक जाता है तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति फाँसी से मरने से पहले फंदे को हटाने में सक्षम था, किन्तु मर गया। वास्तव मृत्यु फाँसी से होती है और मृत्यु का प्रकार Asphyxia तथा कारण फाँसी का फंदा होता है।

Asphyxia

तकिये से नाक व मुँह अवरुद्ध हो जाने के कारण ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तथा मृत्यु का प्रकार Asphyxia होगा। मृत्यु का कारण तकिये से ऑक्सीजन रोकना जिसे Smothering विधि कहा जाता है। नाक की नस फटने से तकिये पर रक्त के धब्बे होगें नाक की हड्डी में फ्रेक्चर तथा मृतक की दाँतों की जड़ में खून चमक उठेगा। दाँत ढीले भी हो सकते हैं।

डूबकर मरने का मृत्यु का प्रकार भी Asphyxia होगा। कभी–कभी Vagal shock भी होता है। मारकर डूबाने में मृतक के अवयवों व हड्डी में पानी में पाये जाने वाले डायटमस की उपस्थिति नहीं होगी। यदि स्वयं डूबकर मरता है तो मृतक के शरीर के अवयवों तथा हड्डी के नमूनों में डूबकर मरने वाले पानी के नमूने में पाये जाने वाले सूक्ष्म (Diatoms) की उपस्थिति व मिलान होगा।

5. आपराधिक आसूचना संकलन

(Collection of criminal intelligence)

आसूचना का प्रचलन विधिवत रूप में मौर्यकाल में हुआ था। मौर्यकाल में चाणक्य द्वारा इस विभाग का गठन किया गया। चाणक्य ने यह महसूस किया कि शासन सुचारू रूप से चलाने हेतु शासक को यह मालूम होना चाहिए कि प्रजा की राजा के प्रति क्या भावनाएं एवं विचार हैं। इसके साथ ही राज्य की सुरक्षा हेतु पड़ौसी राज्यों की गतिविधियों पर नजर रखनी प्रारम्भ की गई जिसे गुप्तचरी के नाम से जाना गया। जिस प्रकार एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाने हेतु कुशल, योगय व विद्वान परामर्शदाताओं की आवश्यकता है, उतना ही उस बात को भी सुनिश्चित करना है, कि राज्य में क्या–क्या गतिविधियां चल रही हैं, और जनता की क्या प्रतिक्रिया है। यह महत्वपूर्ण कार्य आसूचना संकलन से ही सम्पादित किया जा सकता है।

आसूचना संकलन का उद्देश्य

आसूचना संकलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित में शासन में चलने वाली गतिविधियों की जानकारी एवं वर्तमान में क्या घट रहा है और आगे क्या घटने वाला है आदि का पता करना है जिससे समय रहते सभी स्थितियों से आसानी से निपटा जा सके।

1. राष्ट्र को होने वाले बाहरी एवं आंतरिक खतरों तथा धमकियों का पता लगाना।
2. देश के महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय सम्पदा, तकनीकी ज्ञान आदि की सुरक्षा करना।
3. दुश्मन के एजेन्ट की पहचान।
4. अपराधियों की पहचान, अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों को पकड़ने आदि में सहयोग लेना।

आपराधिक आसूचना का महत्व –

आपराधिक सूचना वर्तमान में बढ़ते औद्योगिक एवं आर्थिक विकास ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के मध्य तथा धनी व गरीब के मध्य अन्तर ने सामाजिक तनाव को बढ़ाकर शांति, सुव्यवस्था और अपराध सम्बन्धी नई समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अपराधों की रोकथाम, अनुसंधान, अभियोजन यह सभी कार्य तभी सफलतापूर्वक किये जा सकते हैं जबकि हमारे पास अपराध और अपराधियों के बारे में सम्पूर्ण सूचनाऐं पूर्व में ही उपलबध हों। इनके बारे में सम्पूर्ण सूचनाऐं एकत्रित करने हेतु हमारे पास एक सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पुलिस वांछित सूचनाऐं समय से पूर्व एकत्र कर सके।

आपराधिक सूचनाऐं निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती हैं:–

1. अभिलेख (Record)

2. व्यक्तिगत अनुभव व प्रेषण (Personal experience and observation)

3. अन्य स्रोत (Other Sources)

आपराधिक आसूचना संकलन के साधन

पुलिस विभाग के अभिलेख निम्न प्रकार से हैं :–

(ए) दिल्ली अनुसंधान विभाग (CBI) में संगठित एवं विशेष किस्म के अपराधों का विशद् अभिलेख रख जाता है।

(बी) कलकता स्थित केन्द्रीय फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो से अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों की पहचान की जा सकती है।

(सी) क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन बुलेटिन और क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स राज पत्र जैसी पत्रिकाओं द्वारा (CBI Bulletin Intelligence Gazette)

(डी) अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन भी महत्वपूर्ण अपराधियों के विस्तृत विवरण समय–समय पर विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित करता रहता है।

पुलिस स्टेशन के अभिलेख :– पुलिस थाना स्टेशन में रखे जाने वाले निम्न अभिलेखों से भी आपराधिक सूचनाऐं एकत्र की जा सकती हैं :–

- थानाधिकारी का गुप्त विवरण रजिस्टर।
- ग्राम अपराध रजिस्टर।
- गुण्डों, दलालों व क्रियाशील अपराधियों की सूची।
- बीट सम्बन्धी सूचना रजिस्टर।
- राजनीतिक सभा, जुलूस मेलों व उत्सवों का रजिस्टर।
- इतिहास पंजिकाऐं
- विभिन्न प्रकार के लाईसेंसधारियों का रजिस्टर।
- अभियुक्त रजिस्टर।
- नर्तकियों व वैश्याओं आदि की सूची।
- भगोड़ों व भूमिगत हो गये व्यक्तियों की सूची।
- अभिरक्षण का रजिस्टर।

अन्य विभागों के अभिलेख निम्न प्रकार से हैं :– पुलिस विभाग के अलावा अन्य ऐसे विभाग हैं जिनके द्वारा अपराध व अपराधियों की सूचना एकत्र की जा सकती है जैसे :–

- जेल विभाग के अभिलेख।
- आबकारी एवं अफीम विभाग के अभिलेख।
- होटलों, सरायों के अभिलेख।
- अस्पताल, अनाथालय व शिशुपालन केन्द्रों के अभिलेख।
- शिक्षण संस्थानों के अभिलेख।
- रुपया उधार देने व वस्तुओं को गिरवी रखने वालों का रिकार्ड।
- धोबी, ड्राईक्लीनर्स एवं दर्जी आदि के अभिलेख।
- मनोरंजन केन्द्रों के अभिलेख।
- कसाईखाने आदि के द्वारा।
- हथियारों व अन्य उपकरणों को रिपेयरिंग करने वालों से।
- दैनिक एवं सामयिक पत्र पत्रिकाऐं मिलती हैं, उनके माध्यम से।
- एस.टी.डी. बूथों के अभिलेख।
- साईबर कैफे का रिकॉर्ड।
- इन्टरनेट ऑपरेटिंग केन्द्रों से।
- व्यक्तिगत अनुभव व प्रेक्षण द्वारा
    - एक पुलिस अधिकारी कानून, नियम, राजकीय आदेश एवं विभागीय आदेशों की उचित व सही जानकारी रखना, अपराधों की रोकथाम में सहायक होता है।
    - पुलिस अधिकारी का व्यक्तिगत अनुभव एवं प्रेक्षण भी अपराध की जानकारी में बहुत उपयोगी होता है। पुलिस अधिकारी का प्रेक्षण बहुत पैना होना चाहिए। कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु एवं बात उसकी नजर से घटनास्थल व अपराधों के बारे में छुपी हुयी नहीं रहनी चाहिए।

अन्य स्रोत

उपरोक्त वर्णित माध्यमों के अलावा कुछ अन्य साधन भी हैं जिनसे अपराधिक सूचनाऐं एकत्रित की जा सकती हैं जैसेः–

- ग्राम पंचायत द्वारा
- स्वर्णकार, लुहार और सामान गिरवी रखने वालों द्वारा।
- दुकानदारों से।
- मेडिकल स्टोर्स व नशीले पदार्थों के विक्रेताओं से।

- नर्तकियों, गायक–गायिकाओं, अभिनेताओं व अन्य मनोरंजन केन्द्रों से।
- ज्योतिष, पुजारी, पण्डे, मुल्ला मौलवी, पादरी और आर्य समाज के कर्मचारियों से।
- अनाथ आश्रम व विधवा आश्रम के कर्मचारियों से।
- डॉक्टर, हकीम, वैद्य, कम्पाउण्डर, नाई व नर्स द्वारा।
- चुंगी नाकों व कांजी हाउस के कर्मचारियों से।
- टेलीफोन एक्सचेन्ज के कर्मचारियों से, सेवानिवृत कर्मचारियों से।
- घर के अन्दर पहुँचने वाले नौकर व काम करने वालों से।
- समाचार पत्रों के संवाददाता, प्रतिनिधी, विक्रेता, आदि से।
- सम्पादक व वितरण आदि से, अपराधियों के संगी साथियों से।
- साधु, संन्यासी, भीखमंगों व अपाहिज द्वारा।
- जेल में बन्द अपराधी व कर्मचारियों से।

सम्पत्ति की तलाशी, जब्ती एवं बरामदगी
(Search & seizure and recovery of property)

तलाशी एवं साक्ष्यों की जब्ती के संबंध में कानूनी प्रावधान व प्रक्रिया

जब अनुसंधान के दौरान किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करने का साक्ष्य प्राप्त होता है तो ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए संभावित स्थानों की तलाशी ली जाती है। इसी प्रकार किसी स्थान पर किसी अपराध के संबंध में साक्ष्य मिलने की संभावना होती है तो उस स्थान की तलाशी ली जाती है। किसी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी शारीरिक या व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है। इस प्रकार तलाशी दो प्रकार की होती है –

क. जामा तलाशी – शरीर की तलाशी

ख. खाना तलाशी – स्थान की तलाशी

जामा तलाशी के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51, 100 (3) व (7) में प्रावधान है और खाना तलाशी के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 47, 100, 165 व 166 में प्रावधान है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 52, 102, 165 व 166 में धारा 51 (1), 100 (5), (6) व (7) से संदर्भित जब्ती से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं। राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 38 में लावारिस सम्पत्ति की जब्ती का प्रावधान है।

जामा–तलाशी के प्रावधान –

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51–

क. पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी ले सकता है।

ख. तलाशी के दौरान पहनने के कपड़ों के अलावा उसके पास मिली सब वस्तुओं की सूची बनाकर पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में ली जाती है।

ग. स्त्री की तलाशी लेते समय सम्मान व शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए तलाशी महिला पुलिस या अन्य स्त्री द्वारा ही लिये जाने के प्रावधान है।

ब. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (3), (4) व (7) –

क. जब किसी स्थान की तलाशी ली जा रही है तो पुलिस अधिकारी द्वारा वहाँ मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों की जामा–तलाशी ली जा सकती है और यदि वह स्त्री है तो तलाशी उसकी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखकर अन्य स्त्री द्वारा लिवाई जायेगी। –धारा 100 (3)

ख. मकान की तलाशी के दौरान वहाँ मौजूद किसी व्यक्ति की जामा–तलाशी से पूर्व पुलिस अधिकारी दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित स्थानीय व्यक्तियों को तलाशी हेतु साक्षी बनने के लिए बुलाएगा और इस हेतु लिखित में भी आदेश जारी कर सकता है। –धारा 100 (4)

ग. जब किसी व्यक्ति की जामा–तलाशी धारा 100 (3) के अधीन ली जाती है, तब कब्जे में ली गई सब वस्तुओं की सूची तैयार कर उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को भी दी जाती है। –धारा 100 (7)

खाना–तलाशी के प्रावधान

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 47 –

क. यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति किसी स्थान में प्रवेश कर लेता है तो उस स्थान में निवास करने वाला या भारसाधक व्यक्ति पुलिस अधिकारी को प्रवेश कर तलाशी लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए आबद्ध है।

ख. किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और वारण्ट लेने में विलम्ब से व्यक्ति के भाग जाने की आशंका हो तो पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट प्रवेश कर तलाशी ले सकता है।

ग. पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के प्रयोजन से आवश्यक होने पर ऐसे स्थान के दरवाजे या खिड़की को तोड़कर प्रवेश कर सकता है।

घ. किसी प्रचलित रुढ़ि के कारण लोक के सामने न आने वाली पर्दानशीन स्त्री के वास्तविक अधिभोग या स्वामित्व वाले कमरे में प्रवेश करने से पूर्व उसे तलाशी की सूचना देकर वहाँ से हट जाने के लिये अवसर व प्रत्येक उचित सुविधा प्रदान करना पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक है।

ड़. कोई पुलिस अधिकारी किसी स्थान में गिरफ्तारी के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात् वहाँ निरुद्ध या बंद कर लिये जाने पर स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को मुक्त कराने के प्रयोजन से किसी गृह या स्थान के द्वार या खिड़की तोड़कर खोल सकता है।

ब. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 –बंद स्थान की तलाशी की प्रक्रिया –

क. स्थान के मालिक या भारसाधक व्यक्ति का कर्त्तव्य – किसी स्थान या मकान का भारसाधक व्यक्ति तलाशी वारंट की तामील करने वाले पुलिस अधिकारी को वारण्ट पेश किये जाने पर अबाध प्रवेश कर तलाशी के लिये सब उचित सुविधाएं देने के लिए आबद्ध है।

ख. तलाशी हेतु उक्त रीति से प्रवेश प्राप्त नहीं होने पर पुलिस अधिकारी धारा 47 की उपधारा (2) में उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा अर्थात् खिड़की या द्वार तोड़कर प्रवेश कर सकेगा।

ग. तलाशी लिये जाने वाले स्थान पर मौजूद संदिग्ध व्यक्ति जो कोई ऐसी वस्तु छुपाये हुये है जिसकी तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह स्त्री है तो तलाशी उसकी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखकर अन्य स्त्री द्वारा लिवाई जायेगी।

घ. मकान या उस व्यक्ति की तलाशी से पूर्व पुलिस अधिकारी दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित स्थानीय व्यक्तियों को तलाशी हेतु साक्षी/मौतबिर बनने के लिए बुलाएगा और उनको लिखित में भी आदेश जारी कर सकता है।

ड़. तलाशी स्वतंत्र व प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में ली जायेगी। तलाशी के दौरान जब्त/अभिगृहीत वस्तुओं की सूची तैयार की जायेगी और उस पर साक्षियों के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे।

च. तलाशी लेते समय मकान के भारसाधक व्यक्ति या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जायेगी तथा अभिगृहीत वस्तुओं की सूची की एक प्रति उसे दी जायेगी।

छ. जब किसी व्यक्ति की जामा तलाशी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 की उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब वस्तुओं की सूची तैयार कर उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को भी दी जायेगी।

ज. यदि कोई व्यक्ति तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए लिखित आदेश द्वारा बुलाया जाने पर आने में उचित कारण के बिना इंकार या उपेक्षा करता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187 के अधीन अपराध माना जायेगा।

स. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 –पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पुलिस थाने की सीमाओं में अन्वेषण के प्रयोजन से तलाशी की प्रक्रिया –

क. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन से अपने थाने की सीमा में स्थित किसी स्थान की तलाशी ले सकता है।

ख. अन्वेषण के प्रयोजन से खाना–तलाशी यथासंभव पुलिस अधिकारी द्वारा स्वयं ली जायेगी।

ग. यदि पुलिस अधिकारी स्वयं तलाशी लेने में असमर्थ है तो युक्तियुक्त कारण को लेखबद्ध करने के बाद अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को लिखित आदेश देकर तलाशी लिवा सकता है।

घ. लिखित आदेश में तलाशी लिये जाने वाले स्थान व वस्तु का विवरण होना आवश्यक है।

ड़. तलाशी वारण्ट तथा तलाशी से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान अन्वेषण के प्रयोजन से तलाशी लेते समय भी लागू होते हैं। अतः पुलिस अधिकारी इनका अनुपालन अवश्य सुनिश्चित करें।

च. तलाशी के दौरान बनाये गये अभिलेख यथा – फर्द तलाशी व जब्ती तथा अधीनस्थ को लिखित आदेश की प्रतियाँ पुलिस अधिकारी द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजी जाती है।

छ. मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी–स्थल के मालिक या अधिभोगी को आवेदन करने पर अभिलेखों की प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जाती है।

द. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 –पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पुलिस थाने की सीमाओं से बाहर अन्वेषण के प्रयोजन से तलाशी हेतु किसी अन्य पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अध्यपेक्षा (requisition) व विलम्ब की दशा में स्वयं तलाशी लेना –

क. अपने पुलिस थाने से बाहर अन्वेषण के प्रयोजन से तलाशी हेतु भारसाधक अधिकारी तथा उपनिरीक्षक से अनिम्न रेंक का अनुसंधान अधिकारी ही दूसरे थाने के भारसाधक अधिकारी से तलाशी की अपेक्षा या अध्यपेक्षा कर सकता है।

ख. यदि हैड कानिस्टेबल के पास पुलिस थाने का प्रभार है तो वह भी अध्यपेक्षा कर सकता है, अन्यथा नहीं।

ग. अन्वेषण के प्रयोजन से तलाशी लेने की अध्यपेक्षा का प्रभाव दूसरे जिले में स्थित पुलिस थाने पर भी होता है।

घ. अध्यपेक्षा पर दूसरे थाने का भारसाधक अधिकारी धारा 165 के उपबन्धों के अनुसार तलाशी लेकर तलाशी में जब्त चीजें तलाशी की अपेक्षा करने वाले अधिकारी के पास भेजने की कार्यवाही करेगा।

ड़. जब तलाशी के लिये दूसरे थाने के एस.एच.ओ. से अपेक्षा करने से होने वाले विलम्ब से वांछित वस्तु तथा सम्पत्ति को हटा दिए जाने या नष्ट कर दिए जाने की पूर्ण आशंका है तो स्वयं एस. एच.ओ. या एस.आई से अनिम्न रेंक का आई.ओ. ऐसी विशेष परिस्थतियों में दूसरे थाना क्षेत्र में स्वयं तलाशी ले सकता है। च. दूसरे पुलिस थाने के क्षेत्र में तलाशी लेने वाला पुलिस अधिकारी संबंधित पुलिस थाने के एस.एच.ओ. को तलाशी लेने की सूचना तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत तैयार की गई जब्त वस्तुओं की सूची भेजेगा।

छ. दूसरे पुलिस थाने के क्षेत्र में तलाशी लेने वाला पुलिस अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 की उपधारा (1) व (3) के अधीन बनाये गये अभिलेख की प्रतियाँ (फर्द जब्ती व सूची) अपराध के प्रसंज्ञान के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

ज. मजिस्ट्रेट को भेजे गये तलाशी से संबंधित अभिलेख की प्रति तलाशी–स्थल के मालिक या भारसाधक को उसके आवेदन पर निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है।

जब्ती –

क. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 52 – आक्रामक आयुधों की जब्ती – पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के पास मिले आक्रामक हथियार को कब्जे में लेगा और न्यायालय में पेश करते समय हथियारों को भी पेश करेगा।

ख. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 – चुराई हुई सम्पत्ति व अपराध से संबंद्ध सम्पत्ति को जब्त करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति –

(1) कोई पुलिस अधिकारी ऐसी सम्पत्तित को अभिगृहीत कर सकता है जिसके बारे में यह संदेह हो कि वह चुराई हुई है या ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिनसे किसी अपराध के किये जाने का संदेह हो।

(2) यदि अभिग्रहण करने वाला पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को तत्काल देगा।

(3) पुलिस अधिकारी अधिग्रहण की रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तुरन्त देगा और जहाँ अभिगृहीत सम्पत्तित ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है या जहाँ अभिगृहीत सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है या जहाँ अभिगृहीत सम्पत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना अन्वेषण के प्रयोजन से आवश्यक नहीं समझा जाता है, तो वहाँ पुलिस अधिकारी अभिगृहीत सम्पत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबद्ध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि जब कभी अपेक्षा की जाये वह उस सम्पत्ति को न्यायालय के समझ पेश करेगा और उसके निस्तारण के बारे में न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा।

परन्तु जहाँ उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति शीघ्रतया व प्रकृत्या क्षयशील हो और सम्पत्ति का हकदार व्यक्ति अज्ञात अथवा अनुपस्थित हो और सम्पत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम हो तो पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलाम द्वारा विक्रय किया जा सकेगा और विक्रय के शुद्ध आगमों को धारा 457 व 458 के उपबंध यथाशक्य लागू होंगे।

धारा 457 के अनुसार जब पुलिस द्वारा जब्त की गई सम्पत्ति जाँच या विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के निस्तारण या हकदार व्यक्ति को परिदत्त किये जाने का आदेश करेगा। धारा 458 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट द्वारा जब्तशुदा सम्पत्ति के बारे में दावे के लिए उद्घोषणा जारी करने के छः माह की अवधि के भीतर कोई दावेदार हाजिर नहीं होता है तो ऐसी सम्पत्ति राज्य सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी।

ग. लावारिस सम्पत्ति

अ. राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 38 के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा अदावाकृत लावारिस सम्पत्ति को अपने कब्जे में लिया जाता है। राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 7 व 8 के अनुसार लावारिस सम्पत्ति का निस्तारण किया जाता है।

ब. राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 7 के अनुसार पुलिस अधिकारी लावारिस सम्पत्ति को कब्जे में लेते समय सम्पत्ति की सूची तैयार करते हुए समय, स्थान, मात्रा व पहचान का विवरण लिखेगा और सूची पर दो साक्षी व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराना आवश्यक है। सम्पत्ति को जब्त करने वाला पुलिस अधिकारी सम्पत्ति भारसाधक अधिकारी को सुपुर्द करेगा जिसकी प्रविष्टि रोजनामचा आम में की जाकर सम्पत्ति सुपुर्द करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे। लावारिस सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी भारसाधक अधिकारी की होगी।

स. राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 8 के तहत लावारिस सम्पत्ति को प्राप्त करने वाला भारसाधक अधिकारी 15 दिन में रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त को भेजेगा। शीघ्र नष्ट होने योग्य वस्तु को बिना विलम्ब के पुलिस अधीक्षक के आदेश से नीलाम कर दिया जायेगा। पुलिस अधीक्षक लावारिस सम्पत्ति के दावेदार व्यक्ति को तीन माह के भीतर दावा साबित करने के संबंध में उद्घोषणा जारी करेगा जो स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थानों के सहज दिखाई देने वाले स्थान और पुलिस की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। यदि सम्पत्ति का मूल्य 50 हजार से अधिक हो तो स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशन किया जायेगा। किसी दावेदार के हक से संतुष्ट होने पर पुलिस अधीक्षक उसे सम्पत्ति परिदत्त करने का आदेश कर सकेगा। पुलिस अधिकारी सम्पत्ति परिदत्त करते समय दावेदार से उचित प्रतिभूति ले सकता है। यदि लावारिस सम्पत्ति के बारे में कोई दावा साबित नहीं कर पाता है तो सम्पत्ति पुलिस अधीक्षक के आदेश से नीलाम कर दी जायेगी और राशि का व्ययन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

7. साक्षी का परीक्षण, कथन व मृत्युकालिक घोषणा लेखबद्ध करना (Examination of witnesses, recording of statements and dying declaration)

अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा गवाह के बयान लेखबद्ध करने की प्रक्रिया का दण्ड प्रक्रिया संहिता की चार धाराओं 160, 161, 162 व 163 में उल्लेखित है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 –लिखित नोटिस या सफीना (Subpoena)–

गवाह को बयान हेतु तलब करने के लिए धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस दिया जाता है जिसे पुलिस बोलचाल में **"सफीना"** (subpoena) कहा जाता है जो लेटिन शब्द से बना है।

क. गवाह को बुलाने हेतु धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लिखित में आदेश जारी करना चाहिये।

ख. अनुसंधान अधिकारी द्वारा नोटिस गवाह को संबोधित करते हुए जारी करना चाहिए न कि किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को।

ग. नोटिस में गवाह को उपस्थित होने के समय, स्थान व दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये। राजस्थान पुलिस नियम 1965 का नियम 6.2 स्पष्ट करता है कि उक्त लिखित आदेश में गवाह के आने–जाने के समय व दिनांक का उल्लेख होगा तथा बुलाये गये व्यक्ति को अनावश्यक नहीं रोका जायेगा।

घ. गवाह को उपस्थित होने हेतु अनुसंधान अधिकारी विवश नहीं कर सकेगा। यदि गवाह आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 की कार्यवाही की जा सकती है। इस हेतु आवश्यक है कि नोटिस लिखित में हो तथा उसकी तामील हो।

ड़. किसी स्त्री या 15 वर्ष से कम आयु के पुरुष व्यक्ति को उनके निवास स्थान के अलावा अन्य स्थान पर बयान लेखबद्ध करने हेतु नहीं बुलाया जा सकता है।

च. गवाह को निवास से भिन्न स्थान पर बुलाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराया भत्ता देय है।

छ. अभियुक्त को पूछताछ हेतु बुलाने के लिए भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 का ही नोटिस जारी किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 – पुलिस द्वारा कथन को अभिलिखित करना –

क. गवाह का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत लेखबद्ध किया जाता है। गवाह व्यक्ति के बयान को ओडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी लिखा जा सकता है।

ख. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में 'कोई व्यक्ति' (Any Person) पदावली प्रयुक्त की गई है जिसमें गवाह, संदिग्ध तथा अभियुक्त व्यक्ति शामिल है। – **श्रीमती नंदिनी सत्पत्थि बनाम पी. एल.दानी ए.आई.आर. 1978 सुप्रीम कोर्ट 1025**

ग. बलात्संग की पीड़िता के बयान उसके घर पर या उसकी पसंद के स्थान पर यथासंभव उसके अभिभावक या संरक्षक या नजदीकी रिश्तेदार या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की मौजूदगी में अभिलिखित किये जायेंगे।

घ. किसी भी गवाह के बयान में अन्य गवाह के बयान का यह कहते हुए उल्लेख नहीं किया जा सकता कि उक्त गवाह का बयान अन्य गवाह के बयान जैसा ही है क्योंकि धारा 161 (3) के तहत भिन्न गवाहों के बयान का पृथक–पृथक लिखा जाना अनिवार्य है।

ड़. राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 6.18 के अनुसार धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान केस डायरी का हिस्सा नहीं होते हैं परन्तु बयान अलग से लिखे जाकर केस डायरी के साथ लगाये जायेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी केस डायरी में बयानों को लगाये जाने के निर्देश दिये हैं।

च. बयान करने वाले गवाह को प्रथम पुरुष मानकर बयान लिखे जाने चाहिये।

छ. गवाह के बयान को लेखबद्ध करने में अनावश्यक देरी अभियोजन केस को कमजोर तथा संदिग्ध बनाता है।

ज. अभियुक्त के भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयान लेखबद्ध किये जा सकते हैं, परन्तु पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की संस्वीकृति होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत मान्य नहीं है।

झ. पुलिस अधिकारी के सवालों का सही जवाब देने की गवाह की आबद्धता –

अ. पुलिस अधिकारी द्वारा किये गये सभी प्रश्नों का सही–सही उत्तर देने के लिए गवाह व अभियुक्त कानूनन बाध्य है। यदि गवाह बयान देने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 179 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

ब. कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का जबाव देने के लिए बाध्य नहीं है जो उसे अपराध में लिप्त करने वाले हों क्योंकि प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्माभिशंसन (self-incrimination) से संरक्षण प्राप्त है। यदि गवाह पुलिस अधिकारी द्वारा किये गये किसी प्रश्न का आत्माभिशंसन के आधार पर जबाव देने से मना करता है तो उसके खिलाफ धारा 179 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

ट. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182, 193 व 211 –

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयान न तो भारतीय दण्ड संहिता धारा 182 के अर्थ में सूचना है तथा न ही भारतीय दण्ड संहिता धारा 193 के अर्थ में साक्ष्य। अतः गवाह के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता धारा 182 व 193 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

ब. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयान में दिया गया गलत जबाव स्वैच्छिक सूचना (volunteer information)की श्रेणी में नहीं आता है जबकि भारतीय दण्ड संहिता धारा 182 व 211 के अर्थ में सूचना स्वैच्छिक होनी आवश्यक है। अतः उनके खिलाफ यह कार्यवाही संभव नहीं है।

स. अतः गवाह व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182, 193, 211 के तहत कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती है तथा न ही मानहानि व क्षतिपूर्ति हेतु वाद संस्थित किया जा सकता।

ड. अतिरिक्त या तितम्बा बयान – जब किसी गवाह के बयान एक बार होने के बाद पुनः बयान लिखे जाने की आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित अतिरिक्त बयान भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयान कहलाते है। पुलिस बोलचाल में इसे तितम्बा बयान कहा जाता है। अनुसंधान अधिकारी तितम्बा बयान केवल पुलिस अधीक्षक या वृताधिकारी की पूर्वानुमति के उपरांत ही दर्ज कर सकेगा।

क. पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अभिलिखित बयान पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये जाते हैं और केवल लेखबद्ध करने वाले पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये गये बयान संबंधित व्यक्ति को पढ़कर सुनाना आवश्यक है। पुलिस अधिकारी बयानों पर आर.ओ. एण्ड ए.सी. (Read Over and Admitted as Correct) अंकित करता है।

ख. यदि किसी मामले में औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व गवाह के बयान अभिलिखित किये जाते हैं तो भी ऐसे बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयान की श्रेणी में आयेंगे और हस्ताक्षर करवाये जाने पर धारा 162 के दायरे में आते हैं। – **के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य सुप्रीम कोर्ट 605**

ग. धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं होते हैं परन्तु दो परिस्थितियां इसके अपवाद हैं – क. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त की सूचना पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होते हैं। ख. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार मृत्युकालीन कथन पर कथन करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं।

घ. सम्पत्ति की चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद रिपोर्टकर्ता ने चोरी गये सामान की हस्ताक्षरित सूची भारसाधक अधिकारी को पेश की। यदि यह सूची अनुसंधान के दौरान पेश की जाती है तो यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के प्रतिकूल होगा। यदि सूची एफ.आई.

आर. दर्ज होने के पश्चात् लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 157 के तहत अनुसंधान प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का भाग मानी जायेगी।

ड़. अभियुक्त द्वारा लिखित कोई भी दस्तावेज धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्थ में बयान नहीं है। इसी प्रकार फर्द जब्ती व बरामदगी भी इस अर्थ में बयान नहीं है। अतः ये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के दायरे में नहीं आते हैं।

च. किसी मामले के अन्वेषण में पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से स्पेसीमेन हेण्डराईटिंग लिया जाना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के दायरे में नहीं आता। – **यू.पी. राज्य बनाम बूटासिंह ए.आई.आर. 1978 सुप्रीम कोर्ट 1770**

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 –

किसी भी गवाह के बयान डरा–धमका कर लेखबद्ध नहीं किये जा सकते और गवाह के कहे अनुसार बयान लेखबद्ध करने चाहिये।

कोई भी पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्ति किसी चेतावनी या अन्य तरीके से अनुसंधान के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिये जाने वाले बयान से नहीं रोकेगा।

मृत्युकालीन घोषणा/बयान नजई (Recording of dying declaration)

किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण व परिस्थितियों के बारे में किया गया कथन मृत्युकालीन घोषणा कहलाता है।

मृत्युकालीन घोषणा के संबंध में कानूनी प्रावधान

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 172 की धारा 32 (1)–

जब किसी व्यक्ति द्वारा लिखित या मौखिक कथन किये जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के कारण (cause of death) या संव्यवहार की परिस्थिति (circumstances of transaction) के बारे में उसके द्वारा किया गया कथन स्वयमेव सुसंगत होता है भले ही कथन लेने वाले व्यक्ति को कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु की प्रत्याशंका (expectation of death) न हो।

मृत्युकालीन घोषणा के तत्व –

क. कथन घटना से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दिया जाना

ख. पीड़ित व्यक्ति का मरणासन्न होना

ग. कथन का मृत्यु के कारण के बारे में होना

घ. कथन में मृत्युकारक परिस्थितियों का वर्णन होना

मृत्युकालीन घोषणा की साक्ष्य में ग्रह्यता के कारण –

क. विश्वसनीयता – मृत्यु के समय मनुष्य के झूठ नहीं बोलने की अवधारणा

ख. आवश्यकता – अन्य किसी साक्ष्य का अभाव

जब किसी मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता और मृतक व्यक्ति का कथन ही एकमात्र साक्ष्य रह जाता है तो ऐसी दशा में कथन के सत्य व विश्वसनीय होने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। – पोम्पिया बनाम बम्बई राज्य ए.आई.आर. 1965 सुप्रीम कोर्ट 39

मृत्युकालीन कथन कौन अभिलिखित कर सकता है –

क. मजिस्ट्रेट – मृत्युकालीन कथन यथासंभव मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लेखबद्ध किये जाने चाहिये।

ख. पुलिस अधिकारी –

अ. मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो मृत्युकालीन कथन पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जा सकते हैं।

ब. राजस्थान पुलिस नियम 1965 – पुलिस अधिकारी दो स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षियों की उपस्थिति में मृत्युकालीन कथन अभिलिखित कर सकता है।

स. मृत्युकालीन कथन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये जाने चाहिये लेकिन उसकी अनुपस्थिति में हैड कानिस्टेबल द्वारा भी लिखे जा सकते हैं।

ग. चिकित्साधिकारी – अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्साधिकारी द्वारा मृत्युकालीन कथन अभिलिखित किये जा सकते हैं। चिकित्साधिकारी के स्वतंत्र, निष्पक्ष व प्रतिष्ठित होने से अभिलिखित कथन विश्वसनीय है।

घ. स्वयं मरणासन्न व्यक्ति – यदि मरणासन्न व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से मृत्युकालीन घोषणा लिखकर देता है तो वह साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

ड़. निकटस्थ अन्य व्यक्ति – जब मरणासन्न व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर है जहां से किसी पुलिस अधिकारी व मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम प्राधिकारी को सूचना नहीं दी जा सकती और चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं है तो वहाँ मौजूद किसी अन्य व्यक्ति या उसके परिजन के समक्ष की गई मृत्युकालीन घोषणा साक्ष्य में ग्राह्य है।

मृत्युकालीन घोषणा अभिलिखित करने की रीति –

क. सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि पीड़ित व्यक्ति बयान देने की स्थिति में है अथवा नहीं। चिकित्सक से उक्त आशय का प्रमाण–पत्र अवश्य लेना चाहिये।

ख. बयान पीड़ित व्यक्ति की भाषा में शब्दशः (statement verbatim) लिखे जाने चाहिये। बयान को प्रश्नोत्तर के रूप में लिखना चाहिये।

ग. 'बयान नजई' में यथासंभव घटना से संबंधित सभी तथ्यों का उल्लेख होना चाहिये लेकिन कोई बात छूट भी जाती है तो केवल इस आधार पर अमान्य नहीं हो जाती।

घ. मत्युकालीन कथन लेखबद्ध करते समय अपराध में लिप्त होने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को पास में खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

ड़. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट मरणासन्न व्यक्ति द्वारा ही दर्ज कराई गई है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे बयान नजई माना जा सकता है।

पर्चा बयान से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना –

जब पुलिस अधिकारी द्वारा किसी मरणासन्न या घायल व्यक्ति के कथन अभिलिखित किये जाते हैं तो पुलिस बोलचाल में इसे **'पर्चा बयान'** कहते हैं। पुलिस थाने पर उक्त पर्चा बयान के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। जैसे – आग से जली विवाहिता के पर्चा बयान पुलिस अधिकारी द्वारा अस्पताल में चिकित्सक की उपस्थिति में लिये जाने के बाद पुलिस थाने पर उसी पर्चा बयान को प्रथम सूचना मानते हुए उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है।

मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन (Dying declaration recorded by Magistrate)

मृत्युकालिक कथन विशेष कार्यपालक (executive) मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया गया था जिसने अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने अपना समाधान कर लिया था कि मृतक बयान देने के लिए बिलकुल से फिट था जिस बात की सम्पुष्टि पुलिस ऑफिसर द्वारा होती थी। कथन स्पष्ट विसंगतियों से दूषित नहीं था और वह पहले के दो मृत्युकालिक कथनों से सुसंगत था। यह अभिनिर्धारित हुआ कि मृत्युकालिक कथन पर निर्भर किया जा सकता था और उसे चिकित्सक के इस प्रमाण–पत्र के अभाव में भी ग्रहण किया जा सकता था कि मृतक कथन करने के लिए फिट स्थिति में था जहाँ मृत्युकालिक कथन ऐसेविशेष मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया गया था जिसे अभिलिखित करने का उसे न्यस्त नहीं था, यह अभिनिर्धारित हुआ कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसे अभिलिखित करने से पूर्व सारी पूर्वावधानियों से ली गयी थी और उसमे विश्वास उत्प्रेरित होता था? जहाँ मृत्युकालिक कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया गया था जिस पर न तो मृतक के हस्ताक्षर थे और न ही उस पर उसके अभिलिखित किए जाने की तिथि एवं समय ही था और अभियोजन पक्ष इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि मृतक हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था, यह अभिनिर्धारित हुआ कि ऐसे मृत्युकालिक कथन के आधार पर, जिसमें अनेको संदेहास्पद परिस्थितियां अंतर्निहित थी, जिससे उसके असली होने पर संदेह पैदा होता था, सिद्धदोष किया जाना सुरक्षित नहीं था।

यह जरूरी नहीं है कि मृत्युकालिक घोषणा मजिस्ट्रेट के ही समक्ष की जाये। इसका साक्ष्य में क्या महत्त्व है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों क्या है। किसी उचित मामले में ऐसी घोषणा के आधार पर ही दोषसिद्धि की जा सकती है। इस केस में मृत्युकालिक घोषणा सिद्ध हो गयी और मरीज की हालत के बारे में कोई प्रश्न पूछा नहीं गया था, चिकित्सीय साक्ष्य विपरित नहीं थे और घोषणा की पुष्टि भी की गयी थी। अतः ऐसी घोषणा के आधार पर की गयी दोषसिद्धि को अनुचित नहीं माना गया ।

जहाँ मृत्युकालिक घोषणा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा रिकार्ड की गयी थी और उसने अक्षरशः सारी बातें रिकार्ड कर ली, न्यायालय ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि उसको घोषणाकर्ता से इसकी पुष्टि करानी चाहिए जहाँ घोषणा मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जिसने घायल व्यक्ति से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, वहाँ भी घोषणा सही मानी गयी। मजिस्ट्रेट ने सभी सावधानी बरती थी और घोषणा की पुष्टि भी की गयी थी। न्यायालय ने कहा कि 90% जलने के तथ्य के आधार पर कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

जहाँ घोषणा मजिस्ट्रेट ने रिकार्ड की और स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त अपराधी था और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रिकार्डिंग की गयी थी, यह निर्णय दिया गया कि मृत्युकालिक घोषणा निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा रिकार्ड की गयी थी और उसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता था भले ही उसकी रिकार्डिंग 8 घंटे बाद की गयी थी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए मृत्युकालिक कथन का साक्ष्यिक मूल्य उच्चतर होता है किन्तु ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि इसे सदैव मजिस्ट्रेट द्वारा ही अभिलिखित किया जाना चाहिए। चाहे जैसे किया गया हो, यदि उसे स्वैच्छया किया हुआ और सही पाया जाता है तो किसी अतिरिक्त सम्पुष्टि के बिना इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

चिकित्सक द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन (Dying declaration recorded by doctor)

जहाँ अन्य साक्षियों की उपस्थिति में मृत्युकालिक कथन प्रश्नोत्तर रूप में अभिलिखित किया गया था और वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य से सम्पुष्ट था, यह अभिनिर्धारित हुआ कि अभियुक्त को सिद्धदोष करने के लिए वह पर्याप्त था। मृत्युकालिक कथन चिकित्सक द्वारा अभिलिखित किया गया था क्योंकि कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं था और मृतक ने अपने कथन में अभियुक्तों को स्पष्ट रूप से नामित किया था कथन में मृतक की फिट स्थिति का उल्लेख नहीं था किन्तु अभिसाक्ष्य में उल्लेख किया गया था। चिकित्सक द्वारा निर्गत ष्चोट प्रमाण–पत्र यह दर्शित करते हुए प्रविष्टि थी कि "चोटें कुछ व्यक्तियों द्वारा कारित" की गयी यो जैसा कि मृतक द्वारा बताया गया था। मृत्युकालिक कथन पर विश्वास किया गया जहाँ मृत्युकालिक कथन चिकित्सक द्वारा अभिलिखित किया गया था किन्तु वह मृतक के अत्यधिक जला हुआ होने के कारण उसके हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा नहीं ले है सका किन्तु इस बात को न तो अन्वेषण अधिकारी, न चिकित्सीय स्टाफ के किसी व्यक्ति और न मृतक के रिश्तेदारों द्वारा ही अनुप्रमाणित किया गया था, मृत्युकालिक कथन को अविश्वसनीय माना गया

पुलिस द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन (Dying declaration recorded by police)

पुलिस द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन अपने आप में तिरस्कृत नहीं हो जाता किन्तु उस पर शक पैदा होता है। आपातकाल में, इसे मजिस्ट्रेट वा डाक्टर को बुलाए बिना ही अभिलिखित किया जा सकता है। किसी स्पष्ट एवं सम्पुष्ट मृत्युकालिक कथन को केवल इसलिए अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि उसे पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था। जहाँ मृत्युकालिक कथन पुलिस ऑफिसर द्वारा अभिलिखित किया गया था किन्तु किन्हीं साक्षियों की मौजूदगी में नहीं और न उसके अभिलिखित किए जाने के समय कोई चिकित्सक, नर्स यो कंपाउन्डर लोग ही ड्यूटी पर मौजूद थे और पुलिस ऑफिसर उसे निकटतम थाने पर तुरंत भेज भी नहीं सका था, यह अभिनिर्धारित हुआ कि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय नहीं था। जहाँ मृत्युकालिक कथन पुलिस कर्मियों द्वारा अभिलिखित

किया गया था, यह अभिनिर्धारित हुआ कि इस प्रकार अभिलिखित किए जाने को इस आधार पर साक्ष्य नहीं माना जा सकता कि उक्त पुलिस कर्मियों के मन में अभियुक्त के विरुद्ध कोई दुर्भाव नहीं था।

जहाँ एक जख्मी व्यक्ति के कथन के रूप में अभिकथित रूप से पुलिस द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन को न तो न्यायालय में ही दाखिल किया गया था और न अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि ही दी गयी थी बल्कि उसे साक्ष्य देते समय पुलिस द्वारा न्यायालय में ही पहली बार पेश किया गया था, यह अभिनिर्धारित हुआ कि उसे अस्वीकृत किया जा सकता था जहाँ मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो वहाँ हेड कांस्टेबिल द्वारा रिकार्ड किए गए कथन को स्वीकार किया गया था क्योंकि हमेशा मजिस्ट्रेट ही रिकार्ड करे, यह जरूरी नहीं है, किन्तु अन्य द्वारा ऐसा केवल किसी निष्पक्ष साक्षी की मौजूदगी में ही किया जाना चाहिए और तभी उसे स्वीकार किया जायेगा मजिस्ट्रेट द्वारा रिकार्ड करना सच्चाई का सबूत नहीं है।

जहाँ कोई मृत्यु पुलिस की अभिरक्षा में हुई हो, तो केवल पुलिस ही उसके कथन को अभिलिखित कर सकने योग्य होगी और वह सुसंगत होगा चाहे उस कथन में पुलिस की यातना से मृत्यु की बात की गयी हो। फिर भी उच्चतम न्यायालय ने सावधानी के रूप में इंगित किया है कि अन्वेषण अधिकारी के द्वारा मृत्युकालिक कथन के अभिलिखित किए जाने की परम्परा को बढ़ाया नहीं दिया जाना चाहिए जहाँ कोई बयान अन्वेषण अधिकारी के द्वारा अकेले ही उस पर किसी के भी हस्ताक्षर के बिना और उसका समय विनिर्दिष्ट किए बिना ही अभिलिखित किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने उसे अस्वीकृत कर दिया जहाँ मृत्युकालिक कथन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था क्योंकि रोगी की दशा गम्भीर होने के कारण मजिस्ट्रेट को बुलाने का समय नहीं था और अन्वेषण अधिकारी के अपने अन्वेषण की सफलता में हितबद्ध होने के कारण, उसकी सच्चाई को परखने के लिए कड़ी संवीक्षा आवश्यक थी जहाँ शिकार हुई स्त्री 100% जल गयी थी, उसकी देख–भाल करने वाले चिकित्सक की राय थी कि उसकी दशा चिन्ताजनक थी और बचने की कोई आशा नहीं थी किन्तु बयान देने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी थी, उसका मृत्युकालिक कथन चिकित्सक एवं एक साक्षी की मौजूदगी में अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया, यह अभिनिर्धारित हुआ कि वह ग्राह्य था, यद्यपि मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं अभिलिखित किया गया था और संपुष्टि आवश्यक नहीं थी जहाँ मृत्युकालिक कथन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था, यद्यपि स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए जाने का पर्याप्त समय था, यह अभिनिर्धारित हुआ कि मृत्युकालिक कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।

मृत्युकालिक कथन के संबंध में सिद्धान्त

(Principles governing dying declarations)

मृत्युकालिक घोषणा को शासित करने वाली सिद्धान्त मृत्युकालिक घोषणा को लेखबद्ध करने के लिए कोई निर्दिष्ट प्रारूप नहीं है। वास्तव में ऐसी कोई प्रारूप निर्दिष्ट नहीं की जा सकती। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्युकालिक घोषणा प्रश्न–उत्तर प्रारूप में लेखबद्ध होनी चाहिए। ऐसे कई अवसर हो सकते हैं जब ऐसा करना संभव हो और अन्य जब ऐसा करना संभव न हो क्योंकि या तो ऐसी व्याप्त स्थिति हो या दर्द और तकलीफ की स्थिति हो जिससे पीड़ित उस क्षण

ग्रसित हो न्यायालयों ने कई निर्णयों में मृत्युकालिक कथन के संबंध प्रतिपादित किए हैं जो संक्षेप में निम्न प्रकार है–

(1) न यह विधि का नियम है और न ही प्रज्ञा (prudence) का कि बिना संपुष्टि के मृत्युकालिक कथन के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

(2) यदि न्यायालय का समाधान हो गया है कि मृत्युकालिक कथन सच्चा और स्वेच्छया है, तो वह उसके आधार पर बिना संपुष्टि के सिद्धदोष कर सकता है

(3) न्यायालय को मृत्युकालिक कथन की सावधानी से संवीक्षा (scrutiny) करनी होती है और आश्वस्त होना पड़ता है कि कथन सिखाने–पढ़ाने, प्रोत्साहन व कल्पना के परिणामस्वरूप तो नहीं किया गया है। मृतक को हमलावरों को देखने और पहचानने का मौका मिला था और वह कथन करने के लिए स्थिति में था

(4) जहाँ मृत्युकालिक कथन संदेहास्पद हो, वहाँ उसके आधार बिना साम्पुष्टिक (corroborative) साक्ष्य के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए ।

(5) जहाँ मृतक अचेत था और मृत्युकालिक कथन कर ही नहीं सका, उसके बारेमें साक्ष्य अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

(6) ऐसे मृत्युकालिक कथन के आधार पर, जिसमें कमजोरियाँ हो, दोषसिद्धि नहीं की जा सकती

(7) मात्र इसलिए कि मृत्युकालिक कथन में घटना को विस्तार से नहीं दिया गयाहै, उसे अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए

(8) उसी प्रकार, मात्र इसलिए कि वह संक्षिप्त कथन है, उसे त्याग नहीं कर दिया जाना चाहिए। इसके प्रतिकूल, कथन की संक्षिप्तता से सच्चाई की गारंटी होती है

(9) सामान्यतया इस बात का समाधान करने के लिए कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लिए फिट स्थिति था कि नहीं, न्यायालय चिकित्सीय साक्ष्य पर दृष्टि डालता है। किन्तु जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने यह कहा हो कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लिए फिट एवं सचेत स्थिति में था, वहाँ चिकित्सीय राय हावी नहीं हो सकती।

(10) जहाँ अभियोजन पक्ष का बयान मृत्युकालिक कथन से भिन्न हो, तो उस कथन के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती ।

इस सम्बंध में अन्य मामले इस प्रकार है –

1. **Surinder Kumar v/s State of Haryana**, में 95% जलने के कारण कथन विश्वसनीय नहीं माना गया।

2. **Suraj Mal v/s State of Punjab** में कथन मेडिकल ऑफिसर की बात अस्वीकार करके स्वीकार कर लिया गया।

3. **Gangotri Singh v/s State of U.P.** – एक बार न्यायालय संतुष्ट हो जाये कि कथन सही है तो उस पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है। इस सम्बंध में तथ्यों और परिस्थितियों के महत्व पर जोर देते सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि मामले का सार यह था कि मृतक को चाकू किसने मारा था? जब दर्द से व्यक्ति कराह रहा हो तो यह स्वाभाविक था कि वह मजिस्ट्रेट को यह बताता कि किसने चाकू मारा था, अतः कथन सही था और उसे साक्ष्य में ग्राहा किया गया।

उच्चतम न्यायालय ने मृत्युकालिक घोषणा को शासित करने वाली विधिक सिद्धान्तों को निम्नांकित रूप में संक्षेपित किया है

(1) मृत्युकालिक घोषणा दोषसिद्धि का एक मात्र आधार हो सकता है यदि यह न्यायालय के पूर्ण विश्वास को जागृत करे।

(2) न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक बयान देते समय अनुकूल मानसिक अवस्था में थाऔर यह किसी सिखाये (tutorial) उकसाये या संकल्प का फल नहीं था।

(3) जहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि घोषणा सत्य और तब यह बिना किसी और पुष्टि के दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

(4) विधि के पूर्ण शासन के रूप में इसे प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है कि मृत्युकालिक घोषणा की जब तक पुष्टि न हो, दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। यह नियम की पुष्टि आवश्यक मात्र व्यवहारकुशलता (prudence) का नियम है।

(5) जहाँ मृत्युकालिक घोषणा संदेहपूर्ण हो, बिना पुष्टिकारक साक्ष्य के इसे अमल नहीं किया जा सकता।

(6) मृत्युकालिक घोषणा जो दुर्बलता से ग्रसित हो जैसे कि मृतक बेहोश था और कभी कोई बयान नहीं कर सकता था, दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता।

(7) क्योंकि मृत्युकालिक घोषणा घटना से सम्बन्धित सभी बातों को धारण नहीं करता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(8) यद्यपि कि यह एक संक्षिप्त बयान है, इसका बहिष्कार नहीं किया जानाचाहिए।

(9) जब चश्मदीद गवाह यह पुष्टि करता है कि मृतक मृत्युकालिक घोषणा करने के लिए सचेत या अनुकूल अवस्था में नहीं था, चिकित्सा (medical) राय हावी नहीं हो सकती।

(10) यदि सावधानीपूर्वक जाँच के बाद न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि यह सत्य है और ऐसी किसी प्रयास जो मृतक को प्रभावित करे कि वह गलत बयान दे, से स्वतंत्र हो और यदि यह सुसंबद्ध और नियत हो, तब दोषसिद्धि का इसे आधार बनाने के लिए कोई विधिक बाधा नहीं होगी, चाहे भले ही इसकी पुष्टि न हो।

मृत्युकालीन घोषणा के तत्व

क. कथन घटना से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दिया जाना।

ख. पीड़ित व्यक्ति का मरणासन्न होना या तुरन्त मृत्यु की संभाव्यता होना।

ग. कथन का मृत्यु के कारण के बारे में होना।

घ कथन में मृत्युकारक परिस्थितियों का वर्णन होना।

ड़. कथन करने वाले का मानसिक रूप से स्वस्थ होना ।

च. कथन करने वाले का पूर्वाग्रह से ग्रसित न होना।

छ. कथन करने वाले का बोलने की स्थित या बयान देने की स्थिति में होना

मृत्युकालीन कथन कौन अभिलिखित कर सकता है –

मजिस्ट्रेट – मृत्युकालीन कथन यथासंभव मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लेखबद्ध किए जाने चाहिए।

पुलिस अधिकारी –

1. मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो मृत्युकालीन कथन पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जा सकते हैं। **दलीप सिंह पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1173**

2. पुलिस अधिकारी दो स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षियों की उपस्थिति में मृत्युकालीन कथन अभिलिखित कर सकता है।

3. मृत्युकालीन कथन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये जाने चाहिये लेकिन उसकी अनुपस्थिति में हैड कानिस्टेबल द्वारा भी लिखे जा सकते हैं।

चिकित्साधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्साधिकारी द्वारा मृत्युकालीन कथन अभिलिखित किये जा सकते हैं। चिकित्साधिकारी के स्वतंत्र, निष्पक्ष व प्रतिष्ठित होने से अभिलिखित कथन विश्वसनीय है। **अब्दुल मजीद बनाम राज्य एआईआर 1976 सुप्रीम कोर्ट**

4. स्वयं मरणासन्न व्यक्ति यदि मरणासन्न व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से मृत्युकालीन घोषणा लिखकर देता है तो यह साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

5. निकटस्थ अन्य व्यक्ति – जब मरणासन्न व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर है जहाँ से किसी पुलिस अधिकारी व मजिस्ट्रेट या अन्य न प्राधिकारी को सूचना नहीं दी जा सकती और चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं है तो वहां मौजूद किसी अन्य व्यक्ति या उसके परिजन के समक्ष की गई मृत्युकालीन घोषणा साक्ष्य में ग्राह्य है

राजस्थान पुलिस नियम 1965 का नियम 6.22 तथा मृत्युकालिक कथन

मृत्युकालिक कथन यथासंभव मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जायेगा।

घोषणा करने वाले व्यक्ति की परीक्षा यथासंभव चिकित्सा अधिकारी के इस आशय के प्रमाण पत्र या टिप्पणी को दृष्टिगत रखकर की जायेगी कि वह होश में है और शान्त चित्त से कथन कर रहा है।

यदि कोई दण्डनायक उपलब्ध न हो और न ही कोई राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित हो तो घोषणा दो या दो से अधिक ऐसे विश्वसनीय साक्षियों की उपस्थिति में लिखी जायेगी जो न तो पुलिस विभाग से संबंधित हों और न मामले से संबंधित पक्षों से संबंधित हों।

यदि कोई स्वतंत्र साक्षी प्राप्त न हो और उनको प्राप्त करने में देर लगने पर घोषणा करने वाले घायल व्यक्ति की मृत्यु की आशंका हो तो ऐसी परिस्थिति में दो या दो से अधिक पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में कथन लिखा जायेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी को दिये गये मृत्युकालिक कथन पर कथन करने वाले के हस्ताक्षर होंगे।

8. अभियुक्त व संदिग्ध से पूछताछ, पूछताछ का सिद्धान्त व तरीके व संस्वीकृतिकोलेखबद्ध करना (न्यायिक व गैर–न्यायिक)

Interrogation of suspects & accused, principals & Techniques of interrogation and recording of confessions (Judicial & extra judicial)

अभियुक्त व संदिग्ध से पूछताछ (Interrogation of suspects & accused)

अनुसंधान के दौरान अभियुक्त से साक्ष्य संकलन करने के लिये व अपराध से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के लिए अभियुक्त व संदिग्ध से घटना से सम्बन्धित तथ्यों व घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की जाती है, जिससे प्राप्त सूचना के आधार पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपराध घटित होने या अभियुक्त व संदिग्ध के लिप्त होने या नहीं होने के बारे में तार्किक निर्णय लिया जाता है।

पूछताछ का सिद्धान्त व तरीके (Principals & Techniques of interrogation)

सामान्यतः अनुसंधान अधिकारी को अभियुक्त व संदिग्ध से पूछताछ के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए, जहां बिना किसी बाधा के वह प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों के बारे में अभियुक्त व संदिग्ध से प्रश्न कर सके। अन्य परिस्थितियों में अभियुक्त व संदिग्ध से पूछताछ किसी भी स्थान पर की जा सकती है।

अनुसंधान अधिकारी को पूछताछ से पहले प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्यों को मनन कर लेना चाहिए व इससे सम्बन्धित प्रश्नावली भी तैयार कर लेनी चाहिए।

पूछताछ के समय उपस्थित रहने वाले सहायक का चयन भी विचारपूर्वक करना चाहिए।

पूछताछ के समय अभियुक्त व संदिग्ध की शारीरिक व मानसिक स्थिति का अनुसंधान अधिकारी को ज्ञान होना चाहिए। यदि अभियुक्त व संदिग्ध बीमार, मानसिक रूप से अस्थिर, तनावग्रस्त हो तो पूछताछ सावधानीपूर्वक करना चाहिए व अभियुक्त व संदिग्ध पर सतत निगरानी रखना चाहिए।

अभियुक्त व संदिग्ध की कही बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उसके आाधार पर नए प्रकट हुए तथ्यों का प्रकरण से सम्बन्ध स्थापित करते हुए तार्किक निर्णय लिया जाना चाहिए।

पूछताछ के तरीके–

अभियुक्त व संदिग्ध से अपराध के बारे में पूछताछ करने के प्रचलित तरीके निम्न है–

1. प्रकरण के तथ्यों के आधार पर अभियुक्त व संदिग्ध से स्वयं से पूछताछ
2. प्रार्थी, अन्य अभियुक्त व संदिग्ध की एक – दूसरे की उपस्थिति में पूछताछ (Cross interrogation)
3. वैज्ञानिक तरीकों यथा नार्को टेस्ट, पोलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग से पूछताछ

पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति – भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25, 26, 27

(confession in police custody - Evidence act sec 24,25,26,27)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 के अनुसार यदि कोई पुलिस ऑफीसर ने अभियुक्त का इकबालिया बयान डर, धमकी, लालच या दबाव देकर हासिल किया है तो उसका (अभियुक्त) बयान अदालत में मान्य नहीं होगा। बशर्ते वह इस एक्ट की धारा 27 के अन्तर्गत किसी साक्ष्य बरामदगी से सम्बन्धित न हो और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न दिया गया हो तथा वह संस्वीकृति स्वेच्छापूर्वक नहीं की गई हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम नं. (1) 1872 की धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस आफीसर के सामने किसी अभियुक्त द्वारा दी गई संस्वीकृत अभियुक्त के विरुद्व साबित नहीं की जाएगी अर्थात् कोई अभियुक्त किसी पुलिस आफीसर के समक्ष किसी अपराध के करने के बारे में कोई संस्वीकृति करता है (इकबालिया बयान देता है) तो उसकी यह संस्वीकृत (इकबालिया बयान) अदालत में मान्य नहीं है।

परन्तु यदि वह संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन उस अपराधी से किसी साक्ष्य की बरामदगी करवाता है तो उसके बयान का केवल उतना ही धारा अदालत में दोषी के विरुद्ध साबित किया जा सकता है, जो साक्ष्यों की बरामदगी से सम्बन्ध रखता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम नं. (1) 1872 की धारा 26 के अनुसार कोई संस्वीकृति (इकबालिया बयान) जो दोषी द्वारा उस समय की गई हो, जब वह किसी पुलिस आफीसर की अभिरक्षा (हिरासत) में हो, तो वह संस्वीकृति ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी, जब तक वह किसी मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति न हो।

परन्तु यदि वह संस्वीकृति स्वेच्छा से पुलिस हिरासत में किसी मजिस्ट्रेट के सामने दोषी द्वारा की गई हो तो वह अदालत में मान्य होगी। इसके अलावा यदि वह संस्वीकृति इस एक्ट की धारा 27 के अधीन किसी साक्ष्य की बरामदगी से सम्बन्धित है, तो उसके बयान या संस्वीकृत का केवल उतना भाग अदालत में मान्य (सुसंगत) होगा, जितने भाग में साक्ष्यों की बरामदगी करायी गई है बाकी भाग मान्य न होगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन संस्वीकृति प्रदान करता है तो दोषी द्वारा की गई संस्वीकृति अदालत में मान्य है। धारा 27 के अनुसार जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती है या नहीं, जितना एतद् द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित है, साबित की जा सकेगी। अर्थात् यदि कोई दोषी अपनी सस्वीकृति में किसी साक्ष्य को बरामद कराता है तो उसकी संस्वीकृति का उतना ही भाग अदालत में मान्य है जो बरामदगी से सम्बन्धित है, बाकी भाग नहीं।

यद्यपि धारा 25 व 26 के अधीन पुलिस आफीसर के सामने और पुलिस हिरासत में दोषी द्वारा की गई संस्वीकृति अदालत में मान्य या ग्राह्य नहीं है, परन्तु धारा 27 इनका अपवाद है। अतः धारा 27 कहती है कि यदि विचारण के समय यह साक्ष्य दिया जाता है कि कुछ तथ्य या वस्तुएं अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पाई गई हैं, तो अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना केवल उतना ही भाग सिद्ध किया जाएगा, जो अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना से प्राप्त तथ्यों से सम्बन्धित है।

उदाहरण – राम ने निम्नलिखित कथन दिया (बयान दिया) मैंने ''रमेश'' की हत्या की और उसकी लाश को कुएं में डाल दिया है और जिस चाकू से मैंने रमेश की हत्या की वह मैंने अपने छप्पर के कोने में छुपा रखा है। तफ्तीशी अधिकारी कुछ निष्पक्ष गवाहों के साथ कुएं पर गया और वहां रमेश का मुर्दा शरीर निकाला और तत्पश्चात् वे उसके छप्पर में गए और वहां से खून से सना चाकू प्राप्त किया। यहाँ दोषी का यह कथन, मैंने उसकी लाश को कुएं में डाल दिया है और जिस चाकू से मैंने रमेश की हत्या की वह अपने छप्पर में कोने में छुपा रखा है को दोषी के विरुद्ध साबित किया जा सकता है।

पुलिस रिमांड और जूडिशियल रिमान्ड में अन्तर

पुलिस रिमांड	जूडिशियल रिमान्ड
1. पुलिस रिमांड दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अनुसार दिया जाता है।	1. जूडीशियल रिमाण्ड दो बार दिया जाता है प्रथम धारा 167 द.प्र.सं. के अनुसार व दूसरी बार द.प्र.सं. की धारा 309 के अनुसार दिया जाता है।
2. पुलिस रिमाण्ड पुलिस अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र देने पर अभियुक्त की उपस्थिति में दिया जाता है।	2. दूसरा जूडीशियल रिमाण्ड अभियुक्त की गैरहाजिरी में भी दिया जा सकता है यदि रिमाण्ड शिनाख्त परेड के उद्देश्य से लिया जाए।

3. पुलिस रिमाण्ड प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय ने अधिकार दिया हो, दे सकता है।	3. प्रथम रिमाण्ड किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है चाहे उसे अधिकार प्राप्त न भी हो।
4. पुलिस रिमाण्ड 15 दिन की अवधि से अधिक नहीं दिया जा सकता है।	4. जूडीशियल रिमाण्ड एक बार में अधिक से अधिक 15 दिन तक दिया जा सकता है।

मजिस्ट्रेट द्वारा कथन व संस्वीकृति लेखबद्ध करने की प्रक्रिया–दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164

मजिस्ट्रेट द्वारा गवाह के कथन लेखबद्ध करना –

क. जब पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान किसी गवाह के बयान मामले के अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण समझता है और उसे आशंका है कि गवाह विचारण के दौरान पुलिस के समक्ष किये गये बयानों पर कायम नहीं रहेगा। तब अनुसंधान करने वाला पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर किसी गवाह के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान करवाने हेतु निवेदन कर सकता है।

ख. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधिकारी के निवेदन पर सावधानीपूर्वक विवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लिया जाना कानून की मंशा है। –**पुष्पा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य 2000 (1) आर.एल.डब्ल्यू. (राजस्थान)13**

ग. यदि किसी गवाह को आशंका है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस सही बयान नहीं लिखेगी और धारा 164 के तहत पुलिस गवाह के मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान नहीं कराती है तो गवाह स्वयं जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हेतु निवेदन कर सकता है। –**मु. वलसम्मन बनाम राजस्थान राज्य 1997 (2) क्राईम्स 651 (राजस्थान)**

घ. कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्वेषण के दौरान अथवा जाँच या विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व किसी समय अपने समक्ष किये गये बयान को अभिलिखित कर सकता है।

ड़. मजिस्ट्रेट के पास बयान करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होती है। अभिलिखित बयान मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जाँच या विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाते हैं।

च. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किसी गवाह के बयान सारभूत–साक्ष्य नहीं है और इनका उपयोग गवाह का खण्डन या सम्पुष्टि करने के लिए किया जाता है। –**मुन्ना बनाम राजस्थान राज्य 2001(3) डब्ल्यू.एल.सी. (राजस्थान) 700**

मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति लेखबद्ध करना –

क. जब पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान आवश्यक समझे तो किसी अपराध को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराने हेतु निवेदन कर सकता है। अपराध को स्वीकार करने वाला व्यक्ति स्वयं भी मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति लेखबद्ध कराने हेतु निवेदन कर सकता है।

ख. संस्वीकृति अन्वेषण के दौरान अभिलिखित की जानी चाहिये, अन्वेषण से पूर्व या पश्चात् नहीं।

ग. संस्वीकृति को अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी को उपस्थित नहीं रहने देना चाहिये। – राजस्थान पुलिस नियम 6.28 तथा **जे.एन. नायडू बनाम महाराष्ट्र राज्य क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर 1979 सुप्रीम कोर्ट 730**

घ. संस्वीकृति स्वैच्छिक होना अनिवार्य है और मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान कर लेना चाहिये कि संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के फलस्वरूप नहीं की जा रही है।

ड. अभियुक्त को सोचने व समझने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये और उसे यह बता देना चाहिये कि वह जुर्म स्वीकार करने को आबद्ध नहीं है व जुर्म स्वीकार करने पर उसके खिलाफ प्रयुक्त किया जा सकेगा।

च. संस्वीकृति अभिलिखित करने के बाद अभियुक्त को पढ़कर सुनाई व समझाई जानी चाहिये और फिर उसके हस्ताक्षर करवाने चाहिये।

छ. संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति से संबंधित कानूनी मंशा के अनुपालन का प्रमाणपत्र देते हुए हस्ताक्षर किये जायेंगे।

ज. संस्वीकृति प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं होनी चाहिये तथा अभियुक्त से सूचक प्रश्न भी नहीं किये जाने चाहिये। यह यथासंभव अभियुक्त की भाषा और हाव–भाव में अभिलिखित की जानी चाहिये। –**मध्यप्रदेश राज्य बनाम दयाराम हेमराज ए.आई.आर. 1981 सुप्रीम कोर्ट 2007**

9. अभियुक्त की गिरफ्तारी, रिमाण्ड व जमानत के प्रावधान

(Arrest of accused, remand & bail provision)

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21** में व्यवस्था की गई है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को अपने जीवन या वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा। **अनुच्छेद 20** में अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा **अनुच्छेद 22** में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के प्रावधान है। तदनुरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के **अध्याय 5** में व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान किये गये हैं।

गिरफ्तारी से तात्पर्य है –

गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छूना या परिरुद्ध करना, जब तक वह वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दे। – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (1)

गिरफ्तार कौन कर सकता है –

क. पुलिस अधिकारी – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41, 42, 55, 60, 123 (6), 129, 151, 356 व 432 के अनुसार पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 55 के अनुसार अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को लिखित आदेश प्रदान कर गिरफ्तारी के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। यदि कोई पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारी में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 185 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

ख. मजिस्ट्रेट – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध करने वाले व्यक्ति को वह स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है।

ग. प्राईवेट व्यक्ति – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के अनुसार कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके सामने अजमानीय संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति और उद्घोषित अपराधी को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है लेकिन ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को अविलम्ब पुलिस के सुपुर्द करना आवश्यक है।

पुलिस द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तारी –

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1)– कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना व वारन्ट के बिना निम्न परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता हैः–

(क) पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करने पर

(ख) सात वर्ष से कम या सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय कोई संज्ञेय अपराध करने की उचित शिकायत या विश्वसनीय सूचना या उचित संदेह होने पर

ऐसी गिरफ्तारी की दशा में (1) पुलिस अधिकारी को अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने के बारे में विश्वास होना आवश्यक है तथा (2) पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो कि – (अ) कोई दूसरा अपराध कारित करने से रोकने या (ब) अपराध के उचित अनुसंधान या (स) अपराध का साक्ष्य गायब करने से या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने या (द) गवाह पर न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य न प्रकट करने के दबाव को रोकने या (य) न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्थिति में पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारण लेखबद्ध करेगा।

(खक) विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी को विश्वास हो जाय कि सात वर्ष से अधिक के कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय कोई संज्ञेय अपराध किया गया है।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन या राज्य सरकार के आदेश से उद्घोषित अपराधी

(घ) चुराई हुई संपत्ति का कब्जा रखने या उसके बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह होने पर

(ड) पुलिस अधिकारी के कर्त्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाने या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने या निकल भागने का प्रयत्न करने पर

(च) संघ के सशस्त्र बलों से अभित्याजक या भगौड़ा (deserter) होने का उचित संदेह होने पर

(छ) प्रत्यपर्ण विधि के अधीन या अन्यथा भारत में निरुद्ध किये जाने का भागी होने पर

(ज) छोड़े गये सिद्धदोष द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाये गये किसी नियम को भंग करने पर

(झ) गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर अध्यपेक्षा में गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति और अपराध का विनिर्देश होना आवश्यक है।

अध्यपेक्षा से यह दर्शित होना आवश्यक है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाला अधिकारी व्यक्ति विशेष को वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार कर सकता है।

टेलीग्राम की प्राप्ति पर गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी को कोई बाधा नहीं है बशर्ते कि उसमें अभियुक्त व्यक्ति व अपराध का स्पष्ट विनिर्देश हो।

पुलिस की गिरफ्तार करने की शक्ति निदेशात्मक है न कि आबद्धकारी।

ब. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 – पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा नाम और निवास बताने से इंकार करने पर या गलत बताने पर पुलिस अधिकारी उसे बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है। – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (2)

गिरफ्तारी की प्रक्रिया –

अ. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना हेतु नोटिस –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क –

(1) जहां किसी व्यक्ति को धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के तहत गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं हो, वहाँ पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध से संबंधित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश प्रदान करते हुए नोटिस जारी कर सकता है।

(2) जहां संज्ञेय अपराध से संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया हो वहाँ नोटिस की पालना करना उस व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा।

(3) नोटिस की पालना करने वाले व्यक्ति को नोटिस में वर्णित अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जब तक कि पुलिस अधिकारी की राय में उसे गिरफ्तार किया जाना उचित न हो।

(4) जब ऐसा व्यक्ति नोटिस की पालना करने में नाकाम हो जाता है तब न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन रहते हुए नोटिस में वर्णित अपराध के लिए पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकेगा।

ब. गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्त्तव्य व फर्द गिरफ्तारी (Memorandum of Arrest)तैयार करना –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ख –

(क) प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने नाम की सही दिखने योग्य व स्पष्ट पहचान रखेगा अर्थात् नेमप्लेट लगायेगा।

(ख) प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय फर्द गिरफ्तारी या **'अरेस्ट मीमो'** तैयार करेगा जिसे – (1) कम से कम एक ऐसे गवाह द्वारा प्रमाणित किया जायेगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो; और (2) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(ग) प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तार व्यक्ति को यह सूचना प्रदान करेगा कि जब तक फर्द गिरफ्तारी उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्रमाणित नहीं की जाती है, उसे अपने रिश्तेदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है।

फर्द गिरफ्तारी में मुकदमा संख्या व वर्ष, आरोपित धाराएं गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का पूरा नाम व पता, पहचान का चिन्ह, गिरफ्तार करने की दिनांक व समय, शरीर पर पाई गई वस्तुओं का विवरण, जाहिरा चोट, गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर, साक्षियों व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर

इत्यादि का उल्लेख होता है। फर्द में अभियुक्त की जामा तलाशी लिये जाने, उसे गिरफ्तारी के कारण बताये जाने, गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन या मित्र को दिये जाने व जमानत संबंधी अधिकारों से अवगत कराने का नोट भी अंकित किया जाना चाहिये।

स. पुलिस नियंत्रण कक्ष के नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तारी से संबंधित सूचना –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ग –

(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्षों के बाहर रखे गये नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पते और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम व पदनाम लिखवायेगी।

(3) पुलिस मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष समय–समय पर गिरफ्तार व्यक्तियों व आरोपित अपराध की प्रकृति के बारे में विवरण एकत्रित करेगा और आम जनता की सूचना के लिए आंकड़े रखेगा।

द. गिरफ्तारी कैसे की जायेगी –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (1) –

गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुऐगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।

परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना हो जब तक कि परिस्थितियां प्रतिकूलता नहीं दर्शाती हों, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा के लिए उसका निवेदन गिरफ्तारी के रूप में उपधारित किया जायेगा और जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षा नहीं करे या जब तक कि पुलिस अधिकारी महिला नहीं हो, महिला की गिरफ्तारी करने के लिए महिला के शरीर को नहीं छुआ जायेगा।

य. गिरफ्तारी में अनावश्यक अवरोध न करना व न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (2) व (3) और धारा 49 –

क. जब अभियुक्त व्यक्ति स्वतः ही स्वयं को अभिरक्षा के लिए समर्पित कर देता है तो बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किये जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिये आवश्यक सब साधनों का उपयोग उस हद तक कर सकता है जितना गिरफ्तारी के लिए आवश्यक हो।

ख. यदि मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी में प्रतिरोध किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने के दौरान कोई अन्य विकल्प न होने पर ही मृत्यु कारित की जा सकती है। – **दुखी सिंह बनाम राज्य ए.आई.आर. 1955 इलाहाबाद 379**

ग. गिरफ्तार किये व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिये आवश्यक है अर्थात् न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग किया जायेगा। – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 49

घ. किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पुलिस थाने पर बिठाना या निरुद्ध करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 का अपराध है।

गिरफ्तार व्यक्ति की जामा–तलाशी (Personal Search)–

अ. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की जामा (व्यक्तिगत या शारीरिक) तलाशी –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 व राजस्थान पुलिस नियम 1965 का नियम 7.3 –

(1) पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली जायेगी और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को अलग से सूची बनाकर कब्जे में लिया जायेगा।

(2) स्त्री के तलाशी लेते समय सम्मान व शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए तलाशी महिला पुलिस या अन्य स्त्री द्वारा ही ली जायेगी।

ब. आक्रामक आयुधों की जब्ती –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 52 –पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के पास मिले आक्रामक हथियार को कब्जे में लेगा और न्यायालय में पेश करते समय हथियारों को भी पेश करेगा।

स. जामा–तलाशी के दौरान अभियुक्त व्यक्ति के शरीर पर प्राप्त अपराध से संबंधित, मानव जीवन को संकट में डालने वाली और भविष्य में अपराध को सुकर बनाने वाली वस्तुओं को जब्त करना चाहिये। पहनने के आवश्यक कपड़े शरीर पर अवश्य रखने चाहिये।

गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों के कानूनी अधिकार

क. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ख (ग) – प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तार व्यक्ति को यह सूचना प्रदान करेगा कि जब तक फर्द गिरफ्तारी उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्रमाणित नहीं की जाती है, उसे अपने रिश्तेदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है।

ख. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 – गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार एवं जमानत के अधिकार की सूचना देना –पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों और जमानत संबंधी अधिकारों से अवगत करायेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसा संरक्षण प्राप्त है, तदनुरूप उक्त प्रावधान किया गया है।

ग. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50क – गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने का दायित्व –

(1) गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी और स्थान की जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या उसके द्वारा बताये गये व्यक्ति को तुरंत देगा।

(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस थाने में लाते ही पुलिस अधिकारी उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।

(3) गिरफ्तारी की इत्तिला दिये जाने के तथ्य की प्रविष्टि राज्य सरकार द्वारा विहित पुस्तक अर्थात् रोजनामचा आम तथा गिरफ्तारी रजिस्टर में की जाएगी।

(4) मजिस्ट्रेट का कर्त्तव्य होगा कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसके समक्ष पेश किये जाने पर वह अपना समाधान करे कि उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

घ. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति का पसन्द के वकील से मिलने का अधिकार –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41घ –पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, यद्यपि संपूर्ण पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने की अनुमति नहीं होगी।

ड़. गिरफ्तारी पूर्णतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 व लागू अन्य विधि के अनुसार किया जाना आवश्यक है। – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 60क

च. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 व राजस्थान पुलिस नियम 1965 का नियम 7.26 – गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की अनिवार्यता है।

छ. लॉक–अप में सुविधाएँ –राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 7.4 के अुनसार हवालात में बंदी को पर्याप्त बिस्तर, दरी व कम्बल इत्यादि उपलब्ध कराई जायेगी।

गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण एवं स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित प्रावधान

क. पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 –

जब कोई व्यक्ति किसी अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शारीरिक परीक्षा से अपराध किये जाने के बारे में साक्ष्य मिलने की संभावना है तो उपनिरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिये तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तार

किये गये व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा करना और इसके लिए युक्तियुक्त आवश्यक बल का प्रयोग करना विधिपूर्ण होगा।

किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या उसके पर्यवेक्षण में केवल किसी महिला द्वारा की जाएगी।

ख. बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क –

बलात्संग के आरोपी व्यक्ति के शरीर का मेडिकल परीक्षण अधिकृत सरकारी चिकित्सक या अधिकृत रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जायेगा। अपराध–स्थल से 16 किमी के दायरे में ऐसा अधिकृत चिकित्सक उपलब्ध न होने पर उप–निरीक्षक से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर कोई अन्य रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी मेडिकल परीक्षण कर सकता है। चिकित्सक मेडिकल परीक्षण के लिए आवश्यक बल प्रयोग कर सकेगा।

परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलम्ब के परीक्षा करके एक शारीरिक चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन या *फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट* तैयार करेगा, जिसमें निम्न विवरण होगा अर्थात् –

(क) अभियुक्त व उसे लाने वाले का नाम व पता

(ख) अभियुक्त की आयु

(ग) अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान

(घ) डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग हेतु ली गई सामग्री और

(ड़) विवरण सहित अन्य तात्विक विशिष्टयाँ।

रिपोर्ट में निष्कर्ष के आधारों को अभिलिखित किया जायेगा। परीक्षा प्रारम्भ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अकिंत किया जाएगा। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलम्ब के परीक्षण रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो पुलिस रिपार्ट के साथ धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के रूप में भेजेगा।

ग. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 –गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा गिरफ्तारी के तुरन्त बाद मेडिकल जांच की जायेगी और मेडिकल परीक्षण का रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक चोटों या हिंसा के निशान और उनके कारित होने के अनुमानित समय का वर्णन किया जायेगा। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट की प्रति डॉक्टर द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदान की जायेगी।

घ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 55क–गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करने का कर्त्तव्य अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का है।

ड़. गिरफ्तार व्यक्ति की अस्वस्थता व राजस्थान पुलिस नियम 1965 का नियम 7.6 –जब कोई व्यक्ति हिरासत में बीमार हो जाय या चोटग्रस्त हो जाय तो शीघ्रातिशीघ्र मेडिकल परीक्षण कराया जायेगा ताकि बीमारी व चोट के कारण का पता चल सके और उसका उपचार कराया जा सके।

च. बीमार या घायल व्यक्तियों की गिरफ्तारी व राजस्थान पुलिस नियम 1965 का नियम 7.25 – जब किसी बीमार या घायल व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता पड़ने पर उसे चिकित्सालय ले जाया जायेगा और अस्पताल में पुलिस अपनी हिरासत में सुरक्षित रखेगी। यदि ऐसे व्यक्ति को जीवन का खतरा उठाये बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाया जा सके तो मजिस्ट्रेट को उसी स्थान पर बयान दर्ज करने के लिए निवेदन किया जायेगा।

फरार अभियुक्त की खोज, तलाशी व गिरफ्तारी की प्रक्रिया

क. अनुसंधान के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है और किसी स्थान में छिपे होने की दशा में पुलिस अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अनुसरण में बिना वारण्ट प्रवेश कर अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के प्रयोजन से तलाशी ले सकता है और आवश्यक होने पर ऐसे किसी मकान के दरवाजे व खिड़की तोड़कर भी प्रवेश करना व निकलना विधिपूर्ण है।

ख. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 48 के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है।

ग. अभियुक्त व्यक्ति की तलाशी के लिए मोबाईल नेटवर्क सिस्टम कारगर है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत नियमानुसार सर्विस प्रोवाईडर से कॉल डिटेल रिपोर्ट अर्थात् सी.डी.आर. के लाईव–डेटा प्राप्त करके समुचित विश्लेषण करने पर सेल–आई.डी. अर्थात् टावर लोकेशन प्राप्त की जा सकती है।

सेल–ट्रेक सॉफ्टवेयर सज्जित (Cell-Track Software Enabled)मोबाईल फोन की सहायता से संबंधित टावर की अल्फा, बीटा व गामा फिल्टरिंग करके अभियुक्त की डायरेक्शन व डिस्टेन्स का पता लगाकर धर–दबोचा जा सकता है।

घ. अभियुक्त व्यक्ति के फोन को टेप करवाकर भी अभियुक्त के बारे में पता लगाया जा सकता है लेकिन फोन टेपिंग के लिए संबंधित पुलिस रेंज के महानिरीक्षक पुलिस की अनुशंसा पर राज्य के मुख्य सचिव से अनुमति लेना आवश्यक होता है।

ड़. आसूचना प्रणाली के द्वारा भी मुखबिरी की जा सकती है। अभियुक्त के नाम पासपोर्ट जारी होने की दशा में इमिग्रेशन चेक पोस्ट को सूचना भेजी जानी चाहिये और पासपोर्ट इम्पाउण्ड की कार्यवाही की जानी चाहिये।

निगरानी परिपत्र (Look Out Circular) के जरिये देश में प्रवेश व निकास से संबंधित स्थानों पर स्थित आप्रवास कार्यालयों को वांछित व्यक्ति की पहचान से संबंधित सूचना भेजी जाती है। निगरानी परिपत्र आप्रवास ब्यूरो गृह मंत्रालय के द्वारा एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है जिसकी अवधि अन्वेषण ऐजेंसी के सक्षम प्राधिकारी के निवेदन पर बढ़ाई जाती है।

निगरानी परिपत्र जारी करने हेतु आवेदन उप सचिव या वरिष्ठ अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ही भेज सकते हैं। निगरानी परिपत्र जारी करने का आवेदन डिप्टी डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन नई दिल्ली को भेजा जाता है।

आवेदन के साथ संदिग्ध या भगोड़े व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पासपोर्ट संख्या, वारण्ट का विवरण, एल.ओ.सी. जारी करने के कारण, जिस अधिकारी को हिरासत में लेने की सूचना दी जानी है उसका नाम, अधिक से अधिक पहचान चिन्हों का वर्णन इत्यादि सूचना दी जानी चाहिये।

आप्रवास ब्यूरो निगरानी परिपत्र जारी होने पर इसकी प्रति इमिग्रेशन चैक पोस्ट, इन्टरनेशनल एयरपोर्ट तथा धरती व समुद्र के रास्तों पर स्थित चैक पोस्टों को भेजता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान होने पर सूचना आवेदक ऐजेंसी तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी जाती है।

च. जब कोई वांछित अपराधी अत्यधिक प्रयासों के बावजूद पकड़ में नहीं आता है तो उसके खिलाफ मफरूरी की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 7.5 में फरार (Absconder) के खिलाफ वारण्ट प्राप्त करने, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 व 83 के तहत कार्यवाही करने तथा संश्रय प्रदान करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का उल्लेख है।

छ. राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 37 के तहत न्यायालय से गिरफ्तारी वारण्ट जारी करवाकर फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास किये जाने चाहिये।

ज. अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने पर वारण्ट का निष्पादन करने वाले तामील कुनिन्दा के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाना आवश्यक है तथा उसकी सम्पत्ति की सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

झ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा जारी की जाती है। ऐसा करने पर फरार अभियुक्त उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) कहलाता है। पुलिस अधिकारी को न्यायालय से इश्तेहार जारी करवाना चाहिये।

ञ. उद्घोषणा में दिये गये समय पर हाजिर नहीं होने पर न्यायालय के द्वारा धारा 83 के तहत उद्घोषित अपराधी की सम्पत्ति की कुर्की की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174क के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

ट. फरार अभियुक्त के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत आरोप–पत्र – किसी फरार व्यक्ति के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत साक्ष्यों को बचाने के लिए मफरूरी में पेश किया गया चालान **'मफरूरी चालान'** कहलाता है।

अभियुक्त के अभिरक्षा से फरार होने पर प्रक्रिया –

क. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से फरार हो जाता है तो उसका पीछा करके भारत के किसी भी स्थान से गिरफ्तार किया जा सकता है।

ख. जब कोई व्यक्ति अभिरक्षा से फरार हो जाता है तो लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 223, फरार होने वाले कैदी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 और फरार करने में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 225 के तहत कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हैं।

10. अभियुक्त (फरार) की सम्पत्ति का अधिग्रहण (कुर्की)

(Attachment of accused's (absconder's) property)

एक उद्घोषित अपराधी की सम्पत्ति को कुर्क करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का एक्ट नं. 2) की धारा 83 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जो इस प्रकार है–

धारा 83 –फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की

(1) धारा 82 के अनुसार घोषणा प्रचलित करने वाला न्यायालय उद्घोषित व्यक्ति की किसी चल या अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति की कुर्की का आदेश घोषणा प्रचलित किये जाने के बाद, लिखे जाने वाले कारणों के आधार पर किसी समय भी दे सकेगा। परन्तु न्यायालय जिसने उद्घोषणा जारी की है उसको शपथ पत्र या दूसरे किसी प्रकार से निम्न बातों की सम्भावना है जो मालिक अपनी सम्पत्ति के लिए कर सकता है–

(क) अपनी सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को खर्च या बेचने वाला है।

(ख) अपने सम्पत्ति को उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने वाला है।

तो न्यायालय उद्घोषणा के साथ ही कुर्की का आदेश भी दे सकता है।

(2) ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया हो उस व्यक्ति की किसी भी सम्पत्ति की कुर्की का तब अधिकार देगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी सम्पत्ति स्थित हो कानूनन लिख दिया जाये।

(3) यदि कुर्की की जाने का आदेश दी गई सम्पत्ति, उधार या अन्य चल सम्पत्ति हो, तो इस धारा के अनुसार कुर्की निम्न से की जायेगी–

(क) अधिकार से लेकर

(ख) प्राप्त करने वाले की नियुक्ति द्वारा या

(ग) लिखित आज्ञा करने वाले की नियुक्ति द्वारा या के लगान या उस भूमि को उद्घोषित व्यक्ति या उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को न दिये जाने का आदेश हो।

(घ) इन ढ़ंगों में से या किन्हीं दो के द्वारा, जैसा न्यायालय ठीक समझे, की जायेगी।

(4) यदि कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति अचल हो तो इस धारा के अनुसार उसकी कुर्की राज्य सरकार को लगान देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलक्टर के माध्यम से, जिस जिले में वह भूमि स्थित हो और अन्य सब अवस्थाओं में–

(क) कब्जा लेकर, या

(ख) प्राप्त करने वाले की नियुक्ति द्वारा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को उसके लिए किसी को भी सम्पत्ति का किराया देकर या उस सम्पत्ति को

देने का लिखित आदेश द्वारा या

(घ) इन ढ़ंगों में से सब या किन्हीं दो से, जैसा न्यायालय ठीक समझे की जायेगी।

(5) यदि कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति, पशुधन हो या शीघ्र नष्ट होने वाली हो तो यदि न्यायालय यह ठीक समझे वह उसके तुरन्त बेचने का आदेश दे सकेगा और ऐसी दशा में कीमत न्यायालय के आदेश के अनुसार रहेगी।

(6) इस धारा के अनुसार नियुक्त प्राप्त करने वाले के अधिकार, कर्त्तव्य और जिम्मेवारी वे ही होंगे जो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अनुसार नियुक्त सम्पत्ति प्राप्त करने वाले की होती है।

11. कार्यवाही शिनाख्तगी या पहचान परेड एवं इसका महत्व

(Identification parade & its importance)

अपराध से संबंधित अभियुक्त, व्यक्तियों, सम्पत्ति एवं वस्तुओं की पहचान का समर्थन करने के प्रयोजन से की गई कार्यवाही को पहचान परेड या कार्यवाही शिनाख्तगी कहा जाता है। जिन अपराधों में अपराधी अज्ञात होते हैं और पीड़ित या गवाह व्यक्ति अपराधी को पहचान कर सकने का दावा करता है, ऐसे मामलों में वास्तविक अपराधी व्यक्ति की पहचान का समर्थन करने के लिए **पहचान परेड** अवश्य करानी चाहिये। इसी प्रकार अपराध से संबंधित सम्पत्ति या वस्तु की पहचान का भी समर्थन करवाया जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 में पहचान परेड का साक्ष्यिक मूल्य निहित है जिसके अुनसार किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता (identity) को स्थापित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। अतः पहचान परेड के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान से संबंधित तथ्य की सम्पुष्टि या खण्डन किया जा सकता है।

पहचान परेड का उद्देश्य –

अ. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान

ब. अपराध से संबंधित सम्पत्ति व वस्तु की पहचान

कार्यवाही शिनाख्तगी संचालन के सामान्य सिद्धान्त –

अ. अभियुक्त की पहचान हेतु कार्यवाही का संचालन मजिस्ट्रेट द्वारा जेल में किया जाता है।

ब. सम्पत्ति व वस्तुओं की पहचान हेतु कार्यवाही का संचालन मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या सरपंच आदि द्वारा मजिस्ट्रेट के चैम्बर या तहसीलदार या सरपंच के कार्यालय में किया जा सकता है।

स. कार्यवाही शिनाख्तगी का संचालन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना विधि द्वारा वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने पर पहचान की कार्यवाही के प्रति निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है। कार्यवाही के दौरान पुलिस अधिकारी को उपस्थित नहीं रहने देना चाहिये।

द. कार्यवाही शिनाख्तगी का संचालन पुलिस थाने पर कभी नहीं किया जाना चाहिये।

य. कार्यवाही शिनाख्तगी अनावश्यक विलम्ब के बिना की जानी चाहिये। गिरफ्तारी के बाद व जमानत से पूर्व आवश्यक रूप से कार्यवाही सम्पन्न करा लेनी चाहिये। पुलिस नियम 1965 नियम 7.31

र. पहचान की कार्यवाही के दौरान संदिग्ध के साथ कितने व्यक्तियों को मिलाना चाहिये या वस्तु के साथ कितनी वस्तुएं मिलानी चाहिये – इस संबंध में कोई स्थापित नियम नहीं है। प्रत्येक मामले की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाना उचित होता है।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान –

अ.दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **'54क'** के अनुसार अपराध से संबंधित अभियुक्त व्यक्ति की पहचान पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। यह प्रावधान केवल अभियुक्त व्यक्ति की पहचान करने के संबंध में है।

ब. अपराध के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन से आवश्यक हो तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा शिनाख्तगी की कार्यवाही की जाती है।

स. कार्यवाही के संचालन की रीति मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। अभियुक्त की पहचान परेड का संचालन सामान्यतः कारागार में किया जाता है।

द. किसी अभियुक्त की पहचान परेड के लिए उसके साथ उससे मिलते–जुलते 8–10 व्यक्ति खड़े किये जाते हैं और साक्षी व्यक्ति से पहचानने के लिए कहा जाता है। पहचान परेड संचालित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान परेड रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें अभियुक्त व्यक्ति की सही पहचान करने या न करने के तथ्य का उल्लेख किया जाता है।

य. यदि पीड़ित व्यक्ति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त व्यक्ति की पहचान से इंकार किया है या पहचान सकने के तथ्य का उल्लेख नहीं किया है तो शिनाख्तगी परेड का काई औचित्य नहीं है।

र. आपस में परिचित व्यक्तियों की दशा में पहचान परेड का कोई मूल्य नहीं होता है। पुलिस अभिरक्षा के दौरान अभियुक्त को साक्षियों द्वारा देख लिये जाने का तथ्य पहचान परेड को दूषित कर देता है। इस प्रकार अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा के दौरान बापर्दा गिरफ्तार करना, बापर्दा ही न्यायालय में पेश करना व बापर्दा ही कारागार में भेजना अपरिहार्य है।

ल. अभियुक्त के कार्यवाही शिनाख्तगी में भाग न लेने का प्रभाव – यदि अभियुक्त पुलिस स्टेशन पर बापर्दा न रखे जाने के आधार पर कार्यवाही शिनाख्तगी में भाग लेने से इंकार करता है तो अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान का सृजन नहीं किया जा सकता।

व. शिनाख्तगी के समय मिलाये गये सभी व्यक्ति अभियुक्त के समान हुलिये के होने चाहिये अन्यथा शिनाख्तगी कार्यवाही विधिवत् नहीं होती है।

श. राजस्थान पुलिस नियम 1965 के **नियम 7.31** में संदिग्धों की पहचान से संबंधित सामान्य निर्देश तथा सावधानियाँ उल्लेखित हैं –

पहचान परेड के सामान्य निर्देश –

क. मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पूर्व संदिग्ध की पहचान से संबंधित कार्यवाही के समस्त प्रयत्न करने चाहिये।

ख. पहचान की समस्त कार्यवाहियां संदिग्ध की गिरफ्तारी के तुरन्त पश्चात् करनी चाहिये।

ग. पहचान की कार्यवाही जेल, कोर्टरूम या किसी अन्य स्थान पर की जानी चाहिये लेकिन यह सुनिश्चित किया जाय कि साक्षी संदिग्ध व्यक्ति को न देख सके।

घ. संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद से ही छिपाकर रखा जाय और इसका उल्लेख रोजनामचा आम और जेल में प्रवेश के समय जेल अभिलेख में किया जाय। प्रायः बापर्दा गिरफ्तारी की जाती है।

ड़. पहचान करने वाले साक्षियों को एक दूसरे से पृथक रखना चाहिये और उन्हें संदिग्धों से पर्याप्त दूरी पर रखा जाय।

च. संदिग्धों को समान पौशाक व समान आकृति वाले व्यक्तियों के बीच 10:1 से 8:1 के अनुपात में खड़ा करना चाहिये।

छ. जाँच के परिणाम मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान परेड प्रपत्र में लिखे जाकर उस पर मजिस्ट्रेट व साक्षी के हस्ताक्षर होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि पहचान की कार्यवाही का प्रबंध करने के बाद पुलिस अधिकारी न तो साक्षियों के पास पहुँचे और न संदिग्धों के पास।

ज. पहचान की कार्यवाही 'अतिरिक्त–न्यायालयीय' (extra-judicial) है और पुलिस द्वारा कार्यवाही करने वाले अधिकारी से निवेदन किया जाना चाहिये कि वह साक्षियों से प्रश्न पूछे कि उन्होंने संदिग्ध को किन परिस्थितियों में देखा जिनके फलस्वरूप वे संदिग्धों को पहचानने का दावा करते है। साक्षी पर कोई शर्त न सौंपी जाय।

पहचान परेड में सावधानियाँ –

क. संदिग्ध वहीं वस्त्र पहने हुए हो जो जेल में प्रवेश करते समय पहने था।

ख. पहचान की कार्यवाही के समय हथकड़ियां नहीं लगाई जाय।

ग. अपराधी को इच्छानुसार स्थान बदलने का अवसर दिया जा सकता है लेकिन चेहरा व आकृति नहीं छिपाने दिया जायेगा।

घ. साक्षियों को एक–एक करके पहचान की कार्यवाही हेतु बुलाना चाहिये और उनकी पहचान संबंधी गतिविधियों को लिखना चाहिये।

ड़. कोई भी बाद में आने वाला साक्षी पहले वाले साक्षी से कोई बातचीत या संकेत न करें।

अनुसंधान अधिकारियों को पहचान परेड के समय उपस्थित रहने व कार्यवाही में साक्षी बनने से रोका जायेगा।

अपराध से संबंधित सम्पत्ति व वस्तु की पहचान –

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराध से संबंधित सम्पत्ति व वस्तु की पहचान के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन व्यवहार में अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी के निवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसी सम्पत्ति व वस्तु की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से कार्यवाही शिनाख्तगी संचालित की जाती है।

ब. यदि पीड़ित व्यक्ति ने एफ.आई.आर. में अपराध से संबंधित सम्पत्ति या किसी वस्तु को पहचान सकने के तथ्य का उल्लेख किया है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी सम्पत्ति या वस्तु की पहचान का साक्ष्यिक महत्व है।

स. सामान्यतः पहचान परेड का संचालन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है लेकिन अपराध से संबंधित पशुओं, वस्तुओं इत्यादि की पहचान सरपंच, तहसीलदार इत्यादि से भी संचालित करवाई जा सकती है।

द. सम्पत्ति व वस्तुओं इत्यादि की पहचान परेड का संचालन मजिस्ट्रेट के चेम्बर, पंचायत भवन, तहसीलदार कार्यालय आदि में करवाया जा सकता है।

य. अपराध से संबंधित सम्पत्ति या वस्तुओं की पहचान के लिए उनसे मिलती–जुलती 8–10 वस्तुएँ मिलाई जाती है और साक्षी को पहचानने के लिए कहा जाता है। पहचान परेड संचालित करने वाले मजिस्ट्रेट, सरपंच या तहसीलदार द्वारा पहचान परेड रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें साक्षी द्वारा वस्तु के सही पहचानने या न व पहचानने के तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

र. राजस्थान पुलिस नियम 1965 के **नियम 7.32** में सम्पत्ति की पहचान से संबंधित प्रक्रिया दी गई है –

क. अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त की सम्पत्ति व वस्तुएं घटनास्थल पर ही सही ढ़ंग से सील की जानी चाहिये।

ख. जितनी भी वस्तुएँ पहचान की जाने वाली वस्तुओं के साथ मिलाई जावे वे पहचान परीक्षण करने वाले मजिस्ट्रेट से अवलम्बित हो।

ग. पहचान की जाने वाली वस्तुओं को अन्य वस्तुओं के साथ सीलबंद पुलिन्दों में पहचान हेतु रखा जाना चाहिये।

घ. सील पूर्णतः बिना टूटी–फूटी स्थिति में हो और ये केवल पहचान की कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट के सामने ही खोली जा सकती है।

ड़. पूरी सावधानी बरती जाय कि कोई भी बाद में आने वाला साक्षी पहले आने वाले साक्षी से बातचीत व संकेत आदि न करे।

च. मिलाई जाने वाली वस्तुएँ पहचान योग्य वस्तुओं के समान होनी चाहिये।

छ. अभियोजन निरीक्षक या अभियोजन उप निरीक्षक पहचान की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रह सकते हैं।

ज. मिलाई जाने वस्तुओं को लाने का प्रबंध राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार करना चाहिये। इसमें किसी भी प्रकार से आपत्ति के अवसर प्रदान नहीं करने चाहिये।

पहचान परेड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

1. जब पीड़ित व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट या अपने बयान में वस्तु को पहचान सकने का कथन करता है तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा उस वस्तु की बरामदगी के समय मौजूद रखकर पहचान करवाये जाने का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है। अतः ऐसी कार्यवाही से बचना चाहिये और बरामद की गई वस्तु के बारे में मजिस्ट्रेट से कार्यवाही शनाख्तगी संचालित करवाने हेतु निवेदन किया जाना चाहिये। पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई पहचान को गवाहों के बयान के रूप में माना जाता है जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के दायरे में आता है।

2. जब किसी अभियुक्त को पहचान परेड करवाये जाने की दृष्टि से बापर्दा गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में सामान्यतः उसकी निशादेही से बरामदगी नहीं की जा सकती है, लेकिन यदि उसके चेहरे को ढ़ककर आँखों के हिस्से को खुला रखा जाता है तो बरामदगी की जा सकती है।

3. जब किसी अभियुक्त की पहचान पीड़ित व्यक्ति या किसी साक्षी से कराया जाना है तो ऐसी स्थिति में सही विधि यह है कि ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार करते ही पुलिस थाने पर लाये बिना सीधे ही न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज देना चाहिये और न्यायालय से पहचान परेड आयोजित की जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त करने हेतु निवेदन करना चाहिये।

4. जब किसी अभियुक्त को बापर्दा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने वाले पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि मजिस्ट्रेट ने अपनी नोट–शीट में अभियुक्त को बापर्दा पेश किया जाना अंकित कर लिया है।

5. यदि किसी मामले में अभियुक्त वारदात के समय मौके पर ही पकड़े जाते हैं तो कार्यवाही शिनाख्तगी का कोई औचित्य नहीं है।

6. अभियुक्त को रात्रि में अंधेरे में देखकर या चिमनी/टॉर्च की कम रोशनी में देखकर साक्षी द्वारा पहचान परेड में पहचानने का दावा करना पहचान परेड की कार्यवाही को संदिग्ध बनाता है।

7. शिशु में पर्याप्त समझ है तो शिशु के द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही में अभियुक्त की पहचान करने में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार महिला गवाह से आभूषणों तथा साड़ियों की पहचान को साक्ष्य में ग्राह्य माना गया है। – इरा बनाम कर्नाटक राज्य ए.आई.आर. 1983 सुप्रीम कोर्ट

8. कार्यवाही शिनाख्तगी के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व बयान में वर्णित विशिष्टताओं के अनुरूप चेहरे, कद–काठी तथा स्पेसिफिक फीचर वाले लोगों को खड़ा किया जाये।

संदिग्ध के चलने का ढ़ंग, कपड़े, आवाज, चेचक के दाग, अंग–भंग इत्यादि तथ्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साक्षी को संदिग्ध का फोटोग्रफ नहीं दिखाया जाना चाहिये।

9. यदि अभियुक्त के चेहरे पर कोई विशिष्ट चोट का निशान हो तो वैसी ही चोट वाले 8–10 आदमी मिलना संभव नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्त के चोट के निशान तथा शिनाख्तगी में खड़े अन्य व्यक्तियों के चेहरे पर बेण्डेज चिपकानी चाहिये।

10. पहचान परेड की साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत सुसंगत मानी जाती है और अनुसंधान के समय की गई शिनाख्तगी का उपयोग पुष्टिकरण हेतु किया जाता है। अभियुक्त व्यक्ति की पहचान गिरफ्तारी के तुरन्त बाद होनी चाहिये और विवेचना के समय कराई गई पहचान की कार्यवाही सारवान् साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होती। न्यायालय में पहचान सारवान् साक्ष्य है जबकि पुलिस द्वारा अुनसंधान के दौरान कराई गई पहचान गवाह को सम्पुष्ट तथा विरोधाभास करने में प्रयुक्त हो सकती है।

11. यदि कार्यवाही शिनाख्तगी में देरी की जाती है अथवा अभियुक्त की जमानत के पश्चात् कराई जाती है तो ऐसी शिनाख्तगी संदिग्ध प्रकृति की होती है।

12. काबिल जमानत मामलों में भी शीघ्र कार्यवाही शिनाख्तगी करवाई जानी चाहिये और अभियुक्तों को निर्देश दिया जा सकता है कि अपनी पहचान छिपाकर रखें।

12. अनुसंधान/मर्ग प्रतिवेदन (अन्तिम प्रतिवेदन)

Reports of Investigations/inquest

संज्ञेय मामलों का अन्वेषण पूर्ण करने के बाद अन्वेषण के परिणाम के रूप में पुलिस द्वारा न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। अन्वेषण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने से प्रारम्भ होकर विभिन्न चरणों से होते हुए धारा 173 पर जाकर समाप्त होता है।

पुलिस रिपोर्ट के प्रकार –

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से लेकर अन्वेषण की समाप्ति तक पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा तीन प्रकार की पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है –

क. अन्वेषण के पर्याप्त आधार न होने पर रिपोर्ट

ख. मामले में पर्याप्त साक्ष्य न होने पर अंतिम प्रतिवेदन

ग. मामले में पर्याप्त साक्ष्य होने पर आरोप पत्र

क. अन्वेषण बंद करने संबंधी पुलिस रिपोर्ट (अन्वेषण का पर्याप्त आधार न होना) – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) का परन्तुक, 158 व 159 –

अ. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद धारा 157 (1) के परन्तुक के अनुसार अन्वेषण करने के पर्याप्त आधार न होने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अन्वेषण बंद करने संबंधी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है।

ब. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 158 के अनुसार अन्वेषण बंद करने की रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अर्थात् वृताधिकारी के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है।

स. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के अनुसार पुलिस क्लोजर रिपोर्ट की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट अन्वेषण के आदेश भी दे सकता है।

ख. अंतिम प्रतिवेदन संबंधी पुलिस रिपोर्ट (अभियुक्त की रिहाई तथा खात्मा रिपोर्ट) – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 व 173

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अनुसार अन्वेषण से पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को बंधपत्र पर विमुक्त कर मामले में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लेता है।

ब. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (3) के अनुसार अंतिम प्रतिवेदन सामान्यतः वृताधिकारी के माध्यम से तथा स्पेशल रिपोर्ट केसेज में जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। उक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक एस.एच.ओ. को अतिरिक्त अन्वेषण करने के आदेश दे सकता है।

स. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट अंतिम प्रतिवेदन संबंधी पुलिस रिपोर्ट से असहमत होने की दशा में अतिरिक्त अन्वेषण के आदेश दे सकता है।

द.अंतिम प्रतिवेदन के प्रकार–

1. अपराध से संबंधित माल तथा मुल्जिम का पता न चलने पर अंतिम प्रतिवेदन – एफ.आर. अदम पता माल व मुल्जिम
2. अपराध के घटित न होने पर अंतिम प्रतिवेदन – एफ.आर. अदमवकू (झूठ, तथ्य की भूल, असंज्ञेय मामला, सिविल प्रकृति, गैर–इलाका)
3. अपराध के बारे में साक्ष्य का अभाव होने पर अंतिम प्रतिवेदन – एफ.आर. अदम सबूत

य.अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति– अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से पूर्व परिवादी को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

र. पुलिस द्वारा अभियुक्त की रिहाई कब तक संभव है– अनुसंधान पर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप–पत्र पेश करने के पर्याप्त आधार नहीं है तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत बंधपत्र पर विमुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा करना गिरफ्तारी के प्रथम 24 घण्टों में ही संभव हो पायेगा जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 व 170 के उपबंध अनुसंधान समाप्त होने पर लागू नहीं होते हैं। जब अभियुक्त व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा या न्यायालय से जमानत पर है तब भी धारा 169 का प्रावधान लागू नहीं होता है। यह अभियुक्त को मजिस्ट्रेट को पेश करने से पूर्व की पुलिस अधिकारी की शक्ति है।

जब अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद आरोप–पत्र पेश करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो पुलिस अधिकारी न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति की रिहाई हेतु केवल निवेदन कर सकता है। निवेदन पर मजिस्ट्रेट विचार कर सकता है लेकिन रिहाई करने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है।

ल. किसी मामले में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट पुलिस को उस मामले में आरोप–पत्र पेश करने का आदेश नहीं कर सकता लेकिन वह अभियुक्त के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (सी) के तहत प्रसंज्ञान ले सकता है अथवा पुलिस को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत अग्रिम अनुसंधान करने के आदेश कर सकता है। अंतिम रिपोर्ट

स्वीकार करने के बाद भी मजिस्ट्रेट मामले पर पुनर्विचार करने तथा पुनः अनुसंधान करने के आदेश देने को स्वतंत्र है।

ग. आरोप–पत्र संबंधी पुलिस रिपोर्ट (पर्याप्त साक्ष्य होना) – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 व 173 –

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अनुसार अनुसंधान के दौरान पर्याप्त साक्ष्य होने की दशा में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अजमानतीय अपराध होने पर मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में भेजा जायेगा और जमानतीय अपराध होने पर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बंधपत्र द्वारा पाबंद कर चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है।

ब. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 (3) के अनुसार आरोप–पत्र सामान्यतः वृताधिकारी के माध्यम से तथा स्पेशल रिपोर्ट केसेज में जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है जो मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक एस.एच.ओ. को अतिरिक्त अन्वेषण करने के आदेश दे सकता है।

स. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान लेता है।

द. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 केवल निदेशात्मक है और आरोप–पत्र दाखिल करने के बाद फिर कभी दस्तावेज दायर करने से नहीं रोकती। यदि कोई दस्तावेज आरोप–पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है तो न्यायालय की अनुमति से विचारण के दौरान पेश किया जा सकता है लेकिन पेश करने से पूर्व दस्तावेज की प्रति अभियुक्त को उपलब्ध कराना आवश्यक है। आरोप–पत्र के साथ दस्तावेज न पेश करना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के अनुसार मात्र अनियमितता है।

अन्वेषण पूर्ण करने व आरोप–पत्र पेश करने की अवधि तथा विलम्ब का प्रभाव –

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (1), 173 (1क) व 167 (5) में अन्वेषण पूर्ण करने व आरोप–पत्र पेश करने की अवधि के संबंध में प्रावधान किये गये। अनुसंधान में अनावश्यक विलम्ब से समय पर प्रसंज्ञान लिये जाने में कठिनाई आती है क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में प्रसंज्ञान की परिसीमा (limitation) निर्धारित है।

अ. सामान्यतः किसी भी मामले में अन्वेषण अनावश्यक देरी के बिना पूर्ण किया जाना चाहिये।

ब. शिशु से बलात्संग के मामले में अनुसंधान पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिये।

स. यदि कोई अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है तो अनुसंधान पूर्ण कर आरोप–पत्र पेश करने की अवधि निम्नानुसार है –

क. 90 दिन – मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून के कारावास से दण्डनीय अपराध के संबंध में।

ख. 60 दिन – किसी अन्य अपराध के संबंध में।

द. समन मामलों में अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक से 6 माह की अवधि से अधिक लम्बित नहीं रखा जाना चाहिये।

पुलिस रिपोर्ट को कौन प्रस्तुत कर सकता है –

अ. अन्वेषण की समाप्ति पर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट अर्थात् अंतिम प्रतिवेदन व आरोप–पत्र पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है।

ब. जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) के तहत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं अनुसंधान न करके अपने अधीनस्थ को अनुसंधान के लिए प्रतिनियुक्त करता है तब धारा 168 के तहत ऐसा अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अनुसंधान पूर्ण करके अपनी रिपोर्ट भारसाधक अधिकारी को पेश करता है। अंतिम परिणाम भारसाधक अधिकारी द्वारा ही न्यायालय में पेश किया जा सकता है।

स. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किये गये प्रकरण का आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया – जब किसी प्रकरण का अनुसंधान पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है तब प्रकरण में अनुसंधान पूरा होने के बाद चालान प्रस्तुत करने के आदेश के साथ पत्रावली पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजी जाती है। ऐसी स्थिति में चालान तैयार करके भारसाधक अधिकारी द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है।

पुलिस रिपोर्ट का प्रारूप व अन्तर्वस्तु –

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) में पुलिस रिपोर्ट के प्रारूप के बारे में बताया गया है। अन्वेषण पूरा होने पर एस.एच.ओ. प्रसंज्ञान के लिये सशक्त सक्षम मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में अंतिम परिणाम की रिपोर्ट (चार्जशीट या एफ.आर.) भेजेगा।

ब. पुलिस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है –

(क) पक्षकारों के नाम – पीड़ित व अभियुक्त;

(ख) सूचना की प्रकृति – लिखित, मौखिक या न्यायालय व पुलिस अधीक्षक के निर्देश से;

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के नाम – गवाहों के नाम;

(घ) अपराध की धारा तथा अभियुक्त का नाम;

(ड़) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है;

(च) क्या अभियुक्त जमानत पर है – प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र;

(छ) क्या अभियुक्त धारा 170 के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है; या

(ज) क्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ के मामलों में पीड़ित महिला की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट संलग्न की गई है।

आरोप–पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज –

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (5) में आरोप–पत्र के साथ न्यायालय को भेजे जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख है।जब आपराधिक मामला प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया जाता है तो आरोप पत्र के साथ निम्न सामग्री भेजना आवश्यक है –

अ. अभियोजन से संबंधित दस्तावेज या सुसंगत उद्धरण – प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द नक्शा–मौका मुआयना, फर्द जब्ती, फर्द पंचायतनामा लाश, फर्द गिरफ्तारी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत फर्द सूचना मुल्जिम, फर्द बरामदगी, फर्द शिनाख्तगी व्यक्ति व सम्पत्ति की प्रमाणित प्रति, फर्द सुपुर्दगी, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान की प्रति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत मृत्युकालीन घोषणा या बयान नजई, जमानत मुचलके, पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट, चोट प्रतिवेदन, कैमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, वाहन व फायर–आर्म का मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट, वाहन मालिक व चालक की उद्घोषणा, वाहन का मैकेनिकल मुआयना, रेवेन्यू रेकॉर्ड, गबन केस से सम्बन्धित रेकॉर्ड।

ब. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित बयान, जिनका साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का विचार अभियोजन का हो।

मामले में जब्त व बरामद सम्पत्ति व वस्तुओं को न्यायालय में पेश करना –

क. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अनुसरण में किसी आपराधिक मामले में वजह सबूत जब्त या बरामद की गई सम्पत्ति या वस्तुओं को संबंधित न्यायालय में पेश किया जाता है।

ख. वजह सबूत जब्त माल को पुलिस थाने के मालखाने में सुरक्षित रखे जाने के साक्ष्य के रूप में मालखाना रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि आरोप–पत्र के साथ न्यायालय में पेश की जाती है।

अभियुक्त को आरोप–पत्र व दस्तावेजों की प्रतिलिपि का संदाय – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207

अ. अभियुक्त को संदाय की जाने वाली पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों की प्रतियों को चार भागों में विभक्त किया जाता है –

क. आरोप–पत्र की प्रतिलिपि

ख. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि

ग. दस्तावेज या उनके सुसंगत सार

घ. धारा 161 व 164 के तहत अभिलिखित बयान

ब. अभियुक्त को केवल वे ही दस्तावेज या उनके सुसंगत सार की प्रतिलिपि संदाय की जानी चाहिये जिन पर अभियोजन निर्भर करता है।

स. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (6) के अनुसार पुलिस अधिकारी की राय में किसी कथन का कोई भाग –

क. सुसंगत नहीं है या

ख. अभियुक्त को प्रकट करना न्यायहित में नहीं है और

ग. लोकहित के लिए असमीचीन है,

तो कथन के उस भाग को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि से निकालने का कारण बताते हुए मजिस्ट्रेट से निवेदन किया जाता है। द. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (7) के तहत पुलिस रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियाँ अभियुक्त को दी जानी चाहिये। दस्तावेजों की प्रतियाँ पुलिस रिपोर्ट के साथ अग्रेषित की जाती है जिन्हें न्यायालय अभियुक्त को देता है।

अपूर्ण, पूर्ण व अनुपूरक आरोप–पत्र और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत अतिरिक्त आरोप–पत्र –

अ. यदि मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के अधीन पुलिस रिपोर्ट भेज देने के बाद भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य मिलता है, तो ऐसे साक्ष्य के संबंध में वह अतिरिक्त रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है।

ब. भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस अतिरिक्त रिपोर्ट के संबंध में अपूर्ण आरोप–पत्र, अनुपूरक आरोप–पत्र, पश्चाद्वर्ती आरोप–पत्र, तितम्बा चार्जशीट जैसे कई शब्द प्रचलन में हैं लेकिन इनमें विभेद करना जरूरी है। तारासिंह बनाम राज्य ए.आई.आर. 1954 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपूर्ण आरोप–पत्र, पूर्ण आरोप–पत्र तथा अनुपूरक आरोप–पत्र के बारे में वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया है।

स. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) व 173 (2) संयुक्त रूप से आरोपित सभी अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंधान पूर्ण न होने की दशा में उनमें से किसी एक या अधिक अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की अनुमति देती है, लेकिन अभियुक्त के खिलाफ चालान को सम्पूर्णतः प्रस्तुत किया जाना चाहिये अर्थात् इसे अंशतः या खण्डतः पेश नहीं किया जा सकता।

द. पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् नये तथ्य प्रकाश में आने पर पुलिस द्वारा अन्वेषण और अनुपूरक रिपोर्ट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत विधिक मान्यता प्रदान की गई है। पूरक आरोप–पत्र पुनः विवेचना किये बिना तथा अपराध के संबंध में पुनः मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये पेश नहीं किया जा सकता। अगर किसी मामले में पुलिस ने पूर्व में अंतिम प्रतिवेदन पेश किया है तो उसमें आरोप–पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

य. विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट में पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अन्वेषण करने की पुलिस की शक्ति को आपराधिक विधि में शामिल करने की अनुशंसा की गई। तदनुरूप पुलिस रिपोर्ट

पेश करने के बाद मिलने वाले अतिरिक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 (8) के तहत अतिरिक्त आरोप–पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया।

आरोप–पत्र के प्रसंज्ञान के लिए परिसीमा काल के संबंध में कानूनी स्थिति

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 से 473 में आरोप–पत्र पर प्रसंज्ञान के लिए परिसीमा के बारे में प्रावधान किया गया है।

क. परिसीमा काल – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार किसी अपराध के प्रसंज्ञान के लिए परिसीमा काल निम्नानुसार है –

अ. 6 माह – केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध में

ब. एक वर्ष – एक वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध में

स. तीन वर्ष – एक वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय अपराध में।

ख. परिसीमा काल का प्रारम्भ – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 469 के अनुसार परिसीमा काल का प्रारम्भ अपराध की दिनांक या पीड़ित व पुलिस को अपराध व अपराधी का पता चलने के दिन से होता है।

ग. परिसीमा काल की गणना में समय का अपवर्जन संबंधी व्यवस्था दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 470 में है। न्यायालय बंद होने की दशा में परिसीमा काल का निर्धारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 471 के अनुसार किया जाता है और चालू रहने वाले अपराध के संबंध में परिसीमा काल का निर्धारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 472 के अनुसार किया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 473 के तहत परिसीमा काल में न्यायहित में वृद्धि भी संभव है।

Report of inquest (मर्ग)

मर्ग का प्राथमिक उद्देश्य मृत्यु के दृश्यमान् कारणों का पता लगाना है कि क्या यह दुर्घटना है या आत्महत्या या हत्या। इन्क्वेस्ट रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए क्योंकि इसे पोस्टमॉर्टम परीक्षण के लिए शव के साथ चिकित्साधिकारी के पास भेजना होता है। मरणान्वेषण रिपोर्ट को मर्ग या मृत्यु–समीक्षा रिपोर्ट भी कहा जाता है।

मर्ग का विस्तार

क. किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों या अप्राकृतिक कारणों से होना सुनिश्चित करने तक ही मर्ग का विस्तार है।

ख. किन अभियुक्तों ने मृतक पर हमला किया, हमला कैसे किया और किन परिस्थितियों में किया इत्यादि तथ्यों का मर्ग रिपोर्ट में कोई स्थान नहीं है। – पोद्दा नारायण बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 1252

ग. हमलावरों व गवाहों के नाम का इन्क्वेस्ट रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

घ. इसी प्रकार अभियुक्त के नाम का इन्क्वेस्ट रिपोर्ट में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

ड़. मृत्यु–समीक्षा रिपोर्ट में अभियुक्त के नाम की अनुपस्थिति कोई अनियमितता नहीं है और रिपोर्ट में नाम के उल्लेख का अभाव घातक नहीं होता।

पुलिस द्वारा मर्ग की कार्यवाही

अ. मर्ग –

जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि उसके थाना क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है या दुर्घटनावश मृत्यु हुई है या अप्राकृतिक मौत हुई है जिसमें परिस्थितियाँ संदेह उत्पन्न करती हैं कि कोई अपराध घटित हुआ है तो ऐसी स्थिति में वह उस स्थान पर जायेगा जहाँ ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है। पड़ौस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की मौजूदगी में मृत्यु के दृश्यमान् कारणों (apparent cause of death)का पता लगाने के लिए अनुसंधान करेगा। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 174 के तहत किये जाने वाले इस अन्वेषण को मर्ग (Inquest) कहा जाता है।

ब. पंचायतनामा लाश –

क. पुलिस अधिकारी मृत्यु के दृश्यमान् कारणों की रिपोर्ट में मृत शरीर पर आई चोटों, निशान आदि के विवरण के साथ–साथ उक्त चोटें किस प्रकार तथा किन हथियारों से आई है, का उल्लेख करते हुए विवरण अंकित करेगा।

ख. मरणान्वेषण रिपोर्ट को पुलिस बोलचाल में **'पंचायतनामा'** भी कहा जाता है जिसमें पाँच व्यक्तियों को साक्षी रखे जाने की परम्परा है।

ग. मृत्यु के कारणों की रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारी व गवाहान जो रिपोर्ट में उल्लेखित कारणों से सहमत हों, के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं।

स. पोस्ट–मॉर्टम परीक्षण –

क. पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत अन्वेषण के दौरान मृत्यु के कारणों के बारे में संदेह होने पर मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने हेतु पोस्टमॉर्टम परीक्षण कराने के लिए शव को निकटतम योग्य चिकित्साधिकारी के पास सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में भेजा जाता है।

ख. जब शव की खराब स्थिति व दूरी के कारण अस्पताल तक ले जाने से पोस्टमॉर्टम परीक्षण के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की आशंका हो तब निकटतम अधिकृत सिविल सर्जन को घटनास्थल पर बुलाकर पोस्ट–मॉर्टम करवाया जा सकेगा।

द. गवाहों के बयान लेखबद्ध करना –

क. पुलिस अधिकारी द्वारा मृत्यु के कारणों के संबंध में गवाहों से अन्वेषण किया जायेगा।

ख. मृत्यु के कारणों के बारे में लिखे गये गवाहों के बयानों पर इनके हस्ताक्षर करवाये जायेंगे।

ग. गवाह द्वारा इन्क्वेस्ट के बयानों पर हस्ताक्षर के संबंध में वस्तुस्थिति – घटना के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित गवाहों तथा मर्ग की कार्यवाही में सहायता करने वाले प्रतिष्ठित गवाहों की वस्तुस्थिति में अन्तर है।

मर्ग की कार्यवाही में पुलिस की सहायता करने वाले गवाहों के बयानों पर हस्ताक्षर करवाये जा सकते हैं। लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के बयानों पर हस्ताक्षर कराये जाने के बारे में विधि हमारा ध्यान धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता की ओर आकृष्ट करती है।

य. मर्ग के प्रयोजन से समन करने की पुलिस की शक्ति – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 175

क. धारा 174 के अधीन मर्ग की कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित गवाहों को समन कर सकता है –

अ. दो या अधिक व्यक्तियों को पंचायतनामा लाश में साक्षी बनाने के प्रयोजन से समन करना।

ब. मामले के तथ्यों से परिचित व्यक्तियों को अन्वेषण के प्रयोजन से समन करना।

ख. समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिये तथा अपराध में लिप्त करने वाले प्रश्नों के सिवाय सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिये आबद्ध होता है।

ग. यदि कोई गवाह हाजिर होने में असफल रहता है और पुलिस अधिकारी के सवालों का सही जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 व 179 के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

र. मर्ग के परिणाम की रिपोर्ट का मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना –

मर्ग के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निष्कर्षों की रिपोर्ट कलेक्टर या एस. डी.एम. को भेजी जाती है।

मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु के कारण की जाँच की प्रक्रिया

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त होते हैं।

क. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु–समीक्षा –

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (1) के तहत निम्नलिखित दो परिस्थतियों में मृत्यु समीक्षा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है –

अ. किसी स्त्री की विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या

ब. किसी स्त्री की विवाह के सात वर्ष के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 की उपधारा (3) के खण्ड (1) व (2) की उपरोक्त दोनों परिस्थितियों को छोड़कर अन्य दशाओं में भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे तो पुलिस द्वारा किये जा रहे मरणान्वेषण के अलावा स्वयं मृत्यु समीक्षा कर सकता है।

ख. न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु–समीक्षा–

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (1क) के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में मृत्यु समीक्षा न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है –

अ. जब पुलिस अभिरक्षा या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है; अथवा

ब. जब पुलिस अभिरक्षा या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया जाना अभिकथित है।

ग. जमीन से गड़ी हुई लाश निकलवा कर (Disinterment of bodies or Exhumation)परीक्षण करवाना –

जब मजिस्ट्रेट के विचार में पहले ही गाड़ दिये गये मृत शरीर की परीक्षा कराना मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए समीचीन हो तब मजिस्ट्रेट जमीन से गड़ी हुई लाश निकलवा करमेडिकल ज्युरिस्ट से परीक्षा करवा सकता है।

घ. मृतक के रिश्तेदारों को जाँच के दौरान हाजिर रहने की सूचना व अनुमति –

मजिस्ट्रेट मृतक के रिश्तेदारों अर्थात् माता–पिता, संतान, भाई, बहिन और पति या पत्नी को इतिला देकर जाँच के समय उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करेगा।

ड़. हिरासत में मृत्यु पर पोस्टमॉर्टम परीक्षण –

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 की उपधारा (1क) के अधीन अभिरक्षा में मृत्यु, गुमशुदगी या बलात्कार के मामलों में जाँच या अन्वेषण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घण्टों के भीतर मृत व्यक्ति के शरीर को परीक्षण हेतु निकटतम सिवल सर्जन या मेडिकल ज्यूरिस्ट को भेजा जाय। यदि ऐसा करना संभव न हो तो ऐसे कारणों को अभिलिखित किया जायेगा।

नियम 6.33 – शव को खोदकर निकालने की प्रक्रिया –

अ. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या मरणान्वेषण करने वाले किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को मरणान्वेषण के दौरान यह ज्ञात होता है कि मृत व्यक्ति का शव औपचारिक रूप से गाड़ दिया गया है तो वह ऐसी सूचना और शव को खुदवाकर निकलवाने के आधारों को अभिलिखित करेगा।

ख. पुलिस अधिकारी अभिलिखित सूचना मृत्यु–समीक्षा करने को सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजकर धारा 176 की उपधारा (3) के तहत आदेश प्राप्त करने हेतु निवेदन करेगा और कब्र को सुरक्षित रखेगा।

ग. उक्त आदेश की प्राप्ति पर यदि निकटतम सशक्त मजिस्ट्रेट मरणान्वेषण के लिए उपस्थित न हो तो पुलिस अधिकारी दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में शव को खोदकर निकालेगा और धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्यवाही करेगा।

घ. पुलिस अधिकारी अनुसंधान प्रारम्भ करने से पूर्व गवाहों से खोदकर निकाले गये शव की पहचान करायेगा।

ड़ जब शव को गाड़ने की अवधि तीन सप्ताह से अधिक की हो तो पुलिस अधिकारी क्रब को तब तक नहीं खोद सकेगा जब तक कि –

अ. सिविल सर्जन की राय प्राप्त न हुई हो और

ब. तब भी जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति ली जायेगी।

ड़ नियम 6.34 – मरणान्वेषण प्रतिवेदन –

क. मरणान्वेषण समाप्ति पर पुलिस अधिकारी संबंधित प्रपत्र में दो प्रतियों में मरणान्वेषण प्रतिवेदन तैयार करेगा –

अ. प्राकृतिक कारणों से मृत्यु।

ब. हिंसात्मक कारणों से मृत्यु।

स. विष के कारण से मृत्यु।

ख. प्रतिवेदन में मृत्यु के प्रकट कारण, शव पर पाये गये हिंसा के निशान, निशान के कारित करने के ढ़ंग व हथियार आदि का वर्णन लिखा जायेगा।

ग. अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी तथा अनुसंधान में सहायता करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रतिवेदन अविलम्ब वृत्ताधिकारी के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा।

घ. प्रतिवेदन के साथ निम्न अभिलेख लगाये जायेंगे –

अ. मृत्यु के घटनास्थल का मानचित्र,

ब. मृतक के कपड़ों आदि की सूची,

स. शव के साथ सामान की सूची यदि शव चिकित्सीय परीक्षण हेतु भिजवाया गया हो,

द. चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजे गये सामान की सूची,

य. फाँसी के मामलों में समय, ऊँचाई, सहारे की उपयुक्तता, शव के भार को सहन करने के काम में लाई गई वस्तु की प्रकृति का विवरण अंकित किया जायेगा। पानी में डूबने के मामलों में पानी की गहराई बताई जायेगी।

र. प्रतिवेदन की कार्बन प्रति पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में रखी जायेगी।

ल. रेल्वे दुर्घटना के मामलों में प्रतिवेदन की एक प्रति

13. जांच व अन्य थानों से समन्वय

(Inquiries & co-ordination with other police stations)

जांच (Inquiries)

– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(छ) के अनुसार **जांच** से अभिप्रेत है, विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच, जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए।

–प्रारम्भिक जांच करने की शक्ति – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबन्धित रीति से मामले की प्रारम्भिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

– अभिरक्षा (पुलिस या जेल) में मृत्यु व पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के मामलों में पुलिस द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही के अतिरिक्त समानान्तर न्यायिक जांच की जाती है। इस हेतु क्षेत्र के दाण्डिक न्यायालय के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जिला न्यायधीश द्वारा की जाती है।

– साम्प्रदायिक दंगों, गम्भीर दुर्घटनाओं, जिनमें बड़े स्तर पर जनहानि हुई हो, आदि घटनाओं की भी न्यायिक जांच राज्य सरकार के आदेश पर तत्समय पदस्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेवानिवृत न्यायधीश द्वारा की जाती है।

अन्वेषण के अतिरिक्त पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है।

पासपोर्ट जांच– किसी व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी के गृह थाना द्वारा जांच की जाकर जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पासपोर्ट विभाग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

हथियार लाइसेंस जांच – किसी व्यक्ति द्वारा हथियार लाइसेंस हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी के गृह थाना द्वारा जांच की जाकर जिला पुलिस अधीक्षक को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

चरित्र सत्यापन जांच– किसी व्यक्ति द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी के गृह थाना द्वारा जांच की जाकर जिला पुलिस अधीक्षक को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

अन्य थानों से समन्वय(Co-ordination with other police stations)

अपराध के नियन्त्रण व अन्वेषण के दौरान अन्य थानों से मामलों के पीड़ित, गवाह व संदिग्ध या अपराधियों के विषय में सम्पर्क करना पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध में विभिन्न विधियों व नियमों में व्यवस्था दी गई है।

– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत कोई पुलिस अधिकारी, जो अन्वेषण कर रहा है, किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर विधमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गई इत्तला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा।

– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(झ) के तहत कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारन्ट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जिसकी **गिरफ्तारी** के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा (Requisition) प्राप्त हो चुकी है, परन्तु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उसमें यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारन्ट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्ण गिरफ्तार किया जा सकता था,

– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 के तहत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी, जो अन्वेषण कर रहा है, किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले में **तलाशी** लिवाने की अपेक्षा कर सकता है, जिसमें पूर्वकथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अन्दर ऐसी तलाशी लिवा सकता है।

दूसरे थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी अपेक्षा किये जाने पर धारा 165 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा और यदि कोई चीज मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा, जिसकी अपेक्षा पर तलाशी ली गई।

जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीन तलाशी लिवाने की अपेक्षा करने में जो विलम्ब होगा, उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए, जो अन्वेषण कर रहा है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के अन्दर किसी स्थान की धारा 165 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे तलाशी ले या लिवाएगा, मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के अन्दर हो। कोई अधिकारी, जो तलाशी संचालित कर रहा है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी सीमाओं के अन्दर ऐसा स्थान है, तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा और ऐसी सूचना के साथ धारा 100 के अधीन तैयार की गई सूची की प्रतिलिपि भी भेजेगा और उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को धारा 165 की उपधारा (1) व (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी भेजेगा। जिस स्थान की तलाशी ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, आवेदन करने पर उस अभिलेख की, जो मजिस्ट्रेट को भेजा जाए, प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी।

उपरोक्त परिस्थितियों के अलावा अपराध के अन्वेषण के दौरान प्रकरण के संदिग्धों की तलाश के लिए भी अन्य थानों से लिखित अध्यपेक्षा द्वारा, वायरलैस मैसेज या ई–मेल द्वारा **नाकाबन्दी** करवाई जाती है।

थाना क्षेत्र के अन्दर निवास करने वाले हिस्ट्रीशीटर को चैक करने पर निवास पर नहीं मिलने पर, उसके परिजनों द्वारा बताये गये जाने के स्थान से सम्बन्धित थाने को **पर्चा अ** भर कर भेजा जाता है, जिसकी जांच कर सम्बन्धित थाने द्वारा जांच की रिपोर्ट वापस भेजी जाती है।

थाना क्षेत्र में बाहर से आने वाले खानाबदोश, घुमन्तु लोगों को चैक करने पर उनके निवास स्थान से सम्बन्धित थाने को **पर्चा ब** भर कर भेजा जाता है, जिसकी जांच कर सम्बन्धित थाने द्वारा जांच की रिपोर्ट वापस भेजी जाती है।

14. शरीर सम्बन्धी अपराधों का अनुसंधान
(Investigation of offence against Body)

अपराध अनुसंधान <u>मारपीट/हत्या का प्रयास</u>

1. परिवादी को सुनना तथा उसकी एफआईआर दर्ज करना।
2. परिवादी की रिपोर्ट पर कार्यवाही पुलिस अंकित करते समय पुछताछ कर घटना के सम्बन्ध में स्पष्ट खुलासा लिखना।
3. रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज करने की रोजनामचा में रपट दर्ज करना।
4. परिवादी या मजरूबान के मेडिकल मुआयने के लिये चिकित्सा अधिकारी को तहरीर लिखना।
5. परिवादी या मजरूबान को मेडिकल मुआयने के लिये कानि. के साथ चिकित्सालय रवाना करना तथा रोजनामचा में रवानगी रपट डालना।
6. बाद मेडिकल मुआयना कानि. की वापसी करना तथा सम्पूर्ण हालात विस्तार से रोजनामचे में दर्ज करना।
7. अनुसंधान अधिकारी को प्रकरण के अनुसंधान हेतु घटनास्थल रवाना करने की रपट रोजनामचे में अंकित करना।
8. घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करना।
9. घटनास्थल की फोटोग्राफी करवाना।
10. घटनास्थल पर यदि कोई भौतिक साक्ष्य है तो उन्हें जब्त करना तथा फर्द जब्ती तैयार करना।
11. घटनास्थल के आस–पास के लोगो से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करना।
12. यदि आवश्यक हो तो परिवादी या मजरूबान के खून आलूदा कपडे जब्त करना।
13. घटना के सम्बन्ध में गवाहों के बयान लिखना।
14. अनुसंधान अधिकारी की रोजनामचा में वापसी करना तथा यदि कोई भौतिक साक्ष्य जब्त किये गये है तो उनका रोजनामचे में उल्लेख करना।
15. मालखाना रजिस्टर में जब्तशुदा माल की प्रविष्टि करना।
16. चिकित्सा अधिकारी से मेडिकल मुआयने की रिपोर्ट प्राप्त करना।
17. केस डायरी में चोटों के बारे में चिकित्सा अधिकारी की राय का विस्तृत उल्लेख करना।
18. यदि कोई एक्सरे किया गया है तो प्राप्त करना।
19. एक्सरे के सम्बन्ध में रेड़ियोलोजिस्ट से राय प्राप्त करना। (Sec. Evidence Act.,)
20. अपराध की प्रवृति के अनुसार अपराधी को गिरफ्तार करना।
21. जमानतीय अपराधों में अपराधी से पूर्ण तफ्तीश के बाद जमानत मुचलका भरना।
22. जमानत मुचलका प्रमाणित करना थानाधिकारी द्वारा।
23. अजमानती अपराधों में अपराधी को गिरफ्तार करना।
24. यदि अपराधी द्वारा साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई इत्तला दी जाती है तो इत्तला रिकार्ड करना।
25. इत्तला के आधार पर बरामदगी हेतु रवानगी की रपट अंकित करना।
26. बरामदगी करना व फर्द जब्ती/बरामदगी बनाना।
27. बरामदगी का नक्शा मौका बनाना।
28. बाद बरामदगी वापसी करना।

29. रोजनामचा में बरामद वस्तु का उल्लेख करना।
30. बरामद वस्तु का इन्दराज मालखाना रजिस्टर में करना।
31. अपराधी की पूछताछ रिपोर्ट तैयार करना।
32. अपराधी का रिमाण्ड फार्म तैयार करना।
33. अपराधी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये रवाना करना।
34. जाप्ते की वापसी करना व सम्पूर्ण हालात लिखना।
35. यदि आवश्यक हो तो जब्त/बरामद वस्तऐं एफएसएल परीक्षण हेतु भेजने के लिये अग्रेषण पत्र तैयार करना।
36. विशेष वाहक की रवानगी करना।
37. माल भेजने की मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करना।
38. विशेष वाहक की माल जमा करवाकर वापसी की रपट डालना (पूर्ण उल्लेख करना)।
39. मालखाना रजिस्टर में माल जमा करने की क्रोस इन्ट्री करना।
40. अनुसंधान के सम्बन्ध में एपीपी से राय प्राप्त करना।
41. यदि कोई ऐतराज है तो पूर्ति करना।
42. प्रकरण में अपराधियों के विरूध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना।
43. चालान के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज :–
    1. गवाहों के बयान।
    2. नक्शा मौका।
    3. फर्द फोटोग्राफी मय फोटोग्राफ।
    4. मजरूबों की मेड़िकल रिपोर्ट मय एक्सरे प्लेट व रेड़ियोंग्राफर की राय।
    5. फर्द जब्ती भौतिक साक्ष्य/मजरूबों के कपड़ें।
    6. फर्द गिरफ्तारी मुलजिम।
    7. जमान मुचलका (जमानतीय अपराधों में)।
    8. इत्तला 27 ऐविड़ेन्स एक्टं
    9. फर्द बरामदगी।
    10. नक्शा मौका बरामदगी स्थल।
    11. एफएसएल अग्रेषण पत्र की प्रति।
    12. एफएसएल रसीद।
    13. यदि रिपोर्ट प्राप्त हो गयी हो तो एफएसएल रिपोर्ट।
    14. प्रकरण से सम्बन्धित रोजनामचा की सभी रपटों की प्रति।
    15. मालखाना रजिस्टर की प्रति।
    16. यदि कोई अभियुक्त गिरफ्तार नही हुआ तो धारा 82, 83 सीआरपीसी के तहत की गयी कार्यवाही का विवरण।
    17. यदि अभियुक्तों का पूर्व में कोई अपराधिक रिकार्ड रहा तो अपराधिक रिकार्ड को भी चार्जशीट के साथ में रखना चाहिए।

15. सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों का अनुसंधान

(Investigation of offences against property)

1. सूचना मिलते ही मौके पर तुरन्त रवाना होना।
2. जैसी भी सूचना मिली लिखित/मौखिक/टी.पी. इत्यादि का अंकन रोजनामचा आम में करें
3. मौके पर पहुँचकर जानकारी जुटाना।
4. तरीका वारदात क्या है।
5. चोरी या नकबजनी में क्या–क्या सामान गया।
6. घटना की सूचना अपराध होने के तुरन्त बाद मिल गई हो तो नाकाबंदी पार्टियों एवं गश्त पार्टियों को अवगत कराना।
7. गम्भीर वारदात हो तो वरिष्ठ अधिकारियों को मौके से सूचना देना।
8. घटनास्थल को सुरक्षित करना।
9. मौके पर जैसी जरूरत हो एफ.एस.एल. विशेषज्ञ/डॉग स्कवाड इत्यादि बुलाना।
10. घटनास्थल पर फिंगर प्रिन्ट, फुट प्रिन्ट सुरक्षित करना।
11. लिखित एफ.आई.आर. में कुछ तथ्य रह गये हों तो कार्यवाही पुलिस में स्पष्ट करें।
12. नकबजनी का स्थान, सम्भावित समय, दिनांक एवं वार।
13. अपराधी ज्ञात है या अज्ञात का विवरण।
14. नकबजनी में प्रयुक्त औजारों का विवरण जैसे सरिया, हथौड़ा, जेक, गैसकटर नकुले हथियार, पेचकस, डुप्लीकेट चाबी या अन्य औजार।
15. जो बाते एफ.आई.आर. में नहीं लिखी गयी हों, उन बातों को स्पष्ट कर समावेश करना चाहिये।
16. अगर टेलिफोन/ई–मेल से एफ.आई.आर. है तो इतला को जाँच के बाद एफ.आई.आर. दर्ज कर पूर्ण तथ्यों का समावेश करें।
17. नकबजनी में गये सामान का हुलिया दर्शाये ताकि पहचान हो सके।
18. कार्यवाही शिनाख्तगी हेतु विवरण अगर नोट/पैसे गये है तो किस में रखे थे थैला इत्यादि का विवरण अवश्य देवें।
19. नकबजनी की वारदात की सूचना मिलती है तो सबसे पहले घटनास्थल पर तत्काल जाना चाहिए।
20. जिन वस्तुओं/स्थानों पर फिंगर प्रिन्ट मिल सकते हो, उनको संरक्षित करना एवं विशेषज्ञ की मदद से उठाना।
21. घटनास्थल की सूक्ष्म/नजदीकी फोटोग्राफी व स्केल प्रयुक्त करना।
22. किसी भी साक्ष्य को गौण नहीं समझना चाहिये।
23. घटनास्थल का क्लॉक वाईज एवं एन्टी क्लॉक वाईज निरीक्षण करना एवं साक्ष्य खोजना
24. फर्द नक्शा मौका में उन स्थानों को चिन्हित करना जहाँ फिंगर प्रिन्ट व फुट प्रिन्ट इम्प्रेशन मिले हों। आलाये नकब, टूटे हुये, कुन्डो को जब्त करना।
25. अपराधियों के द्वारा घटनास्थल पर किये गये विशेष परम्परागत/जातिगत कार्य, जैसे मिठाई खाना, मल मूत्र करना, खाना खाना, शराब पीना आदि का उल्लेख करना।

26. ताले चाबी तथा जिन–जिन जगहों के हाथ लगाया है, जिस जगह से सामान लिया है तथा खाली डिब्बों इत्यादि को फेंका है तो उस जगह का परिक्षण अवश्य ही करना चाहिये।
27. घटनास्थल पर मिले सामान की जाँच करनी चाहिये।
28. अन्य वस्तु हथियार, नकब इत्यादि की जाँच करनी चाहिये।
29. पद चिन्हों को खोजना व उनके अनुसार अपराधियों का पीछा करना।
30. नकबजनी के घटनास्थल से ही अनुसंधान की दिशा तय की जाती है।
31. घटनास्थल पर बीड़ी, सिगरेट, जर्दा की पन्नी तथा यात्रा सम्बन्धित टिकट, नकब तथा जुते इत्यादि से क्लू मिल सकता है।
32. जो वस्तु/साक्ष्य महत्वपूर्ण है उनको कब्जा पुलिस में लेना चाहिये।
33. घटनास्थल की फर्द में भी उल्लेख करना चाहिये।
34. घटनास्थल अगर यात्रा सम्बन्धित टिकट है तो अवश्य ही लेना चाहिये।
35. जो सामान अपराधी वारदात के बाद भूल गया तथा साथ नहीं ले गया जो उसका ही है, उसको महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में लेना चाहिये।
36. घटनास्थल से धुम्रपान सम्बन्धी सामग्री को भी अगर है तो अवश्य ही परीक्षण करवाना चाहिये।
37. विशेषकारी सहायता से चांस प्रिन्ट व फुट इम्प्रेशन व अन्य प्रकार के टायर मार्क उठवाना।
38. कार्यप्रणाली के आधार पर विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से अपराध स्थल पर छोडे गये औजारों के निशान, जुतों के निशान, पैरो के निशान, अंगुल चिन्हों के निशान की जाँच।
39. मिट्टी आदि की विशिष्टता का परीक्षण।
40. फुट प्रिन्ट, अंगुल चिन्ह, चॉन्स प्रिन्ट आदि को एस.सी.आर.बी./एन.सी.आर.बी. भेजकर राय के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी।
41. चुराई गई सम्पति का डिस्पोजल जिन स्थानों पर हो सकता है उनकी निगरानी कराना।
42. थाना क्षेत्र तथा आस–पास के कबाड़ियों तथा चोरी का माल खरीदने वालों पर गुप्त निगरानी कराना।
43. संदिग्ध व्यक्तियों से वैज्ञानिक तरीके से पुछताछ करना चाहिये जैसे–लम्बी पूछताछ करना, वैज्ञानिक/मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करना।
44. घटना की पूर्ण जानकारी रखनी चाहिये।
45. थाना क्षेत्र के संदिग्ध एवं चालान शुदा अपराधियों से पुछताछ।
46. थाना क्षेत्र व पड़ौसी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों के डेरों एवं कॉलोनियों में सुरागरसी।
47. घटनातिथि के समय संदिग्ध की उपस्थिति कहां थी। तस्दीक कराना।
48. मिट्टी आदि की विशिष्टता का परीक्षण।
49. फुट प्रिन्ट, अंगुल चिन्ह, चॉन्स प्रिन्ट आदि को एस.सी.आर.बी./एन.सी.आर.बी. भेजकर राय के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी।
50. चुराई गई सम्पति को डिस्पोजल जिन स्थानों पर हो सकता है उनकी निगरानी कराना।
51. थाना क्षेत्र तथा आस–पास के कबाड़ियों तथा चोरी का माल खरीदने वालों पर गुप्त निगरानी कराना।
52. संदिग्ध व्यक्तियों से वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करनी चाहिये जैसे–लम्बी पूछताछ करना, वैज्ञानिक/मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करना।

53. घटना की पूर्ण जानकारी रखनी चाहिये।
54. थाना क्षेत्र के संदिग्ध एवं चालान शुदा अपराधियों से पूछताछ ।
55. थाना क्षेत्र व पड़ौसी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों के डेरों एवं कॉलोनियों में सुरागरसी।
56. घटनातिथि के समय संदिग्ध की उपस्थिति कहां थी। तस्दीक कराना।
57. नकबजनी में सबसे पहले यह देखा जावे की सामान क्या गया है इसकी सूची परिवादी से लेवें।
58. अगर बिल है तो उनको अवश्य ही लेंगे।
59. सामान का हुलिया, विशिष्ट विवरण लिखें, जिससे बरामदगी में पहचान आसानी से हो सके।
60. ऐसा सामान जिसकी पहचान नहीं की जा सकती है उसके विशेष चिन्ह, लिखा लोगों का विवरण देवें।
61. इलेक्ट्रीकल्स का सामान हो तो कम्पनी का नाम/सीरियल नम्बर, लोगों, प्रिन्ट विवरण लिखें।
62. परिवादी द्वारा चोरी गये सामान की कीमत एंव मात्रा पर प्रारम्भ से ही सन्देह नहीं करना चाहिये यद्यपि अनुसंधान के क्रम में सम्पुष्टि में साक्ष्य लिये जाने चाहिये।
63. अपराधी के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें घटना का विवरण तथा एकत्रित साक्ष्य का विस्तृत विवरण होना आवश्यक है।
64. नकबजनी के आरोप पत्र में अभियुक्त की पूर्व सजायाबी का विवरण तथा उसके समर्थन में जो दस्तावेज बताये गये है उनका विवरण भी अंकित किया जावें।
65. अगर अभियुक्त पूर्वदोष सिद्धि है तो धारा 75, आई.पी.सी. को जोडा जावे।
66. एफ.एस.एल. एवं अंगुल प्रिन्ट, फिंगर प्रिन्ट, चान्स प्रिन्ट का रिकार्ड मिलान के बाद पेश करे।
67. जो बयान/घटनास्थल इत्यादि का समर्थन करते है तो चार्जशीट में पेश किये जावे।
68. चोरी गया सामान क्या बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था के रहन में था अवश्य सुनिश्चित करना चाहिये कि परिवादी कहीं बढा चढा कर तो नहीं लिखा रहा है
69. क्या चोरी गयी सम्पति का बीमा कराया हुआ था।
70. परिवादी का उद्धेश्य चोरी गई सम्पति खुर्द–बुर्द करके उसका क्लेम उठाना तो नहीं है।

16. सड़क दुर्घटनाओं का अनुसंधान

(Investigation of road accidents)

1. घटनास्थल पर घटना के समय मौजूद प्रत्यक्षदर्शी गवाहों से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त करना
2. घटनास्थल से जाने वाले सभी मार्गों पर नाकाबन्दी करवाना
3. वाहन के बारे में प्राप्त जानकारी को प्रचारित करना
4. दुर्घटना में घायल व्यक्तियों से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त करना
5. नाकाबन्दी में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के पकड़े जाने पर उसे डिटेन कर लाने के लिए टीम भेजना
6. दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक का नशे शराब का मेडिकल करवाना
7. दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का मैकेनिकल मुआयना (Machenical Inspection) करवाना
8. दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक से घटना के बारे में विस्तृत पूछताछ करना
9. पीड़ित के वाहन का मैकेनिकल मुआयना (Machenical Inspection) करवाना
10. दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का पता नहीं चलने पर पीड़ित के वाहन के मुआयने के समय वाहन पर आई खरोंचों का सुक्ष्म निरीक्षण कर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के पेंट आदि का सुराग लगाना
11. घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों से प्राप्त जानकारी व पीड़ित के वाहन के मुआयना से प्राप्त सुरागों के आधार पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के मॉडल, रंग आदि के आधार पर परिवहन कार्यालय से उस मॉडल की गाड़ियों की जानकारी प्राप्त करना
12. घटनास्थल के आस–पास के मार्गों पर स्थित टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का पता लगाना
13. घटनास्थल के आस–पास के मार्गों पर स्थित होटल–ढ़ाबों पर पूछताछ करना
14. संदिग्ध वाहनों के मालिक–चालकों के घटना दिनांक व समय पर उपस्थिति (Location) के बारे में मोबाइल की लोकेशन प्राप्त करना
15. दुर्घटना कारित करने वाले संदिग्ध वाहन के जीपीएस की लोकेशन प्राप्त कर विश्लेषण करना।
16. संदिग्ध वाहन के वक्त घटना आई रगड़–खरोंचों, बॉडी पर दुबारा पेंट करवाने आदि का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाना
17. दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के व्यवसायिक वाहन (Commercial Vehical) होने पर उसके उस मार्ग पर जाने के सम्बन्ध मेंबिल–बिल्टी, टोल की पर्चियां आदि रिकॉर्ड प्राप्त करना व उनका सत्यापन करना।

17. सफेदपोश अपराधों का अनुसंधान
(Investigation of white collar crime)

सफेदपोश अपराध क्या हैं ?– उच्च सामाजिक स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले अपराध को सफेदपोश अपराध कहते हैं। पूर्व धारणा के अनुसार सफेदपोश अपराध उसे माना जाता था, जो किसी इज्जतदार तथा उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति द्वारा केवल अपने व्यवसाय के दौरान किया जाता था। परन्तु वर्तमान समय में बुद्धिमान, प्रभावशाली तथा धनी व्यक्तियों द्वारा छल और कपट को अपना हथियार बनाकर सम्पत्ति हथियाने के लिए किये गये ऐसे सभी वर्गीकृत अपराध सफेदपोश अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनमें हिंसा का सहारा न लिया गया हो। सफेदपोश अपराध की नवीन धारणा ने इस मान्यता को बल दिया है कि अपराध का मुख्य कारण गरीबी है तथा अपराधी समाज के निम्न स्तर से आते हैं।

विशिष्टताएं तथा मूल तत्व

अ. विशिष्टताएं –

(1) सम्मानित तथा ऊंची सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों द्वारा बार–बार किया जाना ।

(2) अपराधी के असली व्यवसाय के दौरान बार–बार घटित होना। पाश्चात्य देश यह मानते हैं कि कोई भी अपराध जो व्यक्ति के व्यावसायिक कार्यप्रणाली से सम्बद्ध नहीं है, सफेदपोश अपराध की सीमा क्षेत्र में नहीं आते। भारतीय दृष्टिकोण यह है कि कोई भी अपराध जो कृत तथा अकृत कारणों द्वारा लोगों को धनी बनाता है तथा उनकी उच्च सामजिक प्रतिष्ठा बनाये रखता है, यह सफेदपोश अपराध की श्रेणी में आता है।

(3) ऐसे अपराध अहिंसात्मक स्वरूप के होते हैं।

(4) मक्कारी, छल–कपट अथवा शान्ति भंग के सहारे किया गया अपराध।

ब. मूल तत्व –

(1) अपराध के पीछे छिपी हुई आकांक्षा अथवा उद्देश्य

(2) पीड़ित व्यक्ति की अनभिज्ञता अथवा असावधानी ।

(3) लेन–देन को प्रामाणिक तथा ऐसे रूप में करना, जिससे व्यक्ति यह न समझ सके कि उसे शिकार बनाया गया या बनाया जा रहा है।

(4) इस तथ्य को आधार मानकर कि पीड़ित व्यक्तियों में से प्रतिकार करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत ही कम होगा, अन्य असन्तुष्ट व्यक्तियों को भरमाए

(स) जो कुछ हुआ है उसके सच्चे स्वरूप को छिपाने के लिए लेन–देन के तदोत्पादक कागज पत्र तैयार करना।

सफेदपोश अपराध के विभिन्न प्रकार –

(1) धोखेबाजी।

(2) सरकारी नौकरों तथा सत्ताधिकारियों द्वारा गैरकानूनी भेंट स्वीकार करना ।

(3) व्यवसाय में रिश्वत का प्रचलन ।

(4) कम्पनियों तथा कार्पोरेशनों के वित्तीय वक्तव्यों में झूठा विवरण देकर आर्थिक गोलमाल, जालसाजी तथा गबन आदि को छिपाने की कोशिश करना।

(5) ट्रस्ट के कोषों का गबन करना ।

(6) झूठे विज्ञापन देना तथा बिक्री के माल में हेराफेरी करना।

(7) सोने–चांदी के बाजार तथा स्टॉक एक्सचेंज के जरिये स्वार्थ सिद्ध करना ।

(8) जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा में धोखेबाजी ।

(9) रेल्वे रसीदों में धोखेबाजी।

(10) बैंक के कार्य तथा व्यापार में धोखेबाजी।

(11) कुछ कानूनों जैसी चुंगी कानून, आयात कर, आयकर तथा बिक्री कर का उल्लंघन करके रिकार्डों में हेरफेर करना ।

(12) वस्तुओं का गलत वर्गीकरण करना ।
(13) तौल और नाप में गड़बड़ी करना ।
(14) विवाह से संबंधित धोखाधड़ी के मामले ।
(15) गैर–कानूनी आयात–निर्यात करना

1. सोना, घड़ियों तथा कपड़ों का भारत में आयात करना।
2. चांदी, प्राचीन वस्तुएं मूर्तियां तथा अन्य सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं को भारत से बाहर निर्यात करना, पुरातत्व तथा कलाकोष अधिनियम, 1972 दिनांक 5–4–76 से लागू हो गया है। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के ऊपर इस अधिनियम को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारत में प्रत्येक जिले केलिए पंजीकरण अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं। सफेदपोश अपराधों के मामले में भा.दं.सं. समुद्री आयात कर, विदेश मुद्रा विनियमन कानून तथा पुग सांस्कृतिक सम्पत्ति कानून की संबंधित धाराएं लागू होंगी।

निरोधक उपाय –

(1) भारत के सभी राज्यों में इन अपराधों की जांच पड़ताल के लिए विशेष दस्ते तैयार किये जाने चाहिए। कर्नाटक पुलिस द्वारा आरम्भ किये गये अनुसंधानदस्ते की ही भांति अन्य राज्यों में भी ऐसे दस्ते बनाये जाने चाहिए।
(2) सभी राज्यों की पुलिस के बीच आपसी सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिए।
(3) सफेदपोश अपराधों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
(4) जब कभी पुलिस अधिकारियों को बैंक के संचालकों तथा व्यावसायिकसंगठनों को संबोधित करने का अवसर मिले तो वे उन्हें हिसाब–किताब की बारीकीसे जांच पड़ताल करवाते रहने तथा सफेदपोश अपराधों के लिए अनुकूल वातावरणपैदा करने में सहायक विभिन्न प्रशासकीय भूलो और भ्रष्ट तरीकों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता समझा सकते हैं।
(5) जांच पड़ताल के मुख्य तत्व – ऐसे मामलों की जांच पड़ताल में व्यावसायिक तौर तरीकों, व्यावसायिक कानूनों, बही खातो तथा हिसाब–किताब रखने की प्रणालियों की समुचित जानकारी के अभाव में पुलिस अधिकारियों के सामने अनेक कठिनाइयां आती हैं। अतरू ऐसे अपराधों की जांच पड़ताल करने तथा प्रभावशाली ढंग से उन्हें रोकने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस अधिकारयों को इन सभी विषयों में प्रशिक्षित किया जाए।

सफेदपोश अपराधों की जांच पड़ताल करने वाले पुलिस अधिकारियों को इनके विरुद्ध नीचे लिखे अनुसार दुतरफा आक्रमण करना होगा।
अ. अभियुक्त का अपराध साबित करने के लिए सबूत एकत्र करना।
ब. अभियुक्त तथा उसके साथियों की सम्पत्ति पर ऐसी रोक लगाना सरकार अथवा उन व्यक्तियों की अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति हो सके, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है।
(अ) में दिए कार्य के लिए–

1. अपराध करने में प्रयुक्त तरीकों का सूक्ष्म अध्ययन करें।
2. सभी संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण करें।
3. हिसाब–किताब की पूरी जांच पड़ताल की व्यवस्था करें।
4. संदिग्ध व्यक्तियों तथा अभियुक्तों का पता लगायें और उनसे पूछताछ
5. उनके बयानों की जांच पड़ताल करें।
6. जांच पड़ताल के वैज्ञानिक साधनों का पूरा उपयोग करें ।

(ब) के सम्बन्ध में किया जाने वाला कार्य –
1. अभियुक्तों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सम्पत्ति का विवरण प्राप्त करने और उनके स्थान आदि के बारे में जानकारी के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक हो सकती है। भूमि की सीमा आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए भी कई अफसरों की नियुक्ति आवश्यक हो सकती है।

2. विभिन्न बैंकों के संदिग्ध व्यक्तियों के खातों से भुगतान तथा उनके परिचालन पर रोक लगाने के लिए तत्काल न्यायिक आदेश प्राप्त करना चाहिए।
3. अभियुक्त तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सम्पत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहिए।
4. दीवानी अदालतों की कार्रवाई के दौरान प्रत्येक निश्चित तिथि पर अदालतों में उपस्थित रहना तथा आवश्यक कार्रवाई करना ।

18. दस्तावेज व सिक्कों से सम्बन्धित अपराधों का अनुसंधान
(Investigation of offences relating to documents & coins)

कूट रचित दस्तावेज

1. FIR के साथ कूट रचित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना।
2. दस्तावेजपूर्ण रूप से कूटरचित है या दस्तावेज का कोई भाग कूटरचित है यह निश्चित करना।
3. केस डायरी में कूटरचित भाग का उल्लेख करना।
4. कूटरचना से किन–किन लोगों ने सदोष लाभ प्राप्त किया है तथा किन–किन लोगों को सदोष हानि हुई है यह निश्चित करना।
5. सम्बन्धित गवाहों के बयान लेना।
6. दस्तावेज तैयार करने के लिए कौन अधिकृत है, उसके बयान लेना।
7. दस्तावेज किस कार्यालय/संस्था/कम्पनी/बैंक/निगम आदि द्वारा जारी किया गया। जारी किया जाना प्रस्तावित था वहाँ से रिकार्ड प्राप्त करना।
8. कूलदस्तावेज यदिपरिवादीपक्ष के पासहो तो जब्त करना।
9. प्रथम दृष्टया यदि अपराध बनता है तो अभियुक्त को गिरफ्तार करना।
10. अभियुक्त के कब्जे से कूटरचित दस्तावेज जब्त करना।
11. यदि अभियुक्त के पास कूटरचित दस्तावेज नहीं है तो दस्तावेजो के बारे में पूछताछ करना।
12. अभियुक्त द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला रिकार्ड करना।
13. इत्तला के आधार पर दस्तावेजो की बरामदगी करना।
14. मुल्जिम के नमूना हस्ताक्षर/हस्तलेख लेने हेतु मजिस्ट्रेट को तहरीर देना। (311क) (VFC)
15. मजिस्ट्रेट के आदेश पर राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में मुल्जिम के धीमी/मध्यम/तेज गति में नमूना हस्ताक्षर/हस्तलेख लेना।
16. मुल्जिम के विवाद रहित नमूना हस्ताक्षर/हस्तलेख प्राप्त करना।
17. मुल्जिम द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कहाँ किया गया है इस सम्बन्ध में अनुसन्धान करना।
18. यदि कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कोई सम्पति प्राप्त की गई है तो जब्त करना।
19. जहाँ कूटरचित दस्तावेजो का प्रयोग किया गया है वहाँ का रिकार्ड प्राप्त करना।
20. यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध न हो तो दस्तावेजों की प्रतियाँ जब्त करना (धारा 63 Evidance Act)
21. मुल्जिम का रिमाण्ड JC/PC प्राप्त करना।
22. दस्तावेजों को परीक्षण हेतु FSLमें भेजने का अग्रेषण पत्र तैयार करना।
23. विवादित/अविवादित/नमूना हस्ताक्षर/अभिलेखो को Hightlight करना।

24. दस्तावेज परीक्षण हेतु FSL भेजना।
25. यदि कूटरचित दस्तावेज किन्हीं इलेक्ट्रोनिक माध्यमो से तैयार किए गए है तो उनको जब्त करना।

19. साईबर अपराधों का अनुसंधान

(Investigation of offences relating IT acts)

(क) ए.टी.एम. धोखाधड़ी :–U/S 66 सी, 66 डी, आई.टी. एक्ट एवं 420 आई.पी.सी.

- संबन्धित बैंक से संदेहास्पद व्यक्ति की वीडियो क्लिपिंग प्राप्त कीजिए।
- पीड़ित के बैंक खाते का विवरण प्राप्त कीजिए।
- जिस ए.टी.एम. से राशि निकाली गयी है, उसकी स्थिति पता कीजिए।
- संदेहास्पद व्यक्ति की पाप्त वीडियो क्लिपिंग की तस्वीर को इसी तरह के अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की तस्वीर से मिलान कीजिए।

(ख) डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी :–U/S 66 सी, 66 डी, आई.टी. एक्ट एवं 420 आई.पी.सी.

(अ) मोबाइल फोन से संबंधित साक्ष्यों का संकलन

- सी.ए.एफ. सत्यापन।
- सी.डी.आर. विश्लेषण।
- जानकारी प्राप्त कीजिए कि आई.एम.ई.आई. सभी नेटवर्कों पर कार्य कर रहा है।
- एस.एम.एस. संदेशों की सॉफ्ट कॉपी को साक्ष्यों हेतु सुरक्षित रखा जाये।

(ब) मेल आई. डी. से संबंधित साक्ष्यों का संकलन

- अभियुक्त के मेल आई.डी. का प्रोफाइल लीजिए तथा विशेष दिन एवं समय के लॉग की जानकारी (लॉग डिटेल्स) भी लीजिए।
- आई.पी.एड्रेस से पहचान कीजिए।
- आई.एस.पी. से आई.पी. पता लीजिए।
- अभियुक्त की आई.पी. एड्रेस से पहचान कीजिए।
- साक्ष्य हेतु सभी आने वाले (इनकमिंग) एवं भेजे जाने वाले (आउट गोइंग) संदेशों को सुरक्षित (सेव) कीजिए।

(स) बैंक खाते से साक्ष्यों का संकलन

- पीड़ित के खाते का विवरण लीजिए।
- लाभान्वित होने वाले/हितभागी के खाते का विवरण लीजिए।
- अभियुक्त के खाता खुलवाने के प्रपत्र एवं केवाइसी (मूल) दस्तावेजों को लीजिए।
- यदि एटीएम से राशि निकाली गयी हो तो वीडियो रिकार्डिंग लीजिए।
- यदि ऑनलाइन शॉपिंग की गयी हो तो पी.ओ.एस. स्थान की जानकारी प्राप्त कीजिए।

- यदि वस्तुओं की खरीद की गई हो तो पहुँचाए गये स्थान एवं स्थति को पहुँचाने वाले शॉपिंग सेंटर के कर्मचारी की मदद से नियत कीजिए।

(ग) अश्लील चित्रण (पॉर्नोग्राफिक)/निजता का उल्लघंन/सोशल नेटवर्किंग साइट जैसेः फेसबुक, आरॅकुट, ट्विटर, व्हाट्सएप पर आपराधिक संदेश भेजना U/S 66 ई, 69ए और 67बी आई.टी.एक्ट।

- सोशल नेटवकिंग कम्पनी से :–
- उपयोगकर्ता के उचित समय अवधि के लागॅइन विवरण।
- मित्र एवं समूहों जिनसे उपयोगकर्ता सम्बन्धित रहा।
- समुचित संदेशों एवं सामग्री की सॉफ्ट कॉपी को सुरक्षित रखना।
- अश्लील/आपतिजनक सामग्री की हार्डकॉपी भी नत्थी कीजिए।
- अभियुक्त द्वारा फर्जी प्रोफाइल का विवरण देना जैसेः नाम, जन्म तिथि,आई.पी. एड्रेस, ई–मेल पता आदि।
- आई.एस.पी. से जुटायेंः–सोशल नेटवकिंग कम्पनी द्वारा दिया गया आई.पी.एड्रेस।
- ई–मेल सेवा प्रदाता से जुटायेंः– ई–मेल आई.डी. उपयोगकर्ता का प्रोफाइल, ई–मेल आई.डी. के विषय संबंधी जानकारी।

(घ) कम्प्यूटर सिस्टम की हैकिंग/कम्प्यूटर सिस्टम का अवैध उपयोग :–U/S 65,66, आई.टी. एक्ट

- **शिकायतकर्ता के सूचनाओं का संकलनः–** पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में स्व–प्रेरणा से केस दर्ज किया गया है, अतः अन्वेषण अधिकारी द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेजों जैसेः–मीडिया/इन्टरनेट पर प्रसारित वीडियो क्लिपिंग की प्रति, भविष्य की तुलना के लिए मूल सी.सी.टी.वी. क्लिपिंग आदि की जानकारी जुटायी जायें।
- **सेवा प्रदाता से तृतीय पक्षकार की सूचनाः–**
- **टेलीविजन कम्पनी से :–** प्रसारित किये गये दोषपूर्ण कार्यक्रम की वीडियों फाइल प्राप्ति हेतु पत्र।
- वीडियो शेयरिंग वेबसाइट से :–उस व्यक्ति का आई.पी. एड्रेस/ई–मेल तथा उसका सर्विस प्रोवाइडर जिसने अवैध कार्यक्रम का अपलोड किया हो।

(ड) साइबर आतंकवाद

- संकिलत सूचना :– अन्वेषण ऑफ लाइन ब्राउसिंग की विशेष एप्लीकेशन को प्रयोग करते हुए वेबसाइट के सभी वेब पन्नों को सुरक्षित रखेगा तथा इसे सी.डी. रोम में सुरक्षित रखेगा। अन्वेषण अधिकारी इन वेब पन्नों का प्रिंट आउट भी लेगा।
- वेबसाइट को रोकने की प्रक्रियाः– सरकारी निर्देशानुसार पुलिस राज्य के गृह विभाग के मार्फत भारत सरकार को वेबसाइट को रोकने के लिए आवेदन करेगी।

(च) डिजिटल साक्ष्यों/हार्डवेयर की जब्ती

- जब्ती ज्ञापनः– उपकरणों की उचित रूप से पहचान तथा अन्वेषणकर्ता व गवाहों को निर्देशित करने के लिए जांच तथा जब्ती की प्रक्रिया में उतरदाता की ओर से किसी एक तकनीकी व्यक्ति को दो स्वतंत्र गवाहों के साथ शामिल किया जाये।
- घटनास्थल पर जांच पूर्व मूल्याकंन के लिए बनाये गये नोट्स का संदर्भ लीजिए जिससे उपकरणों की तकनीकी सूचना, नेटवर्क तथा अन्य संचार उपकरणों का सत्यापन किया जा सकें।
- सम्पूर्ण जांच में टाइम जोन/सिस्टम टाइम की महत्वपूर्ण भूमिका है। चालू पाये गये (स्विच ऑन) उपकरणों से संबधिंत सूचना को सह रूप में लेकर पंचनामे में अंकित किया जाये।
- किसी भी उपकरण को चालू (स्विच ऑन) न किया जाये।
- प्रत्येक उपकरण के लिए एक क्रम संख्या सुनिश्चित कीजिये तथा उस क्रम संख्या को न केवल पंचनामे बल्कि जांच की कड़ियों तथा डिजिटल साक्ष्य संग्रहित प्रपत्र में भी अंकित कीजिए।
- जांच पूर्व सुनिचित कीजिए कि प्रत्येक उपकरण का उसके मूल स्थान पर अन्य संबधिंत संदर्भो सहित जैसे कक्ष का नाम अथवा कक्ष की संख्या आदि सहित फोटो जिया जायें।
- हार्ड डिस्क ड्राइव तथा अन्य किसी आन्तरिक भाग का सिस्टम के साथ एवं सिस्टम से हटाने पर फोटोग्राफ से लिया जाये।
- यदि संभव हो तो क्रम संख्या का अंकन पी.एफ. संख्या/अपराध संख्या तथा कानून की धारा के साथ किया जाये।
- पंचनामा में जब्त किये गये सिस्टम एवं तथ्यों के संबधं में सूचनाओं को अधिकृत कीजिये।
- तलाशी एवं जब्त किये गये डिजिटल साक्ष्यों के संबधं में गवाहों को संक्षेप में बताये।
- यह सुनिश्चित कीजिये कि गवाहों में विविध डिजिटल उपकरणों के संबधं में जानकारी तथा पहचान की क्षमता हो।
- अधिकारिता में लिये गये डिजिटल साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन प्रपत्रों का दस्तावेजीकरण अपनी नियमित पंचनामे से पृथक श्रेष्ठ प्रणालियों के रूप में कीजिए।
- सुनिश्चित कीजिये कि प्रपत्र में सम्पूर्ण जानकारी पूर्ण एवं उचित रूप से भरी गयी हो।

(छ) डिजिटल साक्ष्यों का सकंलन

1. जब सिस्टम बन्द (स्विच्ड ऑफ) हो :–

- घटनास्थल को भौतिक एंव तकनीकी दृष्टि से नियंत्रित एवं सुरक्षित कीजिये भौतिक अर्थात सभी व्यक्तियों को घटनास्थल से दूर रखिये। तकनीकी दृष्टि से मोडम एवं नेटवर्क कनेक्शन को पृथक कीजिये।
- इस बात को सुनिश्चित कीजिये कि कम्प्यूटर पूर्ण रूप से बंद हो। कुछ स्क्रीन सेवर से यह प्रतीत होता है कि कम्प्यूटर बंद है लेकिन हार्डड्राइव एवं मॉनीटर एक्वीविटी लाइट से यह आभास होता है कि मशीन चालू है।
- किसी भी स्थिति में कम्प्यूटर को चालू मत कीजिये।
- सभी उपकरणों पर नामपत्र अंकित करें तथा उनका फोटो लीजिये। यदि कैमरा उपलब्ध ना हो तो सिस्टम का स्कैच बनाइये।
- सभी तारों (केबिल) को नाम पत्र दीजिये, जिससे आवश्यकता पड़ने पर कम्प्यूटर को पुनः संगठित किया जा सके।
- सावधानीपूर्वक एवं सी.पी.यू. अथवा लैपटाप का आवरण खोले तथा हार्ड डिस्क की पहचान करते हुए उसे मदर बोर्ड से पृथक कीजिये साथ ही डैटा ट्रांसफर केबल को पृथक कीजिये। संग्रहण उपकरण (हार्ड डिस्क) निकाले तथा महत्वपूर्ण तथ्यों की पहचान कीजिये जैसेः मॉडल, क्रम संख्या अथवा कोई अन्य यूनिक पहचान।
- पीड़ित का हस्ताक्षर लीजिये तथा हार्ड डिस्क पर स्थायी मार्कर से अंकित कीजिये।
- घटनास्थल का मुआयना कर गैर इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों जैसे डायरी, नोट बुक अथवा अन्य किसी पासवर्ड अंकित कागजों को एकत्रित कीजिये। कम्प्यूटर के उपयोगकर्ता हो तो प्रयुक्त किये जा रहे पासवर्ड की जानकारी लें। इस हेतु संदेहास्पद ऑपरेटिंग सिस्टम से भी जानकारी लें।
- संदेहास्पद सिस्टम से हार्ड डिस्क हटाने के बाद कम्प्यूटर सिस्टम को स्वीच ऑन कीजिए तथा बी.आई.ओ.एस. (बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम) पर जाइये।
- विस्तृत नोट्स इन शीर्षकों के तहत बनाइये जिनमें शामिल हो ''कब, कहॉ, क्या, क्यो एवं कौन'' शीर्षकों के तहत तथा कम्प्यूटर उपकरण सम्बन्धी दी गई सम्पूर्ण गतिविधी लिखिए।
- किसी प्रिन्टर के द्वारा प्रिन्ट लीजिए।
- संदेहास्पद हार्ड डिस्क को हमेशा इन्वेस्टीगेटर कम्प्यूटर से राइट ब्लाक डिवाइस द्वारा जोड़िये। बिना ब्लॉक डिवाइस से कभी मत जोड़िये।

2. जब कम्प्यूटर स्विच ऑन हो :–

- उपकरण से सम्बन्धित क्षेत्र की सुरक्षा कीजिए।
- लोगों को कम्प्यूटर एवं पॉवर सप्लाई से दूर रखिए।
- जुड़े हुए मोडम को अवरूद्ध (डिस्कनेक्ट) कीजिए।

- यदि कम्प्यूटर नेटवर्क से जुड़ा प्रतीत हो तो तकनीकी दक्ष विशेषज्ञ, इन हाउस फारेन्सिक विशेषज्ञ अथवा बाहरी विशेषज्ञ से सलाह लीजिये।
- कम्प्यूटर के उपयोगकर्ता अथवा मालिक से सलाह मत कीजिए।
- काम में आ रहे सभी उपकरणों एवं तारों पर नामपत्र अंकित कीजिए तथा फोटो लीजिए। यदि कैमरा की सुविधा न हो तो सभी उपकरणों एवं काम में आ रही तारों पर नामपत्र अंकित कर स्कैच बनाइये।
- सभी उपकरणों पर पृथक–पृथक नाम अंकित कीजिए जैसे– मुख्य यूनिट, स्क्रीन, की–बोर्ड एवं अन्य उपकरण अलग–अलग क्रम संख्या में।
- सभी उपकरणों को हटाने से पहले ठंडा (कूल डाउन) होने दीजिए।
- कम्प्यूटर सिस्टम के आसपास नोटबुक, डायरी या ऐसे कागज पर लिखे किसी पासवर्ड की तलाश कीजिए।
- सम्बन्धित उपयोगकर्ता से किसी मौजूदा पासवर्ड के सम्बन्ध में पूछिए तथा बताये जाने पर स्पष्ट रूप से अंकित कीजिए।
- कम्प्यूटर उपकरण के सम्बन्ध में उठाये गये सभी कदमों को अंकित कीजिए।
- अस्थाई मेमोरी स्टोरेज रैम (RAM) में मौजूदा जानकारी प्राप्त करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञ की सेवाएं लीजिए।
- यदि कोई विशेषज्ञ मौजूद न हो तो बिना किसी प्रोग्राम को बन्द किये कम्प्यूटर से जुड़े विद्युत प्रवाह (पॉवर सप्लाई) को हटाइये। विद्युत प्रवाह को हमेशा विद्युत सॉकिट से हटाने के बजाय कम्प्यूटर की ओर से जुड़े प्लग से हटायें।

3. मोबाइल फोन से जुड़े साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया :–

- यदि मोबाइल उपकरण बंद (ऑफ) हो तो उसे चालू (ऑन) नहीं कीजिए।
- पीडीएस अथवा सैल फोन के सम्बन्ध में यदि उपकरण चालू हो तो उसे चालू ही रखिए।
- उपकरण तथा स्क्रीन डिस्पले का फोटो लीजिए (यदि संभव हो)
- उपकरण से जुड़ी सभी तारों को एकत्रित (पॉवर सप्लाई) कीजिए तथा उपकरण के साथ रखिए।
- उपकरण को चार्ज रखिए।
- यदि उपकरण चार्ज न किया जा सके तो विशेषज्ञ द्वारा इसका विश्लेषण डिस्चार्ज होने से पूर्व कर दिया जाये।
- अतिरिक्त स्टोरेज मीडिया को जब्त कीजिए (मेमोरी स्टीक्स, काम्पेक्ट,लैश आदि)
- उपकरण की जब्ती सम्बन्धी सभी कदमों का दस्तावेजीकरण कीजिए।

20. चाल – चलन का पूर्व रिकॉर्ड एवं धारा 75 भा.द.सं. के सन्दर्भ में महत्व (Previous record of conduct and its importance with reference to 75 IPC)

दोषसिद्ध किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो, और उसके पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी के अधीन उतनी ही अवधि और वैसे ही कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए उसे पुनः दोषसिद्ध ठहराया गया हो तो वह प्रत्येक पश्चात अपराध के लिए आजीवन कारावास या दसवर्ष तक सादा कारावास से दण्डनीय होगा। उसने चाहे पूर्व में कारित किए गए अपराध को हो पुकारियो या कोई अन्य अपराध, पर यदि पहला और पश्चातूवर्ती अपराध तीन वर्ष या अधिक के था या नहीं इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि अपराध तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय होना चाहिए।

दिलीप कुमार शर्मा बनाम राज्य में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस धारा में दोषसिद्ध ठहराए जाने के पश्चात् का अर्थ यह है कि पूर्व दण्डादेश प्रवर्तन में आ गया होना चाहिए, यदि किसी मामले में पूर्व दोषसिद्धि उच्चतर न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी हो, तो वह तक शब्दों के अन्तर्गत नहीं आती और फलतः ऐसे मामलों में यह धारा लागू नहीं होगी क्योंकि यह नहीं कहा जा कि अभियुक्त को पूर्व में भी दोषसिद्ध किया जा सकता है।

जब यह धारा भारत में किसी न्यायालय द्वारा का प्रयोग करती है तो यह स्पष्ट है कि दोषसिद्धि भारत के किसी न्यायालय द्वारा की गई होना आवश्यक है। अतः विदेशी न्यायालय द्वारा किसी अन्य देश में की गई दोषसिद्धि इस धारा के अन्तर्गत नहीं आती है।

धारा 75. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड – जो कोई व्यक्तिभारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन तीन वर्षया उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय अपराध केलिए,सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात् उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए कैसे हो कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी हो, तो वह हर ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

इस उपबन्ध का एक मुख्य उद्देश्य अपराध व्यसन पर अंकुश लगाना है। संहिता के अध्याय 12, जिसका सम्बन्ध सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में है और जो धारा 230 से धारा 263 क है, और अध्याय 17, जिसका सम्बन्ध सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, जो धारा 378 से धारा 462 तक है, के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दूसरो या अधिक बार दोषसिद्धि, जो तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दण्डनीय है, को और अधिक कठोर रूप से दण्डित किया जाएगा। यह उपबन्ध केवल सामर्थ्यकारी उपबन्ध है। न्यायालय यदि उचित समझता है तो ऐसे अपराध व्यसन को और अधिक कठोरता से दण्डित करेगा, और उनके निर्णय का आधार ऐसे मामलों में तथ्य और परिस्थितियाँ होंगी। न्यायालय अधिक कठोरता से दण्डित करने के लिए बाध्य नहीं है, समुचित आधार का ध्यान रखते हुए वह ऐसा कर भी सकता है और नहीं भी।

खण्ड (ख) –गंभीर अपराधों का पता लगाना व अनुसंधान
Module B - Investigation & Detection of heinous crimes

21. लूट एवं डकैती (आर. डी. ए. एक्ट के सन्दर्भ में बैंक लूट व राहजनी सहित)
(Robbery & Dacoity including bank & Road Robberies with reference to R.D.A. Act.)

डकैती के अनुसंधान में आवश्यक बिन्दु

1. गवाहों का बयाना लेना।
2. घटनास्थल का निरीक्षण करना।
3. अभियुक्त को गिरफ्तार करना।
4. अभियुक्त के घर की तलाशी लेना एंव जप्ति की सूची बनाना।
5. अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी करना।
6. पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना।
7. थाना के अभिलेखों को अवलोकन करना।
8. बादी का बयान लेकर कांड अंकित करना।
9. संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधी की जांच करना।
10. आरोप–पत्र समर्पित करना।
11. वरीय पदाधिकारियों को सूचना देना।
12. अनूसंधान प्रारम्भ करना।
13. सूचना के आधार पर सामानों की बरामदगी हेतु छापामारी करना।
14. अभियुक्त को हाजत में बंद करना एवं मालखाना में सामान रखना।
15. अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज करना।
16. गुप्तचर की तैनाती करना।
17. थाना से अनुसंधान में प्रस्थान करना।
18. सामान का टी.आई.पी. करवाना।
19. वादी का पुनः बयान लेना।
20. घटनास्थल पर प्रदर्शों को जप्त करना।
21. आसूचना संग्रहण करना।
22. थाना आकर सामानों को मालखाना में रखना।
23. थाना वापस आकर अभियुक्त एवं बरामद सामानों को मालखाना में रखना।
24. अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी करना।
25. अभियुक्त का टीआईपी करवाना।
26. वरीय पदाधिकारी के साथ पर्यवेक्षण करना।

27. आदर्श प्राप्त करना।
28. अभियुक्त का अग्रसारण एवं 164 दंप्रसं. में बयान दर्ज करना।

22. नकबजनी (Burglary)

1. सूचना मिलते ही मौके पर तुरन्त रवाना होना।
2. जैसी भी सूचना मिली लिखित/मौखिक/टी.पी. इत्यादि का अंकन रोजनामचा आम में करें
3. मौके पर पहुँचकर जानकारी जुटाना।
4. तरीका वारदात क्या है।
5. चोरी या नकबजनी में क्या–क्या सामान गया।
6. घटना की सूचना अपराध होने के तुरन्त बाद मिल गई हो तो नाकाबंदी पार्टियों एवं गश्त पार्टियों को अवगत कराना।
7. गम्भीर वारदात हो तो वरिष्ठ अधिकारियों को मौके से सूचना देना।
8. घटनास्थल को सुरक्षित करना।
9. मौके पर जैसी जरूरत हो एफ.एस.एल. विशेषज्ञ/डॉग स्कवाड इत्यादि बुलाना।
10. घटनास्थल पर फिंगर प्रिन्ट, फुट प्रिन्ट सुरक्षित करना।
11. लिखित एफ.आई.आर. में कुछ तथ्य रह गये हों तो कार्यवाही पुलिस में स्पष्ट करें।
12. नकबजनी का स्थान, सम्भावित समय, दिनांक एवं वार।
13. अपराधी ज्ञात है या अज्ञात का विवरण।
14. नकबजनी में प्रयुक्त औजारों का विवरण जैसे सरिया, हथौड़ा, जेक, गैसकटर नकुले हथियार, पेचकस, डुप्लीकेट चाबी या अन्य औजार।
15. जो बाते एफ.आई.आर. में नहीं लिखी गयी हों, उन बातों को स्पष्ट कर समावेश करना चाहिये।
16. अगर टेलिफोन/ई–मेल से एफ.आई.आर. है तो इतला को जाँच के बाद एफ.आई.आर. दर्ज कर पूर्ण तथ्यों का समावेश करें।
17. नकबजनी में गये सामान का हुलिया दर्शाये ताकि पहचान हो सके।
18. कार्यवाही शिनाख्तगी हेतु विवरण अगर नोट/पैसे गये है तो किस में रखे थे थैला इत्यादि का विवरण अवश्य देवें।
19. नकबजनी की वारदात की सूचना मिलती है तो सबसे पहले घटनास्थल पर तत्काल जाना चाहिए।
20. जिन वस्तुओं/स्थानों पर फिंगर प्रिन्ट मिल सकते हो, उनको संरक्षित करना एवं विशेषज्ञ की मदद से उठाना।
21. घटनास्थल की सूक्ष्म/नजदीकी फोटोग्राफी व स्केल प्रयुक्त करना।
22. किसी भी साक्ष्य को गौण नहीं समझना चाहिये।
23. घटनास्थल का क्लॉक वाईज एवं एन्टी क्लॉक वाईज निरीक्षण करना एवं साक्ष्य खोजना
24. फर्द नक्शा मौका में उन स्थानों को चिन्हित करना जहाँ फिंगर प्रिन्ट व फुट प्रिन्ट इम्प्रेशन मिले हों। आलाये नकब, टूटे हुये, कुन्डो को जब्त करना।
25. अपराधियों के द्वारा घटनास्थल पर किये गये विशेष परम्परागत/जातिगत कार्य, जैसे मिठाई खाना, मल मूत्र करना, खाना खाना, शराब पीना आदि का उल्लेख करना।

26. ताले चाबी तथा जिन–जिन जगहों के हाथ लगाया है, जिस जगह से सामान लिया है तथा खाली डिब्बों इत्यादि को फेंका है तो उस जगह का परिक्षण अवश्य ही करना चाहिये।
27. घटनास्थल पर मिले सामान की जाँच करनी चाहिये।
28. अन्य वस्तु हथियार, नकब इत्यादि की जाँच करनी चाहिये।
29. पद चिन्हों को खोजना व उनके अनुसार अपराधियों का पीछा करना।
30. नकबजनी के घटनास्थल से ही अनुसंधान की दिशा तय की जाती है।
31. घटनास्थल पर बीड़ी, सिगरेट, जर्दा की पन्नी तथा यात्रा सम्बन्धित टिकट, नकब तथा जुते इत्यादि से क्लू मिल सकता है।
32. जो वस्तु/साक्ष्य महत्वपूर्ण है उनको कब्जा पुलिस में लेना चाहिये।
33. घटनास्थल की फर्द में भी उल्लेख करना चाहिये।
34. घटनास्थल अगर यात्रा सम्बन्धित टिकट है तो अवश्य ही लेना चाहिये।
35. जो सामान अपराधी वारदात के बाद भूल गया तथा साथ नहीं ले गया जो उसका ही है, उसको महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में लेना चाहिये।
36. घटनास्थल से धुम्रपान सम्बन्धी सामग्री को भी अगर है तो अवश्य ही परीक्षण करवाना चाहिये।
37. विशेषकारी सहायता से चांस प्रिन्ट व फुट इम्प्रेशन व अन्य प्रकार के टायर मार्क उठवाना।
38. कार्यप्रणाली के आधार पर विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से अपराध स्थल पर छोडे गये औजारों के निशान, जुतों के निशान, पैरो के निशान, अंगुल चिन्हों के निशान की जाँच।
39. मिट्टी आदि की विशिष्टता का परीक्षण।
40. फुट प्रिन्ट, अंगुल चिन्ह, चॉन्स प्रिन्ट आदि को एस.सी.आर.बी./एन.सी.आर.बी. भेजकर राय के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी।
41. चुराई गई सम्पति का डिस्पोजल जिन स्थानों पर हो सकता है उनकी निगरानी कराना।
42. थाना क्षेत्र तथा आस–पास के कबाड़ियों तथा चोरी का माल खरीदने वालों पर गुप्त निगरानी कराना।
43. संदिग्ध व्यक्तियों से वैज्ञानिक तरीके से पुछताछ करना चाहिये जैसे–लम्बी पूछताछ करना, वैज्ञानिक/मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करना।
44. घटना की पूर्ण जानकारी रखनी चाहिये।
45. थाना क्षेत्र के संदिग्ध एवं चालान शुदा अपराधियों से पुछताछ।
46. थाना क्षेत्र व पड़ौसी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों के डेरों एवं कॉलोनियों में सुरागरसी।
47. घटनातिथि के समय संदिग्ध की उपस्थिति कहां थी, तस्दीक कराना।
48. मिट्टी आदि की विशिष्टता का परीक्षण।
49. फुट प्रिन्ट, अंगुल चिन्ह, चॉन्स प्रिन्ट आदि को एस.सी.आर.बी./एन.सी.आर.बी. भेजकर राय के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी।
50. चुराई गई सम्पति को डिस्पोजल जिन स्थानों पर हो सकता है उनकी निगरानी कराना।

51. थाना क्षेत्र तथा आस–पास के कबाड़ियों तथा चोरी का माल खरीदने वालों पर गुप्त निगरानी कराना।
52. संदिग्ध व्यक्तियों से वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करनी चाहिये जैसे–लम्बी पूछताछ करना, वैज्ञानिक/मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करना।
53. घटना की पूर्ण जानकारी रखनी चाहिये।
54. थाना क्षेत्र के संदिग्ध एवं चालान शुदा अपराधियों से पूछताछ ।
55. थाना क्षेत्र व पड़ौसी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों के डेरों एवं कॉलोनियों में सुरागरसी।
56. घटनातिथि के समय संदिग्ध की उपस्थिति कहां थी। तस्दीक कराना।
57. नकबजनी में सबसे पहले यह देखा जावे की सामान क्या गया है इसकी सूची परिवादी से लेवें।
58. अगर बिल है तो उनको अवश्य ही लेंगे।
59. सामान का हुलिया, विशिष्ट विवरण लिखें, जिससे बरामदगी में पहचान आसानी से हो सके।
60. ऐसा सामान जिसकी पहचान नहीं की जा सकती है उसके विशेष चिन्ह, लिखा लोगों का विवरण देवें।
61. इलेक्ट्रीकल्स का सामान हो तो कम्पनी का नाम/सीरियल नम्बर, लोगों, प्रिन्ट विवरण लिखें।
62. परिवादी द्वारा चोरी गये सामान की कीमत एंव मात्रा पर प्रारम्भ से ही सन्देह नहीं करना चाहिये यद्यपि अनुसंधान के क्रम में सम्पुष्टि में साक्ष्य लिये जाने चाहिये।
63. अपराधी के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें घटना का विवरण तथा एकत्रित साक्ष्य का विस्तृत विवरण होना आवश्यक है।
64. नकबजनी के आरोप पत्र में अभियुक्त की पूर्व सजायाबी का विवरण तथा उसके समर्थन में जो दस्तावेज बताये गये है उनका विवरण भी अंकित किया जावें।
65. अगर अभियुक्त पूर्वदोष सिद्धि है तो धारा 75, आई.पी.सी. को जोडा जावे।
66. एफ.एस.एल. एवं अंगुल प्रिन्ट, फिंगर प्रिन्ट, चान्स प्रिन्ट का रिकार्ड मिलान के बाद पेश करे।
67. जो बयान/घटनास्थल इत्यादि का समर्थन करते है तो चार्जशीट में पेश किये जावे।
68. चोरी गया सामान क्या बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था के रहन में था अवश्य सुनिश्चित करना चाहिये कि परिवादी कहीं बढा चढा कर तो नहीं लिखा रहा है
69. क्या चोरी गयी सम्पति का बीमा कराया हुआ था।
70. परिवादी का उद्धेश्य चोरी गई सम्पति खुर्द–बुर्द करके उसका क्लेम उठाना तो नहीं है।

23. बलात्कार (Rape)

1. बलात्कार की सूचना के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष या पुलिस स्टेशन पर सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब घटना स्थल पर पँहुचना ।
2. घटना के संबधं में पीड़िता या उसके परिवार जन द्वारा रिपोर्ट देने पर उसे तुरन्त दर्ज करना।
3. पीड़िता या परिवार जन द्वारा मौखिक सूचना देने पर घटना के संबधं में तसल्ली पूर्वक जानकारी कर उसे सरल भाषा में अभिलेखित करना।
4. घटना के संबंध में यदि पीड़िता द्वारा पूर्व में किसी परिजन या अन्य किसी व्यक्ति को जानकारी दी हो तो उससे भी जानकारी प्राप्त करना।
5. यदि परिवादी महिला है तथा छेड़छाड या बलात्कार संबंधी रिपोर्ट दर्ज करवा रही है तो रिपोर्ट महिला अधिकारी द्वारा ही लिखी जायेगी।
6. यदि घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने में देरी हो गयी हो तो कारण जानने का प्रयास करना चाहिए।
7. रिपोर्ट में घटना का विस्तृत विवरण यथा तिथि, समय, स्थान, अभियुक्त का पता, चोटों इत्यादि का विवरण हो।
8. पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्यवाही पुलिस अंकित करते समय पुछताछ कर घटना के संबंध में यदि कोई सारवान तथ्य रह गये हो तो उनका स्पष्ट खुलासा लिखना।
9. पीड़िता का शारीरिक या मानसिक विकलांग होने पर दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता ली जा सकती है।
10. पीड़िता/परिवादी को एफआईआर की प्रति निःशुल्क दी जावें।
11. बलात्कार के प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा किया जावेंगा।
12. सामूहिक बलात्कार एवं नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रकरणों का अनुसंधान संबंधित वृताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा किया जावेगा।
13. पीड़ित से पूछताछ करते समय निम्नलिखित बातों का समावेश करना चाहिए।
    - पीड़िता अभियुक्त को पूर्व से जानती है या नहीं ?
    - पीड़िता का घटनास्थल पर मौजूदगी का कारण ?
    - घटना के समय पीड़िता ने कौन से कपड़े पहन रखे थे ?
    - क्या घटना के बाद पीड़िता ने अपने कपड़े धो लिए हैं ?
    - घटना के दौरान पीड़िता के कोई चोट इत्यादि आई है या नहीं ?
    - क्या घटना के समय अभियुक्त द्वारा पीड़ित को नशीली वस्तु खिलाई गई थी ?
    - क्या बलात्कार किसी प्रकार का भय दिखाकर किया गया है ?
    - क्या अभियुक्त द्वारा कोई आपत्तिजनक विडियो फिल्म या फोटो खींची गई है ?
    - क्या अभियुक्त द्वारा घटनास्थ्ल पर किसी प्रकार के साक्ष्य छोड़े गये है ?
14. पीड़िता का अविलम्ब चिकित्सीय परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया जाये।

15. मेडिकल बोर्ड में महिला चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित की जावें।
16. मेडिकल मुआयना करवाते समय चिकित्सक से निम्नलिखित के संबंध में राय ली जानी चाहिए–
    - क्या पीड़िता के शरीर पर सघर्ष के दौरान के चिन्ह् मौजूद है।
    - क्या पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई चोट आई हुई है ?
    - क्या गुप्तांगों के अलावा शरीर पर अन्य कोई चोटें आई है ?
    - पीड़िता का "हाईमन" सुरक्षित है या नहीं ?
    - पीड़िता के गुप्तांगों पर जबरदस्ती करने के निशान है या नहीं ?
    - पींड़िता के जननांग में लिंग का प्रवेश हुआ है या नहीं ?
    - पीड़िता की योनी में वीर्य का स्खलन हुआ है या नहीं ?
    - पीड़िता की योनी, मुत्र मार्ग या गुदा में किसी वस्तु का प्रवेश हुआ है या नहीं
    - पीड़िता के साथ पहली बार मैथुन किया गया है या वह मैथुन की आदी है ?
    - यदि नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया गया है तो इस संबंध में भी राय प्राप्त की जानी चाहिए।
17. पीड़िता का उम्र संबंधी दस्तावेज प्राप्त करना।
18. पीड़िता का उम्र संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर उम्र संबंधी मेडिकल करवाना।
19. पीड़िता का बलात्कार, चोटे, आयु संबंधी मेडिकल रिपोर्ट/चोट प्रतिवेदन तत्काल प्राप्त कर शामिल पत्रावली करें।
20. यदि आवश्यक हो तो तुरन्त मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाना।
21. पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के साथ एक्सरें फिल्म व अन्य सर्पोटिंग दस्तावेज भी शामिल पत्रावली किया जावें।
22. पीड़िता के पहने हुये बाहरी वस्त्र जो प्रतिरोध में फटे हो को भी जब्त करें।
23. अधोवस्त्रों/अंगवस्त्रों पर सीमन आदि की उपस्थिति, बाल या अन्य भौतिक साक्ष्य को मध्यनजर रखते हुये जब्त करें।
24. पीड़िता के वस्त्रो पर खून व सीमन आदि के धब्बों को चिन्हित करें तथा जैविक प्रार्दशो को सही तरीके से सुरक्षित किया जावें।
25. जब्त शुदा अलामात को हर सूरत में 24 घंटे में एफ.एस.एल. में नियमानुसार भिजवाना। देरी करने से सैम्पल की सत्यता पर न्यायालय द्वारा संदेह किया जा सकता है।
26. द0प्र0स0 की धारा 161 (3) के अन्तर्गत पीड़िता के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिये जाये।
27. पीड़िता के धारा 161 सीआरपीसी के अन्तर्गत विस्तृत बयान उसके घर या उसकी इच्छानुसार अन्य सुविधा जनक स्थान पर लेखबद्ध किया जावें यदि संभव हो तो विडियोग्राफी भी करवायी जावें।
28. पीड़ित के बयान दर्ज करते समय परिवारजनो में से किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पीड़िता के साथ रखना जिससे पीड़िता का विश्वास बना रहें।

29. पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना में परिवारजन के अभियुक्त होने पर किसी अन्य महिलाकर्मी की उपस्थिति में बयान लेखबद्ध करना।
30. पीड़िता के धारा 164 द0प्र0स0 के बयान संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अतिशीघ्र करवाया जावें।
31. घटना के संबंध में जानकारी रखने वाले परिवारजन के बयान विस्तृत लेखबद्ध करना।
32. घटना स्थल को चिन्हित कर बारीकी से निरीक्षण करें व घटना स्थल पर बिस्तर, चारपाई आदि पर खून व सीमन के धब्बे हो तो कब्जे में ले।
33. घटना स्थल पर बाल, टूटी चूडियों के टुकड़े, फटे कपड़े या अन्य भौतिक साक्ष्य पाये जाये तो परीक्षण हेतु सील बन्द करें।
34. घटना स्थल पर पाये गये अभियुक्त के पद चिन्ह, अंगुल चिन्ह यदि वाहन हो तो टायर चिन्ह के मोल्ड उठाकर जप्त करें
35. घटना स्थल पर उपलब्ध साक्ष्यो की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करावें।
36. घटनास्थल के आसपास के लोगों से घटना के संबंध में पुछताछ कर बयान लेखबद्ध करें।
37. घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करें जिसमें उपरोक्त में से मिली साक्ष्यों, अन्य आलामात की स्थिति दर्शायी जावें।
38. घटना स्थल से जब्त किये गये साक्ष्यों की मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
39. अभियोग की जब्त/बरामद वस्तुए एफ.एस.एल. जाँच हेतु प्रयोगशाला में जमा करवाने की रसीद शामिल पत्रावली करें।
40. एफ.एस.एल. रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र मंगवाकर शामिल पत्रावली करें।
41. यदि घटना होटल/गेस्ट हाउस आदि जगह की है तो उनके रजिस्टर जिसमें प्रविष्टि की गई हो, को कब्जे में ले।
42. यदि होटल में सी.सी.टी.वी. हो तो उनकी रिकॉर्डिंग प्राप्त कर कब्जे में लें।
43. कमरे का निरीक्षण कर पेय पदार्थ, गिलास, बॉटल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, माचिस आदि मिले तो कब्जे में ले।
44. होटल कर्मियों के बयान लेखबद्ध करें।
45. होटल के कमरे में वीर्य के दागों को चिन्हित करें। फर्द में उल्लेख करें।
46. महिला परिवादी/गवाहान को कभी भी थाने पर नहीं बुलाया जावें।
47. महिला परिवादी/गवाहान को सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व किसी भी परिस्थिति में इन्हें थाने पर रखा जावें।
48. अपराध प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त/अभियुक्तो को गिरफ्तार करना।
49. आरोपी का तुरन्त मेडिकल परीक्षण करवाया जाये जिसमें संघर्ष के दौरान उसके शरीर पर खरोंच आदि आई हो तो उनका परीक्षण करवाया जाये।
50. अभियुक्त/अभियुक्तो के पुरूषत्व का मेडिकल परीक्षण करवाया जावें अभियुक्त के शरीर से डी.एन.ए. जाँच हेतु रक्त,बाल, नाखून इत्यादि के नमूने प्राप्त किये जावें।
51. अभियुक्त के बाल,खून वक्त घटना पहने हुए कपड़े जब्त करना।

52. चिकित्सक द्वारा लिए गये अभियुक्त के बाल खून एवं सीमन के नमूनो का एफ.एस.एल.से परीक्षण करवाना।
53. यदि मुल्जीम अज्ञात हो तो गिरफ्तार होने पर उसको बापर्दा कर पीड़िता से कार्यवाही सिनाख्त करवाया जाना।
54. अभियुक्त से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट तैयार करना।
55. बलात्कार से संबंधित अभियोगो का अनुसंधान 7 दिवस में पूर्ण करना।
56. 7 दिवस में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर जिला पुलिस अधीक्षक/डी.सी.पी. से पेन्डिग स्वीकृति प्राप्त करना।
57. 30 दिवस में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर रेंन्ज महानिरीक्षक पुलिस पेन्डिंग स्वीकृति प्राप्त करना।
58. 60 दिवस में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर महानिरीक्षक (सिविल राईटस) राजस्थान जयपुर से स्वीकृति प्राप्त करना।
59. पीड़िता को धारा 357 (ए) द0प्र0स0 के अन्तर्गत राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना।
60. पीड़िता व उसके परिवार को प्रतिकर दिलाने में संबंधित दस्तावेज समय पर जिला कलेक्टर कार्यालय में भिजवाया जाना।
61. पीड़ित महिला व उसके परिवारजनों के नाम मिडिया व लोगों में सार्वजनिक नहीं किया जावें एवं उनकी पहचान गुप्त रखी जावें।
62. अभियुक्त का पूर्व का अपराधिक रिकॉड प्रमाणित कर शामिल पत्रावली करें।
63. समस्त साक्ष्यों को संकलित कर अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना।

24. दंगे (साम्प्रदायिक एवं अन्य लोक शान्ति से सम्बन्धित अपराध)

Riots (communal & other public order crime)

1. साम्प्रदायिक दंगे या अन्य लड़ाई –झगड़े की सूचना के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष या पुलिस स्टेशन पर सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब लेकर घटनास्थल पर पँहुचना।
2. घटनास्थल पर पर्याप्त जाब्ता साथ लेकर जाना
3. फोटोग्राफर या विडियोग्राफर साथ ले जाना या कैमरा/विडियो कैमरा साथ लेकर जाना
4. घटना के संबधं में पीड़ित या उसके परिवारजन द्वारा रिपोर्ट देने पर उसे तुरन्त दर्ज करना।
5. घटना स्थल पर उपलब्ध साक्ष्यो की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करावें।
6. घटनास्थल के आसपास के लोगों से घटना के संबंध में पुछताछ कर बयान लेखबद्ध करें।
7. घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करें, जिसमें उपरोक्त में से मिली साक्ष्यों, अन्य आलामात की स्थिति दर्शायी जावें।
8. घटना में आगजनी या विस्फोटक का प्रयोग करने पर घटनास्थल पर MOB टीम/मोबाईलFSL यूनिट को बुलाकर साक्ष्य एकत्र करवाना
9. घटनास्थल से जब्त किये गये साक्ष्यों की मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
10. अभियोग की जब्त/बरामद वस्तुएं एफ.एस.एल. जाँच हेतु प्रयोगशाला में जमा करवाने की रसीद शामिल पत्रावली करें।
11. एफ.एस.एल. रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र मंगवाकर शामिल पत्रावली करें।
12. अपराध प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त/अभियुक्तो को गिरफ्तार करना।
13. आरोपी का तुरन्त मेडिकल परीक्षण करवाया जाये, जिसमें संघर्ष के दौरान उसके शरीर पर खरोंच आदि आई हो तो उनका परीक्षण करवाया जाये।
14. यदि मुल्जिम अज्ञात हो तो गिरफ्तार होने पर उसको बापर्दा कर पीड़ित से कार्यवाही शिनाख्त करवाया जाना।
15. अभियुक्त से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट तैयार करना।
16. अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त हथियार/वाहन/विस्फोटक पदार्थ इत्यादि को बरामद करना
17. अभियुक्त का पूर्व का अपराधिक रिकॉड प्रमाणित कर शामिल पत्रावली करें।
18. समस्त साक्ष्यों को संकलित कर अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना।

25. हत्या (Murder)

1. इत्तला प्राप्त होने पर तुरन्त मौके के लिए रवाना होना।
2. इत्तला की रोजनामा आम में प्रविष्टि करना।
3. घटना स्थल पर पहुँच कर घटना स्थल को सुरक्षित करना।
4. लाश की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करना।
5. परिजनों/पडौसियों/प्रत्यक्षदर्शियों से घटना की जानकारी लेना।
6. घटना के परिचित साक्षियों में से किसी से FIR प्राप्त करना।
7. FIR पर मौके पर कार्यवाही पुलिस अंकित कर मूल FIR नम्बर पर दर्ज करने हेतु विशेष वाहक भेजना।
8. घटना के साक्षियों के बयान दर्ज करना।
9. घटना स्थल का नक्शा मौका बनाना।
10. घटना के सम्बन्ध में अविलम्ब उच्चाधिकारियों को सूचना देना।
11. यदि हत्या के अभियुक्त नामजद है तो उनके निवास स्थान पर या उनके छिपे होने के स्थानों के लिए टीम रवाना करना।
12. यदि अभियुक्तो द्वारा कोई वाहन प्रयुक्त किया गया है तो वाहन की जानकारी (जैसे नम्बर, मैक, मॉडल आदि) प्राप्त कर आस–पास के क्षेत्र में नाकाबन्दी करवाना।
13. घटना स्थल पर MOB टीम/मोबाईल FSL यूनिट को तुरन्त मौके पर बुलाना।
14. घटना स्थल की तथा लाश की विभिन्न कोणो से फोटो ग्राफी करवाना, यदि साधन उपलब्ध हो तो विडियोंग्राफी करवाना।
15. यदि रात्रि का समय है तो प्रकाश की व्यवस्था करवाना।
16. घटना स्थल के आस–पास की मॉम्विंग करवाना।
17. घटना स्थल से भौतिक साक्ष्यों को जब्त करना।
18. लाश का पंचनामा तैयार करना।
19. मृतक के कपडे इत्यादि जब्त करना।
20. घटना स्थल सुरक्षित कर लाश को वास्ते पोस्ट मार्टम अस्पताल रवाना करना।
21. पोस्टमार्टम हेतु मेडीकल बोर्ड गठित करवाने हेतु CMHO को प्रार्थना पत्र भेजना।
22. मेडीकल बोर्ड गठित होने पर बोर्ड अध्यक्ष के PMR हेतु तहरीर देना।
23. लाश का पोस्टमार्टम करवाना।
24. बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनो को सुपुर्द करना।
25. घटना के अन्य प्रयक्षदर्शियों के बयान लेना।

26. सड़क दुर्घटना (Hit & Run cases)

किसी मार्ग पर दो या दो से अधिक वाहनों के बीच होने वाली टक्कर को दुर्घटना कहते हैं। इसके साथ एक पर एक छोटी–छोटी कई घटनाएं शामिल होती हैं। जिनमें मूल घटना और उसके बाद रुकने के स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दो परिवहन इकाइयों का प्रथम बार संपर्क में आना ही ''मूल घटना'' कहलाती है तथा ''रुकने का स्थान'' वह स्थान या समय होता है जहां दो परिवहन इकाइयां आपस में टकराने के बाद अंततः रुक जाती है।

1. **कारण–** दुर्घटना की जांच–पड़ताल करने के लिए टक्कर होने के कारणों तथा टक्कर के पहले, दरमियानी और बाद की घटनाओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। ये कारण तीन प्रकार के होते हैं– प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रारंभिक। परिवहन इकाई के अनुचित या गैर कानूनी आचरण से खतरा पैदा हो जाए तथा मूल घटना अर्थात् टक्कर हो जाने की संभावना हो जाए तो उसे ''प्रत्यक्ष'' कारण कहते हैं। ऊबड़–खाबड़ सड़क, खराब मौसम, गति सीमित करने में लापरवाही और गलत तरीके से बचने की कार्यवाही गति ''अप्रत्यक्ष'' कारण कहलाते हैं। रास्ते की ठीक–ठीक जानकारी न होना और परिवहन नियमों का ठीक–ठीक पालन न करना किसी दुर्घटना के प्रारंभिक कारण होते हैं।

2. दुर्घटनाओं में सम्मिलित तत्व – एक ही स्थान और समय पर दो या दो से अधिक परिवहन इकाइयों के पहुंचने पर टक्कर हो जाती है। यह टक्कर किसी भी एक की गलती या किसी एक में किसी तरह की खराबी होने अथवा आगे बताए गए अन्य तत्वों की वजह से होती है.

1. व्यक्ति (चालक और यात्री)
2. वाहन और
3. सड़क

इस प्रकार टक्कर परिचालन और संबंधित तत्वों की स्थिति के संयोग स्वरूप के कारण ही होती हैं। परिचालन में यात्रा की योजना अथवा तैयारी चालन की रीति तथा गलत कार्यवाही शामिल होती है। इन परिचालन तत्वों को पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए और उनका ठीक–ठीक परिपालन होना चाहिए। इसके बाद भी कार्य दक्षता अन्य आवश्यक तत्वों की स्थिति पर निर्भर होती है जिनमें सड़क मौसम वाहन चालक और पदयात्री मुख्य हैं। इन हालाती तत्वों की स्थिति में जरूरत के मुताबिक कदम उठाकर इनमें सुधार लाया जा सकता है। ड्राइविंग की कुशलता का संबंध ड्राइवर से होता है तथा मद्यपान से इस पर बुरा असर पड़ता है।

3. कानूनी कार्रवाई– दुर्घटना की जांच–पड़ताल में पुलिस के अधिकतर क्षेत्र का वास्ता ''प्रत्यक्ष'' कारणों तक होता है। इससे संबंधित सभी कानूनी पहलू भा.दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत आ जाते हैं। टक्कर की घटना से संबंधित मामले भा.दं.सं. की धारा 279, 336, 337, 338 और 304ए के अधीन विचारणीय होते हैं। भा.दं.सं. की 279 आदि सभी धाराओं में विस्तार करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक मार्ग पर वाहन को लापरवाही या जल्दबाजी से चलाने की घटना को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित बातें निश्चित कर ली जानी चाहिए

(1) अपराधी गाड़ी चला रहा था या पर उस सवार था।

(2) वह गाड़ी सार्वजनिक मार्ग पर चला रहा था या उसमें सवार था।

(3) वह अत्याधिक जल्दबाजी या लापरवाही बरत रहा था।

(4) इससे मानव–जीवन को खतरा पैदा हो गया था या किसी भी अन्य व्यक्ति को क्षति या चोट पहुंचाने की संभावना थी।

इस धारा के अंतर्गत विचाराधीन मामले में जल्दबाजी या लापरवाही को आपराधिक जल्दबाजी या आपराधिक लापरवाही साबित करने के लिए स्पष्ट सबूत होने चाहिए। इसी तरह गलत निर्णय या लापरवाही से बचने के लिए समुचित कारण या सबूत होने चाहिए।

जल्दबाजी – का सम्बन्ध प्रमुखतः एक उतावलेपन की क्रिया है जिसके कारण निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन होता है। इसके अंतर्गत उन क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है जो बिना किसी विवेक या सावधानी से विवेकपूर्ण मानी जाती हैं। तो जाती हैं फिर भी

लापरवाही – का संबंध ऐसे कार्य से है जिसे कोई व्यक्ति करता है किन्तु जिसे करने के लिए वह बाध्य नहीं होता। ऐसा करके वह अपने वास्तविक कर्तव्य की अवहेलना करता है। यह एक प्रकार से कर्त्तव्य का उल्लंघन है जिसके अंतर्गत उस बात की अवहेलना कर दी जाती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का क्रिया कलाप नियंत्रित होता है जिसकी वजह से भले ही कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हों। किन्तु कोई भी समझदार विवेकशील ऐसा कभी नहीं करेगा। इस तरह लापरवाही स्वीकारात्मक न होकर नकारात्मक शब्द है। मोटर वाहन अधिनियम विभिन्न धाराओं कार्यवाही जावे।

जांच–पड़ताल–दुर्घटना की वजह जन और धन दोनों प्रकार की हानि हो सकती है। इस नुकसान में प्रमुख हाथ वाहन का होना है अतः जांच पड़ताल की समस्त कार्रवाई मशीन मशीन के साथ संबंधित व्यक्ति के चारों ओर घूमती रहती है। टक्कर मारकर भाग जाने से संबंधित मामले विशेष महत्व बात वाहन और ड्राइवर दोनो की पहचान की होती है। इसके अलावा दुर्घटना के सभी मामलों में जांच पड़ताल लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है–

1. पुलिस स्टेशन में– सूचना प्राप्त होते ही प्रभारह अधिकारी को नीचे लिखी बातें मालूम कर लेनी चाहिए–

(क) दुर्घटना कब हुई।

(ख) घटना–घटित होने का सही स्थान।

(ग) कितनी क्षति हुई।

(घ) क्या इसका कोई मौके

उपर्युक्त सूचना के आधार पर पुलिस स्टेशन द्वारा नीचे लिखी कार्रवाही की जानी चाहिए–

(क) अपराध तुरंत दर्ज किया जाए।

(ख) यातायात रुक जाने नियंत्रण कक्ष को सूचित किया जाए।

(ग) घायलों लिए एम्बुलेंस प्रबंध किया जाए।

(घ) आग लगने पर फायर बिग्रेड को सूचित किया जाए।

(ङ) गंभीर दुर्घटना होने के मामले में, उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए।

(च) क्राइम–बाक्स दृश्य लिया जाए।

(छ) यदि घटना रात में हुई है तो कुछ टार्च साथ ले जाई जाएं।

(ज) कुछ सहायक एकत्र किए जाए।

(झ) घटना स्थल पर जैसे भी संभव हो जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए।

(2) रास्ते के संबंध में घटना स्थल पर पहुंचने पर निम्नलिखित बातें नोट की

(क) मौसम की दशा ।

(ख) सड़क पर रोशनी की हालत, गतिसीमा, बिना रोशनी के स्थल, मोड़, सड़क की चौड़ाई तथा यातायात के चिन्ह आदि

(ग) रास्ते में स्थित खतरे और रुकावटें ।

(घ) क्षतिग्रस्त हालत में असाधारण अवस्था में आ रहे परिवहन की

पंजीकरण संख्या नोट करना ।

(3) अपराध स्थल पर पहुंचने पर पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए –

(क) दुर्घटना शुरू होने की जगह से लेकर परिवहन के अंत तक पुलिस बन्दोबस्त लगाया जाए।

(ख) घायलों की तुरंत देख–भाल की जाए और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाये। पुलिस कार्यवाही बाद में हो सकती है।

(ग) कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को हटाया जाए।

(घ) आग की विभीषिका पर काबू पाया जाए।

(ङ) रुके हुए यातायात की निकासी के लिए यातयात को कुछ समय के लिए रोकें या दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दें।

(च) पेट्रोल के बहाव की निगरानी करें।

(छ) भौतिक सुरागों का पता लगाकर उनके परीक्षण और एकत्र करने तक पूरे स्थल पर पहरा लगा दिया जाए।

(ज) ड्राइवरों को दोषी ठहराने के लिए संभावित गवाहों तथा अन्य संभव साक्ष्यों की तलाश की जाए। खतरे पर काबू पा लेने के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए असली जांच शुरू की जाए। जांच के अंतर्गत आने वाली बातों पर ध्यान रखने के लिए नीचे एक तालिका दी जा रही है :–

जांच–पड़ताल

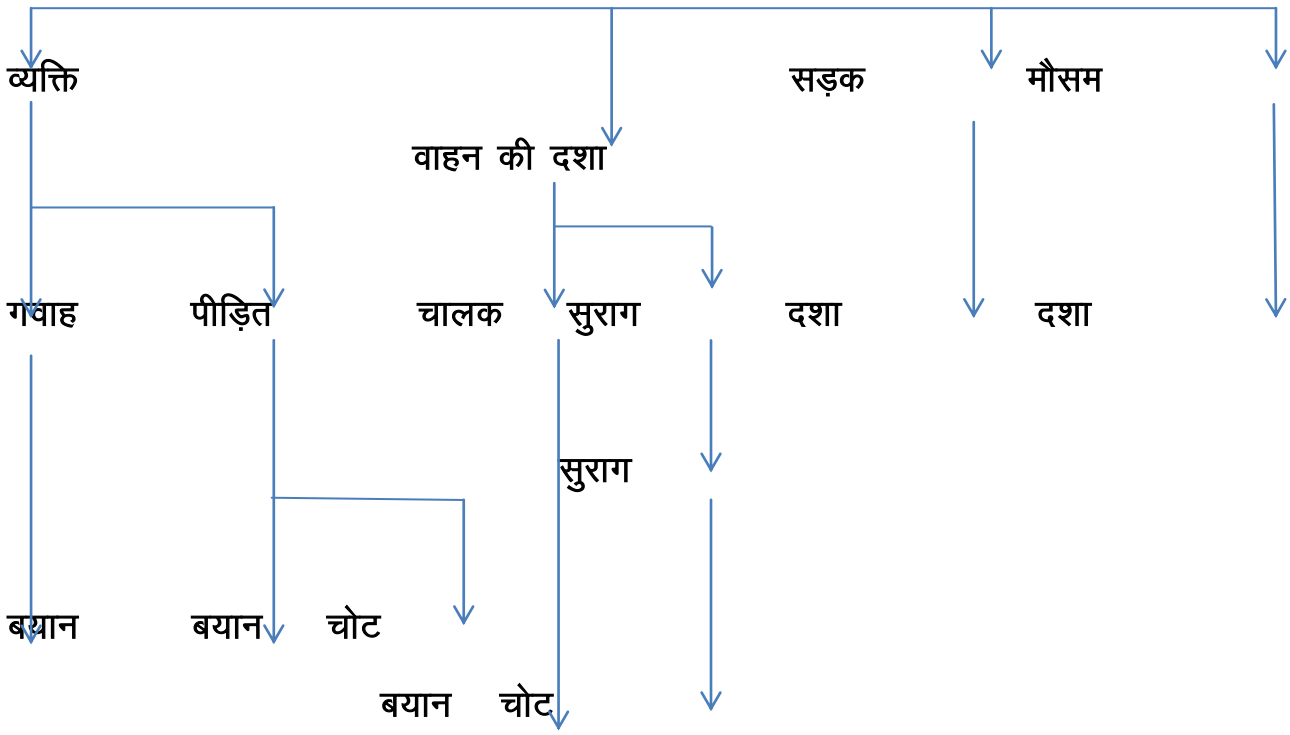

1. संपूर्ण घटना का जायजा लेने तथा तथ्यों की जांच और पुष्टि के लिए दर्शकों और गवाहों से सरसरी तौर पर पूछ–ताछ शुरू की जाए।

2. सरसरी तौर पर जायजा लेने के बाद विस्तृत जांच–पड़ताल के लिए गवाहों और चालक से पूछताछ की जावे। उन्हें बिना वजह नहीं रोका जाये और न ही उन्हें किसी प्रकार से परेशान किया जावे। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये उनके साथ उचित व्यवहार किया जावे।

3. रेखाचित्र और नाप आदि किसी स्थायी मुकाम चिन्ह से लिया जाए।

5. निम्नलिखित के फोटोग्राफ लिए जाएं–

(क) दुर्घटना से संबंधित सड़क के छोटे–मोटे भाग

(ख) यदि कोई अवरोध हो तो उसे दिखाते हुए रास्ते का चित्र

(ग) सड़क पर पाए गए सुराग और चिन्ह

(घ) दुर्घटना का मुख्य स्थल

(ङ) फिसलन के चिन्ह

(च) दुर्घटना के बाद वाहन की दिशा

(छ) रुकने के स्थान

(ज) वाहन उसका क्षतिग्रस्त हिस्सा, रंग, पंजीकरण संख्या और अन्य कोई अस्वाभाविक बात ।

(झ) आस–पास के क्षेत्र और सुरागों से संबंध जोड़ते हुए चोट के निशानों सहित मृत शरीर का चित्र ।

6. वाहन सड़क पर नीचे लिखी वस्तुएं या साक्ष्य छोड़ सकते हैं–

(क) टायर के निशान– वाहन में पाई गई तथा घटना स्थल पर पाई गई समान प्रकार की सामग्री के साथ मिलान करने के लिए इनकी जरूरत हो सकती है। टायर के निशानों के कोण भी नोट किए जाने चाहिए।

(ख) फिसलन के चिन्ह– जब गाड़ी को पूरा ब्रेक लगाया जाता है तो टायरों के सरकने से ये चिन्ह बनते हैं। ये निशान साक्ष्यों के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। शुरू होने के स्थान से समाप्त होने के स्थान तक इनकी स्थिति, लम्बाई, दिशा तथा फिसलन आदि सभी विवरण नोट किए जाएं। इन निशानों द्वारा इस बात का भी जायजा लिया. जा सकता है कि टक्कर से पूर्व वाहन कितनी गति से चल रहा था। इस भांति की गणना निम्नलिखित दो प्रकार से की जा सकती है –

(1) प्रथम सूत्र है.....वी–30..... ..एस. यहां वी. प्रति घंटा प्रति मील वाहन की गति को प्रदर्शित करता है जो सड़क की सतह पर बनी सरकन का गुणांक है। तथा एस. फुट में प्रदर्शित की गई फिसलन के निशानों की औसत लंबाई है। यह एक अस्थिर पहलू हैं क्योंकि यह सड़क की ढलान, सतह की स्थिति और मौसम आदि बातों पर निर्भर करता है। इन्हें

विशेषज्ञ की सहायता से निश्चित किया जाना चाहिए। यह सामान्यतः 8 मान लिया जाता है बशर्ते कि सड़क पक्की, सूखी तथा सतह हमवार हो।

(II) नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन की गति मालूम करने का दूसरा तरीका अर्थात् दूसरा सूत्र निम्नलिखित है

बी = ...

जांच की गई फिसलन की औसतन लम्बाई X गति परीक्षा

फिसलन के निशानों का ब्रेकिंग– फासला से संबंध होता है।

बेकिंग फासला वह दूरी है, जिसे रोकने के लिए ब्रेकों के इस्तेमाल के बाद रुकने के पहले वाहन तय करता है। फिसलन के समय में प्रतिगामी समय शामिल नहीं होता। यह वह समय होता है जिसके दौरान संकट का क्षण ध्यान में आते ही ड्राइवर उससे बचने के लिए तरह तरह की कोशिश शुरू कर देता है जैसे एक्सीलेटर से पैर हटाकर ब्रेक पर रखता है, ब्रेक पैडल पर दबाव डालता है आदि। इन शारीरिक क्रियाओं और ब्रेक की क्रिया शुरू होने तक का समय इसमें शामिल होता है। यद्यपि यह समय सेकंड से भी कम होता है, फिर भी इस बीच तय होने वाली दूरी नगण्य नहीं होती बल्कि वाहन की गति के अनुसार वह बढ़ती जाती है

(ग) **मलवा** – घटनास्थल पर वाहन द्वारा छोड़े गए कचरे की ढेरी ।

(घ) **वाहन के पुर्जे**– वाहन से टूट कर गिरे हुए पुर्जे।

(ङ) **पेंटिंग**– वाहनों की रगड़ से चिपके या टूट कर गिरे पेंटिंग के टुकड़े या नमुने।

(च) **तेल और पानी** – क्षतिग्रस्त वाहन से क्षति की मात्रा प्रमाणित करना।

(छ) **शीशे के टुकड़े**– सजावट बत्ती तथा आइने के लिए वाहन में लगाए – गए शीशों के टूटे हुए टुकड़े।

(ज) **माल** – घटनास्थल पर बिखरे हुए माल से वाहन को पहचानने में मदद मिलती है।

(झ) **वाहन में लगी हुई वस्तुओं की क्षति**– इससे घटना कैसे हुई, इस बात को प्रमाणित करने में मदद मिलती है। इससे वाहन की टक्कर की स्थिति का ठीक–ठाक पता चल जाता है। इससे निम्नलिखित बातों को मालूम करने में भी मदद मिलती है

(क) टक्कर का वास्तविक स्थान ।

(ख) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन या वाहनों की पहचान ।

(ग) सफर कर रहे वाहन की दिशा ।

(घ) टक्कर लगने के बाद वाहन की दिशा और कोण ।

सड़क पर पीड़ित व्यक्ति की निम्नलिखित चीजें छूट जाती हैं जिनसे सुराग मिल सकता है–

(क) चप्पल, थैला, ऐनक और छोटी–छोटी कट कर पड़ी हुई वस्तुएं । ये वस्तुएं छोटी से छोटी टक्कर होते ही शरीर से गिर जाती हैं ।

(ख) खून– इससे पीड़ित व्यक्ति के घायल होने का पता चलता है।

(ग) बाल और शरीर में रोएं – इनसे टक्कर तथा चोट की किस्म का पता चल जाता है।

(घ) रेशे – टक्कर के दौरान उलझकर कपड़े तो फटते ही हैं कभी–कभी उन पर टायर के निशान भी रह जाते हैं।

उपर्युक्त सभी वस्तुएं वाहन में पाई गई सामग्री के साथ मिलान करने के लिए बड़े काम की होती है।

कम समय तक बने रहने वाले साक्ष्यों को कब्जे में कर लेने के बाद, टक्कर तथा पाये गए सामानों आदि के बारे में गवाहों और ड्राइवर से विस्तृत रूप से पूछ–ताछ की जाए।

इसके बाद अन्वेषण अधिकारी को जिस जिस रास्ते से ये गाड़ियां आई थीं उस उस मार्ग से घटना स्थल पर पहुंचना चाहिए। उसे मार्ग की रुकावटों, परिवहन के नियंत्रण और स्पष्ट रूप से ध्यान में आने वाली बातों तथा सड़क की दशा आदि का ठीक ठीक अवलोकन करना चाहिए।

टक्कर मारने वाली गाड़ी घटना–स्थल पर हो भी सकती है और नहीं भी। वाहन की स्थिति से सामान्यतः उसके रुकने के स्थान का पता चल जाता है और स्थिति का जांच के काम में बहुत ही महत्व होता है। अतः स्थिति को सावधानी पूर्वक दर्ज करना चाहिए और साथ ही चित्र भी ले लेना चाहिए। चित्र लेने के बाद, निम्नलिखित बातों के लिए वाहन की तलाशी की जानी चाहिए–

(क) अंगुलि–छापें– यदि ड्राइवर अनजान है तो इनसे उसको ढूंढ़ निकालने में काफी मदद मिल सकती है। पीड़ित व्यक्ति की अंगुलि छापों से संपर्क को प्रमाणित किया जा सकेगा।

(ख) कुचला हुआ भाग और खरोंचे– ये टक्कर के कारण होती हैं तथा इनका बहुत ही महत्व होता है। दबे हुए भाग की धरातल से ऊंचाई नोट की जानी चाहिए । उनकी किस्म, उनका विस्तार और आकार आदि दर्ज किया जाए।

(ग) रोगन की परतें – टक्कर के कारण रोगन छूट कर गिर सकता है। कुछ अन्य किस्म के कचड़े या रोगन वहां मिल सकते हैं। इसलिए मिलाने के लिए वाहन के नमूने लिए जाएं।

(घ) शीशे के टुकड़े – वाहन पर लगाये गए शीशे टूटे हों तो शेष टुकड़े निकाल दिए जाएं और यदि संभव हो तो टुकड़े जोड़कर पूरा आकार दोबारा बनाया जाए और उसे विशेषज्ञ के पास जांच के लिए भेजे जाएं।

(ङ) टूटे हुए उपकरण – धातु से बना हुआ वाहन का कोई भी भाग टूट गया हो तो संगत भाग घटनास्थल या जिस रास्ते से वाहन ने सफर किया है उस रास्ते के किनारे ढूंढ़ा जाए।

(च) पेडल के नीचे लगा हुआ कचड़ा – इनकी जांच की जाएं तथा नमूना लिया जाए। टायर और मड़गार्ड पर भी घटनास्थल की मिट्टी और वहां की घासफूस लगी हो सकती है। उसका भी निरीक्षण किया जाए।

(छ) टायर– वाहन के टायरों की जांच की जाए। यदि आवश्यकता हो तो उसके नमूने लिए जाएं। गाड़ी की क्षमता से अधिक माल के वजन को भी ध्यान में रखा जाए। (ज) टायर वाहन के टायरों की जांच की जाए। उनके फोटो लिए जाएं तथा से टायरों की छापों के आकार प्रकार को भी दर्ज किया जाए।

(झ) गाड़ी की दिशा– विशेषज्ञों की सहायता से यह पता करना कि गाड़ी चलाने के योग्य थी या नहीं बड़ा जरूरी होता है।

उपर्युक्त वस्तुओं की घटनास्थल पर पाये गये सुरागों के साथ मिलान करके ही दुर्घटना के दौरान एक गाड़ी का दूसरे से टकराने, रगड़ खाने आदि बातों के साथ–साथ उसमें हाथ होने को प्रमाणित किया जा सकता है और टक्कर मारकर भाग जाने के मामलों में संबंधित गाड़ी की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

पीड़ित के निशान – पीड़ित के निशान गाड़ी पर हो सकते हैं। अतः से निम्नलिखित निशानों को गाड़ी पर ढूंढ़ा जाए।

(क) खून– इससे पीड़ित व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिलती है। खून के निशानों की स्थिति और मोटाई दर्ज की जाए। खून के नमूने एकत्र किए जाएं।

(ख) कोशिकाओं के कण– इनसे टक्कर की किस्म का पता लगाया जाए।

(ग) बाल – इसे प्राप्त करके गाड़ी द्वारा सिर को चोट पहुंचाने अथवा शरीर को कुचल डालने का पता लगाया जा सकता है।

(घ) रेशे – पीड़ित व्यक्ति के वस्त्रों के टुकड़े आदि गाड़ी में ढूंढे जाएं।

(ङ) कपड़ों के निशान– पीड़ित व्यक्ति के कपड़ों की किस्म का पैटर्न तथा चिन्ह टक्कर के स्थान पर पाए जा सकते हैं।

पीड़ित की डाक्टरी जांच– पीड़ित व्यक्ति की जांच फिजीशियन अर्थात् डाक्टर द्वारा कराई जाए। नीचे लिखी बातें अन्वेषण अधिकारी के लिए अपनी जांच के लिए बहुत ही महत्व की होती हैं –

(अ) पीड़ित व्यक्ति का शरीर–

(क) चोटों की किस्म, स्थिति और मात्रा का विस्तृत ब्यौरा

1. क्या टक्कर सीधी थी या बगल से हुई थी ?

2. क्या चोटें गाड़ी के कुचलने के कारण थी ?

3. क्या शरीर साथ–साथ घसीटा गया था ?

4. क्या दुर्घटना के समय पीडित व्यक्ति सड़क या रास्ते पर लेटा पड़ा था

5. क्या चोटे गाड़ी के या अन्य किसी पुर्जे के टक्कर के कारण आई है।

(ख) घावो में मिले किसी भी बाहरी पदार्थ को भी विशेषज्ञ की जांच के लिए रखा जाना चाहिए।

कभी कभी पीड़ित व्यक्ति की त्वचाा पर टायर, गर्म छड़ो या रेडियटर के विशिष्ट निशान बन जाते है। ये निशान संदिग्ध वाहन को पहनाने के लिए बहुत ही महत्वपुर्ण सुराग होते हैं इन निशानों का चित्र लिया जाना चाहिए।

(ग) यदि संभव हो तो जांच करने वाले डॉक्टर से खून और यदि घायल व्यक्ति व्यस्क है तो मुत्र का नमूना लेने के लिए अनुरोध करना चाहिए। क्योकि यह प्रमाणित करने के लिए किसने शराब पी थी या नहीं, मूत्र के नमूनों की आवश्यकता होती है। हर हालत में घायल या मृत व्यक्ति के सिर के बालों का नमूना भी मिलान करने के लिए लिया जाना चाहिए ।

सुरागों को एकत्र करने की सुविधा के लिए एक चार्ट का नमूना परिशिष्ट ''क'' में दिखाया गया है।

(ब) पीड़ित व्यक्ति के वस्त्रों को संभाल कर रखना चाहिए ताकि निम्नलिखित बातों की जांच के लिए उन्हें प्रयोगशाला भेजा जा सकें।

(क) रोगन (पेंट)

(ख) शीशे और धातु के टुकड़े

(ग) संभावित खरोंचे

(घ) राजमार्ग या गाड़ी से लगा हुआ कीचड़

(ङ) राजमार्ग या गाड़ी से लगे तेल या ग्रीस।

गाड़ियों और ड्राइवरों की पहचान– यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बिना तमाम अन्वेषण का कोई फायदा नहीं होगा विशेषकर ऐसे मामलों में जिसमें ड्राइवर टक्कर मारकर भाग निकला हो और घटना स्थल पर पकड़ा नहीं जा सका हो ।

(क) बाहर की पहचान–

(1) टूट फूड से शिनाख्त– जब्त करने के बाद इसके लिए यंत्रों सहित वाहन की जांच पडताल की जाए।

(2) जहां तक संभव हो मौखिक गवाहियां लेकर वाहन के विवरण दर्ज किए जाए। वाहन को खास खास खूबियां पहचान के लिए बहुत उपयोगी होती है।

(3) फोरेन्सिक परीक्षणों द्वारा पहचान करना ।

(4) गवाहो द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पहचान करना ।

(5) प्रलेखों के आधार पर पहचान करना।

(6) टायरों की छापों के आधार पर पहचान करना।

(ख) ड्राइवरों की पहचान–

(1) गवाहों के विवरण से पहचान करना ।

(2) टक्कर के परिणामस्वरूप चोटों के आधार पर पहचान करना।

(3) शराब–खोरी आदि अन्य भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पहचान करना ।

(4) अंगुलि – छापों के आधार पर पहचान करना।

(5) गैरेज रजिस्टर, लाइसेस, नौकरी का कार्ड, रोजनामचा आदि कागजातों के आधार पर पहचान करना।

(6) शिनाख्त परेड के आधार पर पहचान करना।

ड्राईवर से पूछताछ– ड्राइवर को बंदी बना लिए जाने पर उससे निम्नलिखित बाते पूछी जानी चाहिए –

(क) दुर्घटना से सम्बंधित तथ्यों के बारे मे प्रश्न पूछे जाएं।

(ख) दुर्घटना के तुरंत बाद पूर्व की गतिविधियों के बारे में पूछा जाना चाहिए।

(ग) यदि नशे में होने या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की बात सामने आए तो

साईबर द्वारा लिए गए मादक पदार्थ की जांच की जाए।

दुर्घटनाओं का वर्गीकरण – आंकड़े रखने के उद्देश्य से सड़क दुर्घटनाओं को निम्नलिखित चार भागों में

बांटा जाता है.

(1) **प्राण घातक**– जिस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है

(2) **गंभीर**– जिस दुर्घटना में किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आई हो।

(3) समान्य– जिस दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मामूली चोट आई हो।

(4) मामूली– जिस दुर्घटना में सम्पत्ति की क्षति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को कोई चोट न आई हो।

परिशिष्ट ''क''		
सड़क दुर्घटना		
घायल व्यक्ति	घटना स्थल	सम्बद्ध वाहन
वाहन से हस्तांतरित हुई सामग्री जैस – रोगन ग्रीस खिड़की आदि के टूटे हुए शीशों के टुकड़े दर्पण आदि	ब्रेक लगाने और घिसटने के निशान वाहन के टूटे हिस्से जैसे बती के टूटे शीशे के टुकड़े आदि हा कैप, नाजुक हैण्डिल	पीड़ित व्यक्ति और अन्य वाहनों से ली गयी सामग्री जैसे रेशे, खून के धब्बे, शीशे के कण, मनूष्य की कोशिकाएं बाल, पेण्ट की चिकनाई, रेशे,
कीचड़ या कचड़ा, लकड़ी के टुकड़े आदि	घिसटने के सबूत	कपड़े की छापें
कपड़ों पर टायर की छापें कपड़ों की क्षति	धातु, लकड़ी के काम आदि पीड़ित व्यक्ति और वाहन की हालत।	वर्तमान क्षति वनस्पति, मिट्टी आदि।

27. आर्थिक अपराध (ECONOMIC OFFENCE)

आपराधिक न्यासभंग, प्रतिरूपण एवं विश्वास जीत कर धोखा (छल) आदि
Criminal Breach of trust, cheating by impersonation and confidence wining tricks etc.

आपराधिक न्यासभंग (Criminal Breach of trust)

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 के अनुसार आपराधिक न्यासभंग की परिभाषा इस प्रकार है–

जो कोई व्यक्ति, जिसे किसी प्रकार से कोई सम्पत्ति अमानत के रूप में विश्वास करके सुपुर्द की गई हो या उस सम्पत्ति के प्रबन्धन का अधिकार दिया गया हो और वह व्यक्ति बेईमानी से उस सम्पत्ति को किसी प्रकट या अप्रत्यक्ष कानूनी समझौते को न मानते हुए अपनाले या उसे अपने प्रयोग में ले या उस सम्पत्ति को कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हुए हटा दें या जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने दे तो उसने आपराधिक न्यास भंग किया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अनुसार आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड इस प्रकार है–

जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

1. आपराधिक न्यास भंग के प्रकरणों में अनुसंधान के समय प्रार्थी व सम्बन्धित गवाहान के बयान लेखबद्ध किये जाने चाहिए।
2. प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्य यथा इकरार से सम्बन्धित मूल दस्तावेज, यदि इकरारना में की रजिस्ट्री करवाई गई हो तो उसकी सत्यापित प्रतिलिपि वगैरह प्राप्त करना चाहिए।
3. यदि इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही की जा रही हो तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए।
4. दस्तावेजों से सम्बन्धित गवाहान से पूछताछ कर उनके बयान लेखबद्ध करना चाहिए।
5. उपलब्ध साक्ष्यों से यह प्रतिपादित किया जाना चाहिए कि प्रकरण के आरोपी द्वारा सम्पत्ति के प्रबन्धन में जान–बूझकर दुराशय से क्षति कारित की है या हड़प कर ली है।

प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by impersonation)

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 416 के अनुसार कोई व्यक्ति प्रति रूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है।

1. प्रति रूपण से सम्बन्धित प्रकरणों में अनुसंधान के समय प्रार्थी/पीड़ित द्वारा बताये गये घटनाक्रम के अनुसार सम्बन्धित साक्ष्यों यथा चश्मदीद गवाह के बयान लेखबद्ध करना, घटनास्थल के आस–पास के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करना चाहिए।
2. प्रार्थी द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर अपराधी की पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किये गये अपराधियों के रिकॉर्ड में तलाश करना चाहिए।
3. थाना इलाका व आस–पास के क्षेत्रों में इस कार्यप्रणाली से अपराध करने वाले अपराधियों/गैंग का पता लगाना चाहिए।
4. प्रकरण के अभियुक्त की पहचान/गिरफ्तारी के बाद घटना से सम्बन्धित साक्ष्यों को अभियुक्त की निशादेही के आधार पर बरामद करना चाहिए।

विश्वास जीत कर धोखा (छल) (Cheating by confidence wining tricks)

इस प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्ति लोगों को सोने के जेवर या नगदी को दूगना करने, जादू–टोने से भाग्य बदलने या खजाना मिलने आदि का झांसा देकर ठगी करते है।

1. पीड़ित की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर उसके बताये घटनाक्रम के आधार पर साक्ष्य एकत्रित करना चाहिए।
2. चश्मदीद गवाहान के बयान लेखबद्ध करना चाहिए।
3. घटनास्थल के आस–पास के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करना चाहिए।
4. प्रार्थी द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर अपराधी की पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किये गये अपराधियों के रिकॉर्ड में तलाश करना चाहिए।
5. थाना इलाका व आस–पास के क्षेत्रों में इस कार्यप्रणाली से अपराध करने वाले अपराधियों/गैंग का पता लगाना चाहिए।
6. प्रकरण के अभियुक्त की पहचान/गिरफ्तारी के बाद घटना से सम्बन्धित साक्ष्यों को अभियुक्त की निशादेही के आधार पर बरामद करना चाहिए।

सिक्कों व मुद्रा (नोटों) का प्रतिरूपण
Counterfeiting of Coins & Currency

जाली सिक्के बनाना

1. जाली सिक्के बनाने का कारण मुद्रा स्फीति होती है तथा लोगों का विश्वास भंग होता है। राज्य की आर्थिक हानि और व्यक्तिगत मुद्रा स्फीति का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय जाली सिक्के मिलने तथा ठगे जाने का भय रहता है।

2. जाली सिक्कों का वर्गीकरण
(1) ढले हुए जाली सिक्के–किसी (सांचे) में मिश्र धातु डालकर बनाये जाने वाले।
(2) पीटकर बनाये गये जाली सिक्के–"डाई" के द्वारा ठोक–पीटकर चिन्ह बनाकर।
(3) ढले और पीटकर बनाये जाने वाले सिक्के–इसमें ऊपर के दोनों तरीके काम में लाये जाते हैं ।

3. जाली सिक्के बनाने के लिये निम्नलिखित औजार और सामग्री की आवश्यकता होती है–
(1) सांचा (मोल्ड) –सांचे लोहा, लकड़ी या मिट्टी के बनाये जाते है, जिसके दो हिस्से होते हैं। प्रत्येक हिस्से में सिक्के के एक और का चिन्ह बना होता है।
(2) कालर– यह भी लोहा या लकड़ी का बना होता है। छल्ले का सुराग सिक्के से बड़ा होता है ताकि इसके दुगने आकार में सिक्का ढाला जा सके। चूंकि सांचा दो भागों में होता है, प्रत्येक भाग में एक कालर होता है। मिट्टी के सांचे में कोई कालर नहीं होता ।
(3) कीप–सामान्यतः टीन का बना होता है जो "गेट" के मुख से डाला जाता है।
(4) गाइडिंग पिन–सांचे के दोनों हिस्सों को सही स्थिति में जोड़ने के लिये पिन लगाये जाते हैं। ये लोहे या लकड़ी के बने हो सकते हैं।
(5) इस्तेमाल किया जाने वाला चूर्ण–पकी हुई ईंट, लकड़ी का कोयला कोक, पोसलिन रेत, मिट्टी, स्लेट, चाक, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि ।
(6) इस्तेमाल किया जाने वाला संयोजक (कोहेयिव) –चोटा (मोलेसिस), शैलाक, कोल–तार, रेसिन, गम–हनी, सीमेंट आदि।
जब (5) में उल्लिखित चूर्ण को (6) में वर्णित से संजक के साथ मिलाया जाता है, तो धातु की तरह का प्लास्टिक बनता है और उसे कालर में डाला जाता है। तब असली सिक्का इसमें रखा जाता है ताकि इस वस्तु पर सिक्के के "र" का निशान बन जाये। इसी प्रकार का पुटीन वाला एक दूसरा कालर, पिन की सहायता से इसके ऊपर रखा जाता है ताकि इस पर सिक्के के दूसरी और का निशान बन जाये। तब इन दोनों को पकाया जाता है ताकि वे सख्त बन जाएं।

4. सांचे में ढाले गए जाली सिक्कों में पाए जाने वाले गड्ढे के निशान
(1) प्रयुक्तचूर्ण के दाने मोटे होने के कारण निशान पड़ते हैं। नुक्स (कमियां)
(2) उभार (नोड) उपर्युक्त कारणों से और अतिरिक्त मिश्र धातु के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप
(3) कटाई (सिलिंग) –विशेषकर "गेट" के आस–पास अतिरिक्त धातु को हाथ से काटने का निशान।
यदि ध्यान से देखा जाए तो कई और भी कमियां नजर आ सकती हैं

5. पीटकर बनाये गये सिक्के–इसके लिये "डाई"बनाने की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार बनाई जाती है–
(क) हाथ से नक्काशी करके या (ख) दो गर्म धातु के खण्डों के बीच सिक्का रखकर उन्हें पीटा जाता है। इस प्रकार दोनों खण्डों के प्रत्येक भाग पर सिक्के के एक और का निशान आ जाता है। सिक्के की सही गोलाई प्राप्त जाने तक रिम को काटा जाता है। पीतल या स्टील का एक छल्ला लिया जाता है, जो "डाई" की गर्दन पर फिट बैठ जाता है। अन्दर की ओर छल्ले के दांतों को काटा जाता है या आरी से छीला जाता है।

6. सांचे में ढले या पीटकर बनायेगा ये सिक्कों में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर–
<u>सांचे में ढले सिक्के</u> :
(1) नोड, गेटचिन्ह, गड्ढे के चिन्ह और अतिरिक्त धातु विद्यमान होती है।
(2) ताज के चित्र आदि में कोई त्रुटि नहीं होती।

(3) गेट के अलावा जहां कटाई के चिन्ह गहरे हो सकते हैं, अन्य स्थानों पर से हल्के रूप में विद्यमान होते हैं। (4) दोषपूर्ण छल्ला होता है। (5) गैर चुम्बकीय होते हैं।

पीटकर बनाए गए सिक्के

(1) ये चीजें नहीं होती।

(2) डिजाइन में कोई दोष नहीं होता। इनमें तिर्यक कटाई होती है।

(3) दोषपूर्ण छल्ला होता है। (5) गैर चुम्बकीय होते हैं।

जाली नोट बनाना

1. **कागजी नोटों का विकास**–इंग्लैण्ड में सन् 1724 में कागजी नोट प्रारम्भ किये गये थे। भारत में सन् 1839 में ये जारी किये गये थे। और सन् 1860 में भारत सरकार ने उसका भार संभाल लिया था। समय–समय पर बहुरंगीय पैटर्न बदले जाते रहे हैं ताकि जाली नोट बनाने में कठिनाई हो ।

2. **कानूनी पहलु**– शुरू में जाली नोटों के मामले भारतीय दण्ड संहिता की जालसाजी सम्बन्धी धाराओं के अन्तर्गत निपटाए जाते रहे, परन्तु ये ना काफी थे. क्योंकि वे अधिकांशतः असंज्ञेय होते थे। अतः इसको संज्ञेय बनाने के लिये इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता में 489 (क) से 489 (घ) तक की धाराएं जोड़ी गईं।

3. **जालीनोटों का वर्गीकरण**–

(क) हस्त निर्मित अर्थात् हाथ से बनाये जाने वाले नोट–इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है और अनुकरण बहुत अच्छा नहीं हो सकता। बहुत थोड़े ही लोग यह काम कर सकते हैं।

(ख) निर्माण की प्रक्रिया

(1) उकेरित ब्लाक (2) लिथोग्राफी (3) फोटोग्राफी

(4) लिथोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों का मेल

4. **बनाने का तरीका**–

(1) ब्लाक–सामान्यतः नोट के सामने की ओर के लिये तीन और पीछे की ओर के लिये 2 ब्लाक बनाये जाते हैं। ये ब्लाक फोटोग्राफिक हाफ टोन प्रक्रिया से बनाये जाते हैं।

(2) कागज असली नोट के आकार के लगभग काटे जाते हैं। जाली नोट में कागज की किस्म और आकार दोनों ही असली से भिन्न होते हैं।

(3) छापने की मशीनें–सामान्यतः अन्य छपाई कार्य के लिये इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों की भांति "ट्रेडलआफसैट" अथवा उससे मिलती–जुलती मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जो ऐसी मशीनें जुटा नहीं पाते, वेलकड़ी की या उसी प्रकार की काम चलाऊ मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इन नोटों की श्रेणियों और संख्या के लिये प्रेसों में इस्तेमाल किये जाने वाले टाइप फेसों का इस्तेमाल किया जाता है।

(4) वाटरमार्क–वाटरमार्क को एम्ब्रासिंग प्रक्रिया से बनाकरऔर उसे थोड़ा चिकना स्वरूप प्रदान कर किया जाता है। असली नोटों में यह कागज निर्माण के समय ही बनाया जाता है। इसका संतोषजनक अनुकरण असंभव है।
(5) सुरक्षा धागा–यह भी कागज के निर्माण के समय डालाजाताहै। जाली नोटों में इसका अनुकरण पेंसिल से लाइन खींचकर या सामान्य धागा डालकर किया जाता है।

5. **जाली नोटों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री**–
(1) सामने वाले और पिछले भाग के लिए ब्लाक
(2) विभिन्न रंगों की स्याहियां ।
(3) असली नोटों के कागज से मिलते–जुलते और उतनी ही मोटाई के कागज।
(4) छपाई मशीन
(5) संख्या डालने के लिए टाइप अंक
(6) ब्लाकों को साफ करने के लिये प्यूमिक पाउडर और कपड़ा धोने का सोडा ।
(7) प्लास्टर ऑफ पैरिस ।
(8) शीशे की पट्टियां
(9) लकड़ी के ब्लाक
(10) मोमबत्तियां
(11) रेगमाल, ब्रुश, तराजू, चाकू, कैंची, पेचकस आदि ।
(12) कैमरा और निगेटिव जिन से ब्लाक बनाये गये हैं तथा
(13) असली नोट, जिसकी इस प्रयोजन के लिये फोटों खींची गई थी। नोट को किसी त्रुटि से इसे पहचाना जा सकता है क्योंकि यह त्रुटि निगेटिव और ब्लाक पर भी आ जायेगी।

6. **रजिस्टरिंग**–रजिस्टरिंग की त्रुटि सभी नोटों में हो सकती हैं। जाली नोटों में यह त्रुटि एक ही जगह पर भिन्न–भिन्न समय में विभिन्न ब्लाकों से छपाई के कारण पाई जातीहै । असली नोटों में भी रजिस्टरिंग की छोटी–मोटी त्रुटि पाई जा सकती है, परन्तु बड़ी नहीं होती। यह जालीपन पकड़ने का सुनिश्चित परीक्षण नहीं है

7. **नम्बर डालना**–दो असली नोटों पर कभी भी एक ही नम्बर नहीं हो सकता क्योंकि नोटो पर नम्बर डालने का काम स्वचालित मशीनों द्वारा किया जाता है। जाली नोट बनाने वाला ऐसी मशीनें नहीं रख सकता, अतः अधिकांश नोट एक ही नम्बर से छापे जाते हैं और बाद में अंक बदले जाते हैं।

8. **जाली नोटों की पहचान करना**–
1. कागज– (क) आकार (ख) मोटाई (ग) किस्म (चरचराहट)

2. डिजाइन– (क) छपे हुए डिजाइन का आकार असली में कोई अन्तर नहीं होता,परन्तु जाली नोटों में यह डिजाइन असली से भिन्न होगा। (ख) डिजाइन में त्रुटि

3. रंग–काफी अन्तर न होने पर साधारण व्यक्ति के लिये इसे पकड़ना कठिन होता है।

4 वाटरमार्क– यह जाली नोट पकड़ने का निश्चित् परीक्षण होता है। अल्ट्रावायोलेट प्रकाश में इसका अक्स बहुत स्पष्ट दिखाई देता है।

5. छपाई की किस्म–एकमात्र त्रुटि या लाइनों में छोटी मोटी टूट आदि जालीपन का निश्चित प्रमाण नहीं है,लेकिन कई जगह से टूटी होने पर यह जालीपन का निश्चित प्रमाण हो सकता है।

9. **कम्प्यूटर स्केनिंग से जाली नोट बनाना**–आज के कम्प्यूटर युग में असली नोट के स्केनिंग से भी जाली नोट बनाने के मामले ध्यान में आये हैं। इसमें मुख्य बात देखने वाली यह है कि इनमें जाली नोटों के एक से नम्बर होते हैं। अनुसंधान अधिकारी को ऐसे जाली नोटों को पहचानने में बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिये।

10. अन्वेषण के लिए संकेत–

(1) यदि जाली नोट चलाये जाने के काफी दिनों के बाद उसका पता चले तो ऐसे मामले निराशा जनक होते हैं और उनके अन्वेषण से इन्कार किया जा सकता है।

(2) यदि चलाने वाला परिचित हो या गिरफ्तार किया जा चुका हो तो काफी समय बीत जाने पर भी जाली नोटों के पता लगने की संभावना हो सकती है।

(3) जाली नोटों के स्वरूप की जानकारी के लिये अपराध आसूचना गजट का अध्ययन किया जाना चाहिये ।

(4) जाली नोट बनाने वालों और चलाने वालों के बारे में जानकारी के लिये सी. आई. डी. के रिकार्डों की सहायता ली जानी चाहिए।

(5) जाली नोट सम्बन्धी घटनाओं पर स्वरूपों के अध्ययन से बनाने की जगह का पता न चलने पर भी वितरण केन्द्र के बारे में सुराग मिल सकता है। में

(6) विदेशियों, अजनबियों और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जानी चाहिये तथा उनके बारे में आपराधिक आसूचना एकत्र की जानी चाहिए।

(7) जाली नोट चलाने वाले से अनिवार्यतः गम्भीरता से पूछताछ की जानी चाहिए। वह रफ्ता–रफ्ता आपको नोट बनाने वालों के दल तक पहुंचा सकता है ।

(8) जाली नोटों की श्रृंखला या नम्बरों से भ्रमित न हों। डिजाइन और छपाई का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाये।

(9) अन्वेषण अधिकारी को जाली नोट बनाने के लिये इस्तेमाल में लाई जाने वाली सामग्री के बारे में जानकारी होनी चाहिये ताकि वह अन्वेषण के दौरान उनको तलाश कर सके ।

(10) परिचित जालसाजों या नोट चलाने वालों अथवा एजेंटों तथा उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछताछ की जानी चाहिये, उनमें संपन्नता दिखाई देने पर वह सदा सन्देह का कारण होता है।

(11) लोगों को जालसाजी के प्रति सचेत होने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये और जब किसी क्षेत्र में इसका प्रकोप होता है तो लोगों को आगाह कर देना चाहिए।

Deepak

धोखाधड़ी – बैंक, क्रेडिट कार्ड, वित्तिय संस्थान, स्टॉक मार्केट सम्बन्धी
(Frauds – Banking, Credit cards, Financial Institutions, Stock market)

बैंक सम्बन्धी धोखाधड़ी

क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी धोखाधड़ी

वर्तमान में मुद्रा के आसान विनिमय के लिए सभी बैंको द्वारा अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। खाताधारक द्वारा अपने बैंक खाते से एटीएम (Automatic Treller Machine) के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर पैसे निकालने के दौरान कई तरह की धोखाधड़ी अपराधियों द्वारा की जा रही है। धोखे से क्रेडिट कार्ड बदल कर, ओटीपी (One time password) पूछ कर खाताधारक के बैंक खाते से पैसे निकाल लेना या क्रेडिट कार्ड का क्लोन बना कर खाताधारक की जानकारी के बिना ही बैंक खाते में से पैसे निकाल लेना, इस तरह के अपराध इन दिनों बहुत अधिक संख्या में किए जा रहे है। बेरोजगार युवक कम्प्यूटर व बैंकिग का थोड़ा बहुत ज्ञान इकट्ठा कर इन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।

इन प्रकरणों के अनुसंधान में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी चाहिए –

1. बैंक से खाताधारक के खाते में से अपराधी द्वारा निकाले गये पैसे की डिटेल प्राप्त करना चाहिए।
2. यदि अपराधी द्वारा यह पैसा किसी अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है, तो उस खाते से सम्बन्धित जानकारी जैसे खाता धारक का नाम – पता व मोबाइल नम्बर, खाता किस बैंक की किस शाखा में है, वगैरह प्राप्त करना चाहिए व उस खाते को सीज करवा देना चाहिए ताकि अपराधी उस खाते से और पैसे नहीं निकाल सके।
3. यदि अपराधी द्वारा यह पैसा एटीएम से किसी क्रेडिट कार्ड से निकाला गया है, तो उस एटीएम की अपराधी द्वारा पैसा निकालने के समय की विडियो फुटेज प्राप्त कर अपराधी की पहचान की जानी चाहिए।

इस प्रकार के अपराध के घटित होने पर खाताधारक द्वारा अपने बैंक को तुरंत सूचित किया जाकर अपने खाते के लेन – देन को रूकवा देना चाहिए।

वित्तिय संस्थान सम्बन्धी धोखाधड़ी

स्टॉक मार्केट सम्बन्धी धोखाधड़ी

धन–शोधन (Money Laundering)

धन–शोधन (मनी लॉन्डरिंग) या आसान शब्दों में काले धन को वैध बनाना, अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की कला है। अंततः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इसमें शामिल धन को नशीली दवाओं की सौदेबाजी, भ्रष्टाचार, लेखांकन और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी और कर चोरी सहित अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के जरिये प्राप्त किया जा सकता है। 1, काले धन को वैध बनाने के अलग–अलग तरीके हो सकते हैं और इसका विस्तार सरल से लेकर जटिल आधुनिकतम तकनीकों के रूप में हो सकता है।

कई विनियामक और सरकारी प्राधिकरण दुनिया भर में या अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भीतर वैध बनाए गए काले धन की मात्रा के लिए हर साल अनुमान जारी करते हैं। 1996 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया था कि दुनिया भर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो से पाँच प्रतिशत हिस्से में काले धन को वैध बनाने का मामला शामिल था। हालांकि, काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया का मुकाबला करने के लिए एक अतः सरकारी निकाय, एफएटीएफ का गठन किया गया था जिसने यह स्वीकार किया कि कुल मिलाकर वैध बनाए गए काले धन की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करना पूरी तरह से असंभव है और इसलिए एफएटीएफ द्वारा इस संदर्भ में कोई आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया जाता है। 1, इसी प्रकार शैक्षिक टिप्पणीकार भी स्वीकृति के किसी भी स्तर तक इस धन की मात्रा का अनुमान लगाने में असमर्थ रहे हैं।

मापन में कठिनाई के बावजूद हर साल वैध बनाए जाने वाले काले धन की राशि अरबों में है और यह सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण नीति संबंधी चिंता का विषय बन गयाहै। इसके परिणामस्वरूप सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा काले धन को वैध बनाने वालों को डराने, रोकने और पकड़ने के प्रयास किए गए हैं। इसी तरह वित्तीय संस्थानों द्वारा सरकार की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप और इसमें शामिल प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम से बचने दोनों के लिए काले धन से संबंधित लेनदेन का पता लगाने और इन्हें रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं।

पद्धतियां

काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया अक्सर तीन चरणों में पूरी होती है :– पहला, कुछ माध्यमों से वित्तीय प्रणाली में नगदी को डाला जाता है (प्लेसमेंट), दूसरे चरण में अवैध स्रोत के छलावरण के क्रम में जटिल वित्तीय लेनदेनों को निष्पादित करना ("लेयरिंग") शामिल है और अंतिम चरण अवैध राशियों के लेनदेनों से उत्पन्न धन को प्राप्त करना अपरिहार्य बना देता (इंटीग्रेशन) है। इनमें से कुछ चरणों को परिस्थितियों के आधार पर छोड़ा जा सकता है उदाहरण के लिए, वित्तीय प्रणाली में पहले से मौजूद गैर–नकदी आय के प्लेसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया कई अलग–अलग रूपों में संपन्न होती है हालांकि अधिकांश तरीकों को इनमें से कुछ प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें बैंक की विधियां, स्मर्फिंग जिसे स्ट्रक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है, मुद्रा विनिमय और दोहरा–चालान बनाना शामिल हैं।

स्ट्रक्चरिंग– इसे अक्सर स्मर्फिंग के रूप में जाना जाता है, यह प्लेसमेंट की एक विधि है जिसके द्वारा नगदी को छोटी–छोटी जमा राशियों में बाँट दिया जाता है, इस विधि का प्रयोग

काले धन को वैध बनाए जाने के संदेह को मात देने और काले धन को वैध बनाने के खिलाफ सूचना की आवश्यकताओं से बचने के लिए किया जाता है। इसका एक उप–घटक है नगदी की छोटी–छोटी राशियों का प्रयोग धारक के लेखपत्रों, जैसे कि मनीऑर्डर को खरीदने में करना और उसके बाद अंततः उन्हें फिर से छोटी–छोटी राशियों में जमा करना।

भारी मात्रा में नगदी की तस्करी–किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में नगदी की प्रत्यक्ष रूप से तस्करी जहां इसे एक वित्तीय संस्थान में जमा कर दिया जाएगा, जैसे कि एक ऑफ शोर बैंक जहां बैंक में काफी गोपनीयता बरती जाती है या काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया कम जटिल होती है।

नकदीपरजोरदेनेवालेव्यवसाय– एक ऐसा व्यवसाय जो आम तौर पर नकदी जमा प्राप्त करता है वह अपने खातों का इस्तेमाल वैध और आपराधिक दोनों तरह से उत्पन्न नगदी के संपूर्ण हिस्से को अपनी वैध आय बताकर जमा करने में करेगा। अक्सर, व्यापार की कोई वैध गतिविधि नहीं होगी।

व्यापार आधारित लॉन्डरिंग– धन के आवागमन को छिपाने के लिए चालानों को कम या अधिक करके तैयार करना।

मोहरा कंपनियां और न्यास– न्यास और मोहरा कंपनियां धन के असली मालिक को छिपा देती हैं। न्यास और कॉरपोरेट साधनों को अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर अपने असली हितकारी, मालिक के बारे में खुलासा करने की जरूरत नहीं होती है।

बैंक पर कब्जा–काले धन को वैध बनाने वाले व्यक्ति या अपराधी खास तौर पर एक ऐसे अधिकार क्षेत्र में जहां काले धन को वैध बनाने वालों पर नियंत्रण की प्रणाली कमजोर होती है, ये किसी बैंक में एक नियंत्रक हित खरीद लेते हैं और उसके बाद बैंक के माध्यम से जांच के बिना धन का आदान–प्रदान करते हैं।

कसीनों–कोई व्यक्ति नगदी के साथ एक कैसीनो या एक घुड़दौड़ ट्रैक में प्रवेश करेगा और चिप्स खरीदेगा, कुछ देर के लिए खेलेगा और उसके बाद अपने चिप्स को नगदी में बदल लेगा जिसके लिए उसे एक चेक जारी किया जाएगा. उसके बाद काले धन को वैध बनाने वाला व्यक्ति चेक को उसके बैंक में जमा करने में सक्षम होगा और इसके जुए में जीती गयी राशि होने का दावा करेगा। अगर कैसीनो संगठित अपराध के नियंत्रण में है और काले धन को अवैध बनाने वाला व्यक्ति उनके लिए काम करता है तो वह व्यक्ति अवैध रूप से प्राप्त राशि को कसीने में किसी उद्देश्य के लिए छोड़ देगा और आपराधिक संगठन द्वारा उसका भुगतान अन्य निधि के जरिये किया जाएगा.

अचल संपत्ति–रियल एस्टेट (अचल संपत्ति) को अवैध आय के जरिये खरीदा और बेचा जा सकता है। बिक्री से प्राप्त आय बाहरी लोगों के सामने वैध आय प्रतीत होता है। वैकल्पिक रूप से, संपत्ति के मूल्य में हेरफेर की जाती है य विक्रेता एक ऐसे अनुबंध पर सहमत होगा जिसमें संपत्ति के मूल्य को कम करके आंका जाता है और इस अंतर को पाटने के लिए वह आपराधिक आय प्राप्त करेगा।

आतंकवादी वित्तपोषण–तकनीकी रूप से यह काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया बिलकुल भी नहीं है य जबकि काले धनको वैध बनाने में आमतौर पर धन के स्रोत को छिपाना शामिल होता

है जो अवैध है, आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी मामलों में स्वयं धन के गंतव्य को छिपाया जाता है जो कि अवैध है।

कालावेतन—कंपनियों के पास ऐसे अपंजीकृत कर्मचारी हो सकते हैं जिनके पास कोई लिखित अनुबंध नहीं होता है और जिन्हें नगद वेतन दिया जाता है। उन्हें भुगतान करने के लिए काली नकदी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत में मनी—लॉन्ड्रिंग निरोध अधिनियम, 2002 1 जुलाई 2005 को प्रभाव में आया था। धारा 12 (1) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बिचौलियों पर निम्नांकित दायित्व निर्धारित करता है

(क) निर्देशित किये जाने वाले लेनदेनों की प्रकृति और मूल्य का विवरण देने वाले रिकॉर्डों को कायम रखना, चाहे इस तरह के लेनदेनों में एक एकल लेनदेन या एकीकृत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए लेनदेनों की एक श्रृंखला शामिल हो और जहां लेनदेनों की ऐसी श्रृंखला एक महीने के भीतर देखी गयी होय

(ख) खंड (क) में संदर्भित लेनदेनों की जानकारी और अपने सभी ग्राहकों की पहचान के रिकॉर्ड्स निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना। धारा 12 (2) में यह प्रावधान है कि उपरोक्त उल्लिखित उप—खंड (1) में संदर्भित रिकॉर्डों को लेनदेन पूरा होने के बाद दस साल तक बनाए रखा जाना चाहिए।

अधिनियम के प्रावधानों की अक्सर समीक्षा की जाती है और समय—समय पर विभिन्न संशोधन पारित किये गए हैं। भारत में काले धन को वैध बनाने की हाल की गतिविधियां राजनीतिक दलों, कॉरपोरेट कंपनियों और शेयर बाजार के माध्यम से हुई हैं।

महिलाओं, कमजोर वर्गों, बच्चों व वंचित समूहों के विरूद्ध अपराध
Crimes Against Women, Weaker Sections, Children and Disadvantaged Groups

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत महिलाओं से संबंधित अपराध

लोक सेवक द्वारा विधि की अवज्ञा

- **धारा 166 ए** :—जो कोई लोक सेवक होते हुए

  (क) जानते हुए, विधि के किसी भी निदेश की अवज्ञा करे, जो उसे, किसी अपराध या किसी अन्य मामले के जांच के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर हाजिरी की अपेक्षा करने से प्रतिषिद्ध करे।

  (ख) किसी व्यक्ति से पूर्वाग्रह रखते हुए विधि के अन्य निदेश जो कि इस बात का नियमन करता है कि इस तरह की जांच में उनका आचरण कैसा होना चाहिए, को जानते हुए अवज्ञा करे।

  (ग) धारा 326ए, 326बी, 354, 354बी, 370, 370ए, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व धारा 509 के अन्तर्गत दण्डनीय संज्ञेय अपराधों की सूचना अभिलिखित करने में विफल होता है।

  वह एक वर्ष के साधारण कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

- **166बी** :—जो कोई किसी अस्पताल का प्रभारी होते हुए, चाहे वह सरकारी हो या निजी या किसी व्यक्ति द्वारा संचालित हो, धारा 357सी दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का

उल्लंघन करता है वह एक वर्ष के साधारण कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

पीडिता की पहचान का प्रकटन

- **धारा 228 ए :– कतिपय अपराधी आदि से पीडित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण** –जो कोई किसी नाम या अन्य बात को किसी व्यक्ति की पहचान हो सकती है जिसके विरुद्ध धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी या 376ई का अपराध किया गया है उसका नाम मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह दो वर्ष के साधारण कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।पीडित व्यक्ति की पहचान या उसके संबंध में कोई मुद्रण या प्रकाशन तब हो सकता है जब –

1. किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया हो।
2. पीडित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है।
3. जहां पीडित की मृत्यु हो चुकी है या वह अव्यस्क या विकृत्त चित्त है, वहां पीडित के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है।

दहेज मृत्यु

- **धारा 304 ''ख'' –दहेज मृत्यु :–**

(1) जहां विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से या शारीरिक क्षति अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो जाती हैं और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति द्वारा अथवा पति के नातेदारों द्वारा दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की या उसे तंग किया था तो इसे दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार मृत्यु कारित करने वाला समझा जावेगा।

स्पष्टीकरण–इस उप धारा के प्रयोजन के लिए दहेज से अभिप्राय यही है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में यथा परिभाषित है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह उतनी अवधि तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा जो 7 वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक का भी हो सकेगा।

एसिड हमला

- **धारा 326ए :– एसिड हमला –**

जो कोई किसी व्यक्ति को एसिड इत्यादि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करता है जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो, वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से तथा जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

- ➢ किया गया जुर्माना इतना होगा जिससे पीडित का इलाज किया जा सके।
- ➢ किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

- **धारा 326बी :– एसिड हमले का प्रयास**

जो कोई किसी व्यक्ति को एसिड इत्यादि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करने का प्रयास करता है जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो, वह न्यूनतम 5 वर्ष के जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, के कारावास से तथा जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

- ➢ इस धारा के प्रयोजन के लिए एसिड के अन्तर्गत कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी प्रकृति जलाने की हो या जो शारीरिक क्षति पहुंचाने में समर्थ हो जिससे शरीर पर दाग, विद्रूपण या अस्थाई या स्थाई निःशक्तता होती हो, सम्मिलित होगा।
- ➢ स्थाई या आंशिक क्षति में शरीर के भाग या भागों को विरुपित या विकलांग करना या जलाना या स्वरुप बिगाडना या निःशक्त करना शामिल है।

लज्जा भंग

- **धारा 354 :– स्त्री की लज्जा भंग करना**

जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह वह दोनो में से किसी भी भांति के कारावास से जो न्यूनतम एक वर्ष तक के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- **धारा 354क :– लैंगिक उत्पीडन के लिए दण्ड**

(1) निम्नांकित कृत्य लैंगिक उत्पीडन का अपराध गठित करेंगें :–

(i) शारीरिक संपर्क करना और ऐसा मित्रतापूर्वक व्यवहार जताने का प्रयास करना जिसमें कि अप्रिय एवं सुस्पष्ट यौन संबंधी प्रस्ताव अंतर्वलित हो।

(ii) लैंगिक सहयोग हेतु मांग या निवेदन करना।

(iii) बलपूर्वक अश्लील साहित्य दिखाना।

(iv) लैंगिक संबंधी टिप्पणी करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खण्ड (i) या (ii) या (iii) में वर्णित कृत्य का अपराध करता है उसे तीन वर्ष तक के कठोर कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खण्ड (iv) में वर्णित कृत्य का अपराध करता है उसे एक वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

- **धारा 354ख :– महिला को निर्वस्त्र कर देना**

जो कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसे निर्वस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है वह न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- **धारा 354ग :– दर्शनरति**

दर्शनरति :– जो कोई व्यक्ति किसी महिला को निजी कृत्य करते हुए देखता है या उसका चित्र लेता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर न्यूनतम एक वर्ष तक के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा। दूसरी बार पश्चातवर्ती अपराध के लिए न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- निजी कृत्य में ऐसे कृत्य सम्मिलित है जो परिस्थितियों में एकांतता प्रदान करने हेतु अपेक्षित है और जहां पीडित के जननांग, नितंब या वक्ष अभिदर्शित होते है या केवल अन्तःवस्त्र से ढके होते है या पीडिता शौचालय का उपयोग कर रही है या व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा लैंगिक कृत्य किया जा रहा है जो कि इस प्रकार का न हो कि आम तौर पर सार्वजनिक रुप से किया जाए।
- यदि पीडिता अपना चित्र या कोई कृत्य को लिये जाने की सहमति देती है परन्तु उसका प्रसार तीसरे व्यक्ति के समक्ष करने की सहमति नहीं देती है और यदि ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है तो वह इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा।

- **धारा 354घ :–पीछा करना**

(1) कोई व्यक्ति पीछा करता है –

(i) जो कोई किसी स्त्री से व्यक्तिगत व्यवहार के लिए लगातार संपर्क करता है या पीछा करता है या संपर्क करने की कोशिश करता है जिसके लिए उस स्त्री की कोई अभिरुचि नहीं है या

(ii) किसी स्त्री पर इन्टरनेट का उपयोग कर नजर या निगरानी रखता है या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण द्वारा या ईमेल द्वारा या दृष्टव्य साधनों से मानिटरिंग करता है जिससे उसे मानसिक कष्ट या हिंसा का भय या मानसिक शान्ति में हस्तक्षेप महसूस होता है तो ऐसा कृत्य पीछा करने का अपराध कारित करता है।

परन्तु निम्नांकित कृत्य इसमें सम्मिलित नहीं होंगें –

- यदि पीछा अपराध का निवारण करने के लिए किया जाए।
- किसी विधि के अधीन आवश्यक शर्तों या नियमों के पालन में पीछा किया जाए।
- किसी युक्तियुक्त कारण से विशेष परिस्थितियों में पीछा किया जाए।

(2) जो कोई व्यक्ति पीछा करने का अपराध करता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष तक के कारावास से तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा। दूसरी बार पश्चातवर्ती अपराध के लिए पांच वर्ष तक के कारावास से तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

अपहरण / व्यपहरण

- **धारा 359– व्यपहरण–** व्यपहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण।

- **धारा 360 – भारत में से व्यपहरण** –जो कोई किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैद्य रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना (भारत) की सीमाओं से परे प्रवहण कर देता है, वह (भारत) में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।
- **धारा 361– विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण –** जो कोई किसी अप्राप्तव्यय को, यदि वह नर हो तो (सोलह) वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो (अठारह) वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तव्यय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तव्यय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता मे से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

  स्पष्टीकरण –इस धारा में विधिपूर्ण सरंक्षक शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तव्यय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

  अपवाद – इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास कि वह ऐसे शिशु के विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरूद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए।

- **धारा 362–अपहरण**–जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने लिये बल द्वारा विवश करता या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण (लालच इत्यादि) उपायों से उत्प्रेरित करता है उसे व्यक्ति का अपहरण कहा जाता है।
- **धारा 363–व्यपहरण के लिए दण्ड**–7 वर्ष कारावास और जुर्माना
- **धारा 363''क''– भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगी करण–**

  (1) जो कोई अप्राप्तवय का इसलिए व्यपहरण करेगा या उसकी अभिरक्षा इसलिए प्राप्त करेगा की ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।

दण्ड—दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

(2) जो कोई किसी अप्राप्तवय को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(3) जहॉ कि कोई व्यक्ति, जो अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्तवय को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर लिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस अप्राप्तवय का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।

(4) (क) भीख मांगने से अभिप्रायः हैः—

1. लोक स्थान से भिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, आदि
2. भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना
3. भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीवजन्तु का कोई व्रण, घाव आदि को अभिदर्शित करना।
4. भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से अप्राप्तवय का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना

(ख) अप्राप्तवय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

1. यदि नर है, तो सोलह वर्ष से कम आयु का है तथा
2. यदि नारी है तो अठारह वर्ष से कम आयु की है।

- **धारा 364ः—हत्या करने के लिये व्यवहरण या अपहरणः—** जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाये या उसको ऐसे व्ययनित किया जाये कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाये वह आजीवन कारावास या दस वर्ष के कठिन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- **धारा 364 ए :— फिरौती आदि के लिए व्यपहरण**

जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देगा या उसके आचरण से ऐसी आशंका उत्पन्न हो कि ऐसे अपहरण या व्यपहरण किए गए व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित हो सकती है या मृत्यु अथवा उपहति कारित करेगा जिससे की सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

- **धारा 365:–** किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यवहरण या अपहरण का दण्ड 7 वर्ष कैद और जुर्माना।
- **धारा 366:– किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण:–**जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिये उस स्त्री को विवश करने के आशय से या विवश की जावेगी यह सम्भाव्य जानते हुये अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिये उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या सम्भावना जानते हुए विवश करेगा। दण्ड – 10 वर्ष तक कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- **धारा 366 ए – अप्राप्तवय लडकी का उपापन** –जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की लडकी को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या विवश किये जाने की संभावना जानते हुये, ऐसी लडकी को किसी स्थान से जाने को या कार्य करने को उत्प्रेरित करेगा। वह कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- **धारा 366 बी–विदेश से लडकी का आयात करना**–जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की लडकी को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या विवश किये जाने की संभावना जानते हुये, करेगा। वह कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

मानव तस्करी

- **धारा 370:– व्यक्ति का दुर्व्यापार करना :–**

(1) जो कोई किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का शोषण के प्रयोजन के लिए (क) भर्ती करता है, (ख) परिवहन करता है (ग) संश्रय देता है (घ) अंतरित करता है या (ड) प्राप्त करता है :–

1. धमकी का प्रयोग करते हुए
2. बल का प्रयोग करते हुए या किसी अन्य प्रपीडन द्वारा
3. अपहरण करके
4. कपट या धोखे का प्रयोग करके
5. शक्ति का दुरुपयोग करके या
6. उत्प्रेरण द्वारा

नियन्त्रण कर सके, ऐसा व्यक्ति दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है।

- शोषण में वैश्यावृत्ति या अन्य किस्म का लैंगिक शोषण, बलपूर्वक मजदूरी या सेवाएं, दासत्व या बलपूर्वक अंगों का निकाला जाना शामिल है।
- ऐसे दुर्व्यापार के अपराध में पीडित की सहमति अतात्विक है।

(2) जो कोई व्यक्ति के दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है वह न्यूनतम सात वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(3) जो कोई एक व्यक्ति से अधिक के दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है वह न्यूनतम दस वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(4) जो कोई अव्यस्क के दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है वह न्यूनतम दस वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(5) जो कोई एक से अधिक अव्यस्क के दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है वह न्यूनतम चौदह वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(6) जो कोई एक अवसर से अधिक बार अव्यस्क के दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है वह आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(7) जब कोई लोक सेवक जिसमें पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित है, दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

- **धारा 370ए :– दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति को नियोजित करना –**

(1) जो कोई यह जानते हुए की कोई अव्यस्क दुर्व्यापार द्वारा लाया गया है, उसे किसी लैंगिक शोषण के कार्य में नियोजित करता है वह न्यूनतम पांच वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए की कोई व्यक्ति दुर्व्यापार द्वारा लाया गया है, उसे किसी लैंगिक शोषण के कार्य में नियोजित करता है वह न्यूनतम तीन वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

बलात्संग

- **धारा 375 :– बलात्संग –**

बलात्संग के अपराध में मैथुन में निम्नांकित को शामिल किया गया है :–

(क) जब कोई व्यक्ति अपने शिश्न को किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ख) जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु या शरीर का अन्य भाग जो शिश्न नहीं है, को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ग) जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का अभिचालन इस प्रकार करता है जिससे स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन हो या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(घ) जब कोई व्यक्ति अपने मुंह को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा पर लगाता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

जो पुरुष किसी स्त्री के साथ निम्नांकित छः परिस्थितियों में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता है :–

1. उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध

2. उस स्त्री की सम्मति के बिना

3. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति मृत्यु या उपहति का भय डालकर प्राप्त की गई है।

4. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति इस विश्वास से दी गई कि वह पुरुष उस स्त्री से विधिपूर्वक विवाहित है।

5. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति विकृतचित्तता या मत्तता के अधीन दी गई है।

6. उस स्त्री की सम्मति से या सम्मति के बिना जबकि वह 18 साल से कम आयु की है।

बलात्संग के अपराध के लिए पूर्वांकित छः परिस्थितियों में सातवीं परिस्थिति जोडी गई है–

7. जब स्त्री सम्मति को संसूचित करने में असमर्थ हो।

स्पष्टीकरण 1 :–इस धारा के प्रयोजन हेतु योनि में वृहत् भग ओष्ठ भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण 2 :–सम्मति का अर्थ शब्दों से या इशारों से या किसी अन्य प्रकार के अमौखिक संपर्क के द्वारा अपनी रजामंदी किसी विशेष कृत्य में भाग लेने हेतु इंगित करता है।

परन्तु – यदि किसी स्त्री द्वारा शारीरिक रुप से प्रवेशन के कृत्य का विरोध नही किया जाए जो केवल इस तथ्य के कारण यह नहीं माना जाएगा कि वह लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमत थी।

अपवाद –

1. किसी चिकित्सकीय कार्य के लिए किया गया किसी प्रकार का प्रवेशन अपराध गठित नहीं करेगा।

2. **पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि वह 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है।**

(Important judgment on this issue – Independent thought Vs Union of India and another AIR 2017 SCC 800) इस निर्णय में 18 वर्ष

से कम उम्र की लडकी जो विवाहिता है उसके साथ उसके पति द्वारा किये गए मैथुन को मनमानापूर्ण है क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में लडकी द्वारा सहमति देना विधिक रुप से योग्य नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए बताया है कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा बलात्कार को विस्तृत रुप से परिभाषित किया है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री द्वारा दी गई सहमति को अमान्य घोषित किया है। ऐसी परिस्थितियों में 18 वर्ष से कम आयु की विवाहिता के साथ उसके पति द्वारा किए गए मैथुन को बलात्संग की श्रेणी में माना गया है।

- **धारा 376 (1)**

  जो कोई उपधारा (2) में वर्णित उपबन्धों के सिवाय, बलात्संग करेगा वह **सश्रम कारावास** से जिसकी अवधि **दस** वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो **आजीवन कारावास** तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

- **धारा 376 (2)**

  जो कोई –

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए बलात्संग करेगा –

(i) उस थाने की सीमाओं के अन्तर्गत जिसमें वह नियुक्त है

(ii) किसी भी थाने के परिसर में

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में

(ख) लोक सेवक होते हुए अपनी किसी ऐसी स्त्री से जो उसकी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में है, के साथ बलात्संग करेगा।

(ग) किसी सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए किसी ऐसे स्थान पर जहां उसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तैनात किया जाए, किसी स्त्री से ऐसे स्थान पर बलात्संग करेगा।

(घ) किसी जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए वहां के किसी निवासी से बलात्संग करेगा।

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा।

(च) किसी स्त्री का रिश्तेदार, अभिभावक या अध्यापक होते हुए या उसके विश्वास या प्राधिकार में उस स्त्री से बलात्संग करेगा।

(छ) साम्प्रदायिक या जातीय दंगों के दौरान किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।

(ज) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा।

(झ)किसी 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका से बलात्संग करेगा।

(ञ) किसी स्त्री से, जो सहमति देने में असक्षम है, बलात्संग करेगा।

(ट) अपने नियन्त्रण या प्रभुत्व के अधीन किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।

(ठ) किसी स्त्री से, जो शारीरिक या मानसिक निःशक्तता से पीडित हो, बलात्संग करेगा।

(ड) किसी स्त्री से बलात्संग करते हुए घोर शारीरिक क्षति पहुंचाये या विकलांग करे या विद्रूपित करे या जीवन को संकट में डालेगा।

(ढ) किसी स्त्री से लगातार बलात्संग करेगा।

वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण –1 सशस्त्र बल में नौसेना, वायुसेना या थलसेना या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई सहायक बल के सदस्य शामिल है।

स्पष्टीकरण –2 अस्पताल से तात्पर्य अस्पताल का अहाता जिसमें संस्था के वे परिसर सम्मिलित है जो लोगों की बीमारी के इलाज या चिकित्सकीय देखभाल या पुर्नवास के लिए स्थापित है।

स्पष्टीकरण –3 पुलिस अधिकारी से पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन दी गई अभिव्यक्ति पुलिस में संन्निहित है।

स्पष्टीकरण 4 :–स्त्रियों या बालकों की संस्था में कोई अनाथालय या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों या विधवाओं के लिए संचालित कोई संस्था शामिल है।

- **धारा 376 (3)**

  जो कोई किसी 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्संग करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

  किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।

इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

- **धारा 376 क :–**

  जो कोई धारा 376 (1) या 376 (2) के अन्तर्गत बलात्संग करता है तथा ऐसे कृत्य के दौरान वह उस स्त्री को इस तरह की उपहति पहुंचाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए या वह निरन्तर निष्क्रियता की स्थिति में पहुंच जाए तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

- **धारा 376 कख :–**

  जो कोई किसी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्संग करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा और जुर्माने या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

  किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।

  इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

- **धारा 376 ख :–**

  जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा या रुढि के अधीन उससे अलग रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी **अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो सात वर्ष तक की हो सकेगी** से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

- **धारा 376 ग :–**

  जो कोई

  1. पद पर एक हैसियत पर रहते हुए या वैश्वासिंक संबंध में होते हुए या
  2. लोक सेवक होते हुए या
  3. किसी जेल या प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए या

4. किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए

अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाते हुए या किसी स्त्री को प्रेरित करते हुए या पद भ्रष्ट करके वैश्वासिक संबंध या पदीय स्थिति का दुरुपयोग कर किसी स्त्री से अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता है **वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो 10 वर्ष तक की हो** सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 इस धारा में लैंगिक संभोग से आशय धारा 375 में वर्णित खण्ड (क) से लेकर खण्ड (घ) तक में वर्णित सभी कृत्यों से है।

स्पष्टीकरण 2 इस धारा में धारा 375 के स्पष्टीकरण 1 व 2 भी लागू होंगें।

स्पष्टीकरण 3 जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था के संबंध में अधीक्षक में वह व्यक्ति सम्मिलित होंगें जो जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था में पदस्थ है और ऐसे व्यक्ति का नियन्त्रण इनमें रहने वाले लोगों पर रहता है।

स्पष्टीकरण 4 अस्पताल या स्त्री या बालकों के संस्थान का वहीं अर्थ होगा जो धारा 376(2) में दिया गया है।

- **धारा 376 घ– सामूहिक बलात्कार**

  जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आशय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति को कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया, जाएगा।

  - ➢ किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।
  - ➢ इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

- **धारा 376 घक :–**

जहां किसी 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आशय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति आजीवन कारावास से और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- ➢ किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।
- ➢ इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

- **धारा 376 घख :–**

जहां किसी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आशय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति आजीवन कारावास से और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

- ➢ किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।
- ➢ इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

- **धारा 376 (ङ)**

जो कोई व्यक्ति धारा 376 या 376क या 376कख या 376घ या 376 (घक) या 376 (घख)के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध हुआ है तथा पुनःश्च उक्त धाराओं में वर्णित दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध होता है तो वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

दहेज प्रताडना

- **धारा 498 ए :– किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना–**

जो कोई किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण :– क्रूरता से अभिप्राय है –

1. **जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (मानसिक या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है।**
2. **किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसका या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताडित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है ।**

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत महिलाओं से संबंधित प्रक्रियागत प्रावधान

- **धारा 53क –बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा–**

(1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्ववास करने के उचित आधार है कि इस व्यक्ति की परीक्षा या ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अपताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में उप–निरीक्षक से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलम्ब के परीक्षा करेगा ओर उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जिसमें निम्नलिखित विशिष्टयां दी जाएंगी, अर्थात–

(क) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता;

(ख) अभियुक्त की आयु;

(ग) अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान यदि कोई हो,

(घ) डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन और

(ड) उचित ब्यौरे सहित , अन्य तात्विक विशिष्टयां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएगें जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) परीक्षा प्रारम्भ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अकिंत किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना विलम्ब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उप–धारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा।

- **धारा 154 :– संज्ञेय मामलों में इत्तिला**

(1) जब भी किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित, तो वह अधिकारी उस सूचना को अभिलिखित करेगा तथा उस व्यक्ति को पढकर सुनाएगा जिसके द्वारा वह सूचना दी जा रही है तथा उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाएगा। साथ ही उस सूचना का सार ऐसी पुस्तक में अंकित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में रखी जाने हेतु विहित की जाए।

यदि सूचना ऐसी स्त्री द्वारा दी जाती है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है जो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

(क) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है और वह स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक की उपस्थिति में उस व्यक्ति के निवास स्थान या कोई सुविधाजनक स्थान पर अभिलिखित की जाएगी।

(ख) ऐसी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।

(ग) पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के बयान रिकार्ड करवाएगा।

(2) उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि, इत्तला देने वाले को निःशुल्क दी जाएगी।

(3) यदि कोई व्यक्ति किसी थाने के भारसाधक अधिकारी के इत्तला अभिलिखित नहीं किए जाने से व्यथित है तो वह यह इत्तला पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है तथा पुलिस अधीक्षक इस बात से संतुष्ट है कि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो वह या तो स्वयं मामले का अन्वेष्ण करेगा या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेष्ण किए जाने का निदेश देगा।

- **धारा 160 :– साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति**

(1) किसी अपराध करने वाला अधिकारी अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति आदेशानुसार हाजिर होगा। किन्तु ऐसे आदेश किसी 15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या स्त्री या मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति के लिए जारी नहीं किए जाएंगें अर्थात इनकों थाने पर बुलाने के लिए लिखित आदेश जारी नहीं किए जाएंगें।

(2) ऐसे व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार उपबन्ध कर सकती है।

- **धारा 161 :– पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा**

(1) अनुसंधान करने वाला कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है जो मामले की परिस्थितियों तथा तथ्यों से परिचित है।

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जो उसे आपराधिक आरोप या शास्ति मे डालने की आशंका के हो, सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा।

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है जो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक अभिलेख तैयार करेगा, जिसके वह कथन अभिलिखित करता है।

ऐसे कथन श्रव्य–दृश्य इलेक्टानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

यदि कथन किसी ऐसी स्त्री के है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है, तो कथन किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगें।

- **धारा 162 :– पुलिस के किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना तथा कथनों का साक्ष्य में उपयोग :–**

(1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अनुसंधान के दौरान किया गया कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा।

कथन का प्रयोग धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत खंडन करने के लिए प्रयुक्त होगा।

(2) धारा 32(1) तथा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत लेखबद्ध कथनों पर इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी।

- **धारा 164 (5क) (क)**यदि कथन किसी ऐसे व्यक्ति के है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 के अन्तर्गत अपराध किया गया है, तो ऐसा अपराध पुलिस की जानकारी में आते ही न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के कथन उपयुक्त तरीके से अभिलिखित करेगा।

  यदि कथन करने वाला स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक का सहयोग लेगा।

  स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक के सहयोग के साथ किए गए कथन की विडियोग्राफी की जा सकेगी।

  धारा 164 (5क) (ख) –अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति के उपरोक्तानुसार लेखबद्ध बयान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में विर्निदिष्टानुसार मुख्य परीक्षा के स्थान पर ऐसे बयान विचारित किये जाऐंगें, कि बयान देने वाले की विचारण के समय उसे लेखबद्ध करने की आवश्यकता के स्थान पर ऐसे बयान पर प्रति परीक्षा की जा सकेगी।

- **धारा 164 (क) :– बलात्संग का शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा –**

  (1) जब बलात्संग या बलात्संग किए जाने के प्रयास का अपराध कारित किया जाता है तो पीडिता को रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से उस स्त्री की या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से इत्तला प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर चिकित्सा परीक्षा हेतु चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।

  (2) जब रजिस्टर्ड चिकित्सा के पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है तो वह बिना किसी विलम्ब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा तथा चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें अग्रलिखित ब्यौरे दिए जाऐंगें–

- उस स्त्री का व उस व्यक्ति का नाम व पता जो उसे लाया है।
- स्त्री की आयु
- डीएनए प्रोफाइल के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण
- स्त्री के शरीर पर आई किसी चोट आदि का विवरण
- स्त्री की साधारण मानसिक दशा
- अन्य कोई विवरण जो आवश्यक हो।

(3) रिपोर्ट में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगें जिनसे कोई निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) यह भी अभिलिखित किया जाएगा कि उस स्त्री की या उसकी ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

(5) परीक्षा प्रारम्भ करने व समाप्त करने का समय भी अंकित किया जाएगा।

(6) चिकित्सा व्यवसायी अविलम्ब अपनी रिपोर्ट अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करेगा।

(7) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है।

- **धारा 173 :– अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट –**

(1) अन्वेषण अनावश्यक देरी के बिना पूरा किया जाएगा

(1क) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई के अन्तर्गत अपराध का अनुसंधान दो माह में पूर्ण किया जाएगा।

(2)

1. अनुसंधान पूरा होने पर भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट संज्ञान के लिये समक्ष मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में भेजेगा। जिसमें निम्नांकित शामिल होंगें –

   (क) पक्षकारों के नाम,

   (ख) सूचना की प्रकृति,

   (ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के नाम (गवाह)

   (घ) अपराध धारा–अभियुक्त का नाम,

(ङ) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है,

(च) जमानत पर है,

(छ) धारा 170 के अंतर्गत अभिरक्षा में भेजा जा चुका है ।

(ण) जहां अनुसंधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई के अन्तर्गत अपराध के संबंध में है वहां स्त्री की चिकित्सा परिक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।

2. वह अधिकारी की गई कार्यवाही की संसूचना पीडित को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से देगा।

3. **धारा 176. :– मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच–**

(1) जब जब मामला धारा 174 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रकृति का है तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त, वह निकटतक मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु समीक्षा करने में सक्षम है और यदि वह जांच करता है तो उसे वे सब शक्तियां होंगीं जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती है।

(1क) जहां –

- **कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है**
- **किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित होता है**

तो उस दशा में ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया है, जांच की जाएगी।

(2) ऐसी जाँच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके सम्बंध में लिये गये साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात् विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थिति के अनुसार अभिलिखित करेगा।

(3) जहाँ मजिस्ट्रेट के विचार में किसी व्यक्ति के शव को पहले ही गाड़ दिया है और मृत शरीर की इसलिये परीक्षा उसकी की जाये तो उसकी मृत्यु के कारण का पता चल सके तो वह उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा करवा सकता है ।

(4) मजिस्ट्रेट जहाँ कहीं साध्य है मृतक के नातेदारों को ईत्तला देगा और उन्हे जाँच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा ।

(5) उपधारा (1क) के अधीन जांच या अनुसंधान करने वाला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या चिकित्सा व्यक्ति को भेजेगा।

(3) जहां धारा 158 के अन्तर्गत कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां ऐसी रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी और वह अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निदेश भी दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे।

(4) यदि अभियुक्त को बन्धपत्र पर छोड़ दिया गया है तो बन्धपत्र के उन्मोचन के लिए आदेश।

(5) धारा 170 के अन्तर्गत आने वाली रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित सामग्री भेजी जाएगी

(क) वे सभी दस्तावेज जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार हो

(ख) अनुसंधान के क्रम में लेखबद्ध किए गए 161 द.प्र.सं. के बयान।

(6) यदि पुलिस अधिकारी की राय में किसी कथन या दस्तावेज को अभियुक्त को प्रकट करना न्यायहित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए समीचीन है तो कथन के उस भाग को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि से निकाल देने के लिए मजिस्ट्रेट को निवेदन करेगा ।

(7) अनुसंधान अधिकारी सुविधापूर्ण समझे तो मजिस्ट्रेट से उप धारा 5 में वर्णित सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियाँ अभियुक्त को दे सकता है ।

(8) मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज देने के बाद भी अनुसंधान जारी रखा जाकर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य मिलने पर अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी । ऐसी रिपोर्ट पर उपधारा 2 से 6 तक के सभी उपबन्ध लागू होंगें।

- **धारा438 –गिरफ्तारी की आंशका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश–**

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसकों किसी अजमानतीय अपराध के लिये गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में जमानत के लिये आवेदन कर सकता है और यदि न्यायालय उचित

समझे तो उसे गिरफ्तार की स्थिति में जमानत पर छोडा जा सकता है। जमानत निम्न परिस्थितियों में ली जा सकती है –

- *अभियोग की प्रकृति एवं गम्भीरता*
- *किसी न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषसिद्धि*
- *न्याय से भागने की आशंका*
- *क्षति पहुंचाने के आशय से लगाया गया अभियोग*

न्यायालय द्वारा या जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाएगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने का अन्तरिम आदेश पारित करेगा। आवेदन अस्वीकार होने पर पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा।

(1क) जहां जमानत आवेदन मंजूर किया जाता है वहां न्यायालय सात दिन के अन्दर पारित किए गए आदेश के साथ सूचना लोक अभियोजक एवं पुलिस अधीक्षक को देगा।

(1ख) न्याय हित मे लोक अभियोजक जमानत आवेदन की सुनवाई के समय आवेदक की उपस्थिति न्यायालय द्वारा अन्तिम सुनवाई तथा अन्तिम आदेश पारित करते समय, बाध्यकारी होगी।

नोट :– यह प्रावधान वर्ष 2005 के संशोधनों द्वारा प्रतिस्थापित किए गए है किन्तु अभी लागू नहीं हुए है।

(2) अग्रिम जमानत मंजूर करते समय न्यायालय अन्य बातों के साथ–साथ शर्तो भी सम्मिलित कर सकता है–

(क) जब कभी आवश्यकता होगी वह व्यक्ति पुलिस द्वारा परिप्रश्न के लिये हाजिर होगा।

(ख) वह व्यक्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके विरूद्ध अभियान के तथ्यों से परिचित है उन्हें डरायेगा धमकायेगा नहीं।

(ग) वह न्यायालय की अनुमति के बिना भरत नहीं छोडेगा।

(घ) ऐसी अन्य शर्तों जो धारा 437 की उपधारा 3 के अधीन अधिरोपित की जा सकती है।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भरसाधक अधिकारी के बिना वारंट गिरफ्तरी किया जाता है और ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिये तैयार है तो उसे जमानत पर छोड दिया जायेगा तथा ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला

मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम बार में ही वारंट जारी किया जाना चाहिए तो वह उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारंट जारी कर सकेगा।

(4) इस धारा की कोई बार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा 3 या धारा 376कख, या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के के किसी मामले में लागू नहीं होगी।

- **धारा 439 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां –**

(1) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि –

(क) किसी व्यक्ति को जो अभिरक्षा में है उसे जमानत पर छोड दिया जाए और यदि मामला धारा 437 की उपधारा 3 की प्रकृति का है तो वह कोई शर्त अधिरोपित करते हुए उस व्यक्ति को जमानत पर छोड सकता है।

(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोडने के समय किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर सकता है।

परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय आजीवन कारावास से दण्डनीय या सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में किसी व्यक्ति को जमानत देने से पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को देगा।

उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा 3 या धारा 376कख, या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराध का विचारणीय अभियुक्त है, जमानत लेने से पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि में लोक अभियोजक को देगा।

(1क) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा 3 या धारा 376कख, या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय इत्तिला देने वाले या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकारी होगी।

(2) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे जमानत पर छोडा जा चुका है, उसे गिरफ्तार करने का निदेश दे सकता है व उसे अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं से संबंधित प्रावधान

- **धारा 53 क – शील के संबंध में सुसंगतता –**

धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354 डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई के अन्तर्गत किये गए अपराध या ऐसे अपराध कारित करने के प्रयास के अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाधक तथ्य है तो पीडित का शील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य, सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के विवाधक तथ्य पर सुसंगत नहीं होगा।

- **धारा 113 क – किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्म हत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा**

जब यह दर्शित किया गया है कि विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर विवाहिता द्वारा आत्म हत्या की थी और उसके पति या पति के रिस्तेदारों ने क्रूरता की थी तो न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उपधारणा कर सकेगा की ऐसी आत्म हत्या उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दुष्प्रेरित की गयी थी।

- **धारा 113 ख – दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा –**

जब यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पूर्व उसे उस व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में परेशान किया गया था अथवा क्रूरता की गयी थी, न्यायालय उपधारणा करेगा की ऐसा व्यक्ति दहेज मृत्यु का कारण रहा था।

- **धारा 114 ए :– बलात्संग के संबंध में सहमति नहीं होने की उपधारणा –**

संशोधन में धारा 376 की उपधारा 2 के खण्ड क से ढ तक के अधीन अपराध में बलात्संग के लिए अभियुक्त द्वारा लैंगिक संभोग किया जाना साबित हो जाता है और पीडित स्त्री यह कथन करती है कि लैंगिक संभोग उसकी सम्मति के बिना किया गया है तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।

स्पष्टीकरण :– लैंगिक संभोग से तात्पर्य धारा 375 में वर्णित खण्ड क से घ तक के सभी प्रकार के कृत्य है।

- **धारा 118 :– कौन साक्ष्य दे सकेगा –**

सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगें, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्द्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों के समझने से उन प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित है।

स्पष्टीकरण – कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।

- **धारा 119 :– साक्षी का मौखिक रुप से संसूचित करने में असमर्थ होना –**

वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किन्तु ऐसा लेख या संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगें या करने होंगें। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा।

न्यायालय ऐसे कथन अभिलिखित करने के लिए विशेष शिक्षक या अनुवादक का सहयोग लेगा और इस तरह के कथन की विडियोग्राफी की जा सकेगी।

- **धारा 146 :–प्रतिपरीक्षा में पीडिता के चरित्र के संबंध में प्रश्न न पूछा जाना**

धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई के अन्तर्गत किये गए अपराध या ऐसे अपराध कारित करने के प्रयास के अभियोजन में पीडिता से प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण अनैतिक चरि़त्र या किसी भी व्यक्ति के साथ के पूर्व के लैंगिक अनुभव के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगें।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

घरेलू हिंसा की परिभाषा

- धारा 3 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नांकित कार्य या कार्य का लोप या आचरण घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा :–

1.व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन की या उसको पहुंचाई जाने वाली मानसिक या शारीरिक अपहानि। इसके अन्तर्गत शारीरिक, लैंगिक, मौखिक एवं आर्थिक दुर्व्यवहार सम्मिलित है।

2.किसी भी दहेज या अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी भी विधिविरुद्ध मांग की पूर्ति करने के लिए व्यथित व्यक्ति को या उससे संबंधित व्यक्ति को प्रपीडित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति को तंग करना या उसकी अपहानि करना।

3.किसी भी आचरण से व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित व्यक्ति को धमकी देना।

4.व्यथित व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति

- धारा 2 (क) के अनुसार ऐसी कोई महिला जो किसी प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रह रही है तथा जो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन होने या रही होने का अभिकथन करती है।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत प्रत्यर्थी

- धारा 2 (थ) के अनुसार कोई भी वयस्क पुरुष जो व्यथित व्यक्ति से घरेलू नातेदारी में हो या रहा हो तथा जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने अनुतोष चाहा है। नवीनतम न्याय निर्णय के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वयस्क पुरुष के स्थान पर कोई भी व्यक्ति माना जाना निर्णित किया है।**हिराल हरसोरा बनाम कुसुम हरसोरा (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय)**

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आर्थिक दुर्व्यवहार

आर्थिक दुर्व्यवहार में निम्नांकित को सम्मिलित किया जाता है :–

- हकदार स्त्री को उसके स्त्रीधन, स्वामित्वाधीन सम्पत्ति, किराये की राशि आदि से वंचित करना।
- स्त्रीधन या संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति का व्ययन कर देना।

- गृहस्थी के आवश्यक संसाधनों , सुविधाओं आदि से वंचित कर देना या उनके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा देना।
- गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं का व्ययन कर देना।
- किसी व्यवसाय, रोजगार या नियोजन आदि से रोक देना।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत संरक्षण अधिकारी

- इस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत राज्य सरकार हर जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी और उनकी संख्या निर्धारित की जाएगी। जितना संभव हो सके संरक्षण अधिकारी के रुप में महिला की नियुक्ति की जाएगी।
- धारा 9 के अन्तर्गत संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। ये कर्तव्य इस प्रकार है :–

1. मजिस्टेट को कर्तव्य निर्वहन में सहायता करना।
2. शिकायत प्राप्त होने पर मजिस्टेट का रिपोर्ट करना और रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित थाना को प्रेषित करना।
3. व्यथित व्यक्ति को आवेदन में सहायता करना।
4. व्यथित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।
5. उसे निःशुल्क आश्रयघर उपलब्ध करवाना।
6. यदि किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा की गई है तो उसकी चिकित्सा जांच करवाना।
7. इस अधिनियम के तहत पारित किए गए आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने में सहायता करना।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत सेवा प्रदाता

- धारा 10 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, वित्तीय सहायता या अन्य किसी सहायता के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों व हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कोई रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम सेवा

प्रदाता के रुप में राज्य सरकार के पास अपना पंजीयन करवा सकती है। ऐसे स्वैच्छिक संगम को इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के रुप में माना जाएगा।

- धारा 10 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, वित्तीय सहायता या अन्य किसी सहायता के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों व हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कोई रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम सेवा प्रदाता के रुप में राज्य सरकार के पास अपना पंजीयन करवा सकती है। ऐसे स्वैच्छिक संगम को इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के रुप में माना जाएगा।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत साझा गृहस्थी

धारा 2(ध) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार साझा गृहस्थी से अभिप्राय ऐसी गृहस्थी से है जहां –

- व्यथित व्यक्ति या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या रहा है।
- इसके अन्तर्गत ऐसी कोई भी गृहस्थी सम्मिलित है जो चाहे व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी के संयुक्त रुप से स्वामित्वाधीन है या किराये पर ली गई है या दोनो का संयुक्त रुप से या अकेले कोई भी अधिकार, हक, हित या न्यायोचित दावा है।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत अन्तरिम आदेश

- धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच करने वाला मजिस्ट्रेट अन्तिम आदेश करने से पूर्व व्यथित व्यक्ति को तुरन्त अनुतोष दिए जाने की आवश्यकता के अनुसार स्वविवेक से प्रत्यर्थी के लिए अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है। जैसे यदि व्यथित व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया गया है तो अन्तिम आदेश करने से पूर्व उसकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अन्तरिम आवास आदेश दे सकता है।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाने वाले आदेश

धारा 18 के अन्तर्गत संरक्षण आदेश – इसके अन्तर्गत मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को आदेश दे सकता है कि वह –

- घरेलू हिंसा को कोई कार्य नहीं करे।
- घरेलू हिंसा के कार्य में सहायता न करे ना ही किसी को दुष्प्रेरित करे।
- किसी ऐसे स्थान में प्रवेश न करे जो व्यथित व्यक्ति का नियोजन स्थल हो या जहां व्यथित व्यक्ति का निरन्तर आवागमन हो।
- वह व्यथित व्यक्ति से किसी भी प्रकार से सम्पर्क करने का प्रयास नहीं करे।
- वह व्यथित व्यक्ति की सम्पत्ति का संक्रमण नहीं करें, बैंक खातों या बैंक लॉकरों को संचालन नहीं करें।
- व्यथित व्यक्ति या उसके रिश्तेदारों के साथ हिंसात्मक कार्य नहीं करे।
- धारा 19 के अर्न्तगत निवास आदेश :– परिस्थितियों के अनुसार
- प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति को साझा गृहस्थी से न जो निष्कासित करेगा ना ही अन्य किसी प्रकार से उसमें विघ्न उत्पन्न करेगा।
- प्रत्यर्थी साझा गृहस्थी से अपने आपको पृथक कर ले।
- प्रत्यर्थी उस साझा गृहस्थी में प्रवेश नहीं करे जिसमें व्यथित व्यक्ति का निवास है।
- प्रत्यर्थी साझा गृहस्थी का व्ययन नहीं करे, संक्रमण नहीं करें न ही उसे भारग्रस्त करें।
- साझा गृहस्थी में अपने हित का त्याग नहीं करें।
- प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति के लिए साझा गृहस्थी में उपयुक्त वैकल्पिक आवास या अपेक्षित स्तर सुनिश्चित करे या उसका किराया संदत्त करे।
- धारा 20 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता :–
- व्यथित व्यक्ति व उसकी संतान द्वारा उपगत व्यय एवं क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता जो आजिविका की हानि, चिकित्सा व्यय, भरण पोषण या नुकसान की भरपाई तक ही सीमित नहीं होगी।
- दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर्याप्त, उचित, युक्तियुक्त एवं जीवनयापन के अनुरुप होगी।
- धारा 21 के अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति को उसकी संतान या संतानों का अभिरक्षा आदेश।
- धारा 22 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा के परिणामस्वरुप हुई क्षतियों, मानसिक यातना या भावनात्मक कष्ट के लिए प्रतिकर आदेश।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाने वाले आदेश की अवहेलना करने पर दण्ड

धारा 31 के अन्तर्गत यदि घरेलू हिंसा के अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाने वाले आदेश की अवहेलना प्रत्यर्थी द्वारा की जाती है तो वह संज्ञेय अपराध होगा तथा ऐसे व्यक्ति को एक साल तक का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006

यह अधिनियम 10 जनवरी 2007 को पूरे देश में लागू हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत बाल विवाह के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए गए जो इस प्रकार है :–

- **परिभाषाऐं :– धारा (2)**
  1. बालक –बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा बालिका जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
  2. बाल विवाह – ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनो पक्षकारों में कोई बालक है।
  3. जिला न्यायालय – जिला न्यायालय से अभिप्रेत क्षेत्राधिकार रखने वाला कुटुम्ब न्यायालय या जहां कुटुम्ब न्यायालय नहीं हैं वहां क्षेत्राधिकार रखने वाला सिविल न्यायालय है।
- **बाल विवाह का शून्यकरण – (धारा 3)**
  1. बाल विवाह के बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था, बाल विवाह के शून्यकरण की अर्जी जिला न्यायालय में फाईल की जा सकेगी।
  2. यह अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत फाईल की जा सकेगी।
  3. यह अर्जी बालक के व्यस्क होने के दो वर्ष के अन्दर फाईल की जा सकेगी।
  4. जिला न्यायालय द्वारा ऐसी अर्जी पर समुचित कार्यवाही कर विवाह को शून्य घोषित किया जा सकेगा।
- **बाल विवाह के अन्तर्गत अपराध :–**

1. बाल विवाह करने वाले पुरुष व्यस्क के लिए दण्ड – धारा 9
2. बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दण्ड – धारा 10
3. बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दण्ड – धारा 11
4. बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश के व्यतिक्रम के लिए दण्ड – धारा 13

- **बाल विवाह के लिए दण्ड :–**
  1. सभी अपराधों के लिए दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माना।
  2. बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने तथा बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश के व्यतिक्रम के अपराध के लिए किसी स्त्री को कारावास का दण्ड नहीं दिया जाएगा।
- **बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी करने की जिला न्यायालय की शक्ति :– धारा 13**
  1. जिला न्यायालय को बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर उस विवाह को प्रतिषिद्ध करने का आदेश जारी करने की शक्ति है।
  2. अक्षय तृतीय जैसे अवसरों पर जब बाल विवाह होने की ज्यादा संभावना रहती है जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा।
  3. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाहों को रोकने या उनका निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियां होंगी
- **इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना – धारा 15**
- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी :– धारा 16**
  1. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य में या उसके किसी भाग के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करेगी।
  2. यह अधिकारी सामान्यतः तहसीलदार या उपखण्ड मजिस्ट्रेट होंगें।
  3. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाह के परिणाम स्वरुप होने वाली बुराईयों के प्रति जागरुकता, बाल विवाह करने से संबंधित पक्षकारों का परामर्श करने, बाल

विवाह को रोकने के संबंध में समुचित कार्यवाही आदि करने के संबंध में अपने कर्तव्यों की पालना करेंगें।

राजस्थान डायन प्रताडना निवारण अधिनियम 2015

राजस्थान राज्य में डायन प्रताडना के संत्रास पर काबू पाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा राज्य में डायन वृत्ति की प्रथा का निवारण करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। दिनांक 24 अप्रेल 2015 को इस अधिनियम को राजस्थान के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई तथा इसे तभी से प्रवृत्त किया गया।

- **परिभाषाऐं (धारा 2)**
- डायन :– किसी स्त्री को हानि पहुंचाने के आशय से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा डायन या डाकन या डाकिन के नाम से पहचान इस विश्वास के साथ की जाये कि वह स्त्री किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है या उसके पास कोई बुरी शक्ति है।
- डायन वृत्ति :– दुराशयपूर्वक आत्मा का आवाहन करने या सम्मोहन करने या चुराये गए माल का पता लगाने के लिए अलौकिक या जादूई शक्ति का प्रयोग डायन वृत्ति में सम्मिलित है जिसमें टोना टोटका, तन्त्र मन्त्र, जादू टोना या झाडफूंक आदि सम्मिलित है।
- डायन चिकित्सक :– वह व्यक्ति जो यह दावा करता हो कि उसके पास डायन को नियन्त्रित करने या उपचार करने की अलौकिक या जादूई शक्ति है या जो किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त कराने के आशय से कोई अनुष्ठान करता है वह डायन चिकित्सक है जिसमें तांत्रिक या ओझा या गुनिया आदि शामिल है।
- डायन प्रताडना :– डायन प्रताडना का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जिसमें
  1. किसी स्त्री डायन के रुप में पहचान करना, दोष लगाना या मानहानि करना
  2. ऐसी स्त्री को मानसिक या शारीरिक रुप से तंग करना, अपहानि करना या उसे या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना
- **डायन प्रताडना के लिए दण्ड (धारा 4)**

1. जो कोई डायन प्रताडना कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा या पचास हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
2. जो कोई किसी स्त्री को डायन के रुप में चिन्हित करते हुए उसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खाने या पीने के लिए बाध्य करता है या उसे नग्न या कम वस्त्रों में या पुते हुए चेहरे के साथ उसका प्रदर्शन करता है जो मानव गरिमा के विरुद्ध है या उसे घर या अन्य किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या पचास हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

- **डायनवृत्ति के लिए दण्ड (धारा 5)**

  जो कोई डायन वृत्ति या अन्य समान वृत्तियों का प्रयोग किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के आशय से करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

- **डायन चिकित्सक के लिए दण्ड (धारा 6)**

1. जो कोई यह दावा करता है कि उसके पास डायन को नियन्त्रित करने की शक्ति है या उसका उपचार करने की अलौकिक या जादुई शक्ति है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
2. जो कोई किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के तात्पर्य से अनुष्ठान करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या पचास हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
3. जो कोई किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त कराने के लिए किसी डायन चिकित्सक या तांत्रिक से अनुष्ठान करवाता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या पचास हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

- **डायन प्रताडना से पीडित स्त्री की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए दण्ड (धारा 7)**

जहां किसी स्त्री की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तथा यह साबित हो जाता है कि उसके साथ डायन प्रताडना की गई थी जो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार के डायन प्रताडना के कार्य में सम्मिलित हो, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो सात वर्ष से कम नहीं होगा जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

- **सामूहिक जुर्माना (धारा 8)**

  यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के किए जाने से संबंधित है या उसका दुष्प्रेरण कर रहे है या ऐसा अपराध किए जाने वाले व्यक्तियों को संश्रय दे रहे है या ऐसे अपराध या अपराधियों का पता लगाने में सहायता नही ंकर रहे है या साक्ष्य को दबा रहे है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।

- **प्रतिकर (धारा 9)**

  1. न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के दण्डादेश में जुर्माने की रकम नियत करते समय उपचार की तथा पीडित की सम्पत्ति की हानि की लागत को सम्मिलित करते हुए पीडित को कारित शारीरिक व मानसिक हानि पर विचार करेगा।
  2. न्यायालय जुर्माने का दण्ड अधिरोपित करते समय किए गए जुर्माने का साठ प्रतिशत प्रतिकर के रुप में पीडित को दिए जाने का आदेश देगा।

- **निवारक कार्यवाही (धारा 11)**

  जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत किस क्षेत्र विशेष में इस अधिनियम के अन्तर्गत बार बार अपराध किए जाने की संभावना है तो वे उस क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से ग्रस्त घोषित कर सकेगा तथा शांति तथा सदाचार बनाए रखने के लिए निवारक कार्यवाही कर सकेगा।

- राज्य सरकार की स्कीमें :–

1. राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों से पीडितों का पुनरुद्धार व पुनर्वास तथा उन्हें विधिक एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्कीमें बनाएगी।
2. अंधविश्वास पर जागरुकता कार्यक्रम संचालित करने तथा बुरी आत्मा, डायन वृत्ति की अर्थहीन धारणाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के संबंध मे स्कीमें बनाएगी।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 3)

कोई व्यक्ति जब किसी भी सीमा तक, किसी बालक की योनि, मुँह, मुत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग या कोई वस्तु या शरीर का अंग जो लिंग नहीं हो, प्रवेशित करता है या बालक के शरीर के अंग को इस तरह काम में लेता है जिससे कि बालक की योनि, मुत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अंग/वस्तु को प्रवेशित करता है या बालक के लिंग, योनि, मूत्रमार्ग पर मुँह को लगाता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है।

जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। (धारा 4)

गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला

- धारा 5 के अनुसार गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करने पर धारा 6 के प्रावधानों के अर्न्तगत बीस साल से लेकर आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य शेष नैसर्गिक जीवन से है, या मृत्युदण्ड तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किया गया जुर्माना न्यायोचित एवं समुचित होगा और पीडित के चिकित्सकीय एवं पुनर्वास खर्चे की पूर्ति के लिए देय होगा। गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले में –

(क) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(ख) किसी सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के सदस्य द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(ग) किसी लोक सेवक द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(घ) किसी प्रतिप्रेषण गृह या रिमाण्ड होम, संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या किसी देखरेख या संरक्षण की संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(च) किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(छ) किसी बालक पर किया गया सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला

(ज) घातक आयुध आदि का प्रयोग करते हुए किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(झ) प्रवेशन लैंगिक हमला करने के दौरान गंभीर चोट या जननेन्द्रियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना

(ञ) प्रवेशन लैंगिक हमला करने के कारण

- बालक का शारीरिक या मानसिक रुप से अशक्त हो जाना।
- बालिका की दशा में गर्भवती हो जाना।
- बालक का वाइरस या प्राणघातक रोग से ग्रसित हो जाना।
- बालक की मृत्यु हो जाना।

(ट) बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(ठ) बालक पर एक से अधिक बार किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(ड) बारह वर्ष से कम आयु के बालक पर किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(ढ) बालक के नातेदार या घरेलू संबंध में रहते हुए किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(ण) बालक को सेवा प्रदान करने वाली सस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(त) बालक का न्यासी या प्राधिकार की स्थिति में रहते हुए किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(थ) गर्भवती होते हुए किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(द) बालक की हत्या करने का प्रयत्न करने का प्रयास करते हुए किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(ध) सामुदायिक या पथिक हिंसा या प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(न) लैंगिक अपराध के दोषी व्यक्ति द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(प) बालक को सार्वजनिक रुप से निर्वस्त्र कर या निर्वस्त्र का प्रदर्शन कर किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

शामिल है।

गुरुत्तर लैंगिक हमला

- धारा 9 के अनुसार गुरुत्तर लैंगिक हमला करने पर धारा 10 के प्रावधानों के अर्न्तगत पांच साल से लेकर सात साल के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गुरुत्तर लैंगिक हमले में –

(क) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया लैंगिक हमला

(ख) किसी सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के सदस्य द्वारा किया गया लैंगिक हमला

(ग) किसी लोक सेवक द्वारा किया गया लैंगिक हमला

(घ) किसी प्रतिप्रेषण गृह या रिमाण्ड होम, संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या किसी देखरेख या संरक्षण की संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया लैंगिक हमला

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया लैंगिक हमला

(च) किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया लैंगिक हमला

(छ) किसी बालक पर किया गया सामूहिक लैंगिक हमला

(ज) घातक आयुध आदि का प्रयोग करते हुए किया गया लैंगिक हमला

(झ) लैंगिक हमला करने के दौरान गंभीर चोट या जननेन्द्रियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना

(ञ) प्रवेशन लैंगिक हमला करने के कारण

- बालक का शारीरिक या मानसिक रुप से अशक्त हो जाना।
- बालक का वाइरस या प्राणघातक रोग से ग्रसित हो जाना।

(ट) बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर किया गया लैंगिक हमला

(ठ) बालक पर एक से अधिक बार किया गया लैंगिक हमला

(ड) बारह वर्ष से कम आयु के बालक पर किया गया लैंगिक हमला

(ढ) बालक के नातेदार या घरेलू संबंध में रहते हुए किया गया लैंगिक हमला

(ण) बालक को सेवा प्रदान करने वाली सस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया लैंगिक हमला

(त) बालक का न्यासी या प्राधिकार की स्थिति में रहते हुए किया गया लैंगिक हमला

(थ) गर्भवती होते हुए किया गया लैंगिक हमला

(द) बालक की हत्या करने का प्रयत्न करने का प्रयास करते हुए किया गया लैंगिक हमला

(ध) सामुदायिक या पथिक हिंसा या प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया लैंगिक हमला

(न) लैंगिक अपराध के दोषी व्यक्ति द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला

(प) बालक को सार्वजनिक रुप से निर्वस्त्र कर या निर्वस्त्र का प्रदर्शन कर किया गया लैंगिक हमला

(फ) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बालक को हार्मोन या कोई अन्य रासायनिक पदार्थ देना

शामिल है।

लैंगिक उत्पीडन

- धारा 11 के अनुसार बालक के साथ लैंगिक उत्पीडन करने पर धारा 12 के प्रावधानों के अर्न्तगत तीन साल तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लैंगिक उत्पीडन में –

1. बालक को लैंगिक आशय से कोई शब्द कहना या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित करना।
2. लैंगिक आशय से किसी बालक को अपने शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहना।
3. बालक को अश्लील साहित्य दिखाना।
4. बालक का सीधे या इलेक्ट्रिक माध्यम से पीछा करना।
5. बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य की तस्वीर खींचकर उपयोग करने की धमकी देना।
6. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक को प्रलोभन देना।

शामिल है।

अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग

- धारा 13 के अनुसार किसी बालक/बालिका का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने पर अलग अलग परिस्थितियों में धारा 14 के प्रावधानों के अर्न्तगत 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तथा जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। बालक/बालिका का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने में –

1. किसी बालक की जननेन्द्रियों का प्रदर्शन
2. किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना।
3. किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन

शामिल है।

- **धारा 14** के प्रावधानों के अनुसार दण्ड संबंधी प्रावधानों मे –

1. किसी बालक के अश्लील साहित्य प्रयोजन के लिए प्रथम अपराध में पांच साल तक के कारावास तथा जुर्माने से एवं द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए सात साल तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
2. किसी बालक को अश्लील साहित्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने के साथ साथ यदि बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला या लैंगिक हमला या गुरुत्तर लैंगिक हमला किया जाता है तो उपरोक्त दण्ड के अतिरिक्त संबंधित धाराओं के दण्ड से भी दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

- **धारा 15** के अनुसार बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण, कब्जे, तथा ऐसे साहित्य को नष्ट करने या डिलीट करने में असफल होने पर अलग अलग परिस्थितियों में 5 से 10 हजार रुपये के जुर्माने तथा 3 साल से 7 साल तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दण्ड संबंधी प्रावधानों में –

1. बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण, कब्जे, तथा ऐसे साहित्य को नष्ट करने या डिलीट करने में असफल होने तथा संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को इसकी रिपोर्ट नहीं करने पर प्रथम अपराध में पांच हजार तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
2. बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य को ट्रांसमिट या प्रचारित या प्रबन्धित या प्रसारित करने पर तीन साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
3. बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भंडारण एवं कब्जा रखने पर प्रथम अपराध में तीन साल से पांच साल तक के कारावास तथा जुर्माने या दोनो तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए पांच साल से सात साल तक के कारावास तथा जुर्माने या दोनो से दण्डित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

नवीनतम संशोधनों के प्रमुख तथ्य

- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 में किए गए नवीनतम संशोधनों के अनुसार प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले के मामलों का अनुसंधान दो माह में पूर्ण किया जाएगा।

- जहां इस अधिनियम में वर्णित अपराध किसी लोक सेवक द्वारा किया गया अभिकथित किया गया है, वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अर्न्तगत अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराधों का विचारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के अर्न्तगत दो माह में पूर्ण किया जाएगा।
- इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराधों का विचारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 तथा इस अधिनियम की धारा 37 के अर्न्तगत बन्द कमरे में किया जाएगा।
- इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराधों का में पारित दण्डादेशों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374/377 के अर्न्तगत अपील का निस्तारण छह माह में किया जाएगा।
- इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराधों का में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत अग्रिम जमानत संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगें।

किसी अपराध का दुष्प्रेरण (Abetment of an offence) (धारा 16)

- एक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उपसाता है या अपराध को करने के लिए किसी षड़यन्त्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मलित होता है, यदि उस षड़यन्त्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये या उस अपराध को करने में साशय सहायता करता है वह उस अपराध का दुष्प्रेरण करता है।
- यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्ररेण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो उस अपराध के लिए निर्धानित है। (धारा 17)

अपराध करने के प्रयास के लिए दण्ड (धारा 18)

- जो किसी अपराध को करने या ऐसे अपराध को कराने का प्रयास करता है और ऐसे प्रयास में अपराध करने के लिए कोई कार्य करता है वह उस अपराध के उपबंधित किसी अवधि के कारावास से, जो आजीवन कारावास के आधे तक हो सकेगा या उस

अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक हो सकेगा, या जुर्माने से दोनों से दण्डित किया जायेगा।

अपराध की रिपोर्टिंग करना (धारा 19)

- इस कानून में इस तरह के अपराधों की सूचना देना या उसे लेखबद्ध करना अनिवार्य किया गया है। कोई भी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत बालक भी है) जिसे यह आशंका है, कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध होने की संभावना है या उसे जानकारी है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, तो वह संबंधित स्थानीय पुलिस अथवा विशेष किशोर पुलिस इकाई को जानकारी उपलब्ध करायेगा और ऐसे अपराध की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध को लेखबद्ध किया जावेगा।

मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता (धारा 20)

- यह धारा मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो, फोटो चित्रण सुविधाओं का कोई कार्मिक चाहे जिस नाम से ज्ञात हो किसी सामग्री, वस्तु जो किसी माध्यम के उपयोग से किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है तो वह संबंधित स्थानीय पुलिस अथवा विशेष किशोर पुलिस इकाई को जानकारी उपलब्ध करायेगा।

मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दण्ड (धारा 21)

- कोई व्यक्ति धारा 19 व 20 के अनुसार किसी अपराध के किये जाने की रिपोर्ट करने या ऐसे अपराध को लेखबद्ध करने में विफल रहता है वह किसी भी प्रकार के कारावास से जो छः माह का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
- किसी कम्पनी या किसी संस्था का प्रभारी होते हुए अपने नियंत्रण के अधीन अधीनस्थ के द्वारा किये गये अपराध के किये जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ हो जाता है, को अधिकतम एक वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
- धारा 19 व 20 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक पर लागू नहीं होंगें।

मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दण्ड (धारा 22)

- कोई व्यक्ति जो धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 9 के किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसे अवमानित करने, उद्यापित करने या धमकाने या बदनाम

करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करता है या कोई सूचना उपलब्ध करवाता है वह छः माह के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

- जहाँ किसी बालक द्वारा मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना उपलब्ध करवायी गयी है ऐसे बालक पर दण्ड अधिरोपित नहीं किया जायेगा।
- जो कोई बालक नहीं है किसी बालक के विरूद्ध कोई मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना उसे मिथ्या जानते हुए उपलब्ध करवाता है जिसमें ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित होता, वह ऐसे कारावास से जो की एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

➢ **मीडिया के लिए प्रक्रिया (धारा 23)**

❖ कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियों या फोटोग्राफी सुविधाओं से पूर्ण और अधिप्रमाणित सूचना के बिना किसी बालक के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लघंन होता हों।

❖ किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट बालक की पहचान जिसके अन्तर्गत उसका नाम,पता, फोटोचित्र परिवार के विवरणों, विधालय, पड़ौसी या किन्हीं अन्य विवरण को प्रकट नहीं किया जायेगा।

❖ परन्तु ऐसे कारणो से जो अभिलिखित किये जाने के पश्चात सक्षम विशेष न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकरण बालक के हित में है।

❖ मीडिया स्टूडियों का प्रकाशक या मालिक संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मचारी के कार्यो के किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर छः माह से एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

❖ धारा–28 प्रत्येक जिले में सेंशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्धारित किया गया है।

❖ धारा–29 विशेष न्यायालय धारा 3,धारा 5,धारा 7 और धारा 9 में यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है, जब तक कि प्रतिकूलता साबित नहीं हों।

❖ धारा–32 प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की

❖ नियुक्ति

❖ धारा–34 बालक द्वारा किसी अपराध के गठित होने एवं आयु की अवधारणा

❖ धारा–43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता

❖ धारा–44 अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनेटरिंग

पुलिस अधिकारी की भूमिका

❖ घटना के संबधं में किसी व्यक्ति, बालक या उसके परिवारजन द्वारा रिपोर्ट देने पर उसे तुरन्त लेखबद्ध की जायेगी और सूचना देने वाले को पढ़ कर सुनाई जायेगी। (धारा–19(2))

❖ बालक द्वारा घटना के संबधं में मौखिक सूचना देने पर तसल्ली पूर्वक जानकारी कर उसे सरल भाषा में अभिलेखित किया जावेंगा। (धारा–19(3))

❖ बालक को भाषा को समझने के लिये अनुवादक, विशेष शिक्षक या दुभाषिया की सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी। (धारा–19(4))

❖ परिवादी को तत्काल एफ.आई.आर. की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

❖ पुलिस द्वारा वह बालक जिसके विरूद्ध कोई अपराध किया गया है उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह कारणो को लेखबद्ध करने के पश्चात 24 घंण्टे के भीतर ऐसे बालक को आपात चिकित्सा देखरेख के लिए निकटतम अस्पताल में रखने की व्यवस्था की जायेगी। (धारा–19(5))

❖ किसी बालक की आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला कोई भी चिकित्सक ऐसी देखरेख करने के लिए किसी भी विधिक या मजिस्ट्रेट की अनुशंसा या आदेश की मांग नहीं करेगा।

❖ पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर प्रत्येक मामले की रिपोर्ट संबंधित बाल कल्याण समिति और अधिकृत विशेष न्यायालय को दी जावेंगी। (धारा–19(6))

- ❖ पुलिस द्वारा देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को देखरेख के कारणों को रिपोर्ट में लेखबद्ध करने के साथ ही 24 घंण्टे के भीतर संबधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेंगा।
- ❖ अपराध परिवार के सदस्य द्वारा किया गया है या उनकी लिप्तता पायी गयी हो वहां सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान परिवार के सदस्यों को उपस्थित नहीं रखा जावेंगा।
- ❖ बाल कल्याण समिति द्वारा बालक की सहायता हेतु सहायक व्यक्ति की नियुक्ति करवाना। ऐसा सहायक व्यक्ति बालक के साथ अन्वेषण जाँच या विचारण के समय उपस्थित रह सकेगा।
- ❖ जहां बालक को सहायक व्यक्ति दिया गया है वहां स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसे आदेश के 24 घण्टे के भीतर लिखित में विशेष न्यायालय को ऐसी सूचना दी जावेंगी।
- ❖ इस अधिनियम के प्रकरणो का अनुसंधान संबधित थानाधिकारी, द्वारा किया जावेगा। एफ. आर की स्थिति में सत्यापन पुलिस वृताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
- ❖ यदि घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने में देरी हो गई है तो कारण जानने का प्रयास किया जावें।
- ❖ प्रथम सुचना रिपोर्ट सुचना देने वाले को पढ़ कर सुनाई जावें कोई नया तथ्य सामने आने पर उसको कार्यवाही पुलिस में स्पष्ट खुलासा किया जावें।
- ❖ परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की रोजनामचा में रपट अंकित की जावें।
- ❖ प्राथमिक सुचना रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही पुलिस में इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अतिरिक्त भा0द0स0,किशोर न्याय अधिनियम सुचनाप्रोधौगिकी अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के प्रांसागिक प्रावधानों को जोड़ा जावें।

पुलिस द्वारा बालक का बयान लेखबद्ध करना

- ❖ पुलिस अधिकारी द्वारा बिना किसी देरी के पीड़ित बालक के बयान दर्ज किया जावें।

- ❖ पीड़ित बालक के बयान उसके निवास या उसकी पंसद के स्थान पर दर्ज किये जावें और जहां तक संभव हो उपनिरीक्षक स्तर की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलेखित किया जावें।(धारा–24(1))
- ❖ बालक के कथन को अभिलिखित किये जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होवे।(धारा–24(2))
- ❖ अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें आरोपी की पहचान परेड़ को छोड़कर आरोपी के सर्म्पक में नहीं आये।(धारा–24(3))
- ❖ किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरूद्ध नहीं किया जावें।(धारा–24(4))
- ❖ पुलिस अधिकारी तब तक यह सुनिश्चित करेगें की बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित है जब तक की बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित नहीं किया गया हो (धारा–24(5))
- ❖ पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के माता–पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक भरोसा या विश्वास है की उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गये अनुसार बयान दर्ज किये जाये। (धारा–26(1))
- ❖ पुलिस अधिकारी द्वारा बालक का बयान अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी दुभाषिया की सहायता ली जावें।(धारा–26(2))
- ❖ मानसिक व शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की सेवायें ली जावें।(धारा–26(3))
- ❖ पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बालक के द्वारा दिये गये बयानो की आडियो विजुवल रिकॉडिंग की जावें।(धारा–26(4))
- ❖ पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान या कार्यवाही के दौरान बालक से सवाल जवाब में दबाव नहीं दिया जावें और ना ही बालक पर किसी प्रकार का नैतिक निर्णय थोपा जावें जिससे की वह स्वयं को दोषी या दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार महसूस करें।
- ❖ पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बालक अथवा उसके परिवार के चरित्र और पूर्वव्रत के बारे में टिप्पणी नहीं की जावें और ना ही जाँच के दौरान किसी भी प्रकार गैर जिम्मेदाराना भाषा का उपयोग किया जावें।

बालक का चिकित्सीय परीक्षण करवाना

- ❖ पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बालक का अविलम्ब चिकित्सीय परीक्षण करवाया जावें।
- ❖ पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बालक की चिकित्सीय जाँच जिसके साथ कोई अपराध किया गया है उस अपराध के लिए प्रथम सुचना रिपोर्ट या परिवाद दर्ज हुये बिना भी धारा 164 (क)द0प्र0स0 के अनुसार संचालित की जावें। (धारा– 27 (1))
- ❖ यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डाक्टर द्वारा करवा जाना सुनिश्चित करना।(धारा–27(2))
- ❖ चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता–पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जावें जिस पर बालक भरोसा या विश्वास रखता हो।(धारा–27(3))
- ❖ जहां बालक के माता–पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सीय जाँच के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं है वहां सस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में करवायी जावें।(धारा–27(4))
- ❖ पीड़ित बालक के वस्त्रों पर खून,बाल,सीमन आदि के धब्बो को चिन्हित करें तथा जैविक प्रादर्शो को सही तरीके सुरक्षित किया जावें।
- ❖ पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चे के कपड़े व अन्य एकत्रित नमूने शीघ्रताशीघ्र फोरेंसिक जाँच के लिये फोरेंसिक प्रयोगशाला में भिजवायें जावें।
- ❖ पुलिस अधिकारी द्वारा फोरेंसिक प्रयोगशाला से प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट मगवाना सुनिश्चित किया जावें।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूती पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994

- धारा 3 क :– किसी भी प्रकार के लिंग चयन का प्रतिषेध होगा।
- धारा 3 ख :– कोई भी व्यक्ति या संस्था या कम्पनी किसी अपंजीकृत व्यक्ति या संस्था को अल्ट्रासाउण्ड मशीन आदि का विक्रय नहीं करेगी।
- धारा 4 :– (1) किसी भी प्रकार की प्रसूति पूर्व तकनीक के प्रयोग का प्रतिषेध होगा।

  (2) किन्तु निम्नांकित परिस्थितियों में प्रसूति पूर्व तकनीक का प्रयोग किया जा सकेगा –

  - गुणसूत्रीय अनियमितताओं में
  - आनुवंशिक विकारों में
  - रक्त संबंधी विकारों में
  - लिंग संबंधी विकारों में
  - जन्मजात विषमता में
  - अन्य कारण जो केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा बताए जाए

  (3) इस हेतु निम्नांकित कारण समाधान योग्य होंगें –

  - 35 वर्ष से अधिक उम्र
  - दो या अधिक गर्भपात होने पर
  - आनुवंशिक बीमारी के कारण
  - किसी औषधि के प्रभाव के कारण
  - अन्य कोई शर्त जो केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा बताए जाए।

  (4) कोई भी व्यक्ति किसी महिला का बिना उचित कारणों के परीक्षण नहीं करेगा।

  (5) लिंग चयन तकनीक का पूर्ण रुपेण प्रतिबन्ध होगा।
- धारा 5 (1) :– किसी महिला के लिए प्रसूति पूर्व तकनीक की प्रक्रिया की जानकारी दी जाकर उसकी लिखित में सहमति प्राप्त की जाएगी।

- धारा 5 (2) :–लिंग के बारे में शब्दों या इशारों या अन्य किसी प्रकार से कोई ईशारा नहीं किया जाएगा।
- धारा 6(1) :– तकनीक का प्रयोग प्रयोगशाला द्वारा लिंग निर्धारण हेतु नहीं किया जाएगा।
- धारा 6(2) :– किसी भी कारण से लिंग का चयन नहीं किया जाएगा।
- धारा 7 :– इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नांकित सदस्य होगें :–
    - अध्यक्ष :– परिवार कल्याण का प्रभारी मंत्री
    - उपाध्यक्ष :– परिवार कल्याण विभाग का केन्द्रीय सचिव
    - 3 सदस्य :– विधि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभारी मंत्री
    - पदेन सचिव :– केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक
    - दस सदस्य :– विशेषज्ञ
    - 3 महिला सदस्य :– 1 राज्य सभा तथा 2 लोकसभा से
- धारा 22 :– कोई व्यक्ति या संस्था लिंग चयन संबंधी सुविधाओं के संबंध में किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करेगा यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो 3 साल के कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा।
- धारा 23(1) :– किसी चिकित्सक या पंजीकृत व्यवसायी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम बार 3 साल के कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से तथा पश्चातवर्ती अपराध पर 5 साल के कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा। तथा विचारण के दौरान दिया गया अनुज्ञापत्र निलम्बित रहेगा। दोषसिद्धि होने पर पंजीकरण 5 साल के लिए निरस्त किया जाएगा तथा पुनरावर्ती पर समाप्त कर दिया जाएगा।
- धारा 23(3) :– किसी व्यक्ति द्वारा लिंग चयन के लिए तकनीक की सहायता प्राप्त करने पर उसे प्रथम बार 3 साल के कारावास तथा अर्थदण्ड से तथा पश्चातवर्ती अपराध पर 5 साल के कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा।
- धारा 23(4) :– किसी मजबूर की गई महिला पर यह नियम लागू नहीं होंगें।

- धारा 27 :– इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय तथा अशमनीय होगा।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

- **धारा 2 :– दहेज की परिभाषा –**
  1. विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिए
  2. विवाह के पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति के लिए–
     - ➢ विवाह के पूर्व या पश्चात
     - ➢ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से दी जाने वाली सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति
     - ➢ किन्तु मुस्लिम व्यक्तिगत विधान के अन्तर्गत दिया गया मेहर शामिल नहीं है।
- **धारा 3 :– दहेज के लिए शास्ति –**
  1. कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है या दुष्प्रेरण करता है तो पांच वर्ष तक के कारावास या 15 हजार या दहेज मूल्य में से जो ज्यादा हो, के कारावास से दण्डित किया जाएगा।
  2. यह दण्ड निम्न पर लागू नहीं होंगें –
     - ➢ विवाह के समय वधु को बिना मांगे दी गई भेंटें
     - ➢ विवाह के समय वर को बिना मांगे दी गई भेंटें
     - ➢ दी गई भेंटें व्यक्तिगत हैसियत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- **धारा 4 :– दहेज मांगने पर शास्ति –**

  प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से वर या वधु या माता पिता या अन्य रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से मांग करने पर छह माह से एक वर्ष तक के कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
- **धारा 4 क :– विज्ञापन पर पाबन्दी –**

  जो कोई दहेज के संबंध में किसी प्रकार का विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या उसे प्रसारित करेगा वह छह माह से 5 वर्ष तक के कारावास या 15 हजार रुपये के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

संगठित अपराध
Organized crime

सामान्य भाषा में संगठित अपराध से अभिप्राय उन अपराधों से है, जिन्हें दो या दो से अधिक अपराधी संगठित होकर नियोजित ढंग से करते हैं । संगठित अपराध अन्य अपराधों से इस सन्दर्भ में भिन्न है कि सामान्य अपराधों में अपराधी किसी विवशता या परिस्थितिवश अपराध करते हैं। अपराध के लिए उसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, जबकि संगठित अपराध एक संगठित अपराधी समूह द्वारा नियोजित ढग से किये जाते है। इस प्रकार के संगठन के सदस्यों में परस्पर किसी न किसी बात पर समझौता होता है । यही समझौता अन्ततः संगठित समूह के अपराधों का आधार रहता है। डा0 वी0एन सिंह के अनुसार ''संगठित अपराध वह अवैधानिक कार्य है जो एक संगठन के व्यक्ति परस्पर सहयोग एवं साहस के आधार पर करते हैं।''

संगठित अपराधी समय के लक्षण

संगठित अपराधों में संलग्न समूहों के कुछ विशेष लक्षण निम्नलिखित हैं –

1 दो या दो से अधिक सदस्य :–

संगठित अपराधिक समूह में कम से कम दो सदस्य होते हैं, किन्तु इनकी अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है । आपराधिक समूह के कार्य की प्रकृति और विस्तार के अनुसार यह संख्या दो से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है ।

2 श्रेणीबद्ध व्यवस्था

संगठित आपराधिक संगठनों में एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है । इस व्यवस्था के अनुसार एक संगठन के प्रत्येक सदस्य के कार्य,स्थिति एवं भूमिका की स्पष्ट व्याख्या रहती है । संगठन के नेता से लेकर छोटे सदस्य तक सभी के मध्य घनिष्ठ संबंध होते है । स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि एक व्यक्ति के संगठन के दूसरे सदस्य के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे ।

3 अपराध का विशेषीकरण

संगठित आपराधिक समूह सभी प्रकार के अपराध नहीं करते हैं ,अपितु विभिन्न संगठन कुछ विशेष प्रकार के ही अपराध करते हैं। जिनमें व दक्ष एवं निपुण होते है ं। इस प्रकार कुछ संगठन लूटपाट करने में दक्ष है तो कुछ स्मगलिंग में अथवा जालसाजी में । किन्तु कभी–कभी एक बडे संगठन के विभिन्न समूहों अलग–अलग अपराधों में भी संलग्न पाये जाते हैं । एक ही आपराधिक संगठन परिस्थिति विशेष में अपने विशिष्ट अपराध के अतिरिक्त अन्य अपराध भी कर सकता है ।

4. नियोजित अपराध

संगठित आपराधिक संगठन अपराध को नियोजित ढंग से करते हैं। अपराध करने से पूर्व वे उसके सभी पहलूओं पर विचार करते है तथा अपने दल की सुरक्षा के लिए गम्भीरतापूर्वक सोचते–विचारते हैं। इस प्रकार दल के सदस्यों को उनकी भूमिका और उसमें आने वाली कठिनाईयों का मुकाबला करने के सभी निर्देश उन्हें अच्छी तरह समझा दिए जाते हैं।

5. संगठन का नेतृत्व

प्रत्येक संगठित आपराधिक समूह का एक सर्वमान्य नेता होता है। संगठन के सभी सदस्यों को उसमें विश्वास करना होता है। वे सभी उसके प्रति वफादार एवं उत्तरदायी होते हैं। नेता की आज्ञा न मानने पर कठिन दण्ड दिया जाता है। संगठन का संचालन एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से नेता के हाथ में होता है। संगठन का नेता अपराधों के संचालन एवं तकनीक में विशेष अनुभवी होता है।

6. प्रबन्ध की गोपनीयता

आपराधिक संगठन के कार्यो के सम्पादन का पूर्ण प्रबन्ध अत्यन्त गोपनीय रखा जाता है। यद्यपि नेता द्वारा विभिन्न सहयोगियों की योग्यता अनुसार उन्हें कार्य सौंपा जाता है, परन्तु प्रबन्ध की गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। कभी–कभी अलग–अलग समूह को एक ही योजना को टुकड़ों में पूरा करना होता है। ऐसी स्थिति में एक समूह को अपनी भूमिका के अतिरिक्त दूसरे समूह के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी जाती है। कार्यरत समूह पर निगरानी भी रखी जाती है कि कहीं कोई सदस्य समूह की गोपनीयता को समाप्त नहीं कर रहा है। गोपनीयता न रखने अथवा नेता की आज्ञा की उपेक्षा करने वाले को मृत्युदण्ड तक की सजा दी जाती है।

7. अपराध करने का ढंग

आपराधिक संगठन भलीभांति सोच–विचार कर अपराध की योजना बनाते हैं और अपराध करने की अपनी नीति एवं ढंग निर्धारित करते हैं। योजना पर क्रियान्वयन से पूर्व खूब सोच–विचार किया जाता है तथा पूर्ण तैयारी होने के बाद ही उस पर अमल किया जाता है।

8. उच्च प्रतिष्ठित वर्ग का संरक्षण

आपराधिक संगठनों को कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संरक्षण भी प्राप्त होता है जो उसकी कार्यवाही में तो भाग नहीं लेते हैं किन्तु कभी–कभी सरकारी उच्चाधिकारी भी ऐसे कार्यों में संलग्न पाये जाते हैं। ये व्यक्ति उस संगठन को सरकारी कार्यवाहियों से परिचित करवाते रहते है और उन्हें मदद पहुँचाते है। इसके बदले में उन्हें अच्छा खासा हिस्सा भी दिया जाता है।

deepak

फिरौती के लिए अपहरण (Kidnapping for ransom)

क भारत म

करने किसी व्यक्ति की आक्रान्त करना एक अपराध है। भा.द.स. की धारा 359 कानूनी संरक्षण से अपहरण दो प्रकार के होता है

2. भा.दं.सं. की धारा 360

भारत से अपहरण का मतलब है किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी इच्छा अथवा उसकी ओर से जिस व्यक्ति का इ और करने का कानूनी प्राधिकार है, की सहमति के बिना भारत की सीमा से बाहर ल या जाना अपहरण प्रौद अथवा नाबालिग में से किसी एक अथवादानों का ही होना है।

3. भा.दं.सं. की धारा 361 कानूनी संरक्षण से अपहरण का मतलब है कि बलिंग या ऐसे व्यक्ति का अपहरण करना जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इस इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की आपराधिक चरित्र वाले व्यक्तियों से सुरक्षा दान कराना है। इस धारा में निम्नलिखित चन्द मुख्य बातें शामिल हैं–

क नाबालिग या दिमाग से अस्वस्थ व्यक्ति को बरगलाना अथवा उसका अपहरण करना ।

ख. नाबालिग के अंतर्गत 16 वर्ष से कम के पुरुष अथवा 18 वर्ष से कम की

महिलायें आती हैं। ग वैध संरक्षक की देख–भाल में रहने वाले व्यक्ति को बरगलाना अथवा

या अपहरण करना।

घ ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ही बरगलाना अथवा अपहरण करना ।

4. भा.दं.सं. की धारा 362–अपहरण की परिभाषादीगईहै। यह धारा तब होती है जब किसी मनुष्य को जबरदस्ती बाध्य करके या छलपूर्ण साधन कर स्थान छोड़ने के लिये मजबूर कियागया। परन्तु अपहरण को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके करने में कोई आपराधिक उद्देश्य न

वैध संरक्षण से अपहरण

1 यह एक वास्तविक अपराध है जिसके लिए भा.द.सं. की धारा 363 के अधीन दंड दिया जा सकता है।

हरण एक गण कार्यजी ए नहीं है परन्तु उस समय ड जब यह उन उद्देश्यों के साथ कि जिनका उल्लेख भा द का भा 365 और 366 में किया गया है। हरण में यह आवश्यक नहीं है।

2 केवल नाबालिग या दिमाग से अस्वस्थ व्यक्तियों का अपहरण । 3. सामान्यतः नाबालिग या दिमाग से बल, बाध्यता या छलकपट आदि

अस्वस्थ व्यक्ति को बरगलाना या द्वारा अपहरण । अपहरण करना । 4. अपहरण किये गये व्यक्ति को वैध संरक्षण

यह आवश्यक नहीं है।

से अलग करना। 5. व्यक्ति की सहमति बेमानी होती है।

5. अपराध का उद्देश्य असंगत होता है।

स्वतंत्र रूप से या स्वेच्छा से की। सहमति की भी अनदेखी की जाती है। इसमें उद्देश्य ही मुख्य होता है अन्यथा इ अपराध नहीं माना जायेगा। यह अपराध निरंतर बना रहता है।

6. यह अपराध निरन्तर नहीं बना रहता।

5. भा.दं.सं. की धारा 363– इस धारा के अंतर्गत धारा 360 और 31 अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिये दिये जाने वाले दंडों का उल्लेख किया गया है।

6. भा.दं.सं. की धारा 363 (ए) – इस धारा के अंतर्गत एक नई धारा जड़े गई है। किसी नाबालिग का अपहरण करना वैध संरक्षण के न होते हुए छोटे ब को अपने कब्जे में रखना और भिक्षा मंगवाने के लिए उसका प्रयोग करना इस का की दफा (4) के अधीन दंडनीय है। इसी तरह किसी भी नाबालिग का भिक्षा मंगवाने के प्रयोग में लाना या भिक्षा के काम में लगाने के लिए लंगड़ा लूला अर्थात् अपर बनाने का अपराध इस धारा की दफा (2) के अंतर्गत दंडनीय है। इस धारा की (3) के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी नाबालिग या वैध संरक्षक न होते हुए ज भिक्षा मांगने के प्रयोग में लाता है या मंगवाता है तथा जब तक उसके विपरीत न हो जाए, यह समझा जायेगा कि हरण करके या अन्य किसी भी प्रकार से कब्जे में लेकर नाबालिग का भिक्षा मांगने में प्रयोग किया गया था उसे भिक्षा के में लगाया गया है।

7. भा.द.स. की धारा 364 यह धारा हरण करने वाले उस व्यक्ति को समझती है जिसका हरण करने का उद्देश्य हत्या करना अथवा हत्या करने के किसी का जीवन खतरे में डालना हो ।
8. भा.द.सं. की धारा 365 गुप्त और अवैध रूप से बंधक बनाने की इच्छा किसी व्यक्ति का अपहरण या हरण करना इस धारा के अन्तर्गत दंडनीय है।दिन डे किसी व्यक्ति को बंधक बनाने के अपराध में भा.दं.सं. की धारा 342 के अधीन घरवाई की जाती है। जब धन ऐंठने की गरज से किसी का अपहरण करके बंधक बनाया जाता है तो बंधक बनाने वाले पर यह धारालागू होती है। एक बच्चा जो चल –फिर नहीं सकता, उसके साथ किया गया अपराध भी इस धारा के अधीन आतातिचा भा.द.सं. की धारा 342 के अधीन दोषसिद्ध हो जाने पर बाद में इस धारा के अधीन मुकदमा चलाये जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है ।
9. भा.दं.सं. की धारा 366–भा.दं.सं. की इस धारा 363 के अधीन आने वाले अपराधों की तुलना में इस धारा के अधीन कुछ गंभीर प्रवृत्ति के शील भंग करने के इरादे से भगा कर ले जाना जैसे अपराध आते हैं।
10. भा.दं.सं. की धारा 366 (ए) और 366 (बी) –वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों के आयात निर्यात के मामले में दंड देने के लिए इन धाराओं का समावेश किया गया है। भारत के एक भाग से दूसरे भाग में दलाली करके लड़कियाँ भेजने के
अपराधों में धारा 366 (ए) के अधीन कार्रवाई की जातीहै। धारा 366 (बी) ऐसे कार्यों
को अपराध करार देती है जिनमें विदेश से 21 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का
भारत में आयात उस उद्देश्य या ज्ञान से किया गया हो जिनका वर्णन इस धारामें
कियागयाहै। 11. भा.दं.सं. की धारा 367–दारुण चोट पहुँचाने, दास बनाने या अप्राकृतिक अपराध के उद्देश्य से किये गये अपहरण इस धारा के अधीन दंडनीय होते हैं।

12. भा.दं.सं. की धारा 368–अपहृत व्यक्ति को गलत रूप से छिपाना या छिपाकर रखना इस धारा के अधीन दंडनीय हैं। यह उन धाराओं में से एक है जिनमें उकसाने वाले तत्वों को वास्तविक अपराधी की तरह मानकर दंड दिया जाता है।
के माल आदि का चोरी करने के उद्देश्य से उन्हें फुसलाकर भगा ले जाना इस धारा के 13. भा. दं.सं. की धारा 369–दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके पास अधीन दंडनीय है। यहाँ अपहरण के पीछे मुख्य उद्देश्य चोरी होता है न कि उसके वैध संरक्षक को उसके देखभाल करने के अधिकार से वंचित करना ।

के अनुसार अपहृत बच्चों का वर्गीकरण– (क) गहनों की चोरी करने के स्वार्थ से बच्चा का अपहरण
(ख) गंग का सदस्य बनाने और अपने आपराधिक व्यवसाय में करने के उद्देश्य से अपहरण
(ग) धन के लिए अपहरण
(घ) शिष्य बनाने या सर्वव्यापक शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य और मांस खाने के लिए साधुओं द्वारा अपहरण । (ङ) गैरकानूनी बलात्कार या शादी करने के उद्देश्य से अपहरण

(च) शादी करने का या वेश्या बनाने के उद्देश्य से दूसरों को बेचने के अपहरण ।

(छ) अपंग बनाकर भिक्षाटन में लगाने के लिए अपहरण। (ज) बिना बच्चो वाले माता–पिता को बेचने के लिए अपहरण

छान–बीन (1) अपहरण के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात बरामद करने की होती है क्योंकि माता–पिता को अपना बच्चा वापिस प्राप्त हो अधिक लालसा होती है।

(2) मामले को दर्ज करने के साथ–साथ अपहरण की सूचना सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जानी चाहिए।

(3) अंतिम बार वह किसी व्यक्ति के पास देखा गया था तथा बच्चा कितने बजे से गायब है आदि बातें निश्चित की जाये इन बातों से छानबीन में सुविधा से सकती है।

(4) इस प्रकार के मामलों में वैध संरक्षण का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तथा इसके बिना किसी अपहरण के होने की संभावना नहीं होती। जांच अधिकार लिए इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है।

(5) अपहृत व्यक्ति के आयु के सवाल को लेकर संदेह की कोई गुंजाइश न रहने देनी चाहिए। जन्म–कुंडली, स्कूल–सर्टिफिकेट, नामकरण सर्टिफिकेट या अन्य आयु सर्टिफिकेट, शरणार्थी पंजीकरण सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि आदि को केजरजांच ही नहीं की जानी चाहिए बल्कि उसकी शिनाख्त को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण–पत्र एकत्र कर अदालत में प्रस्तुत करने चाहिए। लिखित साक्ष्यों का मौखिक गवाहियों द्वारा समर्थन किया जा सकता है। लिखित प्रमाण न होने पर अपहृत व्यक्ति की डाक्टरी परीक्षा कराई जानी चाहिए। परन्तु सभी उच्च न्यायालय डाक्टरी प्रमाणों को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं करते यथा–**किशनलाल रघुवीर दास बनाम शब सरकार (1975 सी.आर.एल.जे. 457) और विश्वनाथ घोष बनाम प. बंगाल प्रकार (1957 सी.आर. एल.जे. 1114)।**

(6) अपहृत व्यक्ति की राय का कोई महत्व नहीं होता फिर भी अपहरण के आरोप को सिद्ध करने के लिए उसकी राय बहुत ही महत्व की होती है।

(7) विभिन्न धाराओं में जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है उनका अनुमान एमले के साक्ष्यों को देखकर लगाया जा सकता है परन्तु जांच अधिकारी को इस अनुमान को ही न्याय सम्मत नहीं मान लेना चाहिए। उसे इन्हें प्रमाणित करने के लिए प्रमाणों को सामने रखना होगा। परन्तु भा.दं.सं. की धारा 366 के अधीन यह आरोप तब तक प्रमाणित नहीं माना जाएगा जब तक कि इस लक्ष्य के समर्थन में कोई सबूत रेशन किया जाए।

(8) कभी–कभी शिकारग्रस्त व्यक्ति के पद और स्थिति से ही उसके साथ घटित अपराध के पीछे छिपे उद्देश्य का आभास हो जाता है और उद्देश्य या स्वार्थ का तो हो जाने पर अपराधी का अनुमान लगाया जा सकता है।
(9) अपहरण के मामले में या तो अपहरणकर्ता और पीड़ित व्यक्ति के बीच गहरा सम्बन्ध होता है या अपहरणकर्ता को पीड़ित व्यक्ति के घर की आम दिनचर्या की गहरी जानकारी होती है जिन्हें, इसकी जानकारी न हो उन्हें छोड़कर शेष का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।

अपराध हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि पकड़ कर ले जाने का कार्य बल–पूर्वक (10) छोटे बच्चों को भगाकर या फुसलाकर पकड़ ले जाने पर अपहरण का शारीरिक रूप से भगाकर ले जाया गया हो। अपहरण का मामला तब बन जाता है। स्तविक या बनावटी छल से किया गया है अपराधी छोटे बालक को भगाने के लिए उत्प्रेरित कर रहा अथवा भागने में सहायता कर रहा हो अथवा भागने में सहायता कर रहा हो और बच्चा संरक्षण से उसके अधिकार में आ गया हो। या अपहरणकर्ता द्वारा नाबालिग को

अपहरणकर्ता और पीड़ित बालक का घटना से पूर्व मिलना–जुलना प्रमाणित किया (11) अपहरण की कार्रवाई को सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि (12) बालक को प्रलोभन देते हुए लिखे गये कागज–पत्र, न्यायालय में पेश

के लिए लिखित रूप में पर्याप्त प्रमाण होते हैं। अतः इस प्रकार के कागज–पत्रों

को तलाशने के लिए अपराधी और पीड़ित दोनों के घरों की तलाशी लेना होता हैं। (13) प्रथा के अनुसार कोई अपहृत व्यक्ति द्वारा दिये गये बयानों को मांगकर सकता है।

(14) नाबालिग को संरक्षण से बाहर ले जाने के उपरांत अपराधी स्थान पर गये उन स्थानों की अच्छी तरह जांच की जानी चाहिए। तथ्यों से उन में आया है कि इस प्रकार की तलाशी से न केवल पीड़ित द्वारा दिये गये समर्थन मिलेगा बल्कि अपहरणकर्ता की मंशा का भी पता चल

(15) नाबालिग के अन्दर विवाहित और अविवाहित दोनों बालिकायें शामिल होती हैं। यह सफाई देना कि अपराधी को अपहृत व्यस्क वर्ष से कम आयु का होना या उसके किसी संरक्षक के होने का ज्ञान नहीं था. को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा बल्कि यह समझा जाएगा कि जो भी व्यि प्रकार की कार्रवाइयाँ करता है वह स्वयं अपनी जोखिम पर ही ऐसा करता है

(16) उस अपहरणकर्ता को तलाशने के लिए जिसने बालक कोहि व्यवसाय में लगाया है, उस पर भेष बदलकर निगरानी रखने से काफी मदद सकती है। छाया की तरह पीछे लगने के

प्रयास कभी न कभी पुलिस अधिकारी अपहरणकर्ता की माँग या स्वयं उसके पास तक पहुँचा देने में सहायक होते है।

लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984
Prevention of Damage to Public Property (PDPP Act.)

धारा 2 (ख) :– में लोक सम्पत्ति की परिभाषा दी गई है–''लोक सम्पत्ति'' से अभिप्राय है कोई स्थावर या चल सम्पत्ति (मशीन आदि) जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों केन्द्र, प्रान्त या राज्य के अधीन स्थापित किसी नियम या कानूनी अधिनियम 1956 या कोई संस्थान, समुदाय या उपक्रम जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लोक सम्पत्ति घोषित की गयी है उसे ''लोक सम्पत्ति'' कहते हैं।

धारा 3(1) :– लोक सम्पत्ति को हानि कारित करने वाली रिष्टी के लिये पाँच वर्ष तक का कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 3(2) :– जल, प्रकाश, उर्जा, बिजली, खान, कारखाना, वितरण या आपूर्ति, तेल प्रतिष्ठान पर रिष्टी कारित करने पर छह माह से पाँच वर्ष तक का कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 4 :– अग्नि या विस्फोटक द्वारालोक सम्पत्ति को हानि पहुँचाने का एक वर्ष से कम नहीं और 10 वर्ष तक या जुर्माना से दण्ड़ित किया जा सकता है।

धारा 5 :– धारा 3 या 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त या सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में तो तब तक जमानत पर नहीं छोडा जाएगा जब तक कि अभियोजन को इस प्रकार के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान न कर दिया हो।

deepak

1. लोक सम्पत्ति के हानि से सम्बन्धित प्रकरणों के अनुसंधान में उस सम्पत्ति, जिसका नुकसान हुआ हैं, उससे सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त करना चाहिए।
2. लोक सम्पत्ति (सरकारी बिल्डिंग) के नुकसान का आकलन लोक निर्माण विभाग (P.W.D.) के इंजिनियर से करवाकर आकलन रिपोर्ट को प्राप्त करना चाहिए।

3. यदि घटना में सरकारी वाहन का नुकसान हुआ हो तो वाहन का मुआयना जिले की रिजर्व पुलिस लाईन में पदस्थापित M.T.O. या उसके नियत प्रतिनिधि से करवाकर मैकेनिकल रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए।
4. प्रकरण के अन्तिम प्रतिवेदन में लोक सम्पत्ति को हुए नुकसान की राशि का अवश्य वर्णन करना चाहिए।

खण्ड (ग) : संप्रेषण एवं प्रतिवेदन लेखन (लिखित संप्रेषण)
Module (C) : communication & Report writing

कार्यालय संप्रेषण के अवयवों का परिचय

Introducing ingredients of office communication

संचार का अर्थ एवं स्वरूपः– मानव अन्तःक्रिया की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया संचार है। सामाजिक अन्तःक्रिया के जटिल प्रक्रियाओं का यह एक मौलिक अं ा है। 'संचार' का अंग्रेजी रूपान्तर बवउउनदपबंजपवद है, जो लैटिन शब्द 'बवउउनदपे' से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ सामान्य होता है। संचार में एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी से एक सामान्य बोध स्थापित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संचार में दो या दो से अधिक प्राणी या व्यक्ति सूचनाओं एवं अनुभूतियों को आपस में विनियम करते हैं। पशु में भी संचार की क्षमता होती है। वे अपने वि ेष भाव–भंगिमा या बोली के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को अपने प्रजाति के अन्य सदस्यों तक पहुँचाते हैं। मानव संचार प ु संचार से इस अर्थ में भिन्न होता है कि मानव में संचार के दौरान कुछ सामान्य प्रतिक्रिया संकेतों जैसे शब्द आदि का उपयोग करने की क्षमता होती है। इस तरह मानव में लिखित या वाचिक भाषा का उपयोग करने की क्षमता होती है। संचार में इनका उपयोग करके व्यक्ति अपने विचारों, चिन्तनों आदि को दूसरों तक पहुँचाता है तथा दूसरों के चिन्तनों, विचारों आदि से अवगत भी होता है। यदि हम संचार ंको परिभाषित करना चाहे, तो इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं–भाषा, संकेत या चिह्न आदि के माध्यम से अपने चिन्तन एवं विचार को दूसरों तक पहुँचाने की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के चिंतन एवं विचार से अवगत भी होता है।

जहाँ तक मानव संचार का प्रश्न है इसका संबंध विभिन्न तरह की परिस्थितियों से होता है। ऐसी परिस्थिति का स्वरूप व्यक्तिगत हो सकता है या अव्यक्तिगत हो सकता है, औपचारिक हो सकता है या अनौपचारिक हो सकता है। प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष हो सकता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह की परिस्थिति को पाँच मुख्य भागों में बाँटा है जो निम्नलिखित हैं–

(1) द्वयवैयक्तिक संचार – इस तरह की परिस्थिति में मात्र दो व्यक्ति होते हैं जो अपने में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। पति–पत्नी के बीच का संचार, दो दोस्त के बीच का संचार, माँ–बेटी के बीच का संचार इस तरह के संचार का उदाहरण है। इस तरह, के संचार का स्वरूप अनौपचारिक अधिक होता है।

सम्प्रेषण का महत्व – सम्प्रेषण के महत्व को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है।

- आदे ों और निर्दे ों का सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सही तथा स्पष्ट हस्तान्तरण करना।

- कर्मचारियों को संस्था की प्रगति से अवगत कराना।
- विचारों तथा सूचनाओं का स्वतंत्र आदान–प्रदान करना।
- संस्था की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से कर्मचारियों को भली प्रकार अवगत कराना ताकि किसी भी कठिनाई के समय सम्बन्धित अधिकारी से तुरन्त सम्पर्क किया जा सके।
- संस्था के प्रबन्ध में कर्मचारियों से आवश्यक सूचनायें और सुझाव प्राप्त करना।
- मधुर मानवीय सम्बन्धों का निर्माण करना ताकि संगठन में कु ालता बनी रहे।
- संगठन के कर्मचारियों को समय–समय पर विकास सम्बन्धी जानकारी प्रेषित करना।
- कर्मचारियों की कार्य के प्रति इच्छा जागृत करना और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के प्रयास करना।
- संस्था के नवीनीकरण को स्वीकार करने के लिये कर्मचारियों को तैयार करना।
- एक नि चत विचार प्रवाह का ढाँचा तैयार करना ताकि गलत धारणायें नहीं पनप पायें।

संचार / सम्प्रेषण कितने प्रकार का होता है?

उत्तर–जहाँ तक मानव संचार का प्रश्न है इसका संबंध विभिन्न तरह की परिस्थितियों से होता है। ऐसी परिस्थिति का स्वरूप व्यक्तिगत हो सकता है या अव्यक्तिगत हो सकता है, औपचारिक हो सकता है या अनौपचारिक हो सकता है। प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष हो सकता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह की परिस्थिति को पाँच मुख्य भागों में बाँटा है जो निम्नलिखित हैं–

(i) द्वयवैयक्तिक संचार – इस तरह की परिस्थिति में मात्र दो व्यक्ति होते हैं जो अपने में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। पति–पत्नी के बीच का संचार, दो दोस्त के बीच का संचार, माँ–बेटी के बीच का संचार इस तरह के संचार का उदाहरण है। इस तरह, के संचार का स्वरूप अनौपचारिक अधिक होता है।

(ii) लघु समूह संचार – इस तरह की परिस्थिति में जो संचार होता है उसमें दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते है। यहाँ संचार का स्वरूप प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष भी। जब अप्रत्यक्ष होगा, तो वह समूह के अन्य सदस्यों के माध्यम से होगा। परिवार, पास–पड़ोस तथा अपने सहकर्मियों के बीच किया गया संचार इस तरह के संचार का उदाहरण है। इस तरह के संचार का स्वरूप अनौपचारिक अधिक होता है।

(iii) लोक संचार – इस तरह का संचार सार्वजनिक स्थानों जैसे–स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, खेल के मैदान आदि में होता है। इस तरह के संचार का स्वरूप औपचारिक ज्यादा तथा अनौपचारिक कम होता है।

(iv) संगठनात्मक संचार – इस तरह के संचार की परिस्थिति में कोई न कोई संगठन या संस्थान जैसे अस्पताल, उद्योग, सरकारी संस्थान, शैक्षिक संस्थान आदि होता है। इस तरह का संचार

औपचारिक संरक्षित तथा विशिष्ट उद्देश्य के साथ किया जाता है। इस तरह के संचार में कई तरह के माध्यमों का उपयोग किया जाता है।

(v) जन संचार – इस तरह के संचार में बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं तथा इसमें जन संपर्क के माध्यमों जैसे–रेडियो, दूरदर्शन, समाचार–पत्र, सिनेमा आदि का उपयोग किया जाता है। इस तरह का संचार अन्य संचारों की तुलना में अधिक औपचारिक तथा संरचित होता है। इस तरह का संचार एकमार्गी होता है।

स्पष्ट हुआ कि संचार का स्वरूप कुछ जटिल ही होता है। इसके स्वरूप की जटिलता का अंदाज इसके विभिन्न रूपों से आसानी से हो जाता है।

जहाँ तक मानव संचार का प्रश्न है इसका संबंध विभिन्न तरह की परिस्थितियों से होता है। ऐसी परिस्थिति का स्वरूप व्यक्तिगत हो सकता है या अव्यक्तिगत हो सकता है, औपचारिक हो सकता है या अनौपचारिक हो सकता है। प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष हो सकता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह की परिस्थिति को पाँच मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है जो निम्नलिखित हैंः–

1. द्वयवैक्तिक संचार – इस तरह की परिस्थिति में मात्र दो व्यक्ति होते हैं जो अपने विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। पति–पत्नी के बीच का संचार, दो दोस्त के बीच का संचार, माँ–बेटी के बीच का संचार इस तरह के संचार का उदाहरण है। इस तरह के संचार का स्वरूप अनौपचारिक अधिक होता है।
2. लघु समूह संचार – इस तरह की परिस्थिति में जो संचार होता है उसमें दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। यहाँ संचार का स्वरूप प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष भी। जब अप्रत्यक्ष होगा, तो वह समूह के अन्य सदस्यों के माध्यम से होगा। परिवार, पास–पड़ोस तथा अपने सहकर्मियों के बीच किया गया संचार इस तरह के संचार का उदाहरण है। इस तरह के संचार का स्वरूप अनौपचारिक होता है।
3. लेक संचार – इस तरह का संचार सार्वजनिक स्थानों जैसे–स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, खेल के मैदान आदि में होता है। इस तरह के संचार का स्वरूप औपचारिक ज्यादा तथा अनौपचारिक कम होता है।
4. संगठनात्मक संचार– इस तरह के संचार की परिस्थिति कोई–कोई संगठन या संस्थान जैसे–अस्पताल, उद्योग, सरकारी संस्थान, शैक्षिक संस्थान आदि होता है। इस तरह का संचार औपचारिक संरक्षित तथा विशिष्ट उद्देश्य के साथ किया जाता है। इस तरह के संचार में कई तरह के माध्यमों का उपयोग किया जाता है।
5. जन संचार– इस तरह के संचार में बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं तथा इसमें जनसम्पर्क के माध्यमों–जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, सिनेमा आदि का उपयोग किया जाता है। इस तरहका संचार अन्य संचारों की तुलना में अधिक औपचारिक तथा संरचित होता है इस तरह का संचार एक मार्गी होता है।

स्पष्ट हुआ कि संचार का स्वरूप कुष्ठ जटिल ही होता है। इसके स्वरूप की जटिलता का अंदाज इसके विभिन्न रूपों से आसानी से हो जाता है।

घटनास्थल के निरीक्षण की फर्दतैयारकरने का व्यवहारिक अभ्यास
Practical exercise to write an observation report

of scene of crime

फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटना स्थल बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148, 149, 452, 323, 307, 302 भारतीय दंड संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर दिनांक.....समय..... बमुकाम म.नं. 206 नेहरू नगर जयपुर

रूबरू गवाहानः–

1. रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष प्रकरण के परिवादी श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर की निशादेही से प्रकरण हाजा के घटना स्थल का निरीक्षण किया गया हालात इस प्रकार है–

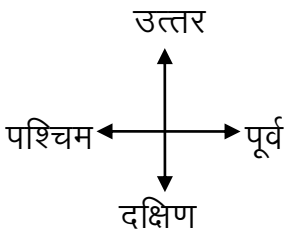

नक्शा घटना स्थलः–

हालात मौका घटना स्थलः–

फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटना स्थल नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितो को पढकर सुनाया, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sd महेश कुमार, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,

पुलिस थाना शास्त्री नगर

जयपुर शहर (उत्तर)

यातायात दुर्घटना के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने का अभ्यास
Practice of a report writing in case of a traffic accident

किसी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर पीड़ित द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतू प्रार्थनापत्र दिया जाता है, जिसका प्रारूप निम्न है –

सेवा में

श्रीमान थानाधिकारी महोदय

थाना शास्त्रीनगर, जयपुर

विषय :– कानूनी कार्यवाही करने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि मैं रामनिवास पुत्र श्री किशोरीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 45 वर्ष निवासी लखनपुर थाना रामगढ़ जिला अलवर का रहने वाला हूं। आज सुबह मैं मेरे परिवार के साथ मेरी कार आर जे 02 बी एच 2658 में रामगढ़ से रवाना हो कर जयपुर में मेरे रिश्तेदार से मिलने शास्त्रीनगर आया था। सुबह करीब 11 बजे मैं कांवटिया सर्किल से गुजर रहा था, तब एक पिकअप मेरे बांयी तरफ से तेज गति से आई। मैंने मेरी कार को धीमा किया, पर पिकअप के ड्राइवर ने लापरवाही से चलाते हुए मेरी कार के टक्कर मार दी, जिससे मेरी कार पलट गई। पिकअप का ड्राइवर टक्कर मारने के बाद अपनी गाड़ी को लेकर वहां से भाग गया। इस घटना में मेरी पत्नि सुनीता के सिर में चोट आई व मेरे बेटे प्रदीप के पांव में फ्रेक्चर हो गया। मैंने वहां पर मौजूद लोगों की मदद से मेरी पत्नि व बेटे को कावंटिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पिकअप के नम्बर आर जे 14 सी जे 1488 थे। कृपया पिकअप ड्राइवर के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी

हस्ताक्षर रामनिवास

पुत्र श्री किशोरीलाल जाति ब्राह्मण

निवासी लखनपुर थाना रामगढ़

जिला अलवर

दिनांक 3 मई 2022

कार्यवाही पुलिस थाना शास्त्रीनगर जिला जयपुर (उत्तर)

दिनांक 03.05.2022 समय 02.15 पी. एम.

यह लिखित रिपोर्ट प्रार्थी श्री रामनिवास पुत्र श्री किशोरीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 46 साल निवासी लखनपुर थाना रामगढ़ जिला अलवर ने उपस्थित थाना होकर पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता का होना पाया जाने से एफआईआर नंबर 216/2022 जुर्म धारा उपरोक्त में दर्ज कर तफ्तीश श्री रामसिंह एएसआई के जिम्मे की गई। एफआईआर की प्रतियां नियमानुसार सीसीटीएनएस के द्वारा कता की गई। प्रार्थी को एफआईआर की प्रति निःशुल्क दी गई।

हस्ताक्षर प्रार्थी

हस्ताक्षर

थानाधिकारी
थाना शास्त्रीनगर जिला जयपुर (उत्तर)

आत्मरक्षा में बल प्रयोग के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट
A report writing on self defence incidents force use

पर्चा कायमी मुर्तिबा थानाधिकारी थाना कोतवाली दौसा बसिलसिले अपराध धारा 143, 283, 332, 353, 307 भारतीय दण्ड संहिता व 3 पीडीपीपी एक्ट दिनांक 16.04.2022 समय 3.45 पी. एम. बमुकाम कलेक्ट्री सर्किल, दौसा

आज दिनांक 16.04.2022 को 11 ए.एम. पर मन थानाधिकारी मय जाब्ता – जीप के थाने से रवाना होकर कलेक्ट्री सर्किल, दौसा पहुंचा, जहां पर श्रमिक संगठनों द्वारा अपनी मांगो को लेकर धरना – प्रदर्शन प्रस्तावित था। धरने – प्रदर्शन के लिए भारतीय मजदूर संघ की और से आव्हान किया गया था। मौके पर संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी जिला अध्यक्ष श्री रामनिवास मीणा, उपाध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा व अन्य कार्यकर्ता करीब 500 लोग मौजूद थे। वहां पर कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु श्री सुधीर मिश्रा उप पुलिस अधीक्षक वृत दौसा व श्री अखिलेश कुमार उपनिरीक्षक थानाधिकारी थाना सदर दौसा भी मय जाब्ता मौजूद थे। इसके अलावा श्री सुरेश कुमार उपनिरीक्षक मय 20 जवान के जाब्ते के साथ पुलिस लाईन दौसा से

कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु वहां पर मौजूद थे। करीब 12.30 ए.एम. पर श्री सुधीर मिश्रा उप पुलिस अधीक्षक व मुझ थानाधिकारी द्वारा वहां मौजूद श्रमिकों को 5 आदमी अपने प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने हेतु भेजने के लिए समझाईश की, परन्तु श्री रामनिवास मीणा जिला अध्यक्ष व श्री सीताराम शर्मा उपाध्यक्ष ने सभी लोगों को अपने साथ कलेक्ट्री परिसर में ले जाने की जिद की व अपने साथियों को उकसा कर जोर – जोर से नारेबाजी करने लगे। इसी बीच भीड़ में से रामसहाय मीणा नाम के व्यक्ति ने एक पत्थर उठा कर मारा, जिससे श्री सुधीर मिश्रा उप पुलिस अधीक्षक के सिर पर चोट आई। इसके बाद वहां मौजूद श्रमिक पुलिस जाब्ते के साथ मारपीट करने लगे। लालाराम धोबी नाम के श्रमिक ने एक लोहे के सरिये से श्री सुरेश कुमार उपनिरीक्षक के सीने पर जानलेवा चोट मारी, जिससे सीने पर गंभीर चोट आई व पसलियां टूट गई। सीताराम शर्मा उपाध्यक्ष ने कुछ श्रमिकों के साथ मिल कर वहां खड़ी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल कर थाना सदर दौसा की सरकारी जीप में आग लगा दी। इस पर मन थानाधिकारी द्वारा ज्यादा जान – माल व सरकारी संपत्ति के नुकसान की संभावना को देखते हुए धारा 129 दण्ड प्रक्रिया में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहां मौजूद जाब्ते की मदद से आवश्यक बल प्रयोग कर हमले व आगजनी पर आमादा भीड़ को तितर–बितर किया, जिससे भागने के दौरान गिरने – पड़ने के दौरान काफी लोगों को चोटें आई। मौके से भागते हुए लोगों में से जाब्ते की मदद से सीताराम शर्मा उपाध्यक्ष व लालाराम धोबी को गिरफ्तार किया गया। घटना में घायल श्री सुधीर मिश्रा उप पुलिस अधीक्षक व श्री सुरेश कुमार उपनिरीक्षक को इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय दौसा भिजवाया गया। थाने पर पहुंच कर प्रकरण दर्ज किया जायेगा।

कार्यवाही पुलिस थाना कोतवाली दौसा दिनांक 16.04.2022 समय 5.30 पी.एम.

मन थानाधिकारी बाद मौका कार्यवाही के रवाना होकर थाना पहुंचा। पर्चा कायमी पर प्रकरण संख्या 232/2022 अपराध धारा 143, 283, 332, 353, 307 भारतीय दण्ड संहिता व 3 पीडीपीपी एक्ट में कायम कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मौखिक निर्देशानुसार अनुसंधान श्री रमेशसिंह उपनिरीक्षक थानाधिकारी थाना सदर दौसा के जिम्मे किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई व एक प्रति अनुसंधान हेतू थाना सदर दौसा भिजवाई गई।

हस्ताक्षर

थानाधिकारी
थाना कोतवाली दौसा

गिरफ्तारी एवं जब्ती के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट
A report writing on arrest & seizure

पर्चा कायमी मुर्तिबा थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर जयपुर जिला जयपुर (उत्तर) बसिलसिले अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दिनांक 21.05.2022 समय 11.30 ए.एम. बमुकाम सब्जी मण्डी, शास्त्रीनगर, जयपुर

आज दिनांक 21.05.2022 को 10.30 ए.एम. पर मन थानाधिकारी को जरिये मुखबिर इत्तला मिली कि अभी सब्जी मण्डी, शास्त्रीनगर में एक व्यक्ति किसी को देशी कट्टा बेचने के लिए आया हुआ है, जिसकी उम्र करीब 45 साल है व जिसने हरे रंग की पेंट व लाल रंग की शर्ट पहन रखी है व उसके पास मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर लाल रंग की, जिसके नम्बर आर जे 24 पी बी 2654 है। इत्तला विश्वसनीय होने से आवश्यक कार्यवाही हेतु मन थानाधिकारी मय जाब्ता कानि. राजेश कुमार नं. 21 व कानि. रमेश नं. 368 मय जीप सरकारी नं. आर जे 14 सी 5231 मय ड्राइवर हरिसिंह नं. 219 के थाने से रवाना होकर कावंटिया सर्किल पहुंचा, जहां पर कानि. रमेश नं. 368 के जरिये मौतबिरान तलब किये तो मौतबिरान सर्व श्री त्रिलोकचन्द पुत्र श्री राधेश्याम जाति ब्राह्मण उम्र 50 साल निवासी सूर्यनगर, शास्त्रीनगर, जयपुर व श्री मोहम्मद आलम पुत्र श्री शेर मोहम्मद जाति रंगरेज उम्र 42 साल निवासी भट्टा बस्ती, शास्त्रीनगर, जयपुर हाजिर आए, जिन्हे मुखबिर की इत्तला से अवगत करा कर मौतबिर बनने हेतु सहमति प्राप्त की। इसके बाद मन थानाधिकारी मय हमराहियान के रवाना होकर 11 ए.एम. पर सब्जीमण्डी, शास्त्रीनगर पहुंचा, जहां पर रज्जाक सब्जी विक्रेता नामक दूकान के पास एक व्यक्ति उपरोक्त हुलिये का मय मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर लाल रंग की, नम्बर आर जे 24 पी बी 2654 के खड़ा मिला, जो पुलिस जाब्ता को देख कर घबरा कर भागने लगा, जिसे जाब्ते की मदद से बमुश्किल पकड़ा व नाम – पता पूछा तो अपना नाम दिनेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 27 साल निवासी उकेरी थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर होना बताया, जिसे भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया। उस व्यक्ति की मौतबिरान के समक्ष तलाशी ली गई तो उसकी पेंट की आंट में बांयी तरफ एक देशी कट्टा 12 बोर छुपाया हुआ मिला। जिसका अनुज्ञापत्र उस व्यक्ति ने नहीं होना बताया। इस प्रकार दिनेश कुमार द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के अपने कब्जे में देशी कट्टा 12 बोर रखना धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध होना पाया जाने से देशी कट्टा 12 बोर को पृथक से जरिये फर्द जब्त किया जाकर दिनेश कुमार को जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। मन थानाधिकारी मय हमराहियान के बाद कार्यवाही के रवाना थाना हुआ। थाने पर पहुंच कर प्रकरण दर्ज किया जायेगा।

थानाधिकारी

थाना शास्त्रीनगर, जयपुर

डकैती व हत्या के प्रकरण में मौखिक सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट

Writing FIR on an oral complaint in case of dacoity & murder case

इत्तला जबानी श्री रामचन्द्र जाट अन्तर्गत अपराध धारा 397 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 02.01.2022 समय 6.30 ए.एम. मुर्तिबा थानाधिकारी थाना कनेरा जिला चितौड़गढ़ बमुकाम जिला चिकित्सालय, चितौड़गढ़

श्री रामचन्द्र जाट पुत्र श्री रामकिशोर जाति जाट उम्र 45 साल निवासी रायपुरा थाना कनेरा जिला चितौड़गढ़ ने बमुकाम बेड नं. 3, गहन चिकित्सा इकाई, जिला चिकित्सालय, चितौड़गढ़ ने जैर इलाज जबानी इत्तला दी कि मैं अपने परिवार के साथ गांव रायपुरा में अपने खेत पर झौंपड़ी बना कर रहता हूं। बीती रात को हमारा परिवार खाना खाकर सो गया था। रात करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद हल्ला सुन कर खुली तो मैंने देखा कि 3 – 4 आदमी मेरे परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे व उन्होने मेरी पत्नि के जेवर गले का मंगलसूत्र सोने का एक तोला वजनी व हाथ की चूड़ियां सोने की 2 तोला वजनी व अंगूठी सोने की आधा तोला वजनी को उतरवा लिया। उन्होने मेरे साथ भी मारपीट की व पैसों के बारे में पूछने लगे। मैंने उन्हे सन्दूक में से निकाल कर एक लाख रूपये नगद दे दिये। इसके बाद जाते समय उनमें से एक आदमी ने मेरी पत्नि को देशी कट्टे से गोली मार दी, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। गोली की आवाज सुन कर पड़ौस के खेत वाले भाग कर आये, जिन्होने मुझे व मेरे बच्चों रमेश व श्याम को अस्पताल पहुंचाया।

हस्ताक्षर

रामचन्द्र जाट पुत्र श्री रामकिशोर
जाति जाट निवासी रायपुरा
थाना कनेरा जिला चितौड़गढ़

कार्यवाही पुलिस

इत्तला जबानी श्री रामचन्द्र जाट पुत्र श्री रामकिशोर जाति जाट उम्र 45 साल निवासी रायपुरा थाना कनेरा जिला चितौड़गढ़ के कहे अनुसार शब्द बशब्द लिखी जाकर पढ़ कर सुनाई, सुन समझ सही मान कर हस्ताक्षर किये। मजमून इत्तला से अपराध धारा 397 भारतीय दण्ड संहिता का घटित होना पाया जाने से मन थानाधिकारी मशरूफ तफ्तीश हुआ। थाने पर पहुंच कर प्रकरण दर्ज किया जायेगा।

हस्ताक्षर
रामचन्द्र जाट

हस्ताक्षर
थानाधिकारी थाना कनेरा

दंगे, कानून – व्यवस्था सम्बन्धी घटनाओं, एनडीपीएस एक्ट व अन्य विशेष अधिनियम सम्बन्धी प्रथम सूचना रिपोर्ट

Drafting an FIR on riots, law & order incidents, ND&PS Act. and other special laws

साम्प्रदायिक तनाव सम्बन्धी प्रथम सूचना रिपोर्ट

सेवा में,

श्रीमान थानाधिकारी महोदय,
थाना खिवाड़ा जिला पाली

विषय :– रिपोर्ट दर्ज करने हेतु

महोदय,

निवेदन है कि मैं अल्ताफ हुसैन निवासी धानी, मै मदरसा गुलशने कादरिया में पढ़ाता हूं। यहीं पर हमारे समाज के लोग नमाज भी अदा करते है। मैं यहां इमाम (मुदर्रिस) हूं। आज दिनांक 25.06.2016 को करीब समय 11.30 ए.एम पर 30–40 लड़के आये, जिनके हाथों में डण्डे तथा सरिये थे। उन्होने आते ही मदरसा में पढ़ने वाले सभी बच्चों, जो पढ़ रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया और बाद मे तोड़–फोड़ करने लगे और आग लगा दी, जिससे मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों की कॉपी–किताबें व कुरान ए शरीफ एवं बिछाने की चादरें, माईक मशीन व अन्य सामान जलकर राख हो गया। उन्ही लोगों ने पास ही में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में मदरसा चल रहा था, उसमें अन्दर घुस कर आग लगा दी, जहां इमाम साहब पढ़ाते है, उन्होने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे लोग नहीं माने और आग लगा दी। इन उपद्रवी लोगों में करणसिंह राठौड, मोहन यादन, बबलू आदि लोग थे। इन लोगों ने हमारे धार्मिक ग्रंथ को नष्ट किया व मदरसा की सम्पत्ति को नष्ट कर धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावे।

प्रार्थी
अल्ताफ हुसैन पुत्र अकबर खां
इमाम गुलशने कादरिया मदरसा
निवासी धानी थाना खिवाड़ा
जिला पाली

हथियार व विस्फोटक की जब्ती की प्रथम सूचना रिपोर्ट
Writing a special report on seizure of arms & explosives from strangers

सेवा में,

श्रीमान थानाधिकारी महोदय,
थाना कोतवाली बांसवाड़ा

विषय :– कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

महोदयजी,

निवेदन है कि जरिये मुखबिर इत्तला मिलने पर कि आज सुबह कोटा की तरफ से करीम लाला पुत्र मोहम्मद हुसैन मेवाती उम्र 25 साल निवासी ठिकरिया थाना सदर बांसवाड़ा अपने साथ हथियार व गोला – बारूद लेकर बांसवाड़ा आ रहा है। चूंकि इत्तला विश्वसनीय होने से मन् एएसआई ओमप्रकाश मय जाब्ता पीताम्बर कानि. नं. 1208, श्री गोविन्द कानि. नं. 60 के थाने से 8.00 ए.एम. पर रवाना होकर "ए" क्लास नाकाबन्दी प्वॉइंट पर पहुंचा। कुछ देर बाद करीबन 8.30 ए.एम. पर एक मोटरसाइकिल आर जे 06 एम ए 501 पर एक व्यक्ति कोटा की तरफ से बांसवाड़ा की ओर आता हुआ नजर आया, जिसको हाथ का इशारा देकर रोका तो हड़बड़ा गया, जिसको कानिस्टेबलों की मदद से बमुश्किल रोका और उसकी तलाशी ली गई तो उसकी दाहिनी पेन्ट की जेब से एक देशी कट्टा 12 बोर व पेन्ट की बांई जेब से 5 जिन्दा कारतूस 12 बोर के मिले व मोटरसाइकिल के बैग में एक कपड़े के थैले में 10 जिलेटिन की छड़ें मिली। जिनके बारे में पूछने पर करीम लाला ने कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया व न ही कट्टा, कारतूस व जिलेटिन की छड़ें रखने बाबत कोई अनुज्ञापत्र होना बताया। जोकि धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा विस्फोटक अधिनियम के अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिये मुल्जिम करीम लाला के कब्जे से पाए गये उक्त असले को जरिये फर्द जब्त कर देशी कट्टे को सफेद कपड़े की थैली में रख कर सील चिट कर मार्क "ए", 5 जिन्दा कारतूस को सफेद कपड़े की थैली में रख कर सील चिट कर मार्क "बी" व जिलेटिन की 10 छड़ों को कागज में लपेट कर सफेद की थैली में रख कर सील चिट कर मार्क "सी" दिया गया। मुल्जिम करीम लाला को जरिये फर्द मौके पर गिरफ्तार किया गया। अतः फर्द गिरफ्तारी मुलजिम, फर्द जब्ती देशी कट्टा, 5 कारतूस, 10 जिलेटिन छड़ मय जब्तशुदा आर्टिकल मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिम करीम लाला के रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु पेश है।

भवदीय
ओमप्रकाश एएसआई
दिनांक 17.10.2016

लिखित सम्प्रेषण का महत्व– एक परिचय

Importance of written communication - an introduction

सम्प्रेषण आधुनिक शासन तंत्र की सबसे पूर्ण विशेषता है सम्प्रेषण की समुचित व्यवस्था के अभाव में कोई भी प्रशासकीय संगठन प्रभावी नहीं हो सकता। एक प्रबन्धक को प्रतिदिन अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों, उच्च अधिकारियों, कर्मचारी संघों, उपभोक्ताओं वित्तीय संस्थाओं, सरकारी अधिकारियों आादि से सम्पर्क बनाये रखना पड़ता है। संगठन अपने स्वरूप में अत्यधिक विकसित है, यह तभी माना जा सकता है जब उसके संचालन एवं नियंत्रण स्तर पर कार्य की एवं कार्य की प्रगति से सम्बन्धित सूचनाओं का निशचित सम पर आदान प्रदान होता रहे। लिखित सम्प्रेषण से आशय प्रेषक द्वारा किसी सन्देश को लिखित रूप से प्रेषण करने से है। लिखित सम्प्रेषण के लिए पत्र, पत्रिकायें, बुलेटिन, प्रतिवेदन, हैण्डबुक, मैन्युअल, सुझाव पुस्तिकाएँ, ग्राफ चित्र, परिपत्र, कार्य वृत्तान्त आदि का प्रयोग किया जाता है। लिखित सम्प्रेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम है। अतः इसको तैयार करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए।

लिखित सम्प्रेषण राजकीय क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण माना गया है। इस के निम्नलिखित लाभ हैं :–

- स्पष्टता रहती है तथा इनका प्रमाण उपलब्ध रहता है।
- इन्हें भावी सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
- यह विस्तृत संदेशों के लिए उपयोगी रहता है।
- इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण आसान होता है।
- इसमें अर्थ की समानता रहती है।
- इसमें भाषा, व्यक्तिव्त एवं भावनात्मक बाधाओं पर सुगमता से नियंत्रण किया जा सकता है।
- परस्पर अविश्वास के समय यह उपयुक्त रहता है।
- यह अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। इसमें एक साथ अनेक व्यक्तियों को सूचना देना आसान होता है।
- भौतिक दूरी बाधक नहीं होती है।

दोष (Advantages) –

लिखित सम्प्रेषण के दोष निम्नानुसार हैंः–

- इसमें समय, धन व श्रम का अपव्यय होता है।
- प्रेषिति की प्रतिक्रियाओं का तत्काल ज्ञान नहीं हो पाता है।
- इसमें गोपनीयता भंग होने का भय रहता है।
- इसमें भ्रमों व सन्देहों के निवारण में समय लग जाता है।
- लिखित सन्देश में अनेक औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं। सन्देश तैयार करने एवं भेजने में अधिक समय लगता है।
- प्रत्येक सन्देश को लिखना व भेजना सम्भव नहीं होता है। सन्देश के पहुँचने में भी संदेह रहता है।

- लिखित सन्देश का तत्काल मूल्यांकन करना सम्भव नहीं होता।
- लिखित सन्देश में सुधार करना जटिल होता है।

इन सब दोषों के उपरान्त भी लिखित सम्प्रेषण बहुत उपयोगी होता है। तकनीकी, औपचारिक एवं वैधानिक प्रकृति के सम्प्रेषण तो लिखित ही होते हैं। अधिक लम्बे, आँकड़े युक्त सन्देशों के लिखित माध्यम से ही अपनाना पड़ता है। अनेक वैधानिक सभाओं की नियमावलियाँ, कार्यवली, सूक्ष्म आदि लिखित रूप से सम्प्रेषित किये जाते हैं।

रिपोर्ट राईटिंग का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए प्रभावी लिखित सम्प्रेषण की तकनीक

रिपोर्ट राईटिंग सरकारी कामकाज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। रिर्पोट राईटिंग से आशय उस पत्र लेखन से है जिसमें किसी समस्या या विषय को इंगित किया गया हो उससे सबंधित सभी तथ्यों का रिपोर्ट में समांकलन हो तथा विषय के सभी तथ्यों को इस तरह से उजागर किया जाये कि विषय या समस्या का समाधान भी स्पष्ट हो और अंत में रिपोटकर्ता द्वारा समस्या के समाधान/निराकरण हेतु सुझाये गये RecommendationsकोInclude किया गया हो। रिपोर्ट लेखन में विविध शीर्षकों का संग्रह होना अपेक्षित माना गया है –Title शीर्षक, Index(अनुक्रमाणिका), Acknowledgements, Summary(सारांश) , ContentsPage(विषय–वस्तु), Introduction(प्रस्तावना), Findings, Conclusions(निष्कर्ष), Recommendations(शिफारिशें), Appendices(परिशिष्टें) , References(संदर्भ), Biography

रिपोर्ट राईटिंग में लिखित सम्प्रेषण का ही सर्वाधिक महत्व होता है। लिखित सम्प्रेषण के लिए पत्र, पत्रिकायें, बुलेटिन, प्रतिवेदन, हैण्डबुक, मैन्युअल, सुझाव पुस्तिकाएँ, ग्राफ चित्र, परिपत्र, कार्य वृत्तान्त आदि का प्रयोग किया जाता है। लिखित सम्प्रेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए लिखित सम्प्रेषण तैयार करने के लिए कुछ तकनीकें अपेक्षित बताई जाती है। कीथ डेविस के अनुसार किसी संवाद को लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिएः–

- सरल शब्दों व मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए।
- छोटे एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
- व्यक्तिगत सर्वनामों जैसे ''तुम'' और ''वह'' का प्रयोग करना चाहिए।
- उदाहरणों, दृष्टान्तों व चार्टों का प्रयोग करना चाहिए।
- छोटे–छोटे वाक्यों तथा अनुच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए।
- वाक्य की संरचना ''एक्टिव वाइस'' (Active-voice) – के प्रयोग पर आधारित होना चाहिए।
- अलंकारों एवं विश्लेषणों का न्यूनतम प्रयोग किया जाना चाहिए।
- विचारों की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष एवं तर्कयुक्त होनी चाहिए।
- अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

भारतीय शासन तंत्र में ब्रिटिश काल से ही रिपोर्ट राईटिंग के लिए लिखित सम्प्रेषण को महत्वपूर्ण माना गया है। स्वतंत्रता के उपरान्त रिपोर्ट राईटिंग एवं लिखित सम्प्रेषण में कतिपय तकनीकि परिवर्तन उत्तरोत्तर रूप से अवश्य किये गये हैं।

निरूद्ध करवाने हेतु प्रतिवेदन (Report for detention)

कार्यालय थानाधिकारी, थाना.....जिला .....

क्रमांकः– **दिनांकः–**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला.....

विषयः– शख्स .....उर्फ.....पुत्र.....जाति.....उम्र.... .....निवासी.....के विरूद्व राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (2008 का अधिनियम संख्यांक–1) के तहत कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि शख्स .....उर्फ.....पुत्र..... .....जाति.....उम्र.....निवासी..... प्रारम्भ से ही गम्भीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जिसके विरूद्व वर्ष..... से .....तक हत्या, हत्या का प्रयास, गम्भीर चोट, लूट, डकैती की तैयारी, उद्दापन, अपहरण, धोखाधड़ी, सम्पति की क्षति, मारपीट, बल्बा, जमीनों पर अवैध कब्जा, अवैध हथियार रखने व इनका आपराधिक वारदातों में प्रयोग करने जैसे ..... आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है।

उक्त **<u>आभ्यासिक अपराधी</u>** की दिनांक .....को हिस्ट्रीशीट खोली जाकर सतत् निगरानी रखी गयी व समय – समय पर इंसदादी/कानूनी कार्यवाहियाँ भी की गई है, लेकिन इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही कारगर साबित नहीं हुई है। इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढती गयी। ....आदि थाना क्षेत्रों में एक के बाद एक आपराधिक वारदातें कारित करने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में निवास करने वाले आमजन व समाज आतंकित व भयभीत है। उक्त शख्स आभ्यासिक रूप से विभिन्न थाना क्षेत्रों में गम्भीर अपराध स्वंय व गिरोह के रूप में कारित कर रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर

रोकथाम हेतु अब तक किये गये सभी विधि सम्मत प्रयास विफल हो चुके है। इस आभ्यासिक अपराधी के विरूद्ध प्रचलित कानूनों एवं सामान्य अधिनियमों के तहत समय–समय पर की गई कानूनी कार्यवाही पूर्ण रूपेण प्रभावहीन रही है। यह शख्य प्रकरणों में पक्षकारों एवं गवाहों को डरा धमका कर आतंकित व भयभीत कर, येन–केन प्रकारेन दबाव बना कर व प्रभावित कर पक्षद्रोही/राजीनामा करवा कर सजा से बचने व जमानत कराने में सफल हो जाता है।

उक्त शख्य का क्षेत्र, आमजन व समाज में भंयकर भय व खौफ व्याप्त होने के कारण थाने पर इसकी कोई सूचना नहीं देता और न ही कोई शिकायत करता। इसके विरूद्ध कोई बयान देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। शिकायतकर्ता व गवाहान को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। उक्त शख्स का कृत्य राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ग) ''खतरनाक व्यक्ति'' व धारा 2 (झ) ''सम्पति हथियाने वाला'' की परिभाषित श्रैणी में आता है। उक्त शख्स का आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

- दिनांक .....को श्री.....ने एक एफआईआर इस आशय की दर्ज कराई कि ... .आदि पर एफआईआर नं..... दिनांक.....को थाना .....पर दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिम ....के विरूद्ध चार्जशीट नम्बर .....दिनांक.....न्यायालय श्रीमान् ....में पेश की गई, जो विचाराधीन है। एफआईआर, चार्जशीट व न्यायालय की ऑर्डरशीट की छायाप्रति पेज संख्या.....से .....तक संलग्न है।

deepak

- दिनांक .....को श्री.....ने एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि ....आदि पर परिवाद संख्या.....दिनांक.. .....को थाना .....पर दर्ज कर जाँच की गई। बाद जाँच मुलजिम ..... के विरूद्ध इस्तगासा .....दिनांक.....न्यायालय श्रीमान् .....में पेश किया गया, जो विचाराधीन है। परिवाद, इस्तगासा व न्यायालय की ऑर्डरशीट की छाया प्रति पेज संख्या.....से ..... तक संलग्न है।

- रोजनामचा आम में दर्ज आम सोहरत की रिपोर्ट का विवरण।

- मुलजिम की खोली गई हिस्ट्रीशीट पत्रावली का विवरण एवं उसमें समय–समय पर दर्ज नोट का बिन्दु वार विवरण।

- अतः शख्स .....उर्फ.....पुत्र.....जाति.....उम्र..... .....निवासी.....भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 को केन्द्रीय अधिनियम संख्याक–45) के अध्याय 16

व 17 तथा आयुध अधिनियम 1959 की अध्याय 5 में दण्डनीय अपराध कारित करने व करवाने में गिरोह के सरगना के रूप में संलिप्त रहा है। इसके गिरोह में .....आदि सदस्य है। उक्त शख्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध वसूली, लूटपाट व जमीनों पर कब्जा करने जैसे गम्भीर प्रकृति के अपराध कारित करता है। उक्त शख्स के क्रियाकलापों से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से क्षेत्र, समाज व आम जनता में नुकसान, खतरा, संत्रास, असुरक्षा व भय की भावना उत्पन्न हो रही है। मानव जीवन, लोक स्वास्थ्य व संपत्ति को गम्भीर व व्यापक खतरा बना हुआ है।

- जिनसे लोक व्यवस्था व लोक शांति बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त शख्य के स्वच्छंद रहने से आमजन व समाज को किसी भी हद तक हानि कारित हो सकती है तथा इसका स्वच्छंद विचरण करना समाज, लोकव्यवस्था, लोक शांति के विपरित है। इसकी बढती हुई आपराधिक गतिविधियों पर रोक के सभी विधि सम्मत प्रयास विफल हो चुके है। अतः उक्त शख्स .....के विरूद्ध राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (2008 का अधिनियम संख्याक–1) के तहत निवारण कार्यवाही की जाकर निरूद्ध किया जाना आवश्यक व वांछनीय है।

संलग्नः–उपरोक्त वर्णित आपराधिक रिकार्ड की छाया प्रतियां।

भवदीय

थानाधिकारी
थाना.....
जिला .....

कानून–व्यवस्था, अपराध से सम्बन्धित रेडियो मैसेज का प्रारूप

Drafting radio messages on crime, law & order

<u>रेडियोग्राम</u>

प्रेषितिः– श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण)

सूचनार्थ :– श्रीमान पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण)

प्रेषक :– थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर, जयपुर शहर (दक्षिण)

महोदय,

आज दिनांक 06.11.2019 को प्रातः 10.15 एएम पर प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर पानीपेच तिराहे पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को डीटेन किया गया है। श्री इकराम खाँ ने धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना पर किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी देने की सहमति प्रदान की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि बतौर राजपत्रित अधिकारी यथाशीघ्र मौके पर पधारने की कृपा करें।

THI 11.00 A.M.

QSL 11.10 A.M.

deepak

विशेष शाखा प्रतिवेदन (Drafting special branch reports)

(A) DSI Report (Daily summery of Informations Report)

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक अलवर (राज.)

क्रमांकः–अल / वि.शा. / ऑर्ग / 2022 / 4704 दिनांकः–03.06.2022

पुलिस अधीक्षक,
सीआईडी (विशा)

राजस्थान जयपुर।

विषयः—दैनिक गुप्त प्रतिवेदन सं. 80 दिनांक 03.06.2022 की सूचना जिला अलवर।

प्रसंगः—श्रीमान् महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के पत्रांक अअवि/विशा/कोर्डिनेशन/डीएसआई पोलिसी/2016/7449 दिनांक 15.09.2016 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि समय 02.00 पीएम पर चाही गई सूचना तैयार की जाकर निम्नानुसार अवलोकनार्थ सादर प्रेषित हैः—

क्र.सं.	भाग संख्या	विवरण टिप्पणी
1.	वामपंथी दल	शून्य
2.	श्रमिक	शून्य
3.	सेवायें 1—राज्य कर्मचारी 2—केन्द्रीय कर्मचारी 3—सफेद पोश	शून्य
4.	(अ) छात्र/युवा (ब) किसान	शून्य
5.	राजनैतिक दल	शून्य
6.	हिन्दू संगठन	शून्य
7.	(अ) साम्प्रदायिक (ब) मुसलमान	शून्य
8.	विविध	थाना कोतवाली स्थित सब्जी मण्डी के पास, हिन्दूपाडा में स्थाई शराब का ठेका खुलने के विरोध में दिनांक 30.04.2022 को सांय 07.00 बजे से 25—30 महिलाओं द्वारा दिया जा रहा धरना दिनांक 08.05.2022 तक रहा एवं दिनांक 08.05.2022 को प्रातः 11.40 बजे हिन्दूपाडा में स्थाई शराब के ठेके को स्वर्ग रोड पर शिफ्ट किये जाने के विरोध में मोहल्ले की 05—07 महिलाओं द्वारा स्थानीय स्वर्ग रोड पर किया जा रहा विरोध/प्रदर्शन आज दिनांक 03.06.2022 को जारी है। निगरानी देखरेख जारी है।

पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर।

प्रतिलिपि :– निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
2. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर।
3. अति. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी जोन, जयपुर ग्रामीण।
4. प्रभारी, राज्य नियंत्रण कक्ष, जयपुर।
5. प्रभारी, जिला नियंत्रण कक्ष, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
जिला अलवर।

(B) Daily Sitrep (Daily Situation Report)

ईमेल–संदेश

प्रेषित : महानिरीक्षक पुलिस (इन्टे.)/पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (विशा)/राज्य नियंत्रण कक्ष जयपुर।

सूचनार्थ : महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर/अति. पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (विशा) जोन ग्रामीण जयपुर।

प्रेषक : पुलिस अधीक्षक जिला अलवर।

क्रमांक :– अल/विशा/ओर्ग/2022/4709 दिनांक :– 04.06.2022

थाना कोतवाली स्थित सब्जी मण्डी के पास, हिन्दूपाडा में स्थाई शराब का ठेका खुलने के विरोध में दिनांक 30.04.2022 को सांय 07.00 बजे से 25–30 महिलाओं द्वारा दिया जा रहा धरना दिनांक 08.05.022 तक रहा एवं दिनांक 08.05.022 को प्रातः 11.40 बजे हिन्दूपाडा में स्थाई शराब के ठेके को स्वर्ग रोड पर शिफ्ट किये जाने के विरोध में मोहल्ले की

08–10 महिलाओं द्वारा स्थानीय स्वर्ग रोड पर किया जा रहा विरोध/प्रदर्शन आज दिनांक 04.06.2022 को जारी है।

थाना अरावली विहार स्थित नया बास पर शराब का ठेका खुलने के विरोध में दिनांक 02.06.2022 से शराब के ठेके के पास दिया जा रहा सांकेतिक धरना/प्रदर्शन आज दिनांक 04.06.2022 को जारी है। धरना पर स्थानीय मोहल्ले की 08–10 महिलाएं बैठी हुई है। निगरानी देखरेख जारी है।

,

पुलिस अधीक्षक,
जिला अलवर।

प्रतिलिपीः–1.–कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला अलवर।
2.–प्रभारी कन्ट्रोल रूम अलवर

पुलिस अधीक्षक,
जिलाअलवर।

Drafting of other documents

फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त

फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर बमुकाम मकान अभियुक्त चन्द्रभान सिंह दिनांक .....समय....

रूबरू गवाहानः–

1. रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन एस.एच.ओ. ने अपना परिचय देते हुए अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर को धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराधो से अवगत कराते हुए नियामानुसार गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी ली गई तो अलावा पहने हुये कपड़ो के एक घड़ी टाईटन की, एक मोबाईल नोकिया 1100, एक पर्स चमड़े का, जिसमें कुल 1325 (एक हजार तीन सौ पच्चीस रू.) रूपये है, को बतौर जामातलाशी जब्त

किया गया। जामातलाशी के सामान की सूची बनाकर एक प्रति एच.एम. मालखाना को मय माल के वापसी थाना पर दी जावेगी तथा दूसरी प्रति अभियुक्त को दी गई।

1. नोटः— मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता जमना लाल को दी गयी।
2. नोटः— वक्त गिरफ्तारी मुलजिम के शरीर पर जाहीराना तौर पर कोई चोट नजर नहीं आ रही है। मुलजिम ने भी अपने बदन पर कोई चोट नहीं होना बताया।
3. नोटः— आरोपी चन्द्रभान सिंह को कानूनी सलाहकार से राय लेने की इजाजत दी गयी तथा इस हेतु उसे पर्याप्त समय दिया गया।
4. हुलियाः— कद करीब 5 फुट 8 इंच, रंग गेहूंआ, काले रंग की जर्सी, बादामी पैंट तथा क्रीम कलर का शर्ट पहने हुए है। गहरी भौंहे तथा दाढी मूँछें हैं। दाहिने हाथ की कलाई पर ''चन्द्र'' गुदा रखा है।

फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढकर सुनाई। सुन सही मान हस्ताक्षर किये।

Sd चन्द्रभान, रामलाल, बाबूलाल, जमना लाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

Module (D) Familiarization with
Instruments/ Conveyance

वसीयत (Will)

भारत में वसीयत शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल संपत्ति के संबध में किया जाता है। वसीयत को अंग्रेजी में विल (Will) कहते हैं। वसीयत एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज होता है, जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसकी मृत्यु के उपरांत संपत्ति के उत्तराधिकारियों का निर्धारण करता है। वसीयत लिखनें वाला व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए इसमें कभी भी बदलाव के साथ ही निरस्त भी कर सकता है।

भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1952 की धारा 2 (h) के अनुसार वसीयत या इच्छापत्र का अर्थ 'किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जो संपत्ति के संबंध में वह इच्छा करता है कि यह उसकी मृत्यु के पश्चात्

कार्यान्वित की जाए' संक्षेप में इसका मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी चल या अचल संपत्ति का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है, उसे वसीयत कहते है।

वसीयत चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों पर की जा सकती है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे चल संपत्ति कहते हैं जैसे– वाहन, पशु, नकदी, जेवरात आदि। ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, उन्हें अचल संपत्ति कहते है जैसे– भूमि, मकान, पेड़ इत्यादि ।

मुख्य रूप से वसीयत दो प्रकार की होती है–

(1) विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत

(2) आम वसीयत

विशेषाधिकार युक्त वसीयत अनौपचारिक वसीयत होती है। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत में व्यक्ति अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले लिखित या मौखिक वर्णन के आधार पर वसीयत बनवा सकता है। आम वसीयत में पहले अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का पालन करनें के साथ ही इसमें वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। यदि वसीयत करनें वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वसीयतकर्ता की उपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति उनके स्थान पर हस्ताक्षर कर सकता है।

वसीयत लिखने की शर्ते :–वसीयत लिखने के लिए कुछ कानूनी बातों का पालन करना होता है, जो भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1952 के अनुसार इस प्रकार है– वसीयत करनें वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक होता है। वसीयत लिखित में होनी चाहिए।वसीयत में वसीयत करनें वाले व्यक्ति के साथ ही दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। भारत में वसीयत लिखनें का चलन बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ यह परंपरा नहीं है। इसका मूल कारण है कि इसके बारें में लोगो को पूरी जानकारी न होना। जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत बनानें के बारें में सोचता है, तो उसके मन में सबसे पहले वकील का ख्याल आता हैं। जबकि वकील के बिना भी वसीयत लिखी जा सकती है, क्योंकि वसीयत बनाना एक साधारण प्रक्रिया है और इसके लिए एक कागज और पेन की आवश्यकता होती है।

वसीयत लिखनें की प्रक्रिया इस प्रकार है–भारतीय कानून के अंतर्गत वसीयत लिखने का कोई निर्धारित प्रारूप या फॉर्मेट नहीं है। वसीयत में सबसे पहले वसीयतकर्ता नाम, उम्र और निवास स्थान के बारें में लिखे। इसके पश्चात वसीयतकर्ता अपनी सभी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दे, इसके अलावा यदि वसीयतकर्ता ने कोई सम्पति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिल कर भागीदारी में खरीदी है तो अपने भाग का भी विवरण होना चाहियें। इसके बाद वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति को कितनें लोगो और किस अनुपात में दे रहा है, उसका विवरण होना चाहिये। यदि वसीयतकर्ता किसी को अपनी संपत्ति में कुछ भी नहीं दे रहे है तो उसका भी विवरण दे। यदि वसीयतकर्ता किस अन्य व्यक्ति को अपनी संपत्ति देना चाहते है, जो वसीयतकर्ता के परिवार का नही है तो उसका भी विवरण होना चाहियें। यदि वसीयतकर्ता किसी सम्पति के बारे में शर्त या नियम रखना चाहता है, तो उसका विवरण। यदि वसीयतकर्ता द्वारा लिखी गयी शर्तों या नियमों का पालन न किये जानें पर उस संपत्ति का क्या होगा? इसके बारें में विवरण होना चाहिये। इसके बाद वसीयतकर्ता अपने व अपने दो साक्षियों के साथ उस पर तारीख के साथ हस्ताक्षर करे।

वसीयत से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी :–वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के साथ ही प्रमाण के लिए दो गवाहों के हस्ताक्षर होनें पर वह एक वैध वसीयत बन जाती है। यदि वसीयतकर्ता वसीयत

लिखनें में असमर्थ है, तो अन्य कोई व्यक्ति वसीयत लिख सकता है। वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की जगह अंगूठे का निशान लेना आवश्यक है, साथ ही प्रमाण के लिए दो गवाहों के हस्ताक्षर होनें के बाद इसे एक इसे एक वैध दस्तावेज माना जायेगा। यदि गवाह भी हस्ताक्षर करनें में सक्षम नहीं है तो वह अपने अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज के रूप में पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18के तहत वैकल्पिक रूप से पंजीकृत किया जा सकता है, हालांकि इसे पंजीकृत या नोटराइज करवाने की कोई बाध्यता नहीं है। वसीयत लिखनें वाला व्यक्ति अपनी वसीयत को कभी भी बदल या निरस्त कर सकता है, चाहे वह वसीयत पंजीकृत हो चुकी हो।

वसीयत लिखनें में ध्यान रखने योग्य बिन्दुः–

– वसीयत लिखनें से पहले सभी संपत्तियों का एक विवरण तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें बीमा पॉलिसी, चल–अचल संपत्ति का विवरण शामिल हो।

– वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति में कितनें लोगो को शामिल करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची बना लेनी चाहिए।

– वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति का कौन सा हिस्सा और किस अनुपात में किसे देना चाहते हैं, इसका निर्धारण पहले से कर लेना चाहिए।

– वसीयत लिखनें में सरल और स्पष्ट भाषा शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

– यदि संपत्ति अधिक है और वसीयत के बाद भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो तो अपने किसी विश्वासपात्र व्यक्ति को निष्पादक नियुक्त कर देना चाहिए।

– वसीयत के प्रत्येक पेज पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है।

– वसीयत में दो गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होनें चाहिए, गवाह बनाये गये व्यक्ति वसीयतकर्ता परिचित होनें के साथ ही ऐसे व्यक्ति होनें चाहिए जिनका वसीयत में कोई हित न हो।

– वसीयत का पंजीकृत या नोटरी कराना आवश्यक नहीं है, परन्तु आगे भविष्य में कभी विवाद से बचनें के लिए पंजीकृत अवश्य करा लेना चाहिए, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि वसीयत गुम हो जाती है तो उसकी प्रति प्राप्त की जा सकती है।

विक्रय विलेख (sell deed)

विक्रय विलेख, बिक्री अधिनियम पंजीकरण अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, और संपत्ति की खरीद या विक्रय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कम से कम दो गवाहों के सामने खरीदार और विक्रेता दोनों द्वारा विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, और इसके बिना किसी भी संपत्ति का खरीदा या बेचा जाना पूरा नहीं होता है। इसे हम और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जैसे कि विक्रय विलेख वह है, जो किसी संपत्ति के विक्रय के समय तैयार किया जाता है। यह एक दस्तावेज है, जो किसी भी विक्रय को पूरा करता है। विक्रय विलेख के माध्यम से, विक्रेता खरीदार के लिए संपत्ति के स्वामित्व के अधिकारों को हस्तांतरित करता है। एक बार जब दस्तावेज का मसौदा तैयार किया जाता है, और उसे सत्यापित करने के लिए उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो मालिकाना हक पूरी तरह से सौदे में खरीदार को हस्तांतरित हो जाता है। विक्रय विलेख वह दस्तावेज है, जिसे स्वामित्व के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार अन्य समान दस्तावेजों जैसे कि विक्रय समझौता या असाइनमेंट समझकर गलती करते हैं। इसके अलावा, किसी

भी लंबित बाधाएं, जैसे कि संपत्ति कर, पानी और बिजली के शुल्क, विक्रय विलेख स्वरूपित होने से पहले पूर्ण भुगतान किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए, विक्रय विलेख में आमतौर पर विक्रय के तहत संपत्ति से संबंधित ऐसी सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होती है।

विक्रय विलेख में आवश्यक विवरण :– तैयार किए जाने वाले विलेख का प्रकार, संपत्ति या तो बेची जा सकती है, या गिरवी रखी जा सकती है, या फिर लीज पर दी जा सकती है। आवश्यकता के आधार पर, 'विक्रय विलेख' का नाम 'विक्रय का विलेख' या 'गिरवी का विलेख के रूप में लिखा जाता है। निष्पादित दलों का नाम और पता, दोनों पक्षों का पूर्ण नाम, पता और पक्षकारों की उम्र और निवास का पता जैसे कि अन्य दस्तावेजों के शुरुआत में निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। कोई भी विक्रय विलेख तब तक मान्य नहीं होता है, जब तक कि वह दोनों पक्षों के नामों को विक्रेता और खरीदार या पट्टेदार और पट्टेदार आदि के रूप में उल्लेखित नही होता हैं।

संपत्ति का विवरण विक्रय के तहत किसी भी अचल संपत्ति को पते के साथ वर्णित करने की आवश्यकता होती है, अगर किसी संपत्ति में एक घर, उसमें कमरों की संख्या आदि के आधार पर बेचा जा रहा है, तो उसमें ये जानकारी के साथ – साथ भूखंड क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और जो भी कुछ आवश्यक है, तो ऐसी प्रासंगिक जानकारियों को शामिल करने की आवश्यकता होती है।

बिक्री समझौता: यह एक दस्तावेज है, जिसमें दोनों पक्ष 'बेचने' और 'खरीदने' के लिए लिखित रूप में सहमत होते हैं, और इस बात का भी विस्तृत ब्यौरा देते हैं, कि किस क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है, और किस तारीख को, और जब भी भुगतान किया जाना है, इसके बाद दोनों पक्षों द्वारा सहमति और हस्ताक्षर किए जाते हैं। विक्रय का एक अनुबंध विक्रय विलेख को आगे बढ़ाता है, और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज बनता है। भुगतान की विधि और तिथि का उल्लेख बाद की तारीख में किसी भी असहमति को रोकने के लिए समय से किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों द्वारा विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर (दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर) अपरिवर्तनीय रूप से संपत्ति के शीर्षक को खरीदार को हस्तांतरित करता है, अब कानूनी रूप से संपत्ति का कोई भी अधिकार नए खरीदार का होगा।

दस्तावेज का पंजीकरण : अचल संपत्ति का पंजीकरण, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार किया जाता है। पार्टियों (खरीदार और विक्रेता) को स्थानीय पंजीकरण कार्यालय में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।

विक्रय – विलेख का प्रारूप

यह विक्रय – विलेख आज दिनांक ..... को श्री .....पुत्र श्री ..... उम्र.....निवासी – मकान नंबर ..... मोहल्ला / वार्ड..... तहसील ..... जिला..... जिसे आगे विक्रेता कहा गया है एवं जो इस विक्रय – विलेख का प्रथम पक्षकार है। एवं श्री.....पुत्र श्री .....उम्र ..... निवासी – मकान नंबर ..... मोहल्ला / वार्ड .....तहसील ..... जिला.....

जिसे आगे क्रेता कहा गया है एवं जो इस विक्रय – विलेख का द्वितीय पक्षकार है के मध्य निष्पादित किया गया है।

चूँकि प्रथम पक्ष का एक मकान / भूखंड संख्या ..... जो मोहल्ला / वार्ड ..... . तहसील ..... जिला .....में स्थित है जिसकी सीमाएं एवं क्षेत्रफल निम्न प्रकार हैं:–

दिशा
पड़ोस

भुजा का माप

पूर्व

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

क्षेत्रफल (वर्ग मीटरध्वर्ग फुट).....

निर्माण का क्षेत्रफल (यदि कोई हो).....

सडक की चौड़ाई जिस पर भूखण्ड/मकान खुलता है.....

उक्त भूखण्ड / भवन का स्वामित्व प्रथम पक्षकार विक्रेता का है प्रथम पक्षकार उक्त भूखण्ड / भवन को विक्रय करना चाहता है उक्त मकान / भूखण्ड को विक्रय करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व मकान / भूखंड को किसी अन्य को विक्रय, दान, बन्धक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है तथा उक्त मकान पर प्रथम पक्ष ही काबिज है तथा निरन्तर उसके स्वामित्व में है। उक्त मकान पर कोई ऋण, कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही की अदालती कार्यवाही में उक्त मकान / भूखण्ड विवादास्पद है। उक्त मकान / भूखण्ड स्वामित्व की दृष्टि से हर तरह से पाक एवं साफ है जिसका एक मात्र स्वामी प्रथम पक्ष है।

चूँकि प्रथम पक्ष को अपने निजी एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपयों की आवश्यकता है इसलिए उक्त मकान / भूखण्ड को..... रूपये अक्षरे.....रुपये में विक्रय का प्रस्ताव प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पद के समक्ष रखा गया जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह कि उक्त विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से उक्त मकान / भूखंड के प्रतिफल की राशि .....रुपये अक्षरे .....रुपये प्राप्त कर लिए हैं तथा अब कुछ भी लेना शेष नहीं है। यह कि मकान/ भूखंड का कब्जा क्रेता को सम्भला दिया है। यह कि उक्त मकान/ भूखंड सभी

प्रकार के भारों एवं प्रभारों से मुक्त है। उक्त विक्रय – विलेख की दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व विक्रेता का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष क्रेता का होगा। मकान/ भूखंड के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए विक्रेता प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा। यह कि इस विक्रय – विलेख के निष्पादन की तिथि से उक्त मकान/ भूखंड का स्वामित्व क्रेता में निहित हो गया है एवं वह स्वयं, उसका उत्तराधिकारी, वारिस या अभिहस्ताकिती उसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे जिसमें विक्रेता, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे। यह कि इस विक्रय – विलेख के निष्पादन की तिथि से क्रेता उक्त मकान /भूखण्ड को किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपभोग व निष्पादन करने के लिए स्वतन्त्र हैं। यह कि उक्त मकान /भूखंड पर कोई कर आदि बकाया नहीं है तथा भविष्य में देय करों का भुगतान क्रेता द्वारा किया जायेगा। इस विक्रय – विलेख पर देय मुद्रांक कर का दायित्व क्रेता का होगा। अतएवं उपरोक्त शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने बिना किसी दबाब के तथा अपने पूर्ण होश–हवाश में निन्मलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षीगण

1 हस्ताक्षर साक्षी.....
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विक्रेता
नाम.....
पता.....
2 हस्ताक्षर साक्षी.....
हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष विक्रेता
नाम.....
पता.....

<u>एक विक्रय विलेख के लिए कानूनी रूप से आवश्यक तत्व</u> :–एक विक्रय विलेख में बिक्री से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी होती है, और अचल संपत्ति की किसी भी बिक्री में एक विक्रय विलेख ही सबसे वैध और महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। विक्रय विलेख या सेल डीड को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के गैर – न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रारूपित करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राज्य में बिक्री कार्यों के प्रारूपण के लिए स्टाम्प पेपर का पूर्व निर्धारित मूल्य है, यदि कोई व्यक्ति पूर्व निर्धारित मूल्य से कम का स्टाम्प पेपर का प्रयोग करता है, तो वह विक्रय विलेख वैध नहीं माना जाता है, और जिसके फलस्वरूप भविष्य में उस व्यक्ति को किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए पहले से ही सभी आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विलेख का मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक स्टाम्प पत्रों के अलावा, विलेख को वैध करने के लिए किसी भी बकाया राशि का भुगतान चालान, स्टाम्पिंग या किसी अन्य माध्यम से भी किया जा सकता है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार उस विलेख की मांग करती है।

पॉवर ऑफ अटॉर्नी (GPA /SPA)

पॉवर ऑफ अटॉर्नी एक विधिक दस्तावेज है जिसे किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति के संबंध में दिया जाता है। आमतौर पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी संपत्ति के संबंध में ही दी जाती है। अन्य मामलों में भी पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है।

कानून द्वारा एक व्यक्ति को अनेक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को उपयोग करने के लिए ऐसा व्यक्ति अपने को मिले अधिकार को पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। जो व्यक्ति अधिकार देता है उसे अधिकारदाता कहा जाता है और जिस व्यक्ति को अधिकार मिलता है उसे अधिकारग्रह्यता कहा जाता है।जैसे कि किसी जमीन का मालिक उस जमीन की देखरेख, उसे बेचने, उसे किराए पर देने, उसे गिरवी रखने से संबंधित सभी अधिकार रखता है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिए ऐसा मालिक अपने सभी अधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है। ऐसा दस्तावेज ही पॉवर ऑफ अटॉर्नी कहलाता हैं। पॉवर ऑफ अटॉर्नी एक बेहद प्रसिद्ध शब्द है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी एक विधिक दस्तावेज है जिसे किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति के संबंध में दिया जाता है। आमतौर पर ऐसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी संपत्ति के संबंध में ही दी जाती है। अन्य मामलों में भी पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है।जैसे कि किसी जमीन का मालिक उस जमीन की देखरेख, उसे बेचने, उसे किराए पर देने, उसे गिरवी रखने से संबंधित सभी अधिकार रखता है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिए ऐसा मालिक अपने सभी अधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है। ऐसा दस्तावेज पॉवर ही पॉवर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है।

पॉवर ऑफ अटॉर्नी का शाब्दिक अर्थ है कोई ऐसा दस्तावेज जो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का एजेंट बनाता है। आज व्यावसायिक युग में और संचार के युग में दिन प्रतिदिन पॉवर ऑफ अटॉर्नी का प्रचलन बढ़ रहा है। अपने अधिकारों को प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है।

यदि पॉवर ऑफ अटॉर्नी रिवोकेबल नहीं है तब ऐसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड ही होना चाहिए अर्थात जिस पॉवर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल नहीं किया जा सकता जो एक स्थाई पॉवर ऑफ अटॉर्नी है ऐसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड दस्तावेज होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सब रजिस्टार दफ्तर में किया जाता है। किन किन कार्यों में पॉवर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग किया जा सकता हैः– पॉवर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग हर उस कार्य में किया जा सकता है जिस कार्य में किसी व्यक्ति की संपत्ति से जुड़ा मामला है। जैसे कि किसी वाहन के संबंध में पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, किसी बैंक खाते के संचालन के संबंध में पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, किसी बीमा पालिसी के संबंध में पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, किसी अचल संपत्ति के संबंध में भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है। ऐसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होना चाहिए जिसके द्वारा निष्पादित की का रही है। बगैर हस्ताक्षर के पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं हो सकती। मकान जमीन के संबंध में दी गई पॉवर ऑफ अटॉर्नीः– ऐसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी जो मकान और जमीन के संबंध में दी जाती है इसमें मकान के जमीन का मूल मालिक अपने और से वह सभी विधिक अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है जिसका नाम पॉवर ऑफ अटॉर्नी में अधिकारग्रह्यता तौर पर दर्ज किया जाता है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी का अधिकारग्रह्यता व्यक्ति इस दस्तावेज के जरिए उस व्यक्ति की संपत्ति का विक्रय भी कर सकता है, उस पर निर्माण भी कर सकता है और उन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जिन अधिकारों का प्रयोग उस संपत्ति के मालिक द्वारा किया जाता है अर्थात एक प्रकार से पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकारग्रह्यता उस संपत्ति

का मालिक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति पॉवर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है जो किसी बीमारी से जूझ रहा है या फिर किसी कारणवश अपनी संपत्ति की देखरेख नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति, कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन की अति व्यवस्था के कारण अपनी संपत्ति की देखरेख नहीं कर पाता है या फिर व्यापार–व्यवसाय के उद्देश्य से अधिकतर समय संपत्ति से दूर रहता है। हालांकि यह सिद्धांत केवल औपचारिक है पॉवर ऑफ अटॉर्नी किए जाते समय इन सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया जाता किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को पावर आफ अटार्नी लिखी जा सकती है। केवल ऐसा व्यक्ति पागल या 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पॉवर ऑफ अटॉर्नी को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। जैसे किसी वसीयत को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है पर कुछ पॉवर ऑफ अटॉर्नी ऐसी होती है जिसे दोबारा रद्द नहीं किया जा सकता और वह स्थाई पॉवर ऑफ अटॉर्नी होती है उसकी शर्तों में लिख दिया जाता है कि इस पॉवर ऑफ अटॉर्नी को दोबारा रद्द नहीं किया जाएगा और यह पॉवर ऑफ अटॉर्नी अंतिम पावर ऑफ अटॉर्नी है।

पॉवर ऑफ अटॉर्नी के प्रकारः–पॉवर ऑफ अटॉर्नी के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) और दूसरा स्पेसिफिक पॉवर ऑफ अटॉर्नी (SPA)।

सामान्य पॉवर ऑफ अटॉनी(GPA) :–सामान्य पॉवर ऑफ अटॉर्नी वह होती है जिसके अंतर्गत मालिक द्वारा अपने समस्त अधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऐसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी अनिश्चित समय के लिए होती है। इस ही पॉवर ऑफ अटॉर्नी में स्थाई किए जाने की शर्त भी लिख दी जाती है।

स्पेसिफिक पॉवर ऑफ अटॉनी (SPA) :–यह पॉवर ऑफ अटॉर्नी एक विशेष प्रकार की होती है जो किसी निश्चित समय अवधि के लिए लिखी जाती है। या फिर किसी कार्य के पूर्ण होने तक लिखी जाती है और उसके पश्चात पॉवर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर दिया जाता है निश्चित की गई समय अवधि के बीत जाने पर ऐसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी स्वतः रद्द हो जाती है। निश्चित किए गए उद्देश्य के पूर्ण हो जाने पर भी ऐसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी स्वतः रद्द हो जाती है।

पट्टा विलेख (lease deed)

संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 105–पट्टे की परिभाषा

स्थावर सम्पत्ति का पट्टा ऐसी सम्पत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अन्तरण है जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किमी. कीमत के जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन, या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के, जो कालावधीय रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अन्तरिती द्वारा जो उस अन्तरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहीत करता है, अन्तरक को की या दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो।

पट्टे की परिभाषा (Definition of lease)– सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरण के विभिन्न तरीके दिये गये है जिनमें सम्पत्ति का पट्टा भी एक प्रमुख तरीका है जिस प्रकार से विक्रय, दान, विनियम व बंधक में सम्पत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरण किया जाता है उसी प्रकार पट्टे में भी सम्पत्ति का अन्तरण होता है। यद्यपि इन सभी संव्यवहारों में सम्पत्ति का अन्तरण निश्चित है परन्तु कहीं सम्पत्ति का हित या अधिकार का कहीं सम्पत्ति के स्वामित्व का एवं कहीं सम्पत्ति के उपभोग के अधिकार का अन्तरण होता है। यह सब सम्पत्ति के अन्तरण के विनिर्दिष्ट ढंग पर निर्भर करता है।

संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 105में पट्टे की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार, अचल सम्पत्ति का पट्टा ऐसी सम्पत्ति के उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अन्तरण है जो एक निश्चित समय के लिये या हमेशा के लिये, किसी कीमत अथवा धन या फसल या सेवा आदि के प्रतिफल के बदले किया जाता है तथा जिस व्यक्ति पक्ष में ऐसा अन्तरण किया गया है उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। जो व्यक्ति सम्पत्ति का अन्तरण करता है, वह पट्टाकर्ता जिसके पक्ष में अन्तरण किया जाता है, वह पट्टाग्रहिता, कीमत जो दी जाती है वह प्रीमियम तथा जो धन अंश फसल आदि देय होते है. वे भाटक कहलाता है। सरल शब्दों में, स्थावर सम्पत्ति के पट्टे में ऐसे सम्पत्ति के उपभोग के अधिकार का अन्तरण किया जाता है। सम्पत्ति का स्वामित्व अन्तरणकर्ता के पास रहता है, वह तो केवल इसके उपभोग करने का अधिकार का सम्पत्ति के कब्जे को सौंपकर अन्तरण कर देता है। इसी अर्थ में यह विक्रय एवं दान से भिन्न है जिसमें अन्तरणकर्ता सम्पत्ति का स्वामित्व का क्रमशः प्रतिफल के बदले अथवा बिना प्रतिफल के करता है। जबकि बंधक में सम्पत्ति में निहित हित का अन्तरण होता है। अन्तरणकर्ता अपने पास सम्पत्ति का स्वामित्व एवं कब्जा भी रख सकता है। पट्टे में सम्पत्ति का स्वामित्व अन्तरणकर्ता के पास रहता है, वह सम्पत्ति के कब्जे को स्वामित्व से अलग करके अन्तरणग्रहिता को इसके उपभोग का अधिकार सौंप देता है। यद्यपि धारा 105 में उपभोग शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि कब्जे का। परन्तु बिना कब्जा प्रदत्त किये हुए सम्पत्ति का उपभोग संभव नहीं है। अतः स्थावर सम्पत्ति के पट्टे में पट्टाकृत सम्पत्ति का कब्जा पट्टाग्रहिता को देना आवश्यक है।

पट्टे के आवश्यक तत्व (Essential conditions of lease)– पट्टे की उपर्युक्त परिभाषा में पट्टे के निम्न आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं–

1. पक्षकार– पट्टाकर्ता एवं पट्टाग्रहिता,
2. पट्टे की विषयवस्तु – स्थावर सम्पत्ति,
3. स्थावर सम्पत्ति के उपभोग के अधिकार का अन्तरण,
4. उपभोग के अधिकार की अवधि,
5. प्रतिफल प्रीमियम या भाटक, एवं
6. पट्टाग्रहिता द्वारा स्वीकृति ।

1. पट्टे के पक्षकार (Parties of lease)

पट्टे के पक्षकार पट्टाकर्ता (lessor) एवं पट्टाग्रहिता (lessee) होता है। जो व्यक्ति सम्पत्ति का स्वामी होता और उपभोग के अधिकार का अन्तरण करता है, पट्टाकर्ता (lessor) कहलाता है एवं जिसको उपभोग अधिकार अन्तरित किया जाता है, उसे पट्टाग्रहिता कहते है। ये दोनों ही संविदा के सक्षम होने चाहिये।

पट्टाकर्ता (lessor) एक व्यक्ति जो संविदा करने के सक्षम हो एवं सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी हो, वह अपनी सम्पत्ति का पट्टा जितने समय के लिये करना चाहे, कर सकता है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति का सीमित स्वामी (limit owner) है तो वह उतने ही समय के लिये पट्टा कर सकता है जितनी सीमा तक विधि उसे इजाजत देती है। अतः जिसे जीवनपर्यन्त तक पट्टा किया गया है. वह अपने जीवनकाल तक इसका पट्टा कर सकता है। जिसका अभिप्राय यह हुआ कि एक पट्टाग्रहिता (lessee) पट्टाकृत सम्पत्ति को फिर पट्टे पर दे सकता है जिसे उपपट्टा (sub lease) कहा जाता है परन्तु धारा के अर्थ में यह भी एक पट्टा है। मिनरल डवलपमेन्ट लि. वि. यूनियन ऑफ इण्डिया के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश वान्चू ने अवलोकन किया कि यह तथ्य कि जहाँ पट्टाग्रहिता स्वयं पट्टाकर्ता है और वह संव्यवहार उपपट्टा कहलाता है, वह उनके मध्य किये गये अन्तरण की प्रकृति को नहीं बदल सकता। यह तब भी संभव है जबकि धारा 105 में दी गई पट्टे की परिभाषा उपपट्टा को अंग्रेजी सम्पत्ति अधिनियम 1925 की तरह सम्मिलित नहीं करती है। जहाँ तक पट्टाकर्ता को क्षमता का प्रश्न है, वह अधिनियम की धारा 8 से शासित होता है, जिसके अनुसार पट्टाकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो संविदा करने के सक्षम हो एवं पट्टाकृत सम्पत्ति का स्वामी हो अथवा पट्टा करने के लिये अधिकारित हो ।

पट्टाग्रहिता (lessee)–पट्टा ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है जो पट्टे के निष्पादन के समय संविदा करने के सक्षम हो। अवयस्क पक्ष में पट्टा शून्य होता है क्योंकि पट्टे में पट्टेग्रहिता को भाटक आदि के भुगतान और अन्य पारस्परिक बाध्यताओं और दायित्वों के लिये प्रसंविदा करनी होती है और वह एक सक्षम व्यक्ति ही कर सकता है। धारा 107 यह स्पष्ट करती है कि अवयस्क के पक्ष में किया गया पट्टा शून्य है क्योंकि पट्टे का निष्पादन पट्टाकर्ता एवं पट्टामग्रहिता दोनों करते हैं।

एक पट्टा विभिन्न व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है। ऐसे विभिन्न व्यक्ति ऐसे पट्टे को संयुक्त अभिधारी (Joint tenants) के रूप में या सामान्य अभिधारी (tenants in common) के रूप में ले सकते हैं। पहली स्थिति में एक अभिधारी की मृत्यु होने की दशा में उसका हित उसके उत्तरजीवी अभिधारियों (surving tenants) में निहित से जावेगा तथा दूसरी स्थिति में अभिधारीकी मृत्यु होने पर उसका हित उसके वैद्य प्रतिनिधि को चला जावेगा। जहाँ पट्टा किसी फर्म को प्रदान किया गया है वहाँ एक भागीदारी की मृत्यु की दशा में उसके उत्तरजीवी भागीदार मृतक का प्रतिनिधित्व करते है तथा भागीदारी को अवस्था में यदि कोई भागीदार, भागदारों से अवकाश ग्रहण कर लेता है, फिर भी व्यापार चलता रहता है एवं पट्टा जारी रहता है तथा फर्म पट्टाग्रहिता बनी रहती है। जहाँ पट्टा किसीअनरजिस्टर्ड संगठन के पक्ष में किया गया है तो संगठन के पक्ष में पट्टा मान्य नहीं माना जावेगा, यह मात्र आज्ञाप्ति (licence) गिनी जायेगी तथा संगठन को अनुक्रमी (trespasser) मानते हुए खाली करने के लिये उत्तरदायी होगा।

2. विषय वस्तु (Subject Matter) पट्टे की विषयवस्तु स्थावर सम्पत्ति (Immovable property) होती है जिसको परिभाषा विस्तृत रूप में धारा 3 में दी गई है। जंगम अर्थात चल सम्पत्ति पट्टे की विषयवस्तु नहीं हो सकती। अचल सम्पति की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसमें भूमि, भूमि से उत्पन्न फायदे तथा भूमि से संलग्नित वस्तुयें सम्मिलित है। विधि के अन्तर्गत भवन के साथ औजार तथा भवन के साथ संलग्नित मशीनरी का पट्टा किया जा सकता है। जहाँ एक नाई की दुकान का उसके औजार, फर्नीचर सहित पट्टा एक निश्चित अवधि के लिये किया जाता है तो यह पट्टा मान्य होगा क्योंकि पक्षकारों का आधार व्यापार का पट्टा करने का था।

3. उपभोग के अधिकार का अन्तरण (Transfer the right of enjoyment) पट्टा में स्थावर सम्पत्ति का स्वामी सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का अन्तरण करता है तथा सम्पत्ति का स्वामित्व उसी के पास रहता है। यहाँ सम्पत्ति के स्वामित्व का सम्पत्ति के कब्जे से पृथक किया जाता है जिसमें स्वामित्व पट्टाकर्ता के पास रह जाता है और कब्जा पट्टाग्रहिता के पास चला जाता है। सम्पत्ति का उपभोग कब्जे के बिना संभव नहीं है। अतः उपभोग के अधिकार में सम्पत्ति का कब्जा सम्मिलित है। एक पट्टा मात्र संविदा नहीं है अपितु भूमि में निहित हित का अन्तरण है, जो लोक अधिकार (right in rem) सृजित करता है। ऐसा हित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) के अन्तर्गत किराएदार (tenant) का सम्पत्ति का अधिकार माना जाता है। जहाँ पट्टा शाश्वत रूप में (in porpetuity) प्रदान किया जाता है जो उस स्थिति में भी पट्टाकृत सम्पत्ति में पट्टाकर्ता का हित अवशेष रूप में बना रहता है।

4. पट्टे की अवधि (Period) – पट्टे की अवधि निश्चित समय के लिये या शाश्वत अर्थात् हमेशा के लिये हो सकती है। पट्टा विलेख में पट्टे की अवधि को अभिव्यक्त रूप में अथवा प्रलक्षित रूप में निश्चित कर दिया जाता है। जहाँ अवधि के संदर्भ में विलेख चुप है, यदि स्थानीय रुढ़ि रीति–रिवाज विपरीत नहीं है तो अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, जहाँ पट्टे का उद्देश्य कृषिकार्य या निर्माण कार्य (manufacturing) हो, वहाँ पट्टा वर्षानुवर्ष (year to year) एवं यदि पट्टा अन्य उद्देश्य के लिये हो वहाँ पट्टा मासानुमास (month to month) माना जावेगा।

धारा 105 में प्रयुक्त शब्द निश्चित से अभिप्राय पट्टे की अवधि पट्टा निष्पादन के समय निश्चित कर दी गई हो या भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर निश्चित की जा सकती है। पट्टा का प्रारंभ प्रायः पट्टा के निष्पादन के दिन से या पट्टाकृत सम्पत्ति में प्रवेश करने के दिन से माना जाता है। शेष पक्षकारों के करार पर निर्भर करता है। पट्टाकृत अवधि या तो एक निश्चित समय के लिये होती है अथवा अनिश्चित समय के लिये जो वर्षानुवर्ष या मासानुमास के रूप में चलती रहती है अथवा हमेशा के लिये हो सकती है। जहाँ पट्टा स्थायी रूप से किया गया है वहाँ विलेख में अभिव्यक्त व विवक्षित आशय से स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसा आशय, दस्तावेज की शर्तों, पट्टे का उद्देश्य परिस्थितियों जिनमें पट्टा किया गया, पक्षकारों का आशय एवं व्यवहार से मालूम हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों पर विचार करने से एक बिना अवधि का पट्टा स्थायी पट्टा हो सकता है। कोई पट्टा स्थाई रूप में किया गया है अथवा नहीं, यह एक तथ्य विषयक प्रश्न है, जो प्रत्येक वाद में तथ्यों पर निर्भर करता है। यह सिद्ध करने का भार कि पट्टा स्थायी है उस पर होता है, जो यह वाद प्रस्तुत कर रहा है कि पट्टा स्थायी प्रकृति का है।

स्टेट आफ यू. पी. वि. लाल जी टंडन के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि भारत में शाश्वत पट्टा हो सकता है तथा विधि द्वारा वर्जित नहीं है। जहाँ पट्टा विलेख में पट्टाग्रहीता पट्टे का नवीनीकरण (Renewal) के लिए अधिकारित है तो वह पट्टे की प्रत्येक समाप्ति पर नवीनीकरण कर सकेगा। बशर्ते कि पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तें इसके लिए उसे अधिकारित करती है। परन्तु पट्टे को सामान्यतया कभी भी शाश्वत रूप में न तो समझा जाता है और न ही स्वीकार किया जाता है। किसी का कब्जा लम्बे समय तक बनाये रखने से पट्टा स्थायी नहीं हो जाता। बेदखली के वाद में स्थायी पट्टे का तर्क नहीं दिया गया। इस बाद में पट्टाकृत सम्पत्ति वक्फ अधिनियम से शासित होती थी, जिसके अनुसार एक साल से अधिक पट्टा नहीं किया जा सकता। निर्णित किया गया कि पट्टा स्थायी नहीं है।

इच्छाधीन पट्टा (tenancy at will)–ऐसे पट्टे से अभिप्राय यह है कि जहाँ विलेख में स्पष्ट रूप से प्रावधान हो कि पट्टा पट्टाकर्ता एवं पट्टाग्रहिता की इच्छानुसार अवधि तक चलता रहेगा। यह अवधि पट्टाकर्ता की इच्छा पर भी निर्भर कर सकती है। सामान्यतया ऐसा पट्टा जो अवधि के सम्बन्ध में मौन है, एक पट्टे के रूप में शून्य होगा परन्तु ऐसी परिस्थिति में जहाँ पट्टाग्रहिता ने पट्टाकृत सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है तो फिर यह एक इच्छाधीन पट्टा का सृजन किया गया माना जावेगा। इच्छाधीन पट्टा किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

अनुज्ञात पट्टा (tenancy at sufferance) – जब कोई व्यक्ति एक वैध पट्टे के अन्तर्गत सम्पत्ति को कब्जे में रखे हुये है, जबकि पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी है और पट्टाग्रहिता की सहमति नहीं ली है। इसे बिना इजाजत का पट्टा कहेंगे। क्या यह अतिचार (trespass) की संज्ञा में आता है। यदि बिना इजाजत के है तो अतिचार होना ही चाहिये। परन्तु कब्जे का प्रारंभ वैध होता है, इसलिये यह अतिचार से श्रेष्ठ है जबकि अतिचार में कब्जा का प्रारंभ एवं जारी रहना दोनों ही अवैध होते हैं। इस प्रकार के पट्टे को पट्टाकर्ता कब्जा प्राप्त करके कभी भी समाप्त कर सकता है, कोई सूचना की आवश्यकता नहीं है। यह कुछ अर्थों में अतिचारी माना जाता है, पट्टाकर्ता, इस अवधि के लिये मध्यवर्ती लाभ का अधिकारी है।

5. प्रतिफल (consideration)

धारा के प्रावधानुसार प्रतिफल प्रीमियम के रूप में या भाटक के रूप में हो सकता है। प्रीमियम को कीमत भी कहते हैं, जो दी गई हो या जिसे दिये जाने का वचन दिया गया हो। धारा में प्रीमियम एवं भाटक दोनों को ही प्रतिफल के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रीमियम उसे कहते हैं जो मूल्य के रूप में भुगतान किया जाता है अथवा जिसे एक मुश्त में भुगतान करने की प्रतिज्ञा की जाती है। यदि प्रतिफल प्रीमियम के रूप में है तो यह संव्यवहार या तो जूरीपेशगी पट्टा होगा अथवा भोगबंधक। इन दोनों में अन्तर यह है कि भोगबंधक पक्षकारों के मध्य ऋणदाता व ऋणी का सम्बन्ध रहता है जबकि जूरीपेशगी में रकम एक मुश्त में प्रतिफल के रूप में दी जाती है। वास्तव में यह एक क्रय मूल्य है जो उपभोग के बदले दी जाती है। यह भुगतान पट्टाकृत सम्पत्ति को कब्जे के बदले दिया जाता है जिसे सलामी भी कहा जाता है। अतः धारा 105 के अन्तर्गत पट्टे का प्रतिफल प्रीमियम एवं भाटक अथवा केवल भाटक अथवा केवल प्रीमियम हो सकता है।

धारा 105 में भाटक शब्द का प्रयोग बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है। यह मात्र धन के रूप में नहीं होता है, अपितु फसल के अंश सेवा अथवा किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में हो सकता है। एक सेवक द्वारा सेवा करना, एक डॉक्टर द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, किसान द्वारा फसल का एक अंश देना, भाटक की संज्ञा में आते है। इसका भुगतान पट्टे की शर्तों के अनुसार किया जाता है जो विनिर्दिष्ट अवसरों पर अथवा वार्षिक छमाही, तिमाही अथवा मासिक हो सकता है।

6. प्रीमियम एवं भाटक की प्रकृति (nature of premium & rent)

धारा 105 में ये दोनों शब्दावली प्रतिफल के रूप में प्रयुक्त हुई है। पट्टे विलेख में इसके संदर्भ में पक्षकार कैसे भी निश्चित कर सकते हैं। लेकिन पक्षकारों द्वारा इन शब्दावलियों का प्रयोग कभी संदेह उत्पन्न कर देता है। प्रीमियम पट्टाकर्ता की पूंजीगत आय (capital income) को प्रदर्शित करता है अर्थात् पट्टाकर्ता पट्टाकृत सम्पत्ति में से जो अपना हित पट्टाग्रहिता को प्रदत कर रहा है उसका प्रतिफल एक मुश्त में पट्टाग्रहिता से प्राप्त करता है वह प्रीमियम कहलाता है। इसका भुगतान किश्तों में भी होता है। दूसरे शब्दों में पट्टाकृत सम्पत्ति का कब्जा पट्टाकर्ता स्वयं छोड़कर पट्टाग्रहिता को सौंप रहा है, इसका प्रतिफल वह पट्टाग्रहिता से लेता है जबकि भाटक से अभिप्राय यह है कि पट्टाग्रहिता पट्टाकृत सम्पत्ति का उपभोग कर रहा है उसके बदले भाड़े के रूप में प्रतिफल अदा कर रहा है जो कि मासिक त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक रूप में देय है। यह पट्टाकर्ता की राजस्व के रूप में आय मानी जाती है। इनका निर्धारण पक्षकारों के आशय एवं विलेख की भाषा से किया जाता है।

7. पट्टाग्रहिता द्वारा स्वीकृति (Acceptence by lessee)

पट्टा का अन्तिम आवश्यक तत्व पट्टा का पट्टाग्रहिता द्वारा स्वीकृति प्रदान करना है। जैसा कि उपरोक्त में स्पष्ट किया गया है कि पट्टे में पट्टाग्रहिता को भाटक देने अथवा अन्य दायित्वों की पूर्ति करनी पड़ती है, इसीलिये इनकी पट्टाग्रहिता द्वारा स्वीकृति आवश्यक है और ऐसी स्वीकृति संविदा करने में जो व्यक्ति सक्षम होता है, वहीं दे सकता है।

पट्टा एवं अनुज्ञप्ति में अन्तर (differences between lease & licence) पट्टा की परिभाषा धारा 105 में दी गई है जिसके अनुसार यह किसी प्रतिफल की एवज में एक निर्धारित अवधि या हमेशा के लिए स्थावर सम्पत्ति में उपभोग के अधिकार का अन्तरण है जिसमें पट्टाग्रहिता को अन्तरित सम्पत्ति के उपभोग का हित प्राप्त हो जाता है। जबकि अनुज्ञप्ति की परिभाषा सुखाधिकार अधिनियम की धारा 52 में दी गई है। धारा 52 के अनुसार, अनुज्ञाप्ति वह अधिकार है जो अनुदाता द्वारा अपनी किसी अचल सम्पत्ति में या उस पर कोई कार्य करने या करते रहने के लिये किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को प्रदान किया जाता है और जिस अधिकार के बिना ऐसा कुछ करना अवैध होगा, बशर्ते कि वह अधिकार कोई सुखाधिकार नहीं है, या उस सम्पत्ति में कोई हित नहीं है।

उपर्युक्त दोनों शब्दों की परिभाषा से स्पष्ट है कि ये एक–दूसरे से भिन्न है। पट्टे में, जो दो शर्ते उपभोग के अधिकार का अन्तरण एवं पट्टाग्रहिता में पट्टाकृत सम्पत्ति में निहित होना विद्यमान है वे अनुज्ञाप्ति में नहीं है। अनुज्ञप्ति में सम्पत्ति के उपभोग का अन्तरण नहीं होता है और न ही अनुज्ञप्तिधारी में अनुज्ञप्त सम्पत्ति में कोई हित सृजित होता है। वह अतिचारी के रूप में इसलिये बच

रहा है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिये कह दिया गया है अथवा ऐसे आदेश की अनुपस्थिति में वह अतिचारी माना जावेगा। इन दोनों में प्रमुख अन्तर निम्न है–

1. पट्टे में सम्पत्ति के उपभोग का अन्तरण होता है, जबकि अनुज्ञप्ति में ऐसा नहीं होता है।

2. पट्टे में पट्टेधारी के पक्ष में पट्टाकृत सम्पत्ति में हित सृजित हो जाता है जबकि अनुज्ञप्ति में

3. एक पट्टे का उत्तरवर्ती अन्तरण या समानुदेशन या उपपट्टा किया जा सकता है, जबकि अनुज्ञप्ति का नहीं।

4. एक पट्टाग्रहिता पट्टाकृत सम्पत्ति के अतिचारी के विरुद्ध स्वयं के नाम से वाद संस्थित कर सकता है जबकि अनुज्ञप्तिधारी ऐसा नहीं कर सकता।

5. एक पट्टे का, पट्टाविलेख में वर्णित शर्तों के अलावा प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता जबकिअनुज्ञाप्ति का किया जा सकता है।

6. एक पट्टे का समापन विधि द्वारा विहित रीतियों में से किसी एक द्वारा किया जा सकता है जबकि अनुज्ञप्ति का समापन किसी पक्षकार की मृत्यु या सम्पत्ति के अन्तरण से हो जाता है।

7. पट्टे में पट्टाग्रहिता को पट्टाकृत सम्पत्ति में उसे एकमात्र रूप में कब्जा प्रदान किया जाता है। (exclusive possession) परन्तु अनुज्ञप्ति में अनुज्ञप्तिधारी को सम्पति का उपभोग अनुज्ञप्तिकर्ता के नियंत्रण में किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से पट्टा एवं अनुनाप्ति में अन्तर तो स्पष्ट हो गया। परंतु कोई सा व्यवहार पट्टा है अथवा अनुज्ञप्ति सामान्यतः संबंधित दस्तावेज के सार तत्व (Substance)को देखने से एवं पक्षकारों के आशय से स्पष्ट होता है

अनुज्ञप्ति विलेख (Licences Deed)

भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 52, के अनुसार अनुज्ञप्ति की परिभाषा–जहाँ एक व्यक्ति किसी अन्य को या निश्चित संख्या में अन्य व्यक्तियों को ऐसे अधिकार का अनुदान करता है, जो अनुदानकर्ता को स्थावर सम्पत्ति में या उस पर कोई ऐसी बात करने या करते रहने के लिए है, जो ऐसे अधिकार अभाव में विधि विरुद्ध होगी और ऐसा अधिकार सुखाधिकार या सम्पत्ति में हित नहीं है, वहाँ ऐसा अधिकार अनुज्ञप्ति कहलाता है।

अधिनियम की धारा 52 से 64 तक अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित है। अनुज्ञप्ति यद्यपि सुखाधिकार से बिल्कुल भिन्न है, फिर भी सुखाधिकार अधिनियम का एक भाग है। कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी होता है। वह अपनी सम्पत्ति का स्वयं उपभोग कर सकता है अथवा इसका अन्तरण भी कर सकता है। परन्तु कभी–कभी ऐसी स्थिति आती है, जिसमें वह सम्पत्ति का अन्तरण करना तो नहीं चाहता और न ही उस सम्पत्ति के उपभोग से पूर्ण रूप से वंचित होना चाहता है। ऐसी स्थिति में वह सम्पत्ति का उपभोग करने के लिए या उस पर कुछ कार्य करने के लिए या करते रहने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकारित कर देता है। इसे ही सरल भाषा में अनुज्ञप्ति कहते हैं।

अधिनियम की धारा 52 में अनुज्ञप्ति की परिभाषा दी गई है तथा इस परिभाषा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह समव्यवहार सुखाधिकार एवं पट्टा नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार जहाँ एक व्यक्ति दूसरे को अपनी अचल सम्पत्ति पर कुछ करने या करते रहने को अधिकारित करता है तथा ऐसे अधिकार के अभाव में ऐसा करना विधि विरुद्ध होगा तथा इस प्रकार का अधिकार सुखाधिकार व सम्पत्ति में हित नहीं है, वहाँ इस प्रकार का अधिकार अनुज्ञप्ति कहलाता है।

अनुज्ञप्ति की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्ति में एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अधिकार का अनुदान करता है, इसमें सम्पत्ति के हितों का अन्तरण नहीं होता है। उपरोक्त परिभाषा से अनुज्ञप्ति के निम्न आवश्यक तत्त्व स्पष्ट होते हैं

(i) अनुज्ञप्ति में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति में कुछ करने या करते रहने के अधिकार का अनुदान करता है
(ii) ऐसा कृत्य (कुछ करना या करते रहना) अवैध होता है, यदि इस प्रकार का अनुदान नहीं किया जाता
(iii) ऐसा अधिकार सुखाधिकार नहीं है तथा यह अधिकार अनुदाता की सम्पत्ति में कोई हित सृजित नहीं करता है।

अनुज्ञप्ति की विशेषताएँ (Characterstics of Licence) सुखाधिकार अधिनियम की धारा 52 द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति की परिभाषा से निम्न विशेषताएँ होती हैः–

1. अनुज्ञप्ति एक व्यक्तिगत अधिकार है (Right in personam)

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी (Licence) का एक व्यक्तिगत अधिकार है। इसका सम्पत्ति के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अनुज्ञप्तिधारी सम्पत्ति में संविदा के परिणाम स्वरूप, उपभोग करने का अधिकारी है, इससे अधिक नहीं पट्टे की भाँति,

अनुज्ञप्तिधारी सम्पत्ति के कब्जे के अनन्य रूप से प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। सुखाधिकार से भी यह भिन्न है, क्योंकि यह एक ऐसा अधिकार है, जिसका अर्जन किसी सम्पत्ति के स्वामी होने के कारण नहीं होता है, जबकि सुखाधिकार का अर्जन अधिभावी सम्पत्ति का स्वामी होने के कारण होता है। यही कारण है कि अनुज्ञप्ति का अन्तरण नहीं किया जा सकता। यह शुद्ध रूप से एक व्यक्तिगत अधिकार है, जिसे अनुदानदाता (Grantor) कभी भी छीन सकता है।

2. अनुज्ञप्ति किसी सम्पत्ति में हित सृजित नहीं करता

अनुज्ञप्ति सम्पत्ति में हित निहित नहीं करती, इसमें अनुज्ञप्तिधारी को अनुदाता (Granter) को सम्पत्ति में कुछ करने या करते रहने का अधिकार दिया जाता है एवं ऐसे अधिकार देने के अभाव में ऐसा करना अवैध माना जावेगा। यह केवल अनुदाता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य एक व्यक्तिगत मामला है, जो अनुदाता की मृत्यु पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा पाण्डे वि. चीफ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट एस. एस. पी. हॉस्पिटलश के बाद में अपीलांट को राजकीय अस्पताल में केन्टीन एवं पी. सी.ओ. चलाने की अनुमति दी गई। निर्णित किया गया कि यह अनुज्ञप्ति है, इससे सम्पत्ति में हित सृजित नहीं होता है, जिसे दाता द्वारा अर्थात चीफ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा किसी भी समय बिना सुनवाई किये भी समाप्त करार किया जा सकता है

3. अनुज्ञप्ति एक विशेषाधिकार अथवा सुविधा

अनुज्ञप्ति एक विशेषाधिकार अथवा सुविधा है,जो अनुदान के अभाव में दोषपूर्ण माना जाता है।

4. अनुज्ञप्ति एक स्वीकारात्मक (Positive Right) अधिकार है

अनुज्ञप्ति एक स्वीकारात्मक अधिकार है, जो अनुज्ञप्तिधारी को अनुदाता की अचल सम्पत्ति पर कुछ करने या करते रहने के लिए अधिकारित करती है, यह नकारात्मक अधिकार नहीं है।

5. अनुज्ञप्ति अनुदाता की इच्छा पर समाप्त की जा सकती है

चूँकि यह अधिकार अनुदाता की स्वीकृति से उत्पन्न होता है तथा इसका जारी रहना पूर्ण रूप से में अनुदाता की इच्छा पर रहता है। अतः वह कभी भी इस अधिकार को समाप्त कर सकता है। अब्दुल की करीम वि. के.के. मलखानी के वाद में इलाहबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुज्ञप्ति के विखण्डन कोई के पश्चात् अनुज्ञप्ति शुल्क स्वीकार कर लिया जाता है, वहाँ इसे अनुज्ञप्ति की समयावधि में विस्तार मात्र माना जावेगा। इससे न तो अनुदानदाता को प्राप्त निष्कासन का अधिकार समाप्त होगा और न ही अनुज्ञप्तिधारी की स्थिति अतिक्रमी (Trespasser) की होगी। अनुज्ञप्ति का अनुदानदाता द्वारा नवीकरण करने से है अनुज्ञप्तिधारी को उसे आगे भी नवीकरण किये जाने का अधिकार नहीं मिल जाता अनुदानदाता इसको कभी भी विखण्डित कर सकता है।

6. अनुज्ञप्ति का अधिभार अन्तरणीय (Transferable) एवं दाय योग्य (Heriditeble) नहीं
अनुज्ञप्ति का अधिकार अन्तरणीय एवं दाय योग्य नहीं है। चूँकि अनुज्ञप्ति शुद्ध रूप से एक व्यक्तिगत अधिकार है, सम्पत्ति में कोई हित सृजित नहीं होता है। अतः यह अधिकार अन्तरण करने योग्य एवं दाय योग्य नहीं है। पक्षकारों की मृत्यु के साथ यह अधिकार समाप्त हो जाता है।

7. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति में वर्णित अधिकार से बाहर नहीं जा सकता

अनुज्ञप्ति एक विशेषाधिकार है, जो अधिकार दिया गया है, उसके बाहर नहीं जाया जा सकता। कब्जे अधिकार के अभाव में एवं अधिकार के बाहर जाने पर किया गया कृत्य, अतिक्रमी (Trespasser) द्वारा यह किया कृत्य माना जाता है।

अनुज्ञप्ति एवं पट्टे में अन्तर
(Differences between licence and lease)

पट्टा की परिभाषा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 105 में दी गई है, जिसको संक्षिप्त रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि पट्टा, अचल सम्पत्ति में उपयोग के अधिकार का एक निश्चित समय या शाश्वतता के लिए प्रतिफल के बदले का अन्तरण है। इसका विस्तृत वर्णन धारा 105 में किया गया है। अनुज्ञप्ति को परिभाषा से स्पष्ट है कि यह एक अनुदान है, जो अनुदानदाता द्वारा अपनी सम्पत्ति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कुछ करने या करते रहने का अधिकार देता है तथा ऐसे अधिकार के अभाव में यह अनुदान अवैध हो जाता है। इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ये दोनों संव्यवहार बिल्कुल अलग–अलग है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 52 इस अन्तर को और भी स्पष्ट कर देती है कि अनुज्ञप्ति में किसी सम्पत्ति में हित सूक्ति नहीं होता है, जबकि पट्टे में हित का सृजन होता है।

किरायानामा (RENT DEED)

किरायानामा राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम (Rajasthan Rent Control Act, 2003) के अंतर्गत आता है।

किरायानामा अनुबंध (RENT DEED)

वह करार या अनुबंध, जिसमें एक पक्ष (मकान मालिक) दूसरे पक्ष (किराएदार) को अपना परिसर (दुकान/मकान)किराए पर देने हेतु निश्चित समय के लिए अनुबंध करता है, किरायानामा अनुबंध कहलाता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं प्रथम पक्ष मकान मालिक(Land Lord) और द्वितीय पक्ष किराएदार (Tenant) के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पक्षों के मध्य किरायेदारी अनुबंध हेतु लिखित विलेख को किरायानामा या किराया अनुबंध (Rent Agreement) या किराया विलेख के नाम से जाना जाता है।

किरायेनामे की आवश्यकता

विभिन्न प्रकार रजिस्ट्रेशन जैसे GST, पासपोर्ट, शॉप लाइसेंस आदि के लिए किरायानामा एड्रेस प्रूफ के तौर पर प्रयोग किया जाता है। किरायानामा में शर्ते वर्णित होती है, जिनका उल्लघंन नही किया जा सकता है। किरायानामा की शर्तों का उल्लंघन होने पर न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

किरायानामा बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज

एक किरानानामा बनाने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –

किराए पर दिए गए परिसर दस्तावेज, मकान मालिक का विवरण तथा आई डी(आधार कार्ड), किराएदार का विवरण तथा आई डी(आधार कार्ड), राज्य में निश्चित किए गए स्टांप ड्यूटी हेतु स्टांप पेपर, नोटरी पब्लिक या रजिस्ट्रार, किराया एवं सिक्योरिटी डिपाजिट

किरायानामा लिखने का सही तरीका

एक किरायानामा लिखने में स्टांप पेपर की आवश्यकता होती है। इस पर प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष अर्थात मकान मालिक एवं किराएदार का स्पष्ट रूप से विवरण अंकित होना आवश्यक है। प्रतिफल अर्थात तय किए गए मासिक किराया दर का स्पष्ट विवरण, किराए की अदायगी का समय, किराया अदायगी का तरीका, किराए में सालाना वृद्धि का विवरण, किराए में दिए गए परिसर का पूर्ण विवरण, किराए में यदि फर्नीचर इत्यादि शामिल है तो उसका विवरण, राज्य सरकार के टैक्स की अदायगी की शर्तों का स्पष्टतः उल्लेख तथा अन्य आवश्यक शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना अति आवश्यक है। इसके पश्चात यदि किरायानामा 11 महीने का है तो नोटरी पब्लिक से नॉटराइज होना आवश्यक है। यदि किरायानामा 11 महीने से अधिक की अवधि का है तो उक्त किरायानामे को संबंधित पंजीयक विभाग से रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक होता है। इसके साथ ही मकान मालिक और किराएदार के हस्ताक्षर एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक होने आवश्यक है।

संविदा विलेख (contract Deed)

वह प्रत्येक वचन अथवा करार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो अथवा जिसका कानून द्वारा पालन कराया जा सके, संविदा (ठीका, अनुबन्ध, कान्ट्रैक्ट) कहलाता है।

संविदा (contract) के पर्यायवाची शब्द इजारा, व्यवस्था, पण, ठीका या ठेका, शर्तनामा तथा समझौता हैं। कानूनी क्षेत्र में यह शब्द संविदा के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। कुछ विद्वानों के मत से इसके अंतर्गत केवल वे ही समझौते लिए जा सकते हैं जो कानूनन लागू किए जा सकते हों। भारत में ''भारतीय संविदा अधिनियम 1872'' है। इसके पहले व्यक्तियों के पारस्परिक बर्ताव तथा दायित्व उनके रीति–रिवाज, रूढ़ियों या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नियंत्रित होते थे। दो या अधिक व्यक्तियों, या पक्षों, के बीच ऐसा ऐच्छिक समझौता जिसके अनुसार किसी पक्ष द्वारा प्रतिज्ञात कृत्य, व्यवहार, या क्रिया निषेध के बदले में दूसरे पक्ष पर कुछ देने, करने, सहने, या किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने का दायित्व हो और जो उन पक्षों के बीच कानूनी संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया हो, ठीके का रूप लेता है। इस प्रकार कोई सामाजिक निमंत्रण (यथा भोज आदि के लिए) स्वीकार कर लेने पर सामान्यतः कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं आती, अतः वह ठीका नहीं

माना जाता। . वह प्रत्येक वचन अथवा करार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो अथवा जिसका कानून द्वारा पालन कराया जा सके, संविदा (ठीका, अनुबन्ध, कान्ट्रैक्ट) कहलाता है। वर्तमान संविदा की विशेषता उसकी कानूनी मान्यता है। .

भारतीय संविदा अधिनियम 1872

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम भारत में अंग्रेजी शासन के समय पारित हुआ था। यह इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है। यह अधिनियम संविदाओं के निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तनीयता से संबंधित सामान्य सिद्धांतों तथा क्षतिपूर्ति एवं गारंटी, जमानत और गिरवी, तथा अभिकरण (एजेंसी) जैसी विशेष प्रकार की संविदाओं से संबंधित नियम निर्धारित करता है। यद्यपि भागीदारी अधिनियमय माल बिक्री अधिनियमय परक्राम्य लिखत अधिनियम और कम्पनी अधिनियम, तकनीकी दृष्टि से संविदा कानून के भाग हैं, फिर भी इन्हें पृथक अधिनियमनों में शामिल किया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार, संविदा कानून द्वारा प्रवर्तनीय करार है। कानून द्वारा प्रवर्तित न किए जा सकने वाले करार संविदाएं नहीं होते। ''करार'' से अभिप्राय है एक दूसरे के प्रतिफल का ध्यान रखते हुए दिया जाने वाला आश्वासन। और आश्वासन तब दिया जाता है जब कोई प्रस्ताव स्वीकारा जाता है। इसका निहितार्थ यह है कि करार एक स्वीकृत प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, करार में ''पेशकश'' और इसकी ''स्वीकृति'' निहित होती है। व्यापारिक सन्नियम में उन अधिनियमों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय एवं वाणिज्यिक क्रियाओं के नियमन एवं नियन्त्रण के लिए बनाये जाते हैं। व्यापारिक या व्यावसायिक सन्नियम के अन्तर्गत वे राजनियम आते हैं जो व्यापारियों, बैंकर्स तथा व्यवसायियों के साधारण व्यवहारों से सम्बन्धित हैं और जो सम्पित्त के अधिकारों एवं वाणिज्य में संलग्न व्यिक्तयों से सम्बन्ध रखते हैं। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, व्यावसायिक सन्नियम की एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि अधिकांश व्यापारिक व्यवहार चाहे वे साधारण व्यक्तियों द्वारा किये जायें या व्यवसायियों द्वारा किये जायें, अनुबन्धों' पर ही आधारित होते हैं। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 25 अप्रैल, 1872 को पारित किया गया था और 1 सितम्बर 1872 से लागू हुआ था। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें प्रथम भाग में धारा 1 से 75 तक है जो अनुबन्ध के सामान्य सिद्धान्तों से सम्बिन्धत हैं और सभी प्रकार के अनुबन्धों पर लागू होती हैं। द्वितीय भाग में धारा 76 से 266 तक है जो विशिष्ट प्रकार के अनुबन्धों जैसे वस्तु विक्रय, क्षतिपूर्ति एवं गारण्टी, निक्षेप, गिरवी, एजेन्सी तथा साझेदारी से सम्बिन्धत हैं। 1930 में वस्तु विक्रय से सम्बिन्धत धाराओं को निरस्त करके पृथक से वस्तु विक्रय अधिनियम बनाया गया है। इसी प्रकार 1932 में साझेदारी अनुबन्धों से सम्बिन्धत धाराओं को इस अधिनियम में से निरस्त कर दिया गया और पृथक साझेदारी अधिनियम बनाया गया। .

संविदा के आवश्यक तत्व

विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है अपने वर्तमान रूप में संविदा एक विधिक वचन या विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है। इसमें दो आवश्यक तत्व हैं –

(1) करार और
(2) विधि द्वारा उसे प्रभावशील बनाए जाने का गुण।

करार

जब कम से कम दो व्यक्ति किसी कार्य के करने अथवा उससे विरत रहने के सम्बन्ध में एकमत होते हैं तो उसे करार कहा जाता है। करार के लिये कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है। यदि ''अ'' ने ''ब'' से प्रस्ताव किया कि ''ब'' ''अ'' का एक चित्र बना दे तो वह ''ब'' को इस कार्य हेतु पाँच सौ रूपए देगा। ''अ'' के द्वारा यह प्रस्ताव है। यदि ''ब'' यह स्वीकार कर ले कि पाँच सौर रूपए में वह ''अ'' के लिये उसका चित्र बना देगा तो यह एक ऐसा करार हुआ जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है और उसे प्रभावकारी बनाया जा सकता है। अर्थात् एक व्यक्ति अकेला ही कोई करार नहीं कर सकता है करार के लिये करार सम्बन्धी बातों पर उभय पक्ष की मानसिक रूप से एकमत (consensus ad idem) होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि करार सम्बन्धी प्रत्येक बात के सम्बन्ध में दोनों पक्ष उसका एक ही अर्थ समझें। ऐसा न हो कि एक पक्ष एक अर्थ और दूसरा पक्ष दूसरा अर्थ समझे। ''अ'' के पास दो मोटर कारें हैं, एक फोर्ड और दूसरी शेव्रले। वह अपनी फोर्ड कार पाँच हजार में बेचना चाहता है। उसने अपनी उस कार को बेचने का प्रस्ताव ''ब'' से किया। परंतु ''ब'' ने शेव्रले कार समझकर उसे खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यह करार नहीं होगा क्योंकि ''अ'' और ''ब'' में मोटरकार के सम्बन्ध में मानसिक एकात्मकता नहीं हुई। मोटरकार से ''अ'' ने फोर्ड मोटरकार और ''ब''ने शेव्रले कार समझी।

प्रस्ताव और उसके प्रकार

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि प्रस्ताव ही स्वीकृति के उपरान्त करार बनता है। प्रस्ताव विभिन्न प्रकार के होते हैं परन्तु साधारणतः उनका वर्गीकरण पाँच श्रेणियों में किया गया है।

1. विशिष्ट प्रस्ताव (specific offer), जब कोई प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से किया जाता है, तब उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। चूँकि प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से किया जाता है, अतः इसमें स्वीकार करनेवाला व्यक्ति, जिसे स्वीकर्ता कहा जाएगा, निर्दिष्ट होता है। इसमें स्वीकृति की सूचना स्वीकर्ता द्वारा प्रस्तावक को देना आवश्यक है।

2. सामान्य प्रस्ताव (जनरल ऑफर) वह प्रस्ताव है जो निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से नहीं किया जाता बल्कि संसार का कोई व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता है। इसी लिये विशिष्ट प्रस्ताव की भाँति इसमें स्वीकृति की सूचना का प्रस्तावक को दिया जाना अनिवार्य नहीं होता। प्रस्ताव में प्रकटित और इच्छित कार्य को करना ही इस प्रस्ताव की स्वीकृति मानी गई है।

3. स्पष्ट प्रस्ताव (एक्सप्रेस ऑफर) वे प्रस्ताव है जो मौखिक या लिखित रूप में परन्तु स्पष्टत रूपमें किए जाएँ।

4. सांकेतिक प्रस्ताव (इंप्लाइड ऑफर) ये प्रस्ताव शब्दों द्वारा न होकर कार्य द्वारा किए जाते हैं। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को टिकट के बदले ले जाने का प्रस्ताव, रेलगाड़ी को स्टेशन पर आना ही है। यह सामान्य प्रस्ताव का भी उदारहण है क्योंकि इसका स्वीकर्ता पूर्वनिश्चित नहीं है।

5. अनवरत प्रस्ताव (Continuous offer) इस प्रस्ताव में निश्चित दर से 5000 मन गेहूँ की आपूर्ति का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त भी एक पक्ष तुरंत ही सम्पूर्ण गेहूँ खरीदने को या दूसरा पक्ष बेचने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

स्वीकृति और उसके विभिन्न प्रकार

प्रस्ताव की ही भाँति और उसके अनुरूप स्वीकृति की कोई विशेष विधि या प्रणाली निर्धारित करता है, वहाँ स्वीकृति का उस विधि या प्रणाली निर्धारित करता है, वहाँ स्वीकृति का उस विधि या प्रणाली द्वारा स्वीकृति न हो तो प्रस्तावक को उसी प्रणाली द्वारा स्वीकृति देने पर बल देना चाहिए। परन्तु जहाँ स्वीकृति की किसी प्रणाली या विशिष्ट विधि का उल्लेख नहीं हो, वहाँ किसी युक्तियुक्त, संगत और उचित प्रणाली द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

स्वीकृति भी स्पष्ट अर्थात् शब्दों द्वारा बोलकर हो सकती है अथवा सांकेतिक रूप में कार्य द्वारा। टिकट लेकर गंतव्य स्थान को जानेवाली रेलगाड़ी पर यात्री का बैठना ही कार्य द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव की स्वीकृति है। केवल मानसिक स्वीकृति मात्र स्वीकृति नहीं समझी जा सकती। शब्दों में अथवा कार्य द्वारा उसकी अभिव्यक्ति भी आवश्यक है।

प्रस्ताव में निर्दिष्ट कार्यों का करना भी कतिपय (साधारणतः उपर्युक्त सामान्य) प्रस्तावों की स्वीकृति मानी जाती है। परन्तु यह आवश्यक है कि स्वीकर्ता इस कार्य को करने के पूर्व से ही प्रस्तावक की शर्ते जानता हो। यदि स्वीकर्ता प्रस्ताव की बिना जानकारी के ही वह कार्य करता है जो प्रस्ताव में निर्दिष्ट है, तो वह प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। एक व्यक्ति गोरीदत्त ने अपने भतीजे की खोज के लिए अपने मुनीम लालमन को भेजा। लालमन के जाने के उपरान्त गौरीदत्त ने अपने भतीजे को खोज लानेवाले के लिए 501 रूपए पुरस्कार की घोषणा की। लालमन मुनीम गौरीदत्त के भतीजे को खोज लाया और पुरस्कार की माँग की। निर्णय यह हुआ कि चूँकि लालमन को लड़के की खोज के पूर्व पुरस्कार की शर्त की सूचना नहीं थी, न पुरस्कार प्राप्ति की बात ही ज्ञात थी, अतः खोए हुए लड़के को खोज लाने का लालमन का कार्य गौरीदत्त के प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता (लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त)

प्रस्ताव से उत्पन्न लाभ को स्वीकार करना भी उपयुक्त दशाओं में प्रस्ताव की स्वीकृति समझी जाती है। वाराणसी से प्रयाग की बस में बैठकर जाना ही बस मालिक के प्रस्ताव की स्वीकृति है और स्वीकर्ता बस का किराया देने को बाध्य है।

स्वीकृति प्रस्ताव के कायम रहने की दशा में होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव निष्प्रभाव हो चुका है या प्रस्तावक द्वारा खंडित किया या वापस लिया जा चुका है तो स्वीकृति भी निरर्थक और प्रभावहीन होगी।

प्रस्ताव और स्वीकृति का संवहन

प्रस्तावक की सूचना स्वीकर्ता को और प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को मिलना आवश्यक है। प्रस्ताव की सूचना जब उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए जिसके प्रति प्रस्ताव किया जाता है तब प्रस्ताव का संवहन या संचार पूर्ण समझा है। क ने अपनी घड़ी 150 में ख को बेचने का प्रस्ताव पत्र द्वारा ख की प्रेषित किया। ज्योंही क का पत्र ख को प्राप्त होगा, क के प्रस्ताव का संवहन पूर्ण हो जाएगा। स्वीकृर्ता के लिये पृथक् पृथक् होता है। जब स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति प्रस्तावक के पास इस प्रकार प्रेषित कर दे कि उसका वापस लेना स्वीकर्ता के वश में न रहे, तो प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति प्रस्तावक के पास पहुँच जाए। उपर्युक्त उदाहरण में ख द्वारा अपनी स्वीकृति का संवहन पूर्ण समझा जाएगा परन्तु स्वीकर्ता के विरुद्ध नहीं। स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति के विरुद्ध

स्वीकृति का संवहन तब पूर्ण होगा जब स्वीकति प्रस्तावक के पास पहुँच जाए। उपर्युक्त उदाहरण में ख द्वारा अपनी स्वीकृति का पत्र क के नाम डालते ही स्वीकृति की पाबंदी क नामक प्रस्तावक के विरुद्ध हो जाएगी परन्तु स्वीकर्ता ख के विरुद्ध नहीं। ख के विरुद्ध संवहन की पूर्णता तब होगी जब उसकी स्वीकृति का पत्र क को प्राप्त हो जाए।

डाक द्वारा संवहन का नियम और प्रस्ताव तथा स्वीकृति का खंडन

जब प्रस्तावक और स्वीकर्ता एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हों तो संवहन में कोई पेचीदगी पैदा नहीं होती परन्तु जब दोनों दो स्थानों पर हों तो संवहन का माध्यम डाक पत्र या तार होता है। उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव का पत्र प्रस्तावक द्वारा छोड़े जाते ही वह पूर्ण नहीं होता वरन् स्वीकर्ता के पास पहुँचन पर ही पूर्ण होता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तावक और स्वीकर्ता एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हों तो संवहन में कोई पेचीदगी पैदा नहीं होती परन्तु जब तक स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति का पत्र डाक में नहीं छोड़ देता क्योंकि तब स्वीकृति का वापस लिया जाना स्वीकर्ता के वश के बाहर हो जाता है। स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृतिपत्र डाक में छोड़ते हर प्रस्ताव प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि स्वीकृति स्वीकर्ता के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जब प्रस्तावक को प्राप्त हो जाए। प्रस्तावक को प्राप्त होने के पूर्व स्वीकर्ता अपनी स्वीकृतिपत्र डाकखाने में छोड़े जाते हो स्वीकर्ता के विरुद्ध भी पूर्ण हो जाता है। स्वीकृती पत्र देर में पहुँचने या रास्ते में खो जाने पर भी प्रभावकारी रहता है क्योंकि ऐसा माना गया है कि डाक विभाग की असावधानी या भूल का कोई प्रभाव संविदा के पक्षों पर पड़ना न्यायसंगत नहीं है। परन्तु यदि संवहन के लिये पत्र डाक में न डालकर पोस्टमैन को दे दिया जाए तो यह पर्याप्त संवहन नहीं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पत्र को लेकर डाक में छोड़ना पोस्टमैन के कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है।

करार को कानून द्वारा प्रवर्तनीय बनाए जाने का गुण

भारतीय संविदा अधिनियम 1872 ई. की धारा 10 के अनुसार ऐसे सभी करार संविदा माने गए हैं जो

(1) करार करने योग्य पक्षों की

(2) स्वतंत्र सहमति से किए जाए,

(3) जिनका प्रतिफल और उद्देश्य वैध हो और जो

(4) उक्त अधिनियम द्वारा निसत्व (Void, प्रभावहीन) न घोषित किए गए हों। इसी धारा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उपर्युक्त परिभाषा का प्रभाव ऐसे किसी कानून पर नहीं पड़ेगा,

(5) जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित, या पंजीकृत साक्षियों की गवाही के साथ होना आवश्यक है।

योग्य पक्ष

ऐसे सभी व्यक्ति संविदा करने योग्य माने जाते हैं जो व्यस्क हों, स्वस्थ मस्तिष्कवाले हों और किसी कानून द्वारा संविदा करने के अयोग्य न ठहराए गए हों। फलस्वरूप

(1) अवयस्क,

(2) विकृत मस्तिष्कवाले व्यक्ति या उन्मत्त (Lunatic), जड़बुद्धि तथा नशे में चूर रहनेवाले,

(3) और ऐसे व्यक्ति जो कानून द्वारा संविदा करने के अयोग्य ठहराए गए हों, यथा विदेशी शत्रु, विदेशी सम्राट् अथवा उनके प्रतिनिधि, देश के शत्रु, अपराधी आदि संविदा नहीं कर सकते।

अवस्यक व्यक्ति स्वतंत्र बुद्धि से अपने लाभ हानि का निर्णय नहीं कर सकता। अतः वह संविदा करने योग्य नहीं माना गया है। विकृत मस्तिक वाले व्यक्तियों में अगर विकृति अस्थायी होयानी कभी मस्तिष्क विकृत और कभी स्वस्थ रहता हो तो ऐसे व्यक्ति विकृतिकाल में तो नहीं परन्तु मस्तिष्क की स्वस्थता के काल में संविदा का योग्य पक्ष हो सकते हैं। अपराधी का दंडभोग के समय संविदा करने का अधिकार निलम्बित हो जाता है परन्तु दंडभोग या क्षमाप्राप्ति के पश्चात् उसे संविदा करने की क्षमता पुनः प्राप्त हो जाती है। दिवालिया घोषित व्यक्ति भी संविदा करने की योग्यता से वंचित माना जाता है।

स्वतंत्र सहमति

संविदा के पक्षों की सहमति का स्वतंत्र होना संविदा की एक प्रमुख आवश्यकता है। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो संविदा उससे प्रभावित होगी। सहमति उस दशा में स्वतंत्र मानी जाती है जब यह

1. बलप्रवर्तन या त्रास (Coercion),
2. अवांछित प्रभाव (Undue Infuence),
3. छलकपट (Fraud),
4. भ्रांत कथन, या भ्रांति द्वारा प्रभावित नहीं हुई हो और न प्राप्त की गई हो।

बलप्रवर्तन या त्रास

बलप्रवर्तन या त्रास की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा में दी गई है। उसके अनुसार बलप्रवर्तन या त्रास के चार रूप है

(1) भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित और दंडनीय कार्य करना या

(2) करने की धमकी देना, चाहे उस स्थान पर जहाँ यह कार्य किया जाए भारतीय दंड विधान लागू हो या नहीं,

(3) किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति अवैध रूप से रोके रखना अथवा

(4) रोके रखने की धमकी देना। इस बलप्रवर्तन या त्रास का उद्देश्य किसी व्यक्ति को संविदा का पक्ष बनाना ही होना चाहिए।

अवांछित प्रभाव

अवांछित प्रभाव की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 16 में दी गई है। उसके अनुसार वह संविदा अवांछित प्रभाव द्वारा प्रेरित कही जाती है जिसके पक्षों के सम्बन्ध ऐसे हों कि एक पक्ष

दूसरे पक्ष की इच्छा से अपनी उस विशिष्ट स्थिति का प्रयोग करे। माता पिता और बच्चे, अभिभावक और पाल्य (वार्ड), वकील ओर मुवक्किल, डॉक्टर और रोगी, गुरु और शिष्य आदि के सम्बन्ध ऐसे ही होते हैं जिनमें प्रथम पक्ष दूसरे की इच्छाओं को अपने विशिष्ट सम्बन्ध के कारण प्रेरित करता है। अवांछित प्रभाव सिद्ध करने के लिए यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि वस्तुतः विशिष्ट स्थितिवाले पक्ष के दूसरे पक्ष पर अपनी विशेष स्थिति का प्रयोग अपने अनुचित लाभ के लिये किया। यदि यह बात सिद्ध नहीं होती तो केवल विशिष्ट स्थिति के ही कारण कोई संविदा अवांछित प्रभाव द्वारा प्रभावित या परित्याज्य नहीं समझी जाएगी।

छल कपट

यह संविदा अधिनियम की धारा 17 में वर्णित है। उसके अनुसार संविदा के किसी पक्ष द्वारा या उसकी साजिश से या उसके अभिकर्ता (agent) द्वारा दूसरे पक्ष या उसके अभिकर्ता को धोखा देने या छलने या संविदा से सम्मिलित होने के लिये प्रेरित करने के हेतु निम्नांकित कार्य छलकपट कहलाएँगे

(क) किसी असत्य बात को, जिसकी सत्यता में उसे विश्वास न हो, तथ्य बतलाना,

(ख) ऐसे तथ्य को छिपाना जिसका उसे ज्ञान या विश्वास न हो

(ग) ऐसा वचन देना जिसे पूरा करने की इच्छा न हो

(घ) ऐसा कार्य करना या उससे विरत होना जिसे कानून विशेष रूप से छलकपट घोषित करता हो

(ङ) धोखा देने लायक अन्य कार्य करना।

भ्रांति

करार के सम्बनध में विचार करते हुए यह कहा गया है कि उभय पक्ष के बीच मानसिक मतैक्य का होना आवश्यक है। भ्रांति इसी से सम्बन्धित दोष है। इसमें एक पक्ष एक वस्तु या बात और दूसरा पक्ष दूसरी वस्तु या बात समझता है। फलस्वरूप ऊपरी ढंग से देखने में तो संविदा का निर्माण प्रतीत होता है परन्तु भ्रांति के कारण वस्तुतः कोई संविदा होती नहीं है। ये भ्रांतियाँ कई प्रकार की होतीं हैं। विषयसामग्री के सम्बन्ध में भ्रांति का उदाहरण पूर्वप्रसंग में शेव्रले और फोर्ड मोटर कारों के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार संविदा के पक्ष की पहचान में भी भ्रांति सम्भव है। क ने जिसे ख समझकर संविदा की यदि वह वस्तुतः ख नहीं वरन् ग था तो यह पक्ष की पहचान की भ्रांति है। संविदा की प्रकृति या अर्थ सम्बन्धी भी भ्रांति हो सकती है। अगर किसी वाद का एक पक्ष वाद में अवसर लेने का आवेदन पत्र बताकर किसी सन्धिपत्र पर दूसरे पक्ष का हस्ताक्षर करा लेता है तो दूसरे पक्ष को संविदा के रूप या प्रकृति के विषय में भ्रांति होती है। ऐसी दशा में हस्ताक्षर बनानेवाले का मस्तिष्क उसके हस्ताक्षर के साथ नहीं है।

प्रतिफल एवं उद्देश्य वैध होना चाहिए

प्रसंविदा के लिये प्रतिफल एक आवश्यक तत्व है। बिना प्रतिफल के कोई प्रसंविदा नहीं हो सकती और यदि वह हो भी तो निरूसत्व या अवैध होती है। प्रतिफल भी वैध होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप अ, ब को स की हत्या के लिए 5000 रु. देता है और ब हत्या के लिए वचन देता है। यहाँ यह संविदा निरूसत्व है क्योंकि इसका प्रतिफल हत्या कानून द्वारा वर्जित है। इस प्रकार निम्नलिखित प्रकार के प्रतिफल अवैध होते हैं –

1. ऐसे प्रतिफल जो कानून वर्जित हैं। यदि कोई प्रतिफल स्पष्टया या सांकेतिक रूप से कानून द्वारा वर्जित हो तो उसके आधार पर निर्मित प्रसंविदा निरूसत्व होती है। यह उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा।

2. यदि कोई ऐसा प्रतिफल हो जिससे किसी अधिनियम की कोई व्यवस्था भंग होती हो या निष्फल होती हो तो वह प्रतिफल अवैध माना जाएगा।

3. जो प्रतिफल कपटपूर्ण होते हैं, वे अवैध समझे जाते हैं।

4. वह प्रतिफल जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को हानि पहुँचती हो अवैध होता है। उदाहरण के लिये अ एक समाचारपत्र के सम्पादक को पाँच सौ रुपया देने का वचन देता है यदि सम्पादक ब के सम्बन्ध में अपमानजनक विवरण छापे। यहाँ प्रतिफल अवैध है क्योंकि इससे ब की प्रतिष्ठा पर आघात पहुँचता है।

5. ऐसे प्रतिफल जो अनैतिक होते हैं, अवैध हैं।

6. लोकनीति के विरुद्ध प्रतिफल अवैध होते हैं, जैसे शत्रु के साथ व्यापार करना। लोकसेवा को हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति रखनेवाली संविदा, दंडनीय अपराधों से सम्बन्धित मुकदमों की संविदा निरूसत्व होती है। वैधानिक कार्रवाई का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति रखनेवाली संविदा, ऐसी संविदा जौ नैतिकता के विरुद्ध हो, या व्यापारनिरोधक संविदा या किसी जो नैतिकता के विरुद्ध हो, या व्यापारनिरोधक संविदा या किसी व्यवस्क व्यक्ति को शादी करने से रोकने के लिए संविदा, इत्यादि भी लोकनीति के विरुद्ध एवं निरूसत्व होतीं हैं।

उद्देश्य एवं प्रतिफल में से एक का भी अवैध होना संविदा को निरूसत्व कर देता है। यदि संविदा का उद्देश्य अंशतः अवैध हो तब भी संविदा निरूसत्व हो जाती है, यदि उसके अवैध अंश को वैध अंश से पृथक न किया जा सके। यदि प्रतिफल या उद्देश्य का अवैध अंश वैध अंश से अलग किया जा सके तो वैध अंश प्रवर्तनीय होगा और अवैध अंश निरूसत्व होगा। जैसे ब ने अ को एक प्रतिज्ञापात्र द्वारा 2000 रुपए देने का वचन दिया जिनमें से 1500 रुपए पुराना ऋण था और 500 रुपए जुए में हारी रकम थी। इसमें वैध भाग का अवैध भाग से पृथक किया जा सकता है अतएव यह प्रतिज्ञापत्र 1500 रुपए के लिये मान्य होगा किन्तु 500 के लिये निरूसत्व होगा।

निरूसत्व घोषित न होना

भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत निरूसत्व घोषित करार कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकते, यद्यपि उसमें संविदा के अन्य तत्व पूर्णतः विद्यमान भी हों। इस कोटि में निम्नांकित करार आते हैं

1. त्रुटि या भ्रांति द्वारा प्रभावित करार

2. अवयस्क के साथ किया गया करार

3. प्रतिफल विहीन करार

4. व्यस्क का विवाह रोकनेवाला संविदा करार

5. व्यापार निरोधक करार

6. वैध कार्रवाई को रोकनेवाला करार

7. अनिश्चित करार

8. असंभव कार्यो को करने के लिये किया गया करार

9. असम्भव घटनाओं के घटित होने पर संभावित करार

10. अवैध प्रतिफल या उद्देश्यवाले करार।

करार का लिखित, पंजीकृत एवं साक्षियों के समक्ष होना

सभी करार और संविदाओं के लिये लिखित, पंजीकृत और गवाहों की गवाही से युक्त होना आवश्यक नहीं है परन्तु ऐसी संविदा अन्य सब गुणों के रहते हुए भी इन औपचारिकताओं के अभाव के कारण मान्य नहीं होती।

पार्टनरशिप डीड (Partnership deed)

साझेदारी एक समझौते से अस्तित्व में आती है। समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। लेकिन यह उचित होगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड को साझेदारों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जाए। इस एहतियात की उपेक्षा ने कई साझेदारी फर्मों का समय पूर्व विघटन कर दिया है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा जाता है और सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो इसे पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है।

साझेदारी विलेख एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरह एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है।

व्यवसाय या फर्म पार्टनरशिप में चलायी जा रही है किसी भी व्यवसाय को पार्टनरशिप में चलानें से पहले पार्टनरशिप के लिए कुछ शर्ते निर्धारित की जाती है, जैसे कि जिसे पार्टनर बनाया है वह कम्पनी या व्यवसाय में कितनें प्रतिशत हिस्सेदार है लाभ या हानि होनें पर वह कितनें प्रतिशत का हिस्सेदार होगा आदि इसी प्रकार की अनेक शर्ते निर्धारित की जाती है, और इन शर्तों को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए एक लिखित दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते है।

जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर पार्टनरशिप में एक समझौते के तहत एक नया व्यापार अथवा किसी पुराने व्यवसाय में ही साझेदारी करते हैं, तो वह एक पार्टनरशिप द्वारा संचालित फर्म कहलाती है। यदि किसी को साझेदार या पार्टनर बनकर एक नया व्यवसाय शुरू करना है, तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि एक करार किया जाय जो कि लिखित में होना चाहिए दो पार्टनर्स के बीच होनें वाले लिखित अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते है पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करनें के लिए पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता होती है।

पार्टनरशिप डीड में शामिल तथ्यों का विवरण

(Details of facts involved in Partnership Deed)

फर्म का नाम

पार्टनर्स का नाम और निवास का पूरा विवरण

बिजनेस की प्रकृति

पार्टनरशिप की समय सीमा

प्रत्येक साझेदार द्वारा योगदान की जाने वाली पूंजी का विवरण

पार्टनर्स के अधिकारों का विवरण

पार्टनर्स के कर्तव्य

साझेदार को पारिश्रमिक के रूप में मिलनें वाली राशि

वह अनुपात जिसमें लाभ या हानि साझेदारों के बीच विभाजित किया गया है

साझेदार के प्रवेश, सेवानिवृत्ति और मृत्यु के समय सद्भावना की गणना का आधार।

खातों की उचित पुस्तकों को रखना और बैलेंस शीट की तैयारी

फर्म के विघटन पर राशि का निपटान

साझेदारों के बीच विवादों के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

भारत में पार्टनरशिप भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 द्वारा शासित होती है पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार साझेदारी फर्म को पंजीकृत करना वैकल्पिक है, अर्थात पार्टनर अपनी पार्टनरशिप को पंजीकृत कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। परन्तु फर्म का रजिस्ट्रेशन न होनें पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होनें पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमेशा लिखित पार्टनरशिप डीड तैयार करना और फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ पंजीकृत करना उचित होता है।

फर्म के पंजीकृत न होनें पर फर्म किसी भी स्थिति में किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते, उदाहरण के लिए यदि किसी पार्टी नें फर्म को बकाया राशि का

भुगतान नहीं किया है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन न होनें कारण किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते इसके साथ ही किसी पार्टनर के खिलाफ मामला नहीं कर सकती। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, किसी फर्म के पंजीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। किसी भी फर्म का पंजीकरण फर्म शुरू करनें या शुरू करनें के बाद भी किया जा सकता है, परन्तु इसके लिए निर्धारित शुल्क और जुर्मानें की राशि का भुगतान करना होता है।

पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है–

किसी भी फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए एक निर्धारित प्रपत्र (फार्म ए) में रजिस्ट्रार को आवेदन करना होता है। वर्तमान समय में यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इस तरह के आवेदन में फर्म के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी के साथ–साथ कुछ दस्तावेजों कि आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है–

साझेदारी फर्म का नाम, सभी पार्टनर्स का नाम और पता, व्यवसाय का स्थान, साझेदारी की अवधि, पार्टनर्स के शामिल होने की तिथि, बिजनेस शुरू करने की तिथि, पार्टनरशिप डीड की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति (जिसमें सभी नियम और शर्तें शामिल हैं) को रजिस्ट्रार के साथ भरना होगा। आवश्यक शुल्क जमा करें और शुल्क का भुगतान करें। एक बार जब रजिस्ट्रार आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो फर्म को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। और रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। इस तरह पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फर्म को कानूनी मान्यता मिल जाएगी।

राजस्व अभिलेख (Revenue Records)

खसरा(Khasra)

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स, 1957 के नियम 355 में खसरा को अंकित किया गया है लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 के अधीन कलक्टर के, जो अपने जिले का भूमि अभिलेख अधिकारी होता है, के लिए जरूरी होगा कि वह अपने जिले के हरेक गांव की एक फील्ड बुक रखे। यह फील्ड–बुक नक्शे की एक प्रकार से इन्डेक्स है एवं खसरा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें खेती सम्बन्धी सारे तथ्य रहते हैं जैसे फसलें सिंचाई वगैरह एवं इसमें वे सब तथ्य भी रहते हैं जिनकी खतौनी जमाबन्दी तैयार करने के लिए जरूरी है जैसे कि काश्तकारों के नाम, आदि। इसमें हरेक खेत के सामने उस थोक या पट्टी का नाम भी दिया गया हो है जिसमें वह स्थित है।

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स, 1957 के नियम 64 खसरे की तैयारी– (i) खसरा गांव के नक्शे में दर्ज प्रत्येक नम्बर शुदा प्लाट के लिए ऐसा रेकार्ड है जिसमें लगान तथा काश्तकारी अधिकारी के बारे में तफसील खेती के लिए आंकड़े हो व निर्धारित अवधि में सभी परिवर्तन दर्ज किए जाते हैं।

(ii) हर चौथे साल के अन्त में, प्रत्येक गांव के लिए पटवारी नये रूप में फार्म 13 में खसरा तैयार करेगा। बीच के समय (Interim Period) में हरेक वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को निर्धारित फार्म में हरेक वर्ष के लिए अलग से व्यवस्थित खानों में अभिलिखित किया जायेगा।

(iii) खेत दर खेत की जांच के बाद सही तथ्यों की एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए मौके पर ही खसरा लिखा जाएगा। ऐसी सूचना पटवारी द्वारा मौके पर से पूरी पूछताछ करने के आधार पर संकलित की जाएगी।

(iv) खसरे में हरेक प्लाट (भू–खण्ड) का इन्द्राज अलहदा अलहदा किया जाएगा चाहे वह जोता गया हो या नहीं जोता गया हो, जो काबिल काश्त हो अथवा नाकाबिल काश्त हो।

(अ) खाना संख्या 1 से 8 के इन्द्राजात पिछली जमाबन्दी में से नकल कर लिए जाएंगे और जब किसी गांव में भू–अभिलेख नए सिरे से बनाए जा रहे हों, तो ये इन्द्राज बन्दोबस्त की मिसल हकीयत (भू–अधिकार अभिलेखों) से नकल कर लिए जायेंगे। उसके बाद जो परिवर्तन उन चार वर्षों के दौरान होंगे (जिसके लिए खसरा तैयार किया जा रहा हो), प्रत्येक तत्सम्बन्धी वर्ष के लिए खाना 16, 24, 32 एवं 40 में दर्ज किये जायेंगे। खरीफ की फसल के बारे में इन्द्राजात, पहली बार के दौरे के दरम्यान नियम 58 (1) के अनुसार किये जायेंगे। रबी तथा जायद (Jaid) फसलों के बारे में क्रमशः दूसरी और तीसरी दफा के दौरे के वक्त इन्द्राजात किए जायेंगे। भोगाधिकारी (Tenures) के बारे में रद्दोबदलियों एवं किसानों की जिम्मेदारियों के बारे में इन्द्राजात पहली बार के दौरा समाप्त होने के पहले ही पूर्ण कर लिये जायेंगे और रबी फसल के समय लगान पर दी गई जमीनों के बारे उसके बाद शीघ्र ही किए जायेंगे। अन्य सभी इन्द्राजात साल के दौरान में यथा सम्भव शीघ्र लिखे जायेंगे।

(vi) हरेक साल के खसरा के इन्द्राजातों को 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जायेगा। खसरा के कागजात खुले यानि छुट्टे रूप में रखे जायेंगे। प्रत्येक गांव की जरूरत के मुताबिक पटवारी उनको एकत्रित करके पृष्ठ संख्या सहित संकलित कर नत्थी कर देगा। प्रत्येक जिल्द में साधारणतरू 100 से अधिक पृष्ठ नहीं होंगे। हर चौथे वर्ष की समाप्ति पर नये खसरे की नकल तैयार करने के बाद पटवारी पुराने खसरे को एक साल तक अपने पास रखेगा और तत्पश्चात् उसे 31 अक्टूबर या उससे पहले तहसील में फाइल कर देगा।

(vi) खसरा हरेक गांव के लिए अलग–अलग होगा। जब एक ही नक्शे की दो या दो से अधिक ज्यादा पटवारी काम में लेते हो तो उसकी एक–एक नकल हरेक को दे दी जायेगी और हरेक पटवारी उसको दिये नम्बरों के लिए खसरा तैयार करेगा। यदि किसी कछारी गांव (alluvial village) में कछार की जमीन को बाकी जमीन से अलग नम्बर दिए गए हों, तो उस भाग के लिए अलग खसरा तैयार किया जाएगा।

(viii) कभी–कभी संयुक्त गांव में दो या दो से अधिक गांव होते हैं जिनकी जमीन इस कदर मिली हुई होती है कि जिससे सारे क्षेत्र को एक ही हदबस्त में शामिल करना होता है फिर भी हरेक गांव की भूमियां अलग गांव की रचना करती है और ऐसे गांवों के लिए एक से अधिक पटवारी होना सम्भव है। ऐसी सूरत में हरेक पटवारी के पास सारे हदबस्त क्षेत्र की एक नकल रहनी चाहिये किन्तु उसे चाहिये कि वह केवल उसके गांव के खेतों के बारे में ही खसरा तैयार करे। खेबट खसरा वगैरह उस एक गांव की भूमियों तक ही सीमित रहना चाहिये।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है खसरा, अधिकारों के अभिलेखों की नींव तथा खेती के सारे आंकड़ों का स्त्रोत है। इसलिए इसको ठीक–ठीक तैयार करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी

तैयारी के लिए कायदे, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स, 1957 नियम 64 से 89 तक में दिए गए हैं। खसरे की जांच करते समय इन्सपेक्टिंग अफसर का लक्ष्य यह निर्धारित करना होना चाहिए कि नक्शे में दिखाए गए सारे रद्दोबदल, खेती सम्बन्धी सारे तथ्य एवं कब्जे के सारे तथ्य उसमें ठीक–ठीक दिखाए गए हैं। खेतों की सीमाओं में रद्दोबदल सम्बन्धी त्रुटियां कभी भी मालूम नहीं की जा सकती जब तक कि इन्स्पेक्टिंग अफसर खेत का चक्कर न लगाये एवं फसलों की त्रुटिया एवं न कब्जे के तथ्यों की त्रुटियां मालूम हो सकती है जब तक कि खेत पूरी तरह निगाह में न हो एवं जब तक तथ्यों की सत्यता की जांच करने वाले व्यक्तियों को यह सही–सही रूप में न बतला दिया जाये दूर से खेतों की पड़ताल की प्रेक्टिस खतरनाक है। ऐसा होने से रेकार्ड्स बिना इच्छा के ही पुटियां चिन्हित हो जाती हैं इसलिए किसी भी कारण से ऐसा नहीं करना चाहिए। खसरे की जांच करने में इन्सपेक्टिंग अफसर को अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिये कि निरीक्षक ने खेत दर खेत इन्स्पेक्शन किया है या नहीं एवं भिन्न–भिन्न मौसमों में भिन्न–भिन्न खण्डों का पूर्ण तथा सावधानी युक्त इन्सपेक्शन करके गलत इन्द्राज को सामने लाने के लिए सच्ची कोशिश करनी चाहिए अथवा नहीं। तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को खास तौर से नौतौड़, (Nautor) तथा अस्थायी खेती के अधीन विद्यमान क्षेत्र की मौके पर जांच करनी चाहिये। जांच का लक्ष्य यह निर्धारित होना चाहिये कि निरीक्षक ने निम्नांकित बातें देखी हैं या नहीं

(1) कि खेतों के सारे विभाजन तथा एकीकरण ठीक–ठीक दिखाए गए हैं

(2) कि कछार द्वारा बढ़ी हुई अथवा बाद द्वारा घटी हुई जमीन सही–सही चिन्हित हुई है

(3) कि मिला–जुला नम्बर सही–सही दर्ज किये गये हैं

(4) कि स्वामी की खुद काश्त खेती ठीक–ठीक चिन्हित की गई है

(5) कि रेकार्ड किये हुई काश्तकारों के नाम में काश्त सही–सही दिखाई गई है

(6) कि जोतों के विभाजन उचित रूप से कर दिए गए हैं

(7) कि फसले ठीक–ठीक रेकार्ड की गई है.

(8) कि खराबी का सही–सही अनुमान लगाकर नियमानुसार उसे दर्ज किया गया है एवं

(9) कि राजस्व के भुगतान से मुक्त कुंजों की वर्तमान संख्या उचित रूप से रेकार्ड कर ली गई है तथा उसकी रिपोर्ट कर दी गई है।

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स, 1957 के नियम 356, खसरा के विवरण (Statements)

पटवारी को प्रतिवर्ष अपने खसरे से पांच विवरण तैयार करने पड़ते हैं, नामार्थ

(1) सीमा एवं सर्वे निशानों की सूची

(2) खरीफ की फसल का विवरण

(3) रबी की फसल का विवरण

(4) जायद फसल का विवरण

(5) क्षेत्र विवरण (Area statement)

खतौनी (Khatauni)

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स, 1957 के नियम 357 खतौनी जमाबन्दी **(क)** खतौनी जमाबन्दी उन व्यक्तियों का रजिस्टर है, जो गाँव में जमीन पर खेती करते हैं अथवा जिनके कब्जे में जमीन है। परिभाषा से ही इन रजिस्टर की महत्ता प्रकट है जिसमें कि जमीन के ऋषि अधिकार अमिलिखित होते हैं। मालिकाना कृषि भी इसमें रेकर्ड की जाती है।

(ख) खतौनी जमाबन्दी हरेक काश्तकार के लिए निम्नलिखित बतलाती है–

(क) उसके भोगावधि की किस्म एवं वर्ग

(ख) क्षेत्र जो उसके पास है

(ग) उसके द्वारा देय लगान

(घ) जहां जरूरी हो कृषि की अवधि एवं

(ङ) उसके भोगावधि की कोई भी अन्य शर्त जो चाहे लिखित हो अथवा मौखिक

यह गत चार साल की खतौनी जमाबन्दी से तैयार की जाती है और इसमें ये सब परिवर्तन दिखाये जाते हैं जो इसको तैयार करने के समय से हुए हों। इसमें पूर्व की जमाबन्दी में दिए गए अपरिवर्तन समस्त इन्द्राजात ज्यों के त्यों दोहराये जाते हैं व गत चार सालों में की गई प्रविष्टियां जो खसरे एवं नामान्तरण के रजिस्टर में दर्ज रद्दोबदल पर आधारित है दी जाती है। यह प्रत्येक गांव के लिए पृथक–पृथक तैयार की जाती है एवं नियन 163 तथा 164 में दिये गये क्रम का अनुपालन करते हुए थोक अथवा पट्टी एवं खेवट खातों के क्रम से गांव के भीतर इन्द्राजात किये जाते हैं।

(ग) खतौनी जमाबन्दी को तैयार करने के लिए सविस्तार नियम 153 से 166 में तथा निरीक्षक द्वारा उसकी तस्दीक एवं जांच के लिए नियम 194 में दिये गए है

(घ) खतौनी की जांच के इन्सपेक्टिंग अफसर को यह देखना होता है

(1) कि कोई अनधिकृत रद्दोबदल न कर दिए जायें

(2) कि जो रद्दोबदल होने चाहिये थे ये कर दिये गये हैं और

(3) जो रद्दोबदल किए गए हैं वे सही एवं पूर्ण हैं। पहला लक्ष्य तो पहले के 4 वर्षों की खतौनी जमाबन्दी, खसरा तथा नाम नामान्तरण रजिस्टर से प्रति परीक्षण (क्रास चेकिंग) करके तथा दूसरे एवं तीसरे लक्ष्य सम्बन्धित काश्तकारों से मौके पर पूछताछ करके प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न सीधे एवं संक्षिप्त होने चाहिए उदाहरण के लिए इस पट्टी में तुम्हारे कितने खेत है?वे कितने समय से तुम्हारे पास है? क्या तुमने इसमें से किसी को उप–पट्टे पर उठाया है?तुम क्या रेट देते हो? अनजान किसानों से उत्तर पाने के लिए कुछ सब्र की जरूरत होतीहै ये तथ्यों को जानते हैं लेकिन उनको

सोचने के लिए समय की जरूरत होती है और उनलोगों से जल्दी करने की कोशिश न करने से आगे जाकर सामान्यतः समय की बचत होजाती है।

(ङ) इस तरह प्रश्न पूछकर इन्सपेक्टिंग अफसर को अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए किनिरीक्षक ने व्यक्तिगत पूछताछ करके सारे परिवर्तित इन्द्राजों की तथा खतौनी जमाबन्दी की कम से कम1/3प्रविष्टियों की सच्चाई की जांच करली है या नहीं एवं यह देख लिया है कि नहीं

(1) कि काश्तकारों का नाम, काश्तकारों का वर्ग, काश्तकारों की अवधि एवं उनके अधिकारतथा अन्य विवरण ठीक–ठीक रिकार्ड कर लिए गए हैं

(2) कि रिकार्ड किए हुए व्यक्ति जीवित है एवं कब्जेदार हैं

(3) कि छोड़ी हुई और समर्पित जोतों के बारे में सही–सही इन्द्रजात किए गए हैं,

(4) यह कि जमीन धारण करने वाले सारे व्यक्तियों को रिकार्ड कर लिया है।

(च) खतौनी जमाबन्दी का पहले के चार सालों के रेकार्ड से चालू साल के खसरे से मुकाबलाकरना उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी मौके पर तस्दीक करना, क्योंकि इस मुकाबले के बिनालिपिक सम्बन्धी (क्लैरिकल) त्रुटियों एवं अनाधिकृत रद्दोबदल का, यदि कोई हो, पता नहीं लगाया जासकता। इन्सपेक्टिंग अफसर के लिए यह जरूरी है कि वह यह देखे कि यह मुकाबला निरीक्षक द्वारासावधानी एवं ईमानदारी से कर लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए साधारणतः पटवारी के पास मौजूदपिछली आखिरी खतौनी जमाबन्दी की जांच करनी होगी क्योंकि दौरे के मौसम के अन्त के पूर्व चालूखतौनी जमाबन्दी के निरीक्षक द्वारा जांच की हुई मिलने की सम्भावना नहीं होती। मुकाबले के लियेपटवारी उसी साल का खसरा प्रस्तुत कर सकता है।

(छ) यह जांच करने में जोतों की अवधियों, खेतों की संख्या एवं क्षेत्रफलों तथा लगान की रकमोंपर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि इनमें ही इरादतन की गई त्रुटियां बहुधा मिलती हैं। जांच का लक्ष्ययह निर्धारित करना होगा कि निरीक्षक ने यह देख लिया है अथवा नहीं

(1) कि सारे अपरिवर्तित इन्द्राजात पहले की खतौनी जमाबन्दी से ठीक–ठीक नकल कर लियेगये हैं तथा यह कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से आदेश न दिया जाय खेतीकी अवधि पहले की खतौनी जमाबन्दी में रेकार्ड की गई अवधि से सिर्फ चार साल ज्यादा हैं

(2) कि खसरे के सारे इन्द्राजात उचित रूप से खतौनी जमाबन्दी में उतारे गये हैं और यह किकाश्तकारों के नाम जिनकी रिपोर्ट की जानी चाहिये थी अथवा जो मिटा दिए जाने चाहियेथे उनकी रिपोर्ट कर दी गई है अथवा मिटा दिए गये हैं

(3) कि खेवट खातों एवं पट्टियों अथवा थोकों के क्रम पहले की खतौनी जमाबन्दी में दिये हुएक्रम के अनुसार ही हैं,

(4) कि जरूरी योगफल दे दिये गए हैं और वे सही हैं

(5) कि गांव का, थोक या पट्टी का तथा अपरिवर्तित खेवट खाता का क्षेत्रफल, जैसा कि नईखतौनी जमाबन्दी में दिया गया है, वह आखिरी खतौनी जमाबन्दी से मिलता है,

(6) कि जहां उपस्वामी (sub&proprieter) अथवा उप–अनुदान ग्रहीता (subgrantees) है वहां उचित रूप से इन्द्राज किया गया है

(7) कि पारिश्रमिक (रैम्यूनरेशन्स), यदि कोई हो सही–सही दिखाये गये हैं और यह

(8) कि खतौनी में की गई सारी शुद्धियों एवं रद्दोबदल एवं संदिग्ध इन्द्राजों पर निरीक्षक द्वारा इस बात के निशान स्वरूप दस्तखत कर दिये गए हैं कि वह फर्द इख्तलाफ की अशुद्धि सूची में दर्ज कर लिए गए हैं।

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स, 1957 के नियम 121 खतौनी में बताये जाने वाले विवरण विहित भूमि की काश्त करने वाले या अन्यथा धारण करने वाले या अधिवास करने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर जिसमें प्रत्येक काश्तकार के विषय में निम्नलिखित विवरणों का इन्द्राज होगा।

(क) उसके भू–धारण का प्रकार तथा वर्ग जैसा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3 सन् 1955) या सारे राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अधिनियमिति के प्रावधानों के अनुसार अवधारित किया जाए,

(ख) खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रीमियम की रकम यदि कोई हो, जो उसके द्वाराअदा की गई हो,

(ग) खातेदारी परचे की तारीख और उसके द्वारा किये गये अन्तरण (Transters) ऐसे अन्तरणों के समस्त विवरणों सहित यदि कोई किये गये हों,

(घ) उसके खाते की भूमि (holding) में सम्मिलित प्रत्येक क्षेत्र का खसरा नम्बर तथा उसका क्षेत्रफल,

(ङ) उसके द्वारा चुकाये जाने वाला वार्षिक लगान,

(च) भूमि धारणाधिकार की और कोई शर्त चाहे वह लिखित पट्टे (lease) में हो या न हो,

(छ) खातेदार काश्तकार के अलावा किसी व्यक्ति के विषय में वर्षों की वह संख्या जिसमें उसभूमि को वह अपने कब्जे में रख चुका हो, और

(ज) ऐसे अन्य विवरण जो समय–समय पर निर्धारित किये जायें।

(2) रजिस्टर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अथवा समस्त राज्य उसके किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अधिनियमित के उपबन्धों के अनुसार भूमि को खुदकाश्त की तरह धारण करने वाले भू–सम्पत्ति धारको, यदि कोई हों, को भी विनिर्दिष्ट किया जायेगा तथा ऐसी भूमि के विषय में वर्षों की वह संख्या जिसमें वे उसे इस तरह धारण कर चुके हैं, बताई जाएगी।

गिरदावरी (Girdawari)

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स, 1957 के नियम 189 खसरा गिरदावरी (1) प्रत्येक भू–अभिलेख निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऋतु में अपने हलके के समस्त गांवों की गिरदावरी के कार्य की जांच करें। जिन गांवों में परिवर्तनशील खेती तथा सरकारी भूमि पर अतिचार किया गया हो, इनमें भू–अभिलेख निरीक्षक को ऐसे प्रत्येक खसरा संख्या की सावधानीपूर्व जांच करनी चाहिए। मान्यता प्राप्त काश्तकार द्वारा की जाने वाली शेष खेती के लिए उसे ऐसे कुल खेतों की 25 प्रतिशत की जांच बारीकी से करनी चाहिए। निरीक्षक को उसके द्वारा निरीक्षित खसरा संख्याओं के प्रतिशत का उल्लेख अपनी डायरी में करना चाहिए। भू–अभिलेख निरीक्षक का यह भी कर्तव्य होगा कि वह खरीफ फसल के निरीक्षण के दौरान पटवारी द्वारा किये गये हल्के के समस्त गांवों के फलदार वृक्षों के गिरदावरी कार्य की जाँच करें।

(2) जिस वर्ष में नयी जमाबन्दी तैयार की जाती है उसमें निरीक्षक को ऐसे गांवों के गिरदावरी कार्य की जांच सियालू तथा उन्हालू दोनों ही मौसमों में सावधानी से करनी चाहिए। वह यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि जिस किसी खेत में भी कब्जा सम्बन्धी अथवा लगान सम्बन्धी कोई स्थायी परिवर्तन हुआ हो, वह खेत जांच करने से छूट न जाय। सिंचित क्षेत्र की तथा उसके सिंचाई के साधनों की विशिष्ट रूप से जांच की जानी चाहिए तथा निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करेगा कि कुओं, नहरों तथा अन्य साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल इस प्रयोजनार्थ रखे गये स्तम्भ में सही–सही दर्शाया गया है। यदि किसी खेत की सिंचाई नहर के साथ–साथ कुए या सिंचाई के किन्हीं दो अन्य साधनों द्वारा की जाती हो तोकागजों में दोनों ही को अभिलिखित किया जाना चाहिये। निरीक्षक यह देखने के लिये भी उत्तरदायी होगा कि बोई और काटी गई फसलें खसरे में सही रूप से दर्ज है तथा कोई जोता गया खेत दर्ज किये जाने से रह गया है। यह मौके पर उन परिवर्तनों की जांच करेगा जो प्रत्येक खसरा संख्या में उनके गत निरीक्षण के समय से घटित हुए हो तथा स्वयं का यह भी समाधान करेगा कि इन्द्राज सही–सही किये गये हैं और तत्पश्चात् प्रत्येक संख्या जिसका निरीक्षण और जांच वह करे आध्यक्षरित करेगा।

(3) गिरदावरी के समय नोतोड भूमि तथा नये निर्मित या मरम्मतशुदा कुओं के बारे में भली भांति जांच कर लेनी चाहिए यह इसलिए कि क्षेत्रफल तथा कुओं से सम्बन्धित विवरण ध्यान देने से छूट न जाय। निरीक्षक को मानचित्र में परिवर्तन की जांच 5 अप्रैल तक कर लेनी चाहिये तथा मानचित्र पर अनुप्रमाणन अंकित किया जाना चाहिए उसे अपने द्वारा की गई जांच पर हस्ताक्षर करने चाहिये तथा तारीख लगानी चाहिये।

पटवारी अपने सर्कल के हर एक गांव का तीन बार क्षेत्रवार निरीक्षण गश्त गिरदावरी करेगा। गिरदावरी हेतु किये जाने वाले दौरे का आरम्भ और उनकी समाप्ति की तारीखें निम्नलिखित होंगी–

नाम (फसल)	तारीख आरम्भ	तारीख समाप्ति
खरीफ (सियालू)	16 सितम्बर	15 अक्टूबर
रबी (उन्हालू)	1 फरवरी	5 मार्च
जायद (विशेष उन्हालू)	1 मई	15 मई

परन्तु सामयिक सूचना योजना (Timely Reporting Scheme) के अधीन वाले गांवों में खरीफ तथा रबी की फसलों की गिरदावरी नियत तारीखों से 15 दिन पहले प्रारम्भ हो जाएगी।

नोट– गंगानगर जिले में, जहां की जायद फसल उगाई जाती है, खरीफ और रबी के बीच एकऔर गिरदावरी करनी पड़ेगी। यह गिरदावरी 1 जनवरी से प्रारम्भ होकर 15 जनवरी को समाप्त होगी।

पटवारी बोर्ड के निदेशानुसार प्रतिवर्ष अपने सर्किल में खरीफ फसलों वगिरदावरी के साथ फलदार वृक्षों की गिरदावरी भी करेगा।

जब किसी कारण से फसल सदैव से 15 दिन देरी से पके तो कलक्टर अधिक से अक 15 दिन देरी से गश्त गिरदावरी करने की अनुमति दे सकेगा और जब फसल हमेशा से जल्दनक जाए तो कलक्टर नियत तारीखों से 15 दिन पहले गिरदावरी करने की अनुमति दे सकेगा।

पटवारी अपनी गश्त गिरदावरी का नियमित कार्यक्रम तैयार करेगा और निरीक्षण क्षेत्रीय दौरे से प्रारम्भ होने से कम से कम तीन दिन पहले ऐसे कार्यक्रम की नकल दौरे के अनतर्गत वाले गांव की ग्राम पंचायत को भेजेगा जिसमें यह निवेदन किया जायेगा कि क्षेत्रीय इन्सपेक्शन के समय उस ग्राम पंचायत का कोई पंच या सरपंच पटवारी के साथ रहे। इसके साथ ही पटवारी सम्बन्धित काश्तकारों को भी सूचित करेगा ताकि वे इन्द्राज के सिलसिले में पटवारी को द देने के लिए मौके पर मौजूद मिलें। सरपंच अथवा पंच, जो भी पटवारी के साथ गांव के खेतों देशरीक्षण के समय रहेगा पटवारी द्वारा तैयार की गई दैनिक डायरी पर दस्तखत करेगा। यदि किसी इन के विषय में पटवारी और सरपंच के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो वह मामला तत्कालीन तहसीलदार के सामने पेश किया जाएगा जो बिना किसी देरी के उस पर अपना निर्णय देगा। निरीक्षण हेतु दौरो के दिनों में खसरा के हरेक पृष्ठ के टोटल को पटवारी जोड़ता रहेगा। ज्योंही किसी गांव के इन्सपेक्शन निमित्त दौरे समाप्त हो जायं, त्योंही सफेवार एवं जिन्सवार तैयार करेगा और जिन्सवार इन्सपेक्टर को भेजने के बाद दूसरे गांव के दौरे पर जायेगा।

खसरा गिरदावरी एक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। यह प्रत्येक गांव के लिए अलग–अलग बनाया जायेगा। इससे काश्तकारी अधिकारों का विवरण प्रत्येक जोत से वसूली योग्य लगान, कृषि की पैदावार भू–राजस्व में समय–समय पर होने वाले परिवर्तन दर्ज किए जाते हैं। गिरदावरी के विषय में जब दो पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो तहसीलदार उसका निपटारा करने में एक राजस्व अधिकारी की हैसियत में कार्य करता है न कि रेवेन्यू न्यायालय के रूप में तहसीलदार को अधिकार है कि वह मौके पर जांच तथा पूछताछ करने के परिणामस्वरूप जैसा उचित समझे वैसा इन्द्राज खसरा गिरदावरी में करे यदि कोई पक्षकार ऐसे इन्द्राज से असंतुष्ट हो, तो यह नियमित राजस्व न्यायालयों में जा़ सकता है और वहां इन्द्राजात में दुरुस्ती गवाही के आधार पर की जा सकती है। जब यह विवादास्पद नहीं था कि अपीलांट एक भूमि विशेष पर कई वर्षों से प्रत्यक्षतः तथा मौलिक रूप से काबिज था या नहीं और न इस बिन्दु पर कोई तनकी ही कायम की गई थी, फिर भी अदालत ने इस विषय में अपना निष्कर्ष दे दिया, तो राजस्व मण्डल ने तय किया कि ऐसे निष्कर्ष और नतीजे को पहले से निर्णत (Res Judicata) होना नहीं माना जायेगा। कानून में खसरा गिरदावरी का कितना मूल्यांकन होता है, इस विषय पर भी कतिपय फैसले हो चुके है। प्रभाती वि. भजन में राजस्व मण्डल ने निर्णय दिया कि खसरा टीप का गवाही के रूप में वजन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। किन्तु जब ग्रामवासियों से पर्याप्त पूछताछ के बाद इन्द्राज दर्ज किया गया हो, तो उसे अन्तिम तो नहीं मान सकते, फिर भी यदि उस इन्द्राज को राजस्व अधिकारी ने

विश्वसनीय माना हो, तो उसे काफी वजन देना चाहिए, इसलिए नहीं कि ऐसी कानूनी कल्पना (presumption) है, बल्कि इसलिए कि कब्जे या स्वामित्व के विषय में ऐसे इन्द्राज अच्छी साक्ष्य का काम करते हैं।

राजस्व मण्डल ने एक अन्य बाद शंकरलाल वि. प्रताप में मत व्यक्त किया कि खसरा या भू–अभिलेख खसरा तैयार करने के समय की स्थिति दर्शाता है और किसी लोकसेवक द्वारा उसके राजकीय कर्तव्यों का पालन करते हुए जो रिकार्ड निर्माण किया जावे उसे तब तक सही मानना चाहिए जब तक कि किसी अन्य साक्ष्य द्वारा उसे संदिग्ध या निराधार साबित नहीं कर दिया गया हो।

स्पष्ट है कि खसरा के इन्द्राज को सारभूत तथ्य (Relevarit Fact) के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु उसे निश्चित सबूत (Conclusive Proof) नहीं माना जा सकता। यही मत राजस्व मण्डल ने केसरीलाल वि. मथुरालाल में व्यक्त किया है। परन्तु यदि इन्द्राजात अव्यवस्थित, क्रमहीन तथा अनियमित हो और उन्हें मुकदमे की प्रारम्भिक अवस्था में पेश नहीं किया गया था तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

भूमि सीमांकन (Land Demarcation)

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्डस) रूल्स 1957 के नियम 34 के अनुसार यदि कोई खातेदार या गैर खातेदार अभिधारी अपने खेत का सर्वेक्षण और सीमांकन करवाना या अपने खेत की परिधि के साथ–साथ सीमा चिन्ह लगवाना चाहता है तो वह उस प्रयोजन के लिए नीचे विहित प्रारूप में तहसीलदार को आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन करने से पूर्व वह इस प्रयोजन के लिए सरकारी कोषागार में निर्धारित दरों से शुल्क जमा करायेगा, जो क्षेत्रफल के हिसाब से अलग–अलग होगा क्षेत्रफल में तीन श्रेणियाँ निर्धारित है जिनमें 5 एकड़ तक, 10 एकड़ तक तथा 10 एकड़ से अधिक और अपने आवेदन के साथ कोषागार चालान की एक प्रति संलग्न करेगा–

स्पष्टीकरण उपरोक्त फीस का 10 प्रतिशत तहसीलदार द्वारा पटवारी या यथास्थिति भूमि अभिलेख निरीक्षक को उसके कार्य के पारिश्रमिक के रूप में दिया जा सकेगा।

आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार उसे पृथक रजिस्टर में दर्ज करायेगा और अभिधारी को रसीद भी देगा वह तत्पश्चात् यदि खेत अन्तर ग्रामीण सीमा पर स्थित नहीं है तो सम्बन्धित पटवारी को, और यदि वह अन्तर ग्रामीण सीमा पर स्थित है तो भूमि अभिलेख निरीक्षक को अभिधारी और सरपंच/वार्ड पंच की उपस्थिति में सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य करने का निर्देश देगा और खेत के सर्वेक्षण और सीमा चिन्हों के बारे में तहसीलदार को 7 दिन, किन्तु अधिक से अधिक 15 दिन के भीतर–भीतर रिपोर्ट देगा।

कोई भी खातेदार या गैर–खातेदार अभिधारी अपने खेत के सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए आवेदन पटवारी को भी दे सकेगा जो ऊपर यथाविहित फीस जमा करायेगा और ऐसे अभिधारी को आवेदन की रसीद देगा। पटवारी आवेदन को एक पृथक् रजिस्टर में दर्ज करेगा और फीस 3 दिन के भीतर–भीतर सर्किल अधिकारी/तहसीलदार से आदेश अभिप्राप्त करेगा। सर्किल अधिकारी/तहसीलदार, यदि खेत अन्तरग्रामीण सीमा पर स्थित है तो भूमि अभिलेख निरीक्षक को, या यदि खेत अन्तरग्रामीण सीमा पर स्थित नहीं है तो पटवारी को, अभिधारी और गांव के सरपंच/वार्ड

पंच की उपस्थिति में सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य करने का निर्देश देगा और खेत के सर्वेक्षण और सीमा चिन्हों के बारे में तहसीलदार को 7 दिन किन्तु अधिक से अधिक 15 दिन के भीतर–भीतर रिपोर्ट देगा।

रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी परीक्षा कर लेने पर तहसीलदार, अभिधारी को उसके व्यय पर स्तम्भ या सीमा चिन्ह खड़े करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अनुसार जब कोई क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अभिलेखन कार्य के अधीन हो तो भू–अभिलेख अधिकारी ऐसे क्षेत्र के समस्त भू–सम्पत्ति धारकों एवं काश्तकारों को यह सूचित करते हुए उद्घोषणा (Proclamation) जारी करेगा कि वे ऐसी सहायता देने के लिए बाध्य हैं, जो गांव की सीमाओं का तथा साथ ही उस गांव के खेतों की सीमाओं का सर्वेक्षण करने में अपेक्षित की जाये।

भू–अभिलेख अधिकारी ऐसे सीमा चिन्हों को जिनको वह उनके गांवों, भू–सम्पत्तियों अथवा खेतों की सीमा को सीमित करने के लिए आवश्यक समझे, पन्द्रह दिनों के अन्दर खड़े करने के लिए सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्य के अधीन क्षेत्र के समस्त भू–सम्पत्तिधारकों को निर्देश करता हुआ घोषणा जारी कर सकता है और घोषणा में विनिर्दिष्ट (Specified) समय के भीतर उनके द्वारा तामील करने के अभाव में वह स्वयं उनके खर्चे से ऐसे सीमा चिन्ह खड़े करवा सकता है।

राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111के अनुसार सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा – किन्हीं सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद की स्थिति में भू–अभिलेख अधिकारी जहां तक सम्भव हो वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर और यह सम्भव न हो अथवा ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद का निर्णय करेगा।

यदि इस धारा के अन्तर्गत किसी विवाद की जांच के दौरान भू–अभिलेख अधिकारी अपने आपको इस प्रकार संतुष्ट नहीं कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है अथवा यह बतलाया जाये कि जांच के प्रारम्भ होने से पूर्व के तीन मास के अन्दर विधि संगत अधिवासियों (occupants) को अवैधानिक रूप से (unlawfully) रूप से बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है तो भू–प्रबन्ध अधिकारी सरसरी जांच द्वारा निश्चय करेगा कि कौन–सा पक्ष कब्जा पाने का सर्वोत्तम अधिकारी है और तदनुसार सीमा निर्धारित करेगा।

खण्ड (ड़) –प्रकरणों का विचारण एवंन्यायालय प्रबन्धन
Trial of Cases and Court Management

आपराधिकप्रकरणोंमेंविचारण का महत्व(Importance of trial of cases)

विचारण किसी मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह चरण न्यायाधीश को किसी मामले में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपराध की प्रकृति अपराध के लिए विहित दंडात्मक व्यवस्था एवं उसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियात्मक प्रणाली के तहत विचारण न्यायिक व्यवस्था में निष्पक्ष एवं पारदर्शी त्वरित न्याय हेतु जिससे वास्तविक अपराधी को मुकम्मल सजा मिल सके बेगुनाह को अपराधी ना ठहराया जा सके एवं पीड़ित पक्षकार को समुचित न्याय मिल सके न्यायधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में विचारण हेतु दिए गए भिन्न–भिन्न प्रावधानों का पालन करना वर्णित है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 225 से 237 तक में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण प्रक्रिया धारा 238 से 243 में क्रमशः मजिस्ट्रेटो द्वारा वारंट मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किये जाने का विचारण प्रक्रिया एवं धारा 244 से 247 तक में पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधारों पर संस्थिति मामलों का विचारण कैसे किया जाए प्रक्रिया को बताया गया है। विचारण की समाप्ति पर ही सम्पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति के दोषी होने अथवा निर्दोष होने के संबंध में निष्कर्ष न्याय, निर्णय के रूप में न्यायधीश द्वारा निकाला जाता है। सही एवं निष्पक्ष न्याय संबंधित पक्षकारों को शीघ्र एवं शुलभ रूप से मिल सके इसके लिए समय–समय पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों एवं उनके द्वारा किए गए विचारण प्रक्रिया पर राज्य एवं देश की सर्वोच्च न्यायालय कमशः उच्च न्यायालय एवं उच्चत्तम न्यायालयों द्वारा अपने प्रतिपादित सिद्धांतों से निगरानी करते हुए विचारण व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का सराहनीय प्रयास है एवं उक्त सिद्धातों एवं मार्गदर्शन से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचारण प्रक्रिया अनुसार शीघ्र एवं त्वरित गति से पीड़ित पक्षकारों को न्याय, अपराधियों को सजा दिलाने विचारण प्रक्रिया को समुचित रूप से अपनाया जाकर न्याय व्यवस्था के ठोस एवं सुदृढ़ होने का परिचय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो दिया जा रहा है वह भी विचारण की अहम भूमिका को दर्शाता है। छोटे अपराधों के संबंध में विचारण की लंबी प्रक्रिया ना अपनाई जाकर समन मामलों का विचारण धारा 251 से 259 दंडप्रक्रिया संहिता में एवं संक्षिप्त विचारण धारा 260 से 265 तक दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित किया गया है। विचारण उचित समय में पूरा हो इस हेतु भी महिला उत्पीड़न प्रकरणों एवं विशिष्ट न्यायालय में समय सीमा निर्धारित करना भी शीघ्र सुलभ न्याय की सुगमता प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके इस और एक सराहनीय कदम है। साक्ष्य का समुचित एवं सूक्ष्म रूप से विश्लेषण, मुलजिम के 313 द.प.स. के तहत बयान एवं मुलजिम पक्ष को निर्दोष साबित करने हेतु अपनी ओर से साक्ष्य सफाई पेश करने का अवसर दिया जाना विचारण के मुख्य भाग है।

1–**हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य ए आई आर एफ आई आर 1979 SC 1360** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि शीघ्र परीक्षण का अधिकार भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 में अर्नुनिहित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है।

2–**ए.आर.अन्तुले बनाम आर. एस. नायक ए.आइ.आर. 1992 एस सी 1701**:–असत्यक व अनावश्यक विलम्ब से अभियुक्त की स्वयं को प्रतिरक्षित करने वाली शक्ति का परिरक्षण होना निश्चित है। यह विलम्ब किसी भी प्रकार से हो सकता है यथा मृत्यु के कारण, साक्ष्य का गायब हो जाना अनु उपलब्ध होना आदि इसी समय इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता है कि अक्सर अभियुक्त मामले के लंबित होने में रुचि लेता है जैसा कि प्राय स्पष्ट है कि विलम्ब एक जानी बुझी बचाव युक्ति है। यह विनिश्चय करने के लिए किस चीज निक्सन के उपलब्ध सारी उल्लंघन में विलंब कारित हुआ अथवा नहीं सभी, उपस्थित परिस्थितियों पर जिनमें कि अपराध की प्रकृति अपराधियों की संख्या, साक्ष्यों की संख्या और संबंधित न्यायालय पर कार्यभार का बोझ और स्थानीय दशाएं आदि देखा जाना आवश्यक है।

संतोष डे बनाम अर्चना गुहा 1995 करीलो 2640 की मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न निर्देश दिए–गंभीर अपराधों का उचित विचारण किया जाना चाहिए एवं साक्षी से साबित किया जाना चाहिए असम्यक में विलंब के आधार पर कार्रवाई अपास्त की जा सकती है।**वकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एस आई आर 2009 एस सी 1822** त्वरित विचारण और त्वरित अन्वेषण अभियुक्त का मूल अधिकार है।

स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जागीरसिंह आई आर 1973 एस सी 2407 में उच्चतम न्यायालय ने सिद्वांत प्रस्तुत किया कि रिपोर्ट अपराधिक विचारण अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए किया जाता है विचारण प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है न्यायालय को सही साक्ष्य को नामंजूर नहीं करना चाहिए।

न्यायालयों के प्रकारऔर न्यायालय प्रक्रिया
Types of Court and Court procedure

द.प्र.स. 1973 की धारा 6 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के न्यायालय बताये गये हैं – 1. सेशन न्यायालय द.प्र.स. 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भीदण्डादेश दे सकता है, किन्तु मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है।

2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द.प्र.स. 1973 की धारा 29 के अनुसार 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

3. प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द.प्र.स. 1973 की धारा 29 के अनुसार 3 वर्ष तक की अवधि का दण्ड या 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दण्डादेश दिया जा सकता है।

(नोट–दण्ड प्रकिया संहिता राजस्थान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा 10,000 के स्थान पर 50,000 रूपये प्रतिस्थापित किया हैं।)

4. द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द.प्र.स. 1973 की धारा 29 के अनुसार एक वर्ष तक के कारावास या 10000रु./ तक का जुर्माना या दोनों का दण्डादेश दे सकता है।

5. कार्यपालक मजिस्ट्रेट

आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया–

आपराधिक मामलों में अपराधी के विरुद्ध अनुसंधान के लिए पुलिस थाने एवं अन्य जाँच एजेंसियों की स्थापना की हुई है एवं उनकी विचारण के लिए विभिन्न न्यायालयों की स्थापना की हुई है। इन मामलों में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालयों में प्रेषित किया जाता है उनमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सम्मन जारी करके न्यायालय में बुलाया जाता है व उसको गवाहों के बयान व उक्त अभिलेखों की नकलें दी जाती हैं। उसके बाद उसके विचारण में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती है।

1. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र तैयार करना व विचारण के प्रारंभ में आरोप उसको पढ़कर सुनाना।

2. यदि अभियुक्त आरोप स्वीकार कर लेता है तो उसे दण्डित किया जा सकता है।

3. यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार नहीं करता तो अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तिथि निश्चित कीजाती है।

4. अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकतानुसार एक से अधिक अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों को लोक अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करके उसका बयान लिखवाया जाता है व प्रत्येक गवाह से अभियुक्त के अधिवक्ता को जिरह करने का अवसर दिया जाता है। बिना जिरह के किसी गवाह के बयान के आधार पर किसी को भी दण्डित नहीं किया जा सकता।
5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पश्चात अभियुक्त के बयान के लिए तिथि निश्चित की जाती है।
6. अभियुक्त यदि निश्चित तिथि पर अपने बयान में अपराध स्वीकार नहीं करता है व अपनी सफाई में गवाहपेश करना चाहता है तो उसको अपनी सफाई में गवाह पेश करने हेतु अवसर दिया जाता है।
7. अभियुक्त द्वारा अपनी सफाई में पेश किये गए गवाहों से लोक अभियोजक को जिरह करने का अवसर दिया। जाता है।
8. इसके पश्चात दोनों पक्षों की और से अपने–अपने पक्ष के लिए तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं।
9. तर्क सुनने के बाद न्यायालय के पीठासीन अधिकारी निर्णय के लिए तिथि निश्चित की जाती है व उस तिथि पर अभियुक्त को दण्डित करने या रिहा करने का आदेश सुनाया जाता है।

आरोपपत्र (Charge sheet)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 व 173 –(अ) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अनुसार अनुसंधान के दौरान पर्याप्त साक्ष्य होने की दशाये गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अजमानतीय अपराध होने पर मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में भेजा जायेगा औरजमानतीय अपराध होने पर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बंधपत्र द्वारा पाबंद कर चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है।
(ब) दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 (3) के अनुसार आरोप–पत्र सामान्यतः वृताधिकारी के माध्यम से, स्पेशल रिपोर्ट केसेज में जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। मजिस्ट्रेट का आदेश होने पर एस.एच.ओ. को अतिरिक्त अन्वेषण करने के आदेश दे सकता है।
(स) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान लेता है।
(द) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 केवल निदेशात्मक है और आरोप पत्र दाखिल करने के बाद दस्तावेज दायर करने से नहीं रोकती। यदि कोई दस्तावेज आरोप–पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया तो न्यायालय की अनुमति से विचारण के दौरान पेश किया जा सकता है लेकिन पेश करने सेपूर्व दस्तावेज की प्रति अभियुक्त को उपलब्ध कराना आवश्यक है। आरोप–पत्र के साथ दस्तावेज न पेश करना दण्ड प्रक्रिया साहिता को 465 के अनुसार मात्र अनियमितता है।

अन्वेषण पूर्ण करने व आरोप–पत्र पेश करने की अवधि तथा विलम्ब का प्रभाव–

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (1) 173 (1क) व 167 (5) में अन्वेषण पूर्ण करने व आरोप पत्र पेश करने की अवधि के संबंध में प्रावधान किये गये। अनुसंधान में अनावश्यक विलम्व से समय पर प्रसंज्ञान लिये जाने में कठिनाई आती है क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में प्रसंज्ञान की परिसीमा (स्पउपजंजपवद) निर्धारित है।
अ. सामान्यतः किसी भी मामले में अनुसंधान अनावश्यक देरी के बिना पूर्ण किया जाना चाहिये।
ब. शिशु से बलात्संग के मामले में अनुसंधान पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के दो माह के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिये।

स. यदि कोई अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है तो अनुसंधान पूर्ण कर आरोप–पत्र पेश करने की अवधिनिम्नानुसार है–

क. 90 दिन मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून के कारावास दण्डनीय अपराध केसंबंध
में।

ख. 60 दिन किसी अन्य अपराध के संबंध में।

द. समन मामलों में अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक से 6 माह कीअवधि से अधिक लम्बित नहीं रखा जाना चाहिये।

पुलिस रिपोर्ट को कौन प्रस्तुत कर सकता है–

अ. अन्वेषण की समाप्ति पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत पुलित रिपोर्ट अर्थात् अंतिम प्रतिवेदन व आरोप–पत्र पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है।

ब. जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) केतहत पुलिस थाने का अधिकारी स्वयं – अनुसंधान न करके अपने अधीनस्थ को अनुसंधान के लिए प्रतिनियुक्त करता है तब धारा 168 के तहत ऐसा अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अनुसंधान पूर्ण करके अपनी रिपोर्ट भारसाधक अधिकारी को पेश करता है। अंतिम परिणाम भारसाधक अधिकारी द्वारा ही न्यायालय में पेश किया जा सकता है।

स. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किये गये प्रकरण का आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया–जब किसी प्रकरण का अनुसंधान पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है तब प्रकरण में अनुसंधान पूरा होने के बाद चालान प्रस्तुत के आदेश के साथ पत्रावली पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजी जाती है। ऐसी स्थिति में चालान तैयार करके भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैं।

पुलिस रिपोर्ट का प्रारूप व अन्तर्वस्तु–

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) में पुलिस रिपोर्ट के प्रारूप के बारे में बताया गया है। अन्वेषण पूरा होने पर एस.एच.ओ. प्रसंज्ञान के लिये सशक्त सक्षम मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में अंतिम परिणाम की रिपोर्ट (चार्जशीट या एफ.आर.) भेजेगा।

ब. पुलिस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है–

(क) पक्षकारों के नाम पीड़ित व अभियुक्तः,

(ख) सूचना की प्रकृति –लिखित, मौखिक या न्यायालय व पुलिस अधीक्षक के निर्देश से

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के नाम –गवाहों के नाम,

(घ) अपराध की धारा तथा अभियुक्त का नाम,

(ड) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है,

(च) क्या अभियुक्त जमानत पर है– प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र,

(छ) क्या अभियुक्त धारा 170 के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, या

(ज) क्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376, 376क ,376 कख, 376ख, 376ग, 376घ ,376घक ,376घख, 376ङ के मामलों में पीडित महिला की मेडिकल रिपोर्ट संलग्न की गई हैं।

अभियुक्त को आरोप–पत्र व दस्तावेजों की प्रतिलिपि का संदाय– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 –

अ. अभियुक्त को संदाय की जाने वाली पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों की प्रतियों को चार भागों में विभक्त कियाजाता है –

क. आरोप पत्र की प्रतिलिपि
ख. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि
ग. दस्तावेज या उनके सुसंगत सार
घ, धारा 161 व 164 के तहत अभिलिखित बयान
ब. अभियुक्त को केवल वे ही दस्तावेज या उनके सुसंगत सार की प्रतिलिपि संदाय की जानी चाहिये जिन परअभियोजन निर्भर करता है।
स, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (6) के अनुसार पुलिस अधिकारी की राय में किसी कथन का
कोई भाग –
क. सुसंगत नहीं है या
ख अभियुक्त को प्रकट करना न्यायहित में नहीं है और
ग. लोकहित के लिए असमीचीन है.
तो कथन के उस भाग को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि से निकालने का कारण बताते हुए मजिस्ट्रेट से निवेदन किया जाता है।
द दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (7) के तहत पुलिस रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियाँ अभियुक्त को दी जानी चाहिये। दस्तावेजों की प्रतियां पुलिस रिपोर्ट के साथ अग्रेषित की जाती है जिन्हें न्यायालय अभियुक्तको देता है।

अपूर्ण, पूर्ण व अनुपूरक आरोप–पत्र और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत अतिरिक्त आरोप–पत्र –

अ. यदि मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के अधीन पुलिस रिपोर्ट भेज देने के बाद भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य मिलता है, तो ऐसे साक्ष्य के संबंध में वह अतिरिक्त रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है।
ब भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस अतिरिक्त रिपोर्ट के संबंध में अपूर्ण आरोप–पत्र, अनुपूरक आरोप–पत्र, पश्चातवृर्ती आरोप–पत्र, तितम्बा चार्जशीट जैसे कई शब्द प्रचलन में है लेकिन इनमें विभेद करना जरूरी है। तारासिंह बनाम राज्य ए.आई.आर. 1954 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपूर्ण आरोप–पत्र, पूर्ण आरोप–पत्रतथा अनुपूरक आरोप–पत्र के बारे में वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया है।
स. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) व 173 (2) संयुक्त रूप से आरोपित सभी अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंधान पूर्ण न होने की दशा में उनमें से किसी एक या अधिक अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की अनुमति देती है, लेकिन अभियुक्त के खिलाफ चालान को सम्पूर्णतः प्रस्तुत किया जाना चाहिये अर्थात् इसे अंशतः या खण्डतः पेश नहीं किया जा सकता।
द. पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् नये तथ्य प्रकाश में आने पर पुलिस द्वारा अन्वेषण और अनुपूरक रिपोर्ट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत विधिक मान्यता प्रदान की गई है। पूरक आरोप–पत्र पुनः विवेचना किये बिना तथा अपराध के संबंध में पुनः मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये पेश नही किया जा सकता। अगर किसी मामले में पुलिस ने पूर्व में अंतिम प्रतिवेदन पेश किया है तो उसमें आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
य. विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट में पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अन्वेषण करने की पुलिस कीशक्ति को आपराधिक विधि में शामिल करने की अनुशंसा की गई। तदनुरूप पुलिस रिपोर्ट पेश करने के बाद मिलने वाले अतिरिक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में दण्ड

प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 (8) के तहत अतिरिक्त आरोप–पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया।
श्रवण बाबूराव दिनकर बनाम एन.बी. अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक, 1997 क्रि.लॉ ज. 617 में उच्चतम न्यायालय ने कहा हैं कि –किसी भी मामले में संक्षिप्त अवधारण करने का कार्य मजिस्ट्रेट का हैंः पुलिस आयुक्त या अन्य पुलिस अधिकारी को किसी मामले का संक्षिप्तीकरण करने का अधिकार नहीं हैं।
इसी प्रकार आन्ध्रप्रदेश राज्य बनाम पी.वी.पविधरन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी को मामले का अन्वेषण युक्तियुक्त समय में पूरा कर देना चाहिये। परन्तु दूसरी और अन्वेषण पूरा करने में असम्यक विलम्ब किया जाता हैं तो यह एफ.आई.आर. खारिज करने का सदैव आधार नही को सकता हैं।
आर.सरला बनाम टी.एस.वेलू आदि प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि विवेचना करना पुलिस का विधिक अधिकार हैं जिसका पर्यवेक्षण केवल थानाध्यक्ष से उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी ही कर सकते हैं। इसमें लोक अभियोजक की कोई भूमिका नही हैं। थानाध्यक्ष विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित करेगा और इसमें और कोई भी बाह्य हस्तक्षेप अवैधानिक होगा।
न्यायालय बनाम सी.बी.बाई. के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य नही माना। इसी में आगे स्पष्ट किया की द.प्र.स. 1973 की धारा–173 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले आरोप पत्र को स्वीकार करना न्यायालय का कर्तव्य हैं। न्यायालय यह कहकर आरोप पत्र को वापिस नही कर सकता हैं कि उसे अभियुक्त के साथ प्रस्तुत किया जावें।

कोर्टकलैंडरनम्बर(Court calendar number)

न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध के संबंध में दाखिल चार्जशीट के आधार पर उक्त अपराध के संबंध में प्रसंज्ञान लिया जाकर आरोप नियमानुसार विरचित किये जाते है तत्पश्चात विचारण प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है। विचारण प्रक्रिया का उल्लेख द.प्र.स. 1973 की धारा 225 से 265 में किया गया है। विचारण की प्रक्रिया के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा किसी मामले को साबित करने के लिए अपने गवाहान को गवाहान सूची के अनुसार पेश किया जाता है जिनकी न्यायालय द्वारा मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा एवं पुनः परीक्षा इत्यादि करवाई जाती है तत्पश्चात बयान मुलजिमान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.स. के तहत लिये जाकर मुलजिम पक्ष को साक्ष्य सफाई का अवसर दिया जाता है। उक्त समस्त प्रक्रिया मे एक लम्बा समय भिन्न –भिन्न कारणो से निकल जाता है जो न्याय में विलम्ब कारित करता है उक्त विलम्ब को दूर करने के लिए गंभीर श्रेणी के अपराधों में न्यायालय द्वारा प्रक्रिया के लिए समयवार वर्गीकरण चार्ट कार्य के लिए बनाया जाता है। उक्त समयवार प्रोग्राम ही साधारण भाषा में कोर्ट कैलेंडर कहलाता है। कोर्ट कैलेंडर किसी मामले विशेष के लिए उस मामले के संबंध में आगे की जाने वाली

कार्यवाहियों एवं उक्त कार्यवाहियॉ किन–किन दिनांक को की जाएगी आदि का ब्यौरा बाबत होता है। प्रत्येक मामले का एक कैलेंडर नम्बर दिया जाता है। उक्त कैलेंडर अभियोजन पक्ष के गवाहान, गवाहान की प्रकृति, गवाहान के साथ जुडी दस्तावेजात एवं उनके साक्ष्य की प्रकृति, गवाहान की संख्या, गवाहान के मुख्य परीक्षा, उनके प्रतिपरीक्षा एवं पुनः परीक्षा यदि कोई हो के एवं गवाहान के प्रतिपरीक्षा के स्थगन, उसके आधार आदि सभी तथ्यों को ध्यान मे रखकर तैयार किया जाता है। इसी प्रकार बयान मुलजिम एवं मुलजिम पक्ष को साक्ष्य सफाई में लगने वाला समय, बहस अंतिम एवं उसके ब्यौरेवार प्रस्तुतीकरण में लगने वाला समय भी कोर्ट कैलेंडर का क्रमशः भाग होते है। समुचितरूप बनाया से कोर्ट कलैण्डर मामले के विचारण की रूपरेखा तैयार करता है एवं न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अगृसरित करवाया जाकर शीघ्र विचारण मामले का किया जाकर न्याय निर्णय को सम्पादित करवाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मुकदमों के संचालन के लिए दिशा–निर्देशों की एक श्रृंखला तैयार की है, मुख्य रूप से न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे को पूरा करने के लिए खुद को एक समय सीमा पर रखने के लिए ''कोर्ट कैलेंडर'' तैयार करने से संबंधित है।

जस्टिस एएम सप्रे और इंदु मल्होत्रा की बेंच ने 30 अक्टूबर 2018 को कहा कि इन्हें ''अभ्यास दिशानिर्देश'' कहा जाएगा और जहां तक संभव हो, आपराधिक मुकदमे के संचालन में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनका पालन किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप तय होने के बाद मुकदमे की शुरूआत में ''विस्तृत कोर्ट कैलेंडर'' तैयार किया जाना चाहिए।

इसमें में उन तारीखों को निर्दिष्ट करना होगा जिन पर गवाहों की परिक्षण और जिरह आयोजित की जाएगी : बेंच

कैलेंडर में उन तारीखों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिन पर मुख्य परीक्षा और गवाहों की जिरह (यदि आवश्यक हो) आयोजित की जानी है।

बेंच के लिए फेसला लिखने वाले जस्टिस मल्होत्रा ने कहा कि कोर्ट कैलेंडर पार्टियों द्वारा गवाहों को पेश करने के प्रस्तावित आदेश, गवाहों की परीक्षा के लिए अपेक्षित, समय, प्रासंगिक समय पर गवाहों की उपलब्धता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। अभियोजन और बचाव दोनों, जहाँ तक संभव हो एक ही विषय पर गवाही देने वाले गवाहों की गवाही को लगभग निर्धारित किया जाना चाहिए।

जांच स्थगित करने के सन्दर्भ में

गवाहों से जिरह को टालने के सवाल पर अदालत ने कहा कि अनुरोध कैलेंडर तैयार करने से पहले किया जाना चाहिए और पर्याप्त कारणों के साथ तैयार किया जाना चाहिए।

ट्रायल कोर्ट को गवाह से जिरह के लिए एक अनुमानित तारीख निर्दिष्ट करनी होगी।

दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए कोर्ट कैलेंडर का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो।

जस्टिस मल्होत्रा ने बेंच के लिए आदेश दिया, ऐसे मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट ने डिफर्ड के लिए अनुरोध दिया है, गवाहों को अनुचित प्रभाव, उत्पीड़न या धमकी के अधीन होने से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

कार्यसुनवाई एवंस्थगन(Call work & adjournments)

कार्य सुनवाई

कार्य सुनवाई का अदालती कार्य मुख्यत : द.प्र.स. की क्रमशः धाराएँ 231,242,244 से शुरू होना कहा जाता है। जिसके तहत अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप विरचित करने के पश्चात अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुतीकरणा के लिए नियत तारीख से चालू होता है। जिसके तहत ऐसी नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए तत्पश्चात दोषमुक्ति या उन्मोचन की दशा के सिवाय प्रतिरक्षा आरम्भ करने हेतु न्यायालय अग्रसर होगा और अभियुक्त के समर्थन की साक्ष्य जो अभियुक्तगण पेश करना चाहे के संबंध में न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाकर यदि अभियुक्तगण किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आर्देशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका ऐसे कारणो से जो लेखबद्ध किये जायेगे, यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने या विलम्ब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है। कार्य सुनवाई हेतु अभियोजन एवं प्रतिपरीक्षा के संबंध में साक्षीगण एवं निजी वस्तु के पेशकरण के संबंध में द.प्र.स. 1973 के तहत प्रक्रिया का अनुसरण कर कार्य सुनवाई एवं कार्यवाही हेतु न्यायालय अग्रसर होगा।

धारा 309 कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति :–(1) प्रत्येक जांच या निचारण में, कार्यवाहियां सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन–प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे,

परन्तु जब जांच या विचारण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण आरोप –पत्र फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(2) यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारम्भ होने के पश्चात् यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का प्रारम्भ करना मुल्तवी कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए तो वह समय–समय पर ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे निबन्धनों पर, जैसे वह ठीक समझे, उतने समय के लिए जितना वह उचित समझे उसे मुल्तवी या स्थगित कर सकता है और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे वारण्ट द्वारा प्रतिप्रेषित कर सकता है।

परन्तु कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में पन्द्रह दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित न करेगा :

परन्तु यह और कि जब साक्षी हाजिर हों तब उनकी परीक्षा किए बिना स्थगन या मुल्तवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, नहीं दी जाएगी,

परन्तु यह भी कि कोई स्थगन केवल इस प्रयोजन के लिए नहीं मंजूर किया जाएगा कि वह अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित दण्डादेश के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने में समर्थ बनाए।

परन्तु यह भी कि –

(क) कोई भी स्थगन किसी पक्षकार के अनुरोध पर तब के सिवाय अनुदत्त नहीं किया जाएगा, जब परिस्थितियां उस पक्षकार के नियंत्रण से परे हों

(ख) यह तथ्य है कि किसी पक्षकार का कोई प्लीडर किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है, स्थगन के लिए कोई आधार नहीं होगा।

(ग) जहां कोई साक्षी न्यायालय में हाजिर है किन्तु कोई पक्षकार या उसका प्लीडर हाजिर नहीं है या पक्षकार या उसका प्लीडर न्यायालय में तो हाजिर है, किन्तु साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है वहां यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह साक्षियों के कथन अभिलिखित कर सकेगा और ऐसे आदेश, जो यथास्थिति, साक्षियों की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा से छूट देने के लिए ठीक समझे, पारित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 1– यदि यह सन्देह करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि हो सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और यह सम्भाव्य प्रतीत होता है कि प्रतिप्रेषण करने पर अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है तो यह प्रतिप्रेषण के लिए एक उचित कारण होगा।

स्पष्टीकरण 2– जिन निबन्धनों पर कोई स्थगन या मुल्तवी करना मंजूर किया जा सकता है, उनके अन्तर्गत समुचित मामलों में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा शर्तो का दिया जाना भी है।

<u>स्थगन</u>

शब्द स्थगन एक वर्तमान प्रक्रिया के लिये एक अस्थाई रोक या बाद की तारीख के लिये कार्यवाही के स्थगन को संदर्भित करता हैं।यह एक निर्दिष्ट तिथि या अनिश्चित काल के लिये हो सकता हैं जिसे साइन डाई के रूप में जाना जाता हैं। केवल न्यायाधीशों के पास मामले को स्थगित करने की शक्ति हैं जों विवेक पर आधारित हैं एवं स्थगन पक्षकारों के विरोध पर ही अदालत विवेकिय शक्ति का इस्तेमाल कर किसी मामले में देती हैं। स्थगन का आधार कार्यवाही के संबंध में पक्षकारों की तैयारी, रिकार्ड एवं साक्ष्यों की उपलब्धता/अनुपलब्धता, कार्यभार की अधिकता आदि सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को क्रमशः देखा जाकर दिया जाता हैं।स्थगन का दुरूपयोग न्याय की हत्या हैं । स्थगन अतिआवश्यक होने पर पक्षकारों द्वारा लिया एवं न्यायालयों द्वारा दिया जाना चाहियें ताकि त्त्वरति न्याय के सिद्धान्त की पूर्णत पालना हो। समय पर न्याय प्रदान करना न्यायापालिका का भी कर्त्तव्य हैं इसलियें बिना किसी देरी के जल्द से जल्द न्याय दिया जाना चाहियें और इसलिये किसी भी मामले के त्वरित निस्तारण हेतू स्थगन को काफी हद तक कम किया जाना चाहियें। धारा– 309 द.प्र.सं. के तहत कार्यवाही अतिशीघ्र निपटाई जानी चाहिये। स्थगन केवल तभी दिया जाना चाहियें जब निम्नलिखत शर्ते पूरी होः–

(1) अदालत सुनवाई स्थगित कर सकती हैं और पार्टियों को समय तभी दे सकती हैं जब पर्याप्त कारण दिया गया हो।

(2) स्थगन के दौरान अदालत को अगली सुनवाई के लिये एक दिन तय करना होगा।

(3) एक बार कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद यह तब तक समाप्त नहीं होनी चाहियें जब तक कि सभी गवाहों की परीक्षा नही हो जाती हैं और हर दिन जारी रहना चाहियें सिवाय दूसरे कि अदालत स्थगन प्रदान करने के लिये उचित समझे।

स्थगन तब तक नही देना चाहियें जब कि स्थिति पार्टी के नियंत्रण से बाहर ना हो। यह केवल इस कारण से नहीं दिया जा सकता हैं कि मामले का वकील किसी उच्च अदालत में व्यस्त हो।

यदि पक्ष या उसका प्लीडर अनुपस्थित हैं या गवाह के उपस्थित होंने पर गवाह से जिरह करने के लिये तैयार नहीं हैं, अदालत अपने स्वयं के रिकॉर्ड द्वारा गवाहान के बयान दर्ज कर आदेश पारित कर सकती हैं। जैसा वह उचित समझे।

साक्षियोंकोपेशकरना(Production of witnesses)

धारा 135 सक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दण्ड प्रक्रिया के तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा विनियमित होगा। अर्थात अपराधिक मामले में साक्षियों को पेश करने तथा साक्षियों की परीक्षा का क्रम द.प्र.स. द्वारा विनियमित होता हैं। आपराधिक मामलों में कार्यवाही को आरम्भ करने का अधिकार यथास्थिति परिवाद के अभियोजक का होता हैं ओर इसके पश्चात अभियुक्त को, यदि वह ऐसा चाहे तो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा जा सकता हैं।

आपराधिक अपिलों में प्रथमतः अपीलार्थी को तथा उसके पश्चात प्रतिपक्षी को सुना जाता हैं। धारा 135 दो शर्ते अपने इस्तेमाल के लिये लागु करता हैं कि पहली यह कि साक्ष्य देने का तरीका विधि द्वारा अथवा अनुक्रम द्वारा होना चाहिये जो कि प्रयोग में लाया जाता हैं।

अक्षयतारा बनाम जी.सी.वीरेय्या ए.आई.आर.1961 ए.पी.420 में स्पष्ट किया कि न्यायालय को यह हक मौजूद हैं कि वह किसी तरह से साक्ष्य दिया जावें इसका नियन्त्रण कर सकती हैं।

सारदुल सिंह बनाम स्टेट ए.आई.आर.1957 SC में स्पष्ट किया गया कि कोई न्यायालय साधारण तौर पर अभियोग पक्ष को यह आदेश नहीं दे सकता कि किसी साक्षी को वह अवश्य पेश करें यदि पेश नही करना चाहता हैं।

साक्षियों की सूची प्रस्तुत करना :– किसीपक्षकार को अपनासाक्ष्य प्रस्तुत या प्रारम्भ करने के पूर्व जिन साक्ष्यों की वह परीक्षा करना चाहता हैं,उनकी सूची अवश्य प्रस्तुत करनी चाहियें। पक्षकार सूची मे संशोधन परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व तक कर सकते हैं।

यदि कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित हैं और किसी पक्षकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता हैं तो न्यायालय उनकी परीक्षा करने से इस आधार पर इंकार नही कर सकता हैं कि उनका उल्लेख सूची में नही किया गया हैं।(राजा बनाम केदारनाथ AIR 1953)

सक्षियों की परीक्षा का क्रम :– आपराधिक मामले में सर्वथा अभियोजन ही साक्ष्य प्रारंभ करता हैं।

वर्तमान न्याय प्रशासन में साक्ष्य का एक महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। साक्ष्य जितना प्रबल होता हैं मामला उतना ही सुदृढ होता हैं। जब कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष आता हैं तो खुले न्यायालय में साक्षी की परीक्षा की जाती हैं। यह परीक्षा तीन प्रकार की होती हैं :–

1.मुख्य परीक्षा
2.प्रति परीक्षा
3.पुनः परीक्षा

साक्षी की परीक्षा में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा शामिल होती हैं। यह तीन प्रक्रमों में हो सकता हैं पहले प्रक्रम में उसे पेश करने वाला पक्षकार उसकी मुख्य परीक्षा करता हैं, दूसरे प्रक्रम में परिवादी प्रति परीक्षा करता और तीसरे प्रक्रम में पहला पक्षकार यदि उसकी आवश्यकता हैं, उसकी पुनः परीक्षा कर सकता हैं।

आपराधिक मामले में साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम उसी अनुसार लिया जाता हैं। जिसमें यह अभियोजन द्वारा पेश किया जाता और न्यायालय कभी– कभी इस क्रम के साथ हस्तक्षेप करता हैं। चूंकि आपराधिक मामले पर अभियोजन पक्ष पर मामले को साबित करने का भार सामान्यतः होता हैं, इसलिये साक्षियों के पेशकरण और परीक्षाओं के क्रम के लिये अभियोजन पक्ष को अवसर दिया जाता हैं कि वह अभियुक्त के विरूद्ध बिना किसी युक्तियुक्त संदेह के मामले को साबित करने के बारे में तरीको और साधनों को चुने तथा निर्धारित करें। (पृथ्वीनाथ बनाम आर.सी.कौल 216)

– साक्षियों के पेशकरण का क्रम प्रवर्तनीय विधि और पद्धति द्वारा विनियमित किया जायेगा– साक्ष्य अधि. की धारा 135 के अन्तर्गत वह क्रम जिसमें साक्षीगण पेश किये जाते हैं अथवा उनका परीक्षण किया जाता हैं। आपराधिक मामलों में तत्समय प्रकृत विधि और पद्धति द्वारा विनियमित किया जाएगा और इस प्रकार की किसी विधि की अनुपस्थिति में न्यायालय के स्वविवेक द्वारा विनियमित किया जायेगा।

धारा 136 भारतीय साक्ष्य अधि. के तहत न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राहयता के बारे में निश्चिता करेगा :– जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करता हैं तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य यदि वह साबित हो जाए किस प्रकार सुसंगत होगा और न्यायाधीश यह समझता हैं कि वह तथ्य यदि साबित हो गया तो सुसंगत होगा, तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। यदि वह तथ्य, जिसका साबित करना प्रस्थापित हैं ऐसा हैं साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राहय होता हैं तो ऐसा अंतिम वर्णित तथा साक्ष्य द्वारा प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिये जाने के पूर्व साबित करना होगा एवं ऐसे में न्यायाधीश अपनी विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित होने के संबंधित का साक्ष्य किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।

यह प्रस्थापना की गई कि एक व्यक्ति के जिसका मृत होना अभिकथित हैं, सुसंगत तथा के बारे में एक कथन को जो कि धारा 32 के अधीन सुसंगत हैं साबित किया जायें।

इससे पूर्व कि उस कथन का साक्ष्य दिया जाए उस कथन को साबित करने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को यह तथ्य साबित करना होगा कि वह व्यक्ति मर गया हैं।

–अभियुक्त को अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षियों की प्रति परीक्षा करने के सुअवसर से इंकार नही किया जा सकता एवं उसे अवसर दिया जाने से इंकार अभियुक्त के प्रतिघोर पक्षपात कारित करता हैं (मनीरथ सूरिया बनाम भारतीय गणतंत्र 1984 593)

पक्ष द्रोही साक्षी की प्रति परीक्षा हेतू भी अवसर दिया जाना चाहिये–दहाया भाई बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर.1964 सु.को 1563 में स्पष्ट किया गया। बी.एस.लाल (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के मार्फत बनाम डनलप रबर एण्ड कम्पनी लि.1968 एस.सी.आर.23 में स्पष्ट किया कि प्रतिपरीक्षा के लिये प्रस्तुत न होना मुख्य परीक्षा को अविश्वानीय बना देता हैं।

रिमाण्ड, जमानत याचिका व अभियुक्त की पहचानपरेड़

Remand, bail petition handling and report of accused requisition for identification parade

रिमाण्ड :–रिमाण्ड या मोहलत मुल्जिमान भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (2) के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घण्टे की अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने की अनिवार्यता है। तदनुरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 में वारण्ट के बिना गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे के भीतर न्यायालय में पेश करने संबंधी प्रावधान किये गये है।

रिमाण्ड का अर्थ है अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण (तमजनतद जव बनेजवकल)। जब पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान बिना वारण्ट गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पुनः अभिरक्षा में प्राप्त करता है तो रिमाण्ड कहा जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अनुसार अनुसंधान के दौरान बिना वारण्ट गिरफ्तार व्यक्ति को 24घंटे से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता अर्थात् 24 घण्टे की अवधि के भीतर अभियुक्त कोन्यायालय के समक्ष पेश करना होता है।

अभियुक्त को गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक की यात्रा में लगे समय को 24 घण्टे की गणना करनेमें सम्मिलित नहीं किया जाता है।

रिमाण्ड के प्रकार –

क. पुलिस रिमाण्ड– पुलिस अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण

ख. न्यायिक रिमाण्ड–न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण

रिमाण्ड की आवश्यकता–

क पुलिस रिमाण्ड की आवश्यकता– अनुसंधान के दौरान बिना वारण्ट गिरफ्तार व्यक्ति से 24 घण्टे की अवधि तक अनुसंधान करने का अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के तहत प्राप्त है। यदि उक्त 24 घन्टे के भीतर अन्वेषण पूरा हो जाता है तो पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है परन्तु पुलिस अधिकारी को अनुसंधान हेतु 24 घण्टे से अधिक समय की आवश्यकता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधिकतम 15 दिन तक की अवधि के लिए पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर सकता है।

ख. न्यायिक रिमाण्ड की आवश्यकता–जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत पुलिस रिमाण्ड हेतू नियत अधिकतम 15 दिन की अवधि के दौरान या समाप्ति पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप–पत्र प्रस्तुत जाना संभव नहीं हो पाता है तो धारा 167 में न्यायिक अभिरक्षा हेतु नियत 90 दिन या 60 दिन की अधिकतम अवधि तक अभियुक्त को मजिस्ट्रेट ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजता है।

रिमाण्ड फॉर्म–

रिमाण्ड फॉर्म में अभियुक्त का नाम, उसके खिलाफ लगे आरोपों का विवरण तथा रिमाण्ड की अवधि कारण का उल्लेख किया जाता है। जब अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तब रिमाण्ड फॉर्म पर अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं।

पुलिस रिमाण्ड –

क अवधि– मजिस्ट्रेट अभियुक्त को कुल मिलाकर 15 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में भेजने का आदेश कर सकता है। पुलिस रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को एस.एच. ओ. या एस.आई से अनिम्न रैंक का अनुसंधान अधिकारी केस डायरी के साथ निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करवाता है।

ख. ट्रांजिट रिमाण्ड –यदि मजिस्ट्रेट मामले के विचारण की अधिकारिता नहीं रखता है और अभियुक्त के पुलिस रिमाण्ड पर भेजना आवश्यक न समझे तो वह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने के आदेश भी कर सकता है।

ज्यूडिशियल रिमाण्ड–

क. मामले में अभियोजन चलाने के पर्याप्त आधार होने की दशा में मजिस्ट्रेट 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकेगा।

ख ज्यूडिशियल रिमाण्ड की अवधि–
अ. 90 दिन मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून के कारावास से दण्डनीय अपराध के संबंध में।
ब. 60 दिन किसी अन्य अपराध के संबंध में।
ग न्यायिक अभिरक्षा की उक्त अवधि की समाप्ति पर जमानत पेश करने की स्थिति में अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत जमानत पर छोड़ दिया जायेगा।

रिमाण्ड की प्रक्रिया –
क. कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए रिमाण्ड तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश न किया जाये।
ख. अभियुक्त को बाद में प्रत्येक बार मजिस्ट्रेट या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रोनिक वीडियो लिंकेज माध्यम से पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा में परिरोध की अवधि और बढ़ा सकता है।
ग. मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने पर अभियुक्त रिमाण्ड–प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगा।
घ. किसी अठारह साल से कम आयु की महिला का परिरोध रिमाण्ड होम या अधिकृत सामाजिक संस्था की कस्टडी में किया जायेगा।
ङ.–न्यायिक अभिरक्षा के लिए निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त अभिरक्षा में तब तक निरुद्ध रखा जायेगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता।
च– यदि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने के संबंध में कोई सवाल उठता है तो अभियुक्त के रिमाण्ड–प्रपत्र पर किये गये हस्ताक्षर द्वारा या इलेक्ट्रोनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से पेश करने के संबंध में मजिस्ट्रेट के प्रमाणित आदेश से अभियुक्त की उपस्थिति को साबित किया जा सकेगा।
छ.– कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न होने की दशा में एस.एच.ओ. या एस.आई से अनिम्न रैंक का अनुसंधान अधिकारी केस डायरी के साथ अभियुक्त को निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा।
ज.– कार्यपालक मजिस्ट्रेट कारणों को अभिलिखित करते हुए अभियुक्त को कुल मिलाकर 7 दिन की अभिरक्षा में भेजने के आदेश कर सकेगा। धारा 167 (2क) दण्ड प्रक्रिया संहिता
झ.– मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
ञ– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड स्वीकार किये जाने पर रिमाण्ड आदेश देने कीप्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भिजवाई जाती है।
ट– अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पूर्व अन्वेषण अधिकारी को चाहिये कि वह केस डायरी को अप–टू–डेट रखे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अभिलिखित **अभियुक्त की सूचनाश**पत्रावली में होनी चाहिये और यथासंभव अनुसंधान अधिकारी को स्वयं उपस्थित होकर मामले के तथ्यों प्रगति, बरामदगी जब्ती व संभावनाओं से अवगत कराना रिमाण्ड प्राप्ति की दृष्टि से बेहतर रहता है।
ठ.– जब न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया जाता है तो न्यायालयन्यायिक अभिरक्षा का वारण्ट जारी करता है। वारण्ट में अभियुक्त की आयु का उल्लेख न होने पर जेल अधिकारीद्वारा अभियुक्त को लेने से इंकार किया जा सकता है– संजय सूरी व अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन व अन्य ए.आई.आर 1988 सुप्रीम कोर्ट 414

राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन 1948 और रिमाण्ड

क. नियम 378 गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के खिलाफ अनुसंधान 24 घण्टों की अवधि में पूरा न होने की दशा में पुलिस दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत रिमाण्ड हेतु उसे न्यायालय में पेश करेगी। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में भेजने वाला मजिस्ट्रेट उसे पुलिस अभिरक्षा में भेजने के आधार अभिलिखित करेंगे।
ख. राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन 1948 के नियम 378 के तहत आर.पी. फॉर्म नं. 93 दरख्वास्त मोहलत मुल्जिमान (रिमाण्ड फॉर्म) का प्रारूप दिया गया है।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 और रिमाण्ड
नियम 7.26–
क. बंदी बनाये गये अभियुक्त को 24 घण्टे की अवधि के भीतर दण्डनायक के समक्ष पेश किया जायेगा और अभियुक्त को लाने के दूसरे दिन अवकाश होने की में रिमाण्ड के लिए तुरन्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियाजायेगा।
ख. 24 घण्टे की अवधि में अभियुक्त को गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक यात्रा का समय सम्मिलित नहीं हैं।
ग. यदि संबंधित अपराध में पुलिस जमानत ले सकती है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त अपना जमानती प्रस्तुत करने में सब प्रकार की सुविधा दे।

रिमाण्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 और धारा 209 तथा 309 –
अ. अनुसंधान के दौरान धारा 167 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिन की अवधि के लिऐ पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड तथा 90 या 60 दिन की अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड दिया जा सकता है।
ब. मामले के विचारण के दौरान धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट अभिरक्षा एक समय 15 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ायेगा। विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा 15–15 दिन की अवधि के अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में उक्त धारा के तहत ही भेजा जाता है। पुलिस बोलचाल में इसे **ईल्तबा** जाता है ।
स, जब किसी अभियुक्त को पेश करने पर मजिस्ट्रेट को यह ज्ञात होता है कि मामला अनन्यतःसेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करते हुए धारा 209 दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत अभियुक्त को सुपुर्दगी किये जाने तक रिमाण्ड पर भेजेगा।

न्यायिक अभिरक्षा से अभियुक्त को किसी दूसरे मामले में पुलिस अभिरक्षा में लेने की प्रक्रिया –
अ. आर्डर ऑफ अरेस्ट– यदि कोई अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और किसी दूसरे क्षेत्राधिकार थाने के मुकदमे में वांछित हो तो संबंधित भारसायक अधिकारी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए अपने क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा। ऐसा मजिस्ट्रेट उस न्यायिक मजिस्ट्रेट से जिसने अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा हैश अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के सुपुर्द करने हेतु अनुरोध करेगा वह न्यायिक मजिस्ट्रेट जेल अधीक्षक को अभियुक्त के सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करेगा जिसकी पालना में जैल अधीक्षक पुलिस को अभियुक्त सुपुर्द करेगा।
मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किसी अभियुक्त को विधि के अनुसार न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है।

जब किसी अभियुक्त को किसी मामले में न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रखा जाता हैं। तो उस अभियुक्त व्यक्ति को किसी अन्य मामले में अनुसंधान के प्रयोजन से पुलिस के सुपूर्द किया जा सकता हैं क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति इस तरह की कार्यवाही का निषेध नहीं करती।

ब. प्रोडक्शन वारण्ट–दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 267 के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी मामले के जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में मजिस्ट्रेट कारागार में परिरुद्ध किसी व्यक्ति को आपराधिक आरोप का जबाव देने या साक्षी के रूप में परीक्षण करने के प्रयोजन से न्यायालय के समक्ष पेश करने का प्रोडक्शन वारन्ट जारी कर कारागार के भारसाधक अधिकारी को आदेश प्रदान कर सकता है। तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय से अपने मामले में प्राप्त करेगा।

द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रोडक्शन वारण्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यकहै।

अन्वेषण के दौरान न्यायिक हिरासत से किसी अभियुक्त को लेने के लिए पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को जेल अधीक्षक के नाम प्रोडक्शन वारण्ट जारी करने हेतु निवेदन करता है जिसमें अधिकांशतः जेल अधीक्षक यह कहकर अभियुक्त को सुपुर्द करने से इंकार कर देता है कि अभियुक्त व्यक्ति प्रोडक्शन वारण्ट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट से भिन्न मजिस्ट्रेट द्वारा अभिरक्षा में भेजा गया है। अतः ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ऑफ अरेस्ट प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक रहता है।

न्यायिक अभिरक्षा की अवधि की गणना –

अ. न्यायिक अभिरक्षा की अवधि की गणना करने में उस दिन से गणना की जायेगी जिस दिन अभियुक्तव्यक्ति को धारा 167 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्टेट के समक्ष पेश किया गया है न कि गिरफ्तारी के दिनसे– अर्जुन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1987 क्रिमीनल लॉ जर्नल 1236

ब. साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 9 तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अवधि की गणना करने में उस दिन को छोड़ दिया जाता है जिस दिन से गणना की जाती है और अंतिम दिन को जोड़ दिया जाता है।

स. साधारण खण्ड अधिनियम का यह नियम कि न्यायालय के अवकाश के दिन की गणना परिसीमा में नहींकी जायेगी, धारा 167 (2) के अधीन रिमाण्ड के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा क्योंकि अवकाश के दिन भीअभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना वर्जित नहीं है।

न्यायिक अभिरक्षा की अवधि की समाप्ति तक आरोप–पत्र प्रस्तुत न करने का प्रभाव –

न्यायिक अभिरक्षा की अवधि की समाप्ति तक अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में अभियुक्त को गुण–दोषों के आधार पर जमानत पर छोड़ दिया जायेगा बशर्ते कि वह जमानत पेश करता है। –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) का परन्तुक ।

पन्द्रह दिन की प्रारम्भिक अवधि व पुनः पुलिस रिमाण्ड –

क. किसी मामले में अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद आवश्यक होने पर उसी मामले में पुनः पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत किया जा सकता है लेकिन गिरफ्तारी के दिन से 15 की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति पर पुनः पुलिस रिमाण्ड संभव नहीं है।

ख. पुलिस रिमाण्ड की अवधि गिरफ्तारी की तिथि से प्रारम्भ हो जाती है। यदि किसी अभियुक्त को 01 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 15 तारीख तक पुलिस रिमाण्ड पर रखा

जा सकता है। यदि उसे 05 तारीख को जे. सी. करवा दिया जाता है और 10 तारीख को पुनः रिमाण्ड की आवश्यकता पड़ती है तो 05 दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जा सकता है परन्तु यह रिमाण्ड 15 तारीख के बाद किसी भी सूरत में नहीं लिया जा सकता है।

अमरपाल बनाम उ.प्र.राज्य 1995 के मामले में ईलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बताया कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में देने या ना देने की कार्यवाही अभियोजन व न्यायालय के बीच द्विपक्षिय कार्यवाही हैं। इन दोनो के बीच अभियुक्त कही नही आता हैं अभियुक्त को सुनवाई हेतू नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं हैं।पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड केवल प्रथम 15 दिन के अन्दर ही दिया जा सकेगा। प्रथम 15 दिन व्यतित होने पर केवल न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड ही दिया जायेगा।

सी० बी० आई०बनाम अनुपम जे० कुलकर्णी (1992) 3 एस० सी० सी० 141 1992 क्रि० लॉ ज० 2768 रू ए० आई० आर० 1992 एस० सी० 1768,

इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिमाण्ड के समय के विभिन्न पहलुओं पर तथाउससे सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार–विमर्श करते हुए विधि व्यवस्था दिया कि–

–धारा 167 दे० प्र० सं० धारा 57 दं० प्र० सं० की पूरक है।

–अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्धि प्रथम चरण में 15 दिनों सेअधिक की नहीं हो सकती है।

– मजिस्ट्रेट दं०प्र०सं० की धारा 167 (2) के अन्तर्गत अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में निरोध, जैसा वह

उचित समझे प्राधिकृत कर सकता है किन्तु सम्पूर्ण रूप में यह 15 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

–प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह जैसा चाहे, अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा या

न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है।

–इस प्रथम 15 दिवस की रिमाण्ड की अवधि में वह पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा का एक से अधिक बार अभिरक्षा परिवर्तन का आदेश कर सकता है।

–15 दिन से अधिक 90 दिन या 60 दिन (गैंगेस्टर एक्ट में, 360 दिन) की रिमाण्ड अवधि को न्यायिक अभिरक्षा ही माना जाता है।

–एक अपराध के लिए अन्वेषण के अन्तर्गत अभिरक्षा में लिया गया व्यक्ति किसी दूसरे भिन्न अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन से अभिरक्षा में लिया जा सकता है। ऐसी अभिरक्षा पुलिस अभिरक्षा भी हो सकती है।

–अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा में निरोध की 15 दिनों की अवधि की परिसीमा ही प्रयोग में लायी जाएगी।

–प्रथम 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुलिस अभिरक्षा अनुज्ञात नहीं की जा सकती है।

–धारा 309 दं०प्र० सं० के तहत रिमाण्ड अभिरक्षा केवल न्यायिक अभिरक्षा हो सकती है।

–कोई अभियुक्त जब न्यायिक अभिरक्षा में हो और उस समय उसकी कुछ अन्य संव्यवहारों में संलिप्तता पायी जाती हो तो ऐसी स्थिति में प्रथम 15 दिवस वाली परिसीमा लागू नहीं होगी।

→ अभियुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने पर 15 दिन की प्रारम्भिक अवधि की गणना निम्न प्रकार से होगी–

(क) न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित, अभिरक्षा अवधि को घटाते हुए पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा आदेशित कर सकता है।

(ख) उसके पश्चात् अभिरक्षा न्यायिक अभिरक्षा हो सकती है।
–यदि अन्वेषण दं० प्र० सं० की धारा 167 (2) में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत 90 दिवस या 60 दिवस में पूर्ण नहीं पाता है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह 90 दिवस या 60 दिवस की गणना निरुद्धि की तिथि से की जाएगी, जब मजिस्ट्रेट निरुद्ध का आदेश देता है, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की तिथि से नहीं।

जमानत संबंधी प्रावधान

दण्ड प्रक्रिया की धारा 436 से 450 में जमानत और बंधपत्रो के बारे में उपबंध किये हैं। . जमानत शब्दष जमानतष अंग्रेजी के शब्द बेल (ठपंस) का हिन्दी अनुवाद है जिसका शाब्दिक अर्थ हैं कि किसी व्यक्ति को जेल या अभिरक्षा से जमानतदारों के हाथों में सौंपना परन्तु जमानत का यह अर्थ अधूरा हैं क्योकि जमानत का यह अर्थ नहीं है कि जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र हो गया है। वास्तव में जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति उन व्यक्तियों के हाथों में सुपुर्द कर दिया जाता है जो उसे निर्धारित समय, तारिख पर उस मामले की सुनवाई के लिये उपस्थित करने के लिये उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार से जमानत से तात्पर्य,किसी व्यक्ति को पुलिस या न्यायालय की अभिरक्षा से छुड़ा कर जमानतदारों की निगरानी में सौंपने से हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की जमानत केवल तभी ले सकता हैं जब वह व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका हो या किया जा रहा हो या पुलिस की अभिरक्षा में हो। परन्तु यदि पुलिस अधिकारी द्वारा वह व्यक्ति न्यायालय की अभिरक्षा में सौंप दिया गया हो तो उस व्यक्ति की जमानत पुलिस अधिकारी नहीं ले सकता बल्कि उसकी जमानत लेने का अधिकार उस मजिस्ट्रेट को होगा जिसके समक्ष वह पेश किया गया है।
–एक पुलिस ऑफीसर दण्ड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन जमानत ले सकता है–धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी–
1.जब कोई व्यक्ति किसी जमानतीय अपराध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और जब तक वह ऐसे की अभिरक्षा में हो, इस बीच किसी भी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार है तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। परन्तु यदि ऐसा अधिकारी उचित समझे तो वह उस व्यक्ति से जमानत लेने की बजाय उसे उपबन्धित प्रकार से न्यायालय में हाजिर होने प्रतिभुओं सहित बन्धपत्र निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित कर सकता है परन्तु इस धारा की कोई बात 116 (3) के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
2.उप धारा (1) में किसी बात के होने पर भी, जहाँ कोई व्यक्ति हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत की शर्तो का पालन करने में असफल रहता है तो वहाँ न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ने से इंकार कर सकता हैं। ऐसी इंकारी का ऐसे जमानत पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 446 के अधीन उसको सजा देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 437– अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी का प्रावधान बताया हैं जिसके तहत–

(1) जब कोई व्यक्ति पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी अजमानतीय अपराध में बिना वारन्ट गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उस पर संदेह है कि उसने अजमानतीय अपराध किया है या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है लेकिन यदि यह विश्वास

करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो वह नहीं छोड़ा जाएगा।
परन्तु यदि वह 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या कोई स्त्री या रोगी या शिथिलांग है तो न्यायालय यहा आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। परन्तु यह बात जमानत लेने से इंकार करने के पर्याप्त आधार नहीं होगी कि अभियुक्त की अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचान करने की आवश्यकता हो सकती हैं, अन्यथा वह जमानत पर छोड़े जाने के लिए हकदार है और वह न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों पालन करने का वचन देता है।
(2) यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को तफ्तीश, जाँच या विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि दोषी ने अजमानतीय अपराध किया है लेकिन उसके दोषी के बारे में व जाँच करने हेतु पर्याप्त आधार है तो दोषी ऐसी जाँच लम्बित रहने तक जमानत पर प्रतिभुओं रहित बंध–पत्र निष्पादित करनं पर छोड दिया जायेगा।
(3) जब किसी व्यक्ति पर ऐसी सजा जिसकी अवधि सात साल या उससे अधिक हैं या से अधिक दण्डनीय कोई अपराध या भा.द. सं. के. अध्याय 6,16 या 17 के अधीन कोई अपराध करने या अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यन्त्र या षड्यन्त्र का प्रयत्न करने का अभियोग है, या संदेह हैं, उप धारा (1) के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता हैं तो न्यायालय आवश्यक शर्ते अधिरोपित का सकता हैं।
(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद करेगा।
(5) यदि कोई न्यायालय जिसने उप धारा (1) या (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा हैं, ऐसा करना आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने को निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिये सुपुर्द कर सकता है।
(6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण जो किसी अजमानतीय अपराध का अभियुक्य है प्रथम 60 दिन में पूरा नहीं हो पाता है तो वह मजिस्ट्रेट द्वारा समाधानप्रद जमानत पर छोड़ दिया जायेगा।
(7) यदि अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के बाद और निर्णय दिये जाने से पूर्व किसी समय न्यायालय की राय है कि उचित आधार है कि अभियुक्त, को जो किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभिरक्षा में है तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिये हाजिर होने के लिये प्रतिभुओं रहित बन्ध–पत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा।

उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त एक पुलिस अधिकारी द.प्र.सं. की धारा 42,43,57,123 (6) और धारा 170 के अनुसार जमानत ले सकता है और दोषी को जमानत पर छोड़ सकता है।

जमानत संबंधी अन्य प्राबधान

धारा 437क द.प्र.सं 1973.–. अगले अपीली न्यायालय समक्ष उपस्थित होने लिए अभियुक्त अपेक्षा करने हेतु जमानत (1) विचारण समाप्ति पहले और अपील निस्तारित करने पहले, अपराध विचारित करने वाले न्यायालय या अपीलीय न्यायालय, यथास्थिति, उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने लिए प्रतिभूके साथ जमानत मुचलके निष्पादित करने की अभियुक्त से अपेक्षा करेगा, जब और जैसे ऐसा न्यायालय संबंधित न्यायालय निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किसी अपील याचिका के संबंध मे नोटिस जारी करें और ऐसे जमानत मुचलके छः माह लिए प्रवृत्त रहेंगे।
(2) यदि ऐसा अभियुक्त उपस्थित होने नाकाम जायें, तो जमानत मुचलके जब्द कर लिये जायेंगे और धारा 446 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी।

धारा 438 द.प्र.सं 1973– गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने लिए निदेश– (1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हैं कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाए, तो वह इस धारा के अधीन निदेश लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसे गिरफ्तारी को स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, और उच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अर्थात

(i) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता य

(ii) आवेदक को पूर्ववत् जिसमें यह तथ्य भी है कि क्या उसने किसी संज्ञेय अपराध की बाबत किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले सजा भुगती हैं

(iii) न्याय से भागने की आवेदक की संभाव्यता ;और

(iv) जहां आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है, या तो तत्काल आवेदक अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिये अन्तरिम आदेश देगा :

परन्तु यह कि जहां, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा इस उप–धारा अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया या अग्रिम जमानत मंजूर करने लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया वहां किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस बात के लिए मुक्त रहेगा कि ऐसे आवेदन में आशंकित अभियोग के आधार पर आवेदक को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सके।

(1–क) जहां न्यायालय उप–धारा (1) के अधीन अंतरिम आदेश मंजूर करता वहां वह तत्काल एक सूचना जो सात दिवस से अन्यून की सूचना न होगी के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम रूप से सुनवाई समय लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने की दृष्टि से, लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को देगा।

(1–ख) अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक की उपस्थिति यदि लोक अभियोंजक द्वारा इसके लिये दिये आवेदन पर न्यायालय यह विचार करता है कि न्याय हित में ऐसी उपस्थिति आवश्यक हैं तो न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम सुनवाई और अंतिम आदेश पारित करते समय, बाध्यकार होगी।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता हैं तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता हैं :–

(प) यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने लिए। जैसे अपेक्षित हो उपलब्ध होगा।

(पप) यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा,धमक या वचन नहीं देगा।

(पपप) यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नही छोडेगा।

(अप) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारों की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार हैं तो उसे जमानत

पर छोड़ दिया जाएगा, तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता हैं कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए, वहाँ उपधारा (1) के अधीन न्यायालय निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भा.द.सं. 1860 की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376 कख, धारा 376 घक, या धारा 376 घख के अधीन अपराध किये जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का दशा में लागू नही होगी।

धारा 439द.प्र.सं 1973–जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ – (1) उच्च न्यायालय या सेंशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि–
(क)–किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग हैं और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोङ दिया जाए और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रकार का है तो वह ऐसी कोई शर्त, जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिये आवश्यक समझे अधिरोपित कर सकता हैय
(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए :

परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अनन्यतः सैशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दण्डनीय है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जाएँगे यह राय कि ऐसी सूचना साध्य नहीं है।

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय या सैशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की , जो भारतीय दंड संहिता (1860 45) की धारा–376 की उप–धारा (3) या धारा 376–कख या धारा 376–घक या धारा 376–घख के अधीन विचारणीय किसी अपराध का अभियुक्त हैं जमानत लेने के पूर्व जमानत की आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिवसों की अवधि में देगा।

(1क)– भारतीय दंड संहिता (1860 45) की धारा–376 की उप–धारा (3) या धारा 376–कख या धारा 376–घक या धारा 376–घख के अधीन व्यक्ति को जमानत के लिये आवेदन की सुनवाई के समय इतला देने वाले या उसकी और से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकर होगी।,

(2) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोङा जा चुका हैं, गिरफ्तार करने का निदेश दे सकता हैं और उसे अभिरक्षा लिए सुपूर्द सकता है।

श्रीमती अमरावती आदि बनाम उ० प्र० राज्य 2004 (50) ए० सी० सी० 742,

इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सात जजों की पूर्ण पीठ ने व्यवस्था दिया, यदि धारा 439 दं० प्र० सं० के तहत सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो सत्र न्यायाधीश मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह निर्णय करेंगे कि उसका निस्तारण उसी दिन किया जाय अथवा नहीं? यदि सत्र न्यायाधीश चाहे तो जमानत प्रार्थना पत्र के अन्तिम रूप से निस्तारित होने तक अभियुक्त को अन्तरिम जमानत पर छोड़ सकते हैं।

बमन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य (2009) 64 एस० सी० सी० 264, इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि धारा 439 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत जमानत

आदेश पारित करते समय मामले के गुणदोष पर व साक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा नहीं करनी चाहिए। केवल प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व पर विचार करना चाहिए।

गम्भीर अपराधों में जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखना चाहिए।

रसिक लाल बनाम किशोर खानचन्द्र बाधवानी ख ए० आई० आर० 2009 एस० सी० 1341,,

इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि–जमानत पर छोड़े गये व्यक्ति की पुनः गिरफ्तारी को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को सुनना भी आवश्यक नहीं है।

कार्यवाही शिनाख्तगी या पहचान परेड–

अपराध से संबंधित अभियुक्त, व्यक्तियों, सम्पत्ति एवं वस्तुओं की पहचान का समर्थन करने के प्रयोजन से की गई कार्यवाही को पहचान परेड या कार्यवाही शिनाख्तगी कहा जाता है। जिन अपराधों में अपराधी अज्ञात होते हैं और पीडित या गवाह व्यक्ति अपराधी को पहचान कर सकने का दावा करता है, ऐसे मामलों में वास्तविक अपराधी व्यक्ति की पहचान का समर्थन करने के लिए **पहचान परेड** अवश्य करानी चाहिये। इसी प्रकार अपराध से सम्पत्ति या वस्तु की पहचान का भी समर्थन करवाया जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 में पहचान परेड का साक्ष्यिक मूल्य निहित है जिसके किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता (पकमदजपजल) को स्थापित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। अतःपहचान परेड के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान से संबंधित तथ्य की सम्पुष्टि या खण्डन किया जा सकता है।

धारा 54क द.प्र.सं. में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में बताया गया हैं जिसके तहत क्षैत्राधिकारिता वाला न्यायालय पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किये गयें व्यक्ति को ऐसे रीति से जो न्यायालय ठीक समझता हैं, किसी अन्य व्यक्ति या किन्ही अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा।

परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

पहचान परेड का उद्देश्य–

अ. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान

ब. अपराध से संबंधित सम्पत्ति व वस्तु की पहचान

कार्यवाही शिनाख्तगी का संचालन के सामान्य सिद्धान्त –

अ. अभियुक्त की पहचान हेतु कार्यवाही का संचालन मजिस्ट्रेट द्वारा जेल में किया जाता है।

ब. सम्पत्ति व वस्तुओं की पहचान हेतु कार्यवाही का संचालन मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या सरपंच आदि द्वारा मजिस्ट्रेट के चैम्बर या तहसीलदार या सरपंच के कार्यालय में किया जा सकता है।

स. कार्यवाही शिनाख्तगी का संचालन किसी पलिस अधिकारी द्वारा किसा जाना विधि द्वारा वर्जित हैं, क्योंकि ऐसा करने पर पहचान की कार्यवाही के प्रति निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती हैं। कार्यवाही के दौरान पुलिस अधिकारी को उपस्थित नहीं रहने देना चाहिये।
द कार्यवाही शिनाख्तगी का संचालन पुलिस थाने पर कभी नहीं किया जाना चाहिये।
य. कार्यवाही शिनाख्तगी अनावश्यक विलम्ब के बिना की जानी चाहिये। गिरफ्तारी के बाद व जमानत से पूर्वआवश्यक रूप से कार्यवाही सम्पन्न करा लेनी चाहिये। पुलिस नियम 1965 नियम 7.31
र. पहचान की कार्यवाही के दौरान संदिग्ध के साथ कितने व्यक्तियों को मिलाना चाहिये या वस्तु के साथ कितनी वस्तुए मिलानी चाहिये इस संबंध में कोई स्थापित नियम नहीं है। प्रत्येक मामले की परिस्थिति के अनुसार निर्णयलिया जाना उचित होता है।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान–

अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा श्54कश के अनुसार अपराध से संबंधित अभियुक्त व्यक्ति की पहचान पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। यह प्रावधान केवल अभियुक्त व्यक्ति की पहचान करने के संबंध में है।
ब. अपराध के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से अपराध के अन्वेषण केप्रयोजन से आवश्यक हो तो पुलिस थाने के भारसायक अधिकारी के निवेदन पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालयद्वारा शिनाख्तगी की कार्यवाही की जाती है।
.स. कार्यवाही के संचालन की रीति मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। अभियुक्त की पहचान परेड का संचालन सामान्यतः कारागार में किया जाता है।
द किसी अभियुक्त की पहचान परेड के लिए उसके साथ उससे मिलते–जुलते 6–10 व्यक्ति खड़े किये जाते हैं,और साक्षी व्यक्ति से पहचानने के लिए कहा जाता है। पहचान परेड संचालित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पहचानपरेड रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें अभियुक्त व्यक्ति की सही पहचान करने या न करने के तथ्य का उल्लेख किया जाता है।
य. यदि पीड़ित व्यक्ति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त व्यक्ति की पहचान से इंकार किया है या पहचान सकने के तथ्य का उल्लेख नहीं किया है तो शिनाख्तगी परेड का कोई औचित्य नहीं है।
र आपस में परिचित व्यक्तियों की दशा में पहचान परेड का कोई मूल्य नहीं होता है। पुलिस अभिरक्षा के दौरान अभियुक्त को साक्षियों द्वारा देख लिये जाने का तथ्य पहचान परेड को दूषित कर देता है। इस प्रकार अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा दौरान बापर्दा गिरफ्तार करना. बापर्दा ही न्यायालय में पेश करना व बापर्दा ही कारागार में भेजना अपरिहार्य है।
ल. अभियुक्त के कार्यवाही शिनाख्तगी में भाग न लेने का प्रभाव यदि अभियुक्त पुलिस स्टेशन पर बापदों न रखेजाने के आधार पर कार्यवाही शिनाख्तगी में भाग लेने से इंकार करता है तो अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान का सृजन नहीं किया जा सकता।
व. शिनाख्तगी के समय मिलाये गये सभी व्यक्ति अभियुक्त के समान हुलिये के होने चाहिये अन्यथा कार्यवाही विधिवत् नहीं होती है।
श. राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 7.31 में संदिग्धों की पहचान से संबंधित सामान्य निर्देश सावधानियां उल्लेखित है–

पहचान परेड के सामान्य निर्देश–

क. मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पूर्व संदिग्ध की पहचान से संबंधित कार्यवाही के समस्त प्रयत्नचाहिये।

ख. पहचान की समस्त कार्यवाहियां संदिग्ध की गिरफ्तारी के तुरन्त पश्चात् करनी चाहिये।
ग पहचान की कार्यवाही जेल, कोर्टरूम या किसी अन्य स्थान पर की जानी चाहिये लेकिन यह सुनिशिचत किया जाये कि साक्षी संदिग्ध व्यक्ति को न देख सके।
घ. संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद से ही छिपाकर रखा जाय और इसका उल्लेख रोजनामचा आम और जेल में प्रवेश के समय जेल अभिलेख में किया जाये। प्रायः बापर्दा गिरफ्तारी की जाती है।
ड. पहचान करने वाले साक्षियों को एक दूसरे से पृथक रखना चाहिये और उन्हें संदिग्धों से पर्याप्त दूरी पर रखा जाये।
च. सदिग्धों को समान पौशाक व समान आकृति वाले व्यक्तियों के बीच 10:1 से 8:1 के अनुपात मेंकरना चाहिये।
छ. जाँच के परिणाम मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान परेड प्रपत्र में लिखे जाकर उस पर मजिस्ट्रेट व साक्षी के हस्ताक्षर होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि पहचान की कार्यवाही का प्रबंध करने के बाद पुलिस अधिकारी न तो साक्षियों के पास पहुँचे और न संदिग्धों के पास।
ज. पहचान की कार्यवाही अतिरिक्त न्यायालयीयश;म्गजतं – रनकपबपंसद्ध है और पुलिस द्वारा कार्यवाही वाले अधिकारी से निवेदन किया जाना चाहिये कि वह साक्षियों से प्रश्न पूछे कि उन्होंने संदिग्ध को किन परिस्थितियों में देखा जिनके फलस्वरूप वे संदिग्धों को पहचानने का दावा करते हैं। साक्षी पर कोई शर्त न सौपी जाये।

पहचान परेड में सावधानियाँ –

क. संदिग्ध वहीं वस्त्र पहने हुए हो जो जेल में प्रवेश करते समय पहने था।
ख. पहचान की कार्यवाही के समय हथकड़ियां नहीं लगाई जाये।
ग. अपराधी को इच्छानुसार स्थान बदलने का अवसर दिया जा सकता है लेकिन चेहरा नही छिपाने दिया जायेगा।
घ. साक्षियों को एक–एक करके पहचान की कार्यवाही हेतु बुलाना चाहिये और उनकी पहचान संबंधी गतिविधियों को लिखना चाहिये।
ड्र. कोई भी बाद में आने वाला साक्षी पहले वाले साक्षी से कोई बातचीत या संकेत न करें।
अनुसंधान अधिकारियों को पहचान परेड के समय उपस्थित रहने व कार्यवाही में साक्षी बनने से रोका जायेगा।

अपराध से संबंधित सम्पत्ति व वस्तु की पहचान–

'अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराध से संबंधित सम्पत्ति व वस्तु की पहचान के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन व्यवहार में अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी के निवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसी सम्पत्ति व वस्तु की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से कार्यवाही शिनाख्तगी संचालित की जाती है।
ब. यदि पीड़ित व्यक्ति ने एफ.आई.आर में अपराध से संबंधित सम्पत्ति या किसी वस्तु को पहचान सकने के तथ्यका उल्लेख किया है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी सम्पत्ति या वस्तु की पहचान का साक्ष्यिक महत्व है।
स. सामान्यतः पहचान परेड का संचालन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है लेकिन अपराध से संबंधित पशुओं, वस्तुओं इत्यादि की पहचान सरपंच, तहसीलदार इत्यादि से भी संचालित करवाई जा सकती है।
द सम्पत्ति व वस्तुओं इत्यादि की पहचान परेड का संचालन मजिस्ट्रेट के चेम्बर, पंचायत भवन, तहसीलदारकार्यालय आदि में करवाया जा सकता है।
य. अपराध से संबंधित सम्पत्ति या वस्तुओं की पहचान के लिए उनसे मिलती–जुलती 8–10 वस्तुएँ मिलाई जाती है और साक्षी को पहचानने के लिए कहा जाता है। पहचान परेड संचालित

करने वाले मजिस्ट्रेट सरपंच या तहसीलदार द्वारा पहचान परेड रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें साक्षी द्वारा वस्तु के सही पहचानने या न व पहचानने के तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

र. राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 7.32 में सम्पत्ति की पहचान से संबंधित प्रक्रिया दी गई है–

क अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त की सम्पत्ति व वस्तुएं घटनास्थल पर ही सही ढंग से सील की जानीचाहिये।

ख. जितनी भी वस्तुएँ पहचान की जाने वाली वस्तुओं के साथ मिलाई जाये ये पहचान परीक्षण करने वाले मजिस्ट्रेट से अवलम्बित हो।

ग. पहचान की जाने वाली वस्तुओं को अन्य वस्तुओं के साथ सीलबद पुलिन्दों में पहचान हेतु रखा जानाचाहिये।

घ. सील पूर्णत बिना टूटी–फूटी स्थिति में हो और ये केवल पहचान की कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट केसामने ही खोली जा सकती है।

ड. पूरी सावधानी बरती जाये कि कोई भी बाद में आने वाला साक्षी पहले आने वाले साक्षी से बातचीत वसंकेत आदि न करे।

च. मिलाई जाने वाली वस्तुएँ पहचान योग्य वस्तुओं के समान होनी चाहिये।

छ अभियोजन निरीक्षक या अभियोजन उप निरीक्षक पहचान की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रह सकते
है।

ज. मिलाई जाने वस्तुओं को का प्रबंध राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार करना चाहिये। इसमें किसी भी प्रकार से आपत्ति के अवसर प्रदान नहीं करने चाहिये।

परेड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

1.जब पीड़ित व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने बयान वस्तु को पहचान सकने के कथन करता हैं तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा उस वस्तु की बरामदगी समय मौजूद रहकर पहचान करवाये का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है। अतः ऐसी कार्यवाही से बचना चाहिये और बरामद की गई वस्तु के बारे में मजिस्ट्रेट से कार्यवाही शनाख्तगी संचालित करवाने हेतू निवेदन किया जाना चाहिये।पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई पहचान को गवाहो के बयान रूप में माना जाता है जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के दायरे में आता है।

2. जब किसी अभियुक्त को पहचान परेड करवाये जाने की दृष्टि से बापर्दा गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में सामान्यतः उसकी निशादेही से बरामदगी नही की जा सकती हैं लेकिन उसके चेहरे को ढक कर आंखो के हिस्से को खुला रखा जाता है तो बरामदगी जा सकती है।

3. जब किसी अभियुक्त पहचान पीड़ित व्यक्ति या किसी साक्षी से कराया जाना है तो ऐसी स्थिति में सही विधि यह हैं कि ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार करते ही पुलिस थाने पर लाये बिना सीधे ही न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज देना चाहिये और न्यायालय पहचान परेड आयोजित की जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त करने हेतु निवेदन करना चाहिये।

4. जब किसी अभियुक्त को बापर्दा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि मजिस्ट्रेट ने अपनी नोट–शीट में अभियुक्त को वापर्दा पेश किया जाना अंकित कर लिया है।

5. यदि किसी मामले में अभियुक्त वारदात के समय मौके पर ही पकड़े जाते हैं तो कार्यवाही शिनाख्तगी का कोई औचित्य नहीं है।

6. अभियुक्त को रात्रि में अंधेरे में देखकर या चिमनी/टॉर्च की कम रोशनी देखकर साक्षी द्वारा पहचान परेड में पहचानने का दावा करना पहचान की कार्यवाही संदिग्ध बनाता हैं।
7. शिशु में पर्याप्त समझहै तो शिशु द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही में अभियुक्त की पहचान करने में कोई दोष नही है। इसी प्रकार महिला गवाह से आभूषणों तथा साड़ियों की पहचान साक्ष्य ग्राह्य माना गया है। –इरा बनाम कर्नाटक राज्य ए.आई.आर. 1983 सुप्रीम कोर्ट
8.कार्यवाही शिनाख्तगी के लिए यह आवश्यक हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व बयान में वर्णित विशिष्टताओं के अनुरूप चेहरे, कद–काठी या स्पेसिफिक फीचर वाले लोगो को खड़ा किया जाये संदिग्ध के चलने का ढंग,कपड़े, आवाज, चेचक के दाग, अंग–भंग इत्यादि तथ्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साक्षी को संदिग्ध का फोटोग्राफ नहीं दिखाया जाना चाहिये।
9. यदि अभियुक्त के चेहरे पर कोई विशिष्ट चोट का निशान हो तो वैसी चोट वाले 8–10 आदमी मिलना संभंव नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्त चोट के निशान शिनाख्तगी में खड़े अन्य व्यक्तियो के चेहरे पर बेन्डेज चिपकानी चाहिये।
10. पहचान परेड की साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा –9 के तहत सुसंगत मानी जाती हैं और अनुसंधान के समय की गई शिनाख्तगी का उपयोग पुष्टिकरण हेतु किया जाता हैं। अभियुक्त व्यक्ति की पहचान गिरफ्तारी के तुरन्त बाद होनी चाहिये और विवेचना के समय कराई गई पहचान की कार्यवाही सारवान् साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होती। न्यायालय में पहचान सारवान् साक्ष्य है जबकि पुलिस द्वारा अनसंधान के दौरान कराई गई पहचान गवाहको सम्पुष्ट तथा विरोधाभास करने में प्रयुक्त हो सकती है।
11. यदि कार्यवाही शिनाख्तगी में देरी की जाती है अथवा अभियुक्त की जमानत के पश्चात् कराई जाती है तोऐसी शिनाख्तगी संदिग्ध प्रकृति की होती है।
12. काबिल जमानत मामलों में भी शीघ्र कार्यवाही शिनाख्तगी करवाई जानी चाहिये और अभियुक्तों को निर्देश दिया जा सकता है कि अपनी पहचान छिपाकर रखें।

विलम्ब से की गयी कार्यवाही शिनाख्त, शिनाख्त परीक्षण के साक्ष्य को संदिग्ध बनाती हैं **अतर सिंह बनाम उ० प्र० राज्य[** दण्ड निर्णय संग्रह 2003 इलाहाबाद 40, इस मामले में शिनाख्त परीक्षण घटना के 91 दिन पश्चात् कराया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था दिया कि–
शिनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने में असामान्य और अस्पष्ट विलम्ब निश्चायक रूप से यह अवधारित करना कठिन बना देता है कि इतने समय के विलम्ब के बाद साक्षी अपने मस्तिष्क को अभियुक्त की स्पष्ट आकृति रखने और शिनाख्त परेड में सही ढंग में उसकी शिनाख्त करने से समर्थ है।

सोनी बनाम स्टेट ऑफ यू० पी० (1982) 3 एस० सी० सी० 368, इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था दिया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के चालीस दिन बाद आयोजित शिनाख्त परीक्षण ऐसे शिनाख्त की वास्तविकता पर गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है।
शबद पुल्ला रेड्डी आदि बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य [1997 (35) ए० सी० सी० 464, इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि – अभियुक्त की गिरफ्तारी के तीन माह बाद आयोजित शिनाख्त परीक्षण परेड यह अनुमान निकालने के लिए कठोर स्थिति निर्दिष्ट करेगा कि साक्षी ने सही ढंग से अपीलार्थीगण की शिनाख्त की है? उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि शिनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने में असामान्य और अस्पष्ट विलम्ब निश्चायक रूप से यह अवधारित करना कठिन बना देता है कि इतने विलम्ब के बाद साक्षी

अपने मस्तिष्क को अभियुक्त की स्पष्ट आकृति रखने और शिनाख्त परेड में सही ढंग में उनकी शिनाख्त करने में समर्थ है।

सुभाष आदि बनाम उ० प्र० राज्य [ए० आई० आर० 1987 सु० को० 1222, इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय कहा कि यदि कार्यवाही शिनाख्त गिरफ्तारी के 4 माह बाद किया गया और साक्षीगण ने अभियुक्तों के बारे में कोई विस्तृत विवरण ना तो प्रथत सूचना रिपोर्ट में ही दिया हैं और न ही विवेचक को अपने बयान में दिया हैं।तो ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही शिनाख्त के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध का आदेश पुष्ट नही किया जा सकता।

रोन्नी बनाम महाराष्ट्र राज्य[(1998) 3 एस० सी० सी० 625, इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि– यदि अभियुक्त की पहचान कार्यवाही शिनाख्त परेड में की जाती है तो वह एक सम्पोषक या समर्थनकारी साक्ष्य होती है यदि अभियुक्त की पहचान न्यायालय में की जाती है तो वह एक मूल या मौलिक साक्ष्य होती है। यदि अभियुक्त पहले से ही साक्षी को जानता है और उसको उसके साथ बातचीत का अवसर मिल चुका है और उसने अभियुक्त की आकृति को अपने ध्यान में रखा है और उसके आधार पर उसने अभियुक्त को पहचान लिया है तो भले ही साक्षी ने कार्यवाही शिनाख्त परेड में अभियुक्त की पहचान करने की कार्यवाही में भाग न लिया हो और उसने पहली बार अभियुक्त को न्यायालय में पहचान लिया हो तो ऐसी पहचान किसी सहज कमजोरी अथवा विसंगित के अभाव में विश्वसनीय है।

धारा 9 के अन्तर्गत वस्तु की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य सुसंगत

इयरा भद्रप्पा बनामकर्नाटक राज्य [1983 एस० सी० सी० (क्रिमिनल) 447, इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था दिया कि– साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वे तथ्य जो किसी वस्तु की पहचान स्थापित करते हैं वे पहचान की साक्ष्य के लिए सुसंगत माने जायेंगे। इस प्रकरण में लूट और हत्या का अपराध किया गया था। पुलिस ने लूटी हुई वस्तुओं को बरामद कर लिया था जिसमें कीमती साड़ियाँ और आभूषण भी थे। घर की एक स्त्री ने न्यायालय में इन वस्तुओं की पहचान की थी जो मृतका की थीं। इस साक्ष्य की स्वीकार्यता का प्रश्न उठाया गया। इसकी स्वीकार्यता के विरुद्ध यह तर्क दिया गया था कि साड़ियाँ और हार तथा चूड़ियाँ जैसे आभूषण ऐसे आम प्रयोग के होते हैं कि उनके बारे में यह कहा जा किसी विशेष परिवार से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह तर्क स्वीकार नही किया गया और यह कहा गया कि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि मैं विशेषकर परिवार के व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं को पहचानने की एक विलक्षण अनुभूति होती है और पहचान के उनके साक्ष्य पर न्यायालय विश्वास कर सकता है।

चन्दन बनाम राजस्थान राज्य (1988) 7 एस० सी० सी० 696 इस प्रकरण में मृतक के पुत्र द्वारा कार्यवाही शिनाख्ख परेड के समय उन वस्तुओं की पहचान की थी जो विवेचना के दौरान बरामद की गयी थी। परन्तु मृतक के पुत्र की परीक्षा विचारण के समय न्यायालय में नहीं की गयी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह न्यायिक कार्यवाही में लोप है। इस लोप के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के द्वारा इस प्रमुख साक्षी की विचारण के समय परीक्षा न करने के कारण वस्तुओं की पहचान से सम्बन्धित उसका साक्ष्य सुनी सुनवाई (Hearsay) साक्ष्य बनकर रह गया और इसका प्रयोग समर्थनकाक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता।

मलखान सिंह आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्यदण्ड निर्णय संग्रह, सु० को० 652,– इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन जजों की पूर्ण पीठ ने धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम,

1872 में कार्यवाही शिनाख्त के साक्ष्य पर विचार करते हुए कहा कि न्यायालय में की गयी पहचान की इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि विवेचना के दौरान कार्यवाही शिनाख्त नहीं करायी गयी थी और इस प्रकार समर्थनकारी साक्ष्य का अभाव था। परेड विवेचना के स्तर की कार्यवाही है और दं० प्र० सहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विवेचना अधिकारी को कार्यवाही शिनाख्त परेड करने को बाध्य करता हो।

कार्यवाही शिनाख्त सारवान् साक्ष्य का गठन नहीं करती है। यह परेड दं०प्र० स० की धारा 162 द्वारा प्रभावित होती है। कार्यवाही शिनाख्त परेड करने की असफलता न्यायालय में शिनाख्त के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी।

न्यायालय में की गयी शिनाख्त को महत्व दिया जाये या न दिया जाये. यह तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है जिस पर केवल न्यायालय को ही विचार करना चाहिए। समुचित वादों में न्यायालय सम्पुष्ट का आग्रह किए बिना भी शिनाख्त के साक्ष्य को स्वीकार कर सकेगा।

अभियोजन सेवाओं के साथ समन्वयता
(**Co-ordination with Prosecution services**)

वस्तुत किसी मामले की सफलता–असफलता एक अच्छी अन्वेषण रिपोर्ट एवं उसके अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखना और मामले की पूर्णतःस्थिति अन्वेषण रिपोर्ट के साथ संलग्न मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा स्पष्ट करवाया जाने पर ही निर्भर करती हैं। यदि अन्वेषण कमजोर अथवा त्रटिपूर्ण हैं तो अभियुक्त संदेह का लाभ पाकर बच निकलता हैं। अन्वेषण से अभियोजन पक्ष का सीधा सम्बन्ध रहता हैं, क्योकि अन्वेषण की रिपोर्ट के आधार पर ही विचारण चलता हैं। विचारण में पीडित पक्षकार की और से अर्थात राज्य की ओर से मामले की पैरवी अर्थात अभियोजन का संचालन अभियोजन अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अधिकारी को अन्वेषण के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक हैं।

जे.जे. हार्गन के अनुसार किसी दोषारोपण क संबंध मे सही सुचना प्राप्त करने के लिये की जाने वाली जांच अथवा सम्प्रेषण ही अन्वेषण हैं।

एम.जे.फिटजराल्ड के अनुसार "अन्वेषण का संबंध आपराधिक कृत्यों से पीड़ित व्यक्तियों, साक्षियों एवं अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों से होता हैं। "ऐसे में अन्वेषणके प्रत्येक स्तर पर अभियोजन अधिकारी से न्यायिक प्रक्रिया के दौरान के समक्ष कार्यो से सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध कायम होता हैं। अगर अभियोजन अधिकारी के समक्ष अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत नही होती हैं तो मामले में प्रभावशाली पैरवी अभियोजन पक्ष के द्वारा किया जाना असुविधाजनक हो जाता हैं। एक अच्छे अन्वेषण में मुख्यतया निम्नांकित चरण माने गयें है जिनका खुलासा कर अभियोजन पक्ष के समक्ष वस्तुतः ब्रीफ तैयार करते समय सम्पूर्ण होनी चाहियें तभी अभियोजन पक्ष को मामले की पैरवी के संबंध में दिशा मिलती हैं :–

(क) घटना के लिये प्रस्थान करना,

(ख) मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का पता लगाना,

(ग) संदिग्ध अपराधी की खोज एवं उसे गिरफ्तार करना,

(घ) अपराध से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करना तथा

(ङ) आरोप पत्र पेश करने से पूर्व यह राय निर्मित करना कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टतया मामला बनता हैं या नहीं।

एक अच्छा अन्वेषण,अपराध करने के संबंध में व्यक्ति दोषारोपित हो, के संबंध में प्रमाणन प्रस्तुत करता हैं।

विधि शास्त्र का महत्वपूर्ण सूत्र हैं कि–

(क) सौ दोषी छूट जायें लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति दण्डित ना हो,

(ख) जब तक किसी व्यक्ति के साथा आरोप सिद्ध नहीं हो उसे निर्दोष समझा जाना चाहिये।

(ग) आरोप को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिये, तथा

(घ) संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये

उक्त सभी सूत्रों के अनुसार किये गये अन्वेषण के आधार पर ही मामले के संबंध में दूध का दूध और पानी का पानी शब्दावली को अभियोजन पक्ष न्यायालय में अपना पक्ष रख कर साबित करने में सफल हो जाता हैं। एक सफल चार्जशीट, जिससे अभियोजन सफलता की निश्चत्ता कायम की जा सके, के लिये अभियोजन अधिकारी को अन्वेषण के संबंध में एवं अन्वेषण अधिकारी को अपना अन्वेषण करते समय समाधान कर लेना चाहिये।

(1) यह कि कोई अपराध कारित किया गया हैं या नहीं

(2) यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कितनी सत्यता हैं ?

(3) यह हैं कि अन्वेषण विधि अनुसार किया गया हैं या नही ?

(4) यह हैं कि सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों के कथन लेखबद्ध किये गये हैं या नहीं ?

(5) यह कि अन्य औपचारिकताऐं/कार्यवाही को सम्पन्न किया गया हैं अथवा नहीं। यथा–

(क) संस्वीकृति के कथन लेखबद्ध करना (यदि आवश्यक हैं)

(ख) कार्यवाही शिनाख्ती का संचालन कराना (यदि आवश्यक हो)

(ग) रासायनिक परिक्षण कराना (यदि आवश्यक हो)

(घ) मृत्युकालीन घोषणा के कथन लेखबद्ध करना (यदि आवश्यक हो)

(ङ) चिकित्सीय प्ररीक्षण कराना (यदि आवश्यक हो)

(च) अन्वेषण की सभी औपचारिकताओं को पूरा किया गया हैं अथवा नहीं

(छ) अपराध से संबंधित सम्पति,वस्तु,अथवा माल को बरामद किया गया हैं अथवा नहीं

(ज) अभियुक्त गिरफ्तार हुआ हैं या नहीं?

आरोप पत्र पेश करने से पूर्व उक्त समाधान अभियोजन अधिकारी एवं अन्वेषण अधिकारी दोनो को ही किया जाना आवश्यक हैं। इसके अलावा किसी वस्तु जब्ती के संबंध में उसके लिये लगी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र, मुल्जिम को न्यायालय में रिमाण्ड के लिये प्रस्तुत करने के समय, न्यायालय द्वारा किसी मामलें में चाही गई रिपोर्ट के संबंध में, मुल्जिम की जमानत प्रार्थना पत्र के सुनवाई के अवसरों पर एवं साक्ष्य अभियोजन के समय सभी साक्षीगण को न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य देने के संबंध में उपस्थिति संबंधी सुनिश्चताओं के संबंध में पुलिस एवं अभियोजन पक्ष के मध्य तारतम्यता आवश्यक होती हैं। गवाहान के साक्ष्य देने के संबंध में उक्त गवाहान से संबंधित रिकार्डस सभी न्यायालय में समय पर पहुंचाएं गए अथवा नहीं, बाद साक्ष्य पुनः न्यायालय से नियमानुसार बजह सबूत एवं रिकॉर्डस पुनः पुलिस मालखाना में जमा करवाना।

अभियोंजन मामलों में केस ऑफिसर स्कीम के तहत नियुक्त ऑफिसर के द्वारा दिन–प्रतिदिन संबंधित मामले के संबंध में जानकारियां प्राप्त कर केस निस्तारण में सहायक होना आदि सभी पुंलिस एवं अभियोजन के मध्य की तारतम्यता पर निर्भर करती हैं एवं न्यायिक प्रक्रिया को सरल करने, त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय दिलवाने एवं पीडित पक्षकार को न्याय एवं दोषी को सजा एवं बेगुनाह दोषमुक्त हो, के सूत्रों को सही ढंग से लागु होने में उक्त समन्वयताएक सेतू का काम करती हैं।

मुल्जिम को न्यायालय के लिये प्रस्तुत करने के समय न्यायालय द्वारा किसी मामलें में चाही गई रिपोर्ट के संबंध में मुल्जिम की जमानत प्रार्थना पत्र के सुनवाई के अवसरों पर एवं साक्ष्य अभियोजन के समय सभी साक्षीगण को न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य देने के संबंध में उपस्थिति संबंधी सुनिश्चताओं के संबंध में पुलिस एवं अभियोजन पक्ष के मध्य समन्वयताआवश्यक होती हैं। गवाहान के साक्ष्य देने के संबंध में उक्त गवाहान से संबंधित रिकार्डस सभी न्यायालय में समय पर पहुंचाएं गए अथवा नहीं। बाद साक्ष्य पुनः पुलिस मालखाना में जमा करवाना। अभियोंजन मामलों में केस ऑफिसर स्कीम के तहत नियुक्त ऑफिसर के द्वारा दिन–प्रतिदिन उक्त मामले के संबंध में जानकारियां प्राप्त कर केस निस्तारण में सहायक होना आदि सभी पुंलिस एवं अभियोजन के बीच की समन्वयतापर निर्भर करती हैं एवं न्यायिक प्रक्रिया को सरल करने,त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय दिलवाने एवं पीडित पक्षकार को न्याय एवं दोषी को सजा एवं बेगुनाह दोषमुक्त हो, के सूत्रों को सही ढंग से लागु होने में उक्त समन्वयताएक सेतू का काम करती हैं।

समन एवंवारन्टनिष्पादन

Service of summons & execution of warrants

समन निष्पादन की प्रक्रियांसंबंधीप्रावधान

द.प्र.सं. 1973 की धारा 61 से 69 तक में समन एवं उसके निष्पादन संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया हैं, जो निम्न प्रकार से हैं–

धारा 61. समन का प्रारूप–न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया समन लिखित रूप में और दो प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वास या अन्य ऐसे अधिकारों द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।

धारा 62 समन की तामील कैसे की जाये– (1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के द्वारा जिसने वह जिसने वह समन जारी किया हो, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी।

(2) यदि साध्य हो तो समन किये गये व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दे प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जायेगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की ऐसे तामील की गई हैं, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसे अपेक्षा की जाए तो दूसरी प्रति के पृष्ठ पर उसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर करेगा।

धारा 63. निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील–किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबन्धक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती हैं या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गये पत्र द्वारा की सकती है, जिस दशा में तामील तब हुई समझी जायेगी जब डाक से मामूली अनुक्रम में वह पत्र पहुंचता।

स्पष्टीकरण–इस धारा में "निगम" से कोई निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है।

धारा 64.जब समन किये गये व्यक्ति न मिल सके तब तामील–जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुम्ब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिये छोड़कर की सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिये रसीद हस्ताक्षरित करेगें।

स्पष्टीकरण–सेवक, इस धारा के अर्थ में कुटुम्ब का सदस्य नहीं हैं।

धारा 65. जब पूर्व उपबन्धित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया—यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबन्धित किए गये अनुसार तामील सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता हो, किसी सहजदृ श्य भाग में लगाएगा, और तब न्यायालयऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक् तामील हो गई है या वह उस रीति से नई तामील का आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

धारा 66. सरकारी सेवक पर तामील—(1) जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहाँ समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान धारा 62 में उपबन्धित कार में समन की तामील करायेगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा।

(2) ऐसा हस्ताक्षर सम्यक् तामील का साक्ष्य होगा।

धारा 67. स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील—जब न्यायालय यह चाहे कि उसके जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर समन किया गया व्यक्ति निवास करता हो या उसकी तामील की जानी हो।

धारा 68. ऐसे मामले में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील सबूत—(1) जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्यित यह शपथ—पत्र ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन प्रदत्त या निविदत्त किया गया था, या जिसके पास वह छोड़ा गया था। (धारा 62 या धारा 64 मेंउपबन्धित प्रकार से) पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाये, उसमें किए गए कथन सही माने जायेंगे।

(2) इस धारा में वर्णित शपथपत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है, और उसे उस न्यायालय को भेजा जा सकता है।

धारा 69: साक्षी पर समन की डाक द्वारा तामील—(1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिये समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्ति और उसके साथ—साथ, यह निर्देश दे सकेगा कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस के पते से, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कार्य करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाये।

(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति या ठीक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन कि किसी साक्षी ने समन लेने से इन्कार कर दिया है, प्राप्त हो जाये तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई है।

गिरफ्तारी का वारण्ट निष्पादन प्रक्रियां

द.प्र.सं. 1973 की धारा 70 से 81 तक में गिरफ्तारी वारण्ट एवं उसके निष्पादन संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया हैं, जो निम्न प्रकार से हैं–

धारा 70. गिरफ्तारी के वारण्ट का प्ररूप और अवधि– (1) न्यायालय द्वारा इस सहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारण्ट लिखित होगा और उस पर ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उस पर उस न्यायालय का मुद्रा भी लगी होगी।

(2) ऐसा प्रत्येक वारण्ट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए या जब तक वह निष्पादित न कर दिया जाये।

धारा 71. प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति–(1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारण्ट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकेगा कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाये तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बन्धपत्र निष्पादित करे तो वह अधिकारी जिसे वारण्ट निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा।

(2) पृष्ठांकन में निम्नालिखित बातें कथित होगी :–

(क) प्रतिभूओं की संख्या,

(ख) वह रकम, जिसके क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी किया गया हैं,

(ग) वह समय जिस पर न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर करना हैं।

(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाये तब वह अधिकारी जिसे वारण्ट निर्दिष्ट है बन्धपत्र न्यायालय के पास भेज देगा।

धारा 72. वारण्ट किसको निर्दिष्ट होंगे–(1) गिरफ्तारी का वारण्ट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, किन्तु यदि ऐसे वारण्ट का तुरन्त निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरन्त न मिल सके तो वारण्ट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे।

(2) जब वारण्ट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निस्पादन उन सबके द्वारा, या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है।

धारा 80. जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारन्ट जारी किया गया हो, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया – जब गिरफ्तारी के वारन्ट का निष्पादन उस जिले से बाहर, जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को, तब के सिवाय जब वह न्यायालय जिसने वह वारन्ट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अन्दर हो या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलि अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर गिरफ्तारी की गई समीपतर हो, या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई हो, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक आयुक्त के समक्ष ले जाया जायेगा।

धारा 81– उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाये–(1) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही प्रतीत होता है जो वारण्ट जारी करने वाले द्वारा आशयित हो तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त अ न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा।परन्तु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसी जमानत या प्रतिभूति लेगा और बन्धपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारण्ट जारी किया था।

परन्तु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 437 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिये, या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिये धारा 78 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा।

(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति रोकने वाली न समझी जायेगी।

धारा 87. समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना–न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर सकता है–

(क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किन्तु उसको हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा अथवा

(ख) यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक् रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है।

धारा 88. हाजिरी के लिए बन्धपत्र लेने की शक्ति–जब कोई व्यक्ति, जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारण्ट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर

सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में, जिसको मामला विचारण के लिए अन्तरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बन्धपत्र, प्रतिभुओं सहित या रहित, निष्पादित करे।

धारा 89. हाजिरी का बन्धपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी– जब कोई व्यक्ति, जो इस सहिता के अधीन दिए गए किसी बन्धपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, हाजिर नहीं होता है तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निदेश देते हुए वारण्ट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए।

धारा 90. इस अध्याय के उपबन्धों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लागू होना –समन और वारण्ट तथा उन्हें जारी करने, उनकी तामील और उनके निष्पादन सम्बन्धी जो उपबन्ध इस अध्याय में (अध्याय 6 द.प्र.सं.) हैं वे इस संहिता यानी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारण्ट को, यथाशक्य लागू होंगे।

लम्बितविचारणमामलो की समीक्षा(Review of pending trial cases)

ऐसा कहा जाता हैं कि न्याय में देरी ''न्याय से वंचित हैं।'' वर्तमान में न्यायालय में आपराधिक प्रकरणों की सूची दिनों दिन बढती जा रही हैं। पीड़ित पक्षकार को वर्षो–वर्ष न्याय के लिये भटकना पङता हैं, वही अपराधी को भी विचारण के दौरान की समस्त जटिल प्रक्रियाओं से भी गुजरना पङता हैं। बेगुनाह व्यक्ति विचारण के पश्चात बेगुनाही तो पा लेता हैं परन्तु विचारण में लगने वाले लम्बे अन्तराल में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक कठिनाईयों को स्वयं एवं परिवार द्वारा झेला जाना न्याय व्यवस्था पर विश्वास की स्थिति को डांबाडोल कर देता हैं। माननीय उच्चतम न्यायालयों, उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्त अदालतों समय– समय पर दिशा–निर्देश पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु दिये जाते हैं। मुख्यतया साधारण आपराधिक प्रकरणों को निस्तारित करने हेतू एक समय सीमा विहित कर न्यायालय द्वारा निस्तारण कार्यवाही की जाती हैं। विशेष प्रकरणों जैसे महिलाओ के विरूद्ध अपराधों, बालकों के विरूद्ध लैंगिग शोषण संबंधी अपराध अनूसूचित जाति–जनजाति संबंधी अपराधो का विचारण अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार एवं विहित अवधि में ही पूरा किया जाना चाहिये परन्तु उनमें भी देरी होना एक आम बात हो गई हैं। ऐसे में एक रूपरेखा प्रत्येक प्रकरण के संबंध में बनाई जाकर निस्तारण का प्रयास अदालतों द्वारा किया जा रहा हैं। जिनमें मुख्य पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतू दिन– प्रतिदिन कार्यवाही को सुचारू रूप से करने हेतू सभी पक्षकारों को पाबंद किया जाकर दिन– प्रतिदिन बनाये टाईम टेबल के अनुसार प्रकरण निपटाये जाते हैं। प्रकरण विचारण में देरीना के मुख्य कारणों में मुकदमों में वकील मुल्जिमान द्वारा बार–बार तारीखे बढवाना, न्यायाधीशों की कमी, स्टाफ की कमी, बढते आपराधिक आंकङे, व्यवस्थाओं का अभाव साक्षीगण एवं अपराधियों के विरूद्ध क्रमशः जारी सम्मन एवं वारन्ट के निष्पादन प्रक्रिया में विलम्व साक्षीगण एवं उनसे से संबंधित दस्तावेजों जिन पर प्रकरण आधारित हैं न्यायालय में पेश करने की व्यवस्था में तारतम्यता का अभाव आदि कमियों से

प्रकरण काफी लम्बे समय तक लम्बित रहते है जिनको उक्त कमियों की पूर्ति एवं वर्तमान प्राप्त सुविधओं और व्यवस्थाओं के अनुसार ही निस्तारण किया जा सकता हैं। प्रकरणें को स्पीडी ट्राईल के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक हैं।

हुस्न आरा खातून गृह सचिव, बिहार राज्य के मामले में उच्चन्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि शीघ्र परीक्षण का अधिकार भारत सरकार का संविधान के अनु. 21 मे अनुनिहित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार का आवश्यक एवं अभिन्न अंग हैं ।

ए.आर.अन्तुले बनाम आर.एस.नायक के प्रकरण में भी शीघ्र परीक्षण के संबंध में पथ प्रदर्शन सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसके अनुसार भारतीय संविधान के अनु.21 में समाविष्ट स्वच्छ स्पष्ट एवं न्यायमुक्त प्रक्रिया से अभियुक्त का प्राप्त अधिकार शीघ्र परीक्षण का अधिकार हैं। यह सभी संबंधित पक्षों के हित में हैं कि अभियुक्त के दोषी होने अथवा निर्दोष होने का विनिश्चय परिस्थितियों के नजरियें से जितनी जल्दी को जायें उतना ही ठीक ओर न्यायसंगत होगा।

अभियुक्त के विचारण से शीघ्र परीक्षण संबंधी मूलभूत बातें निम्न हैं :–

(1) प्रतिप्रेषण और दोषसिद्धि से पूर्व की निरूद्धि की अवधि यथासंभव कम होनी चाहिए।

(2) असम्यक व अनावश्यक चलने वाले लम्बे अन्वेषण,जांच परीक्षा व परीक्षण से उत्पन्न चित्ता,परेशानी अपव्यय, और उसके (अभियुक्त) व्यवसाय धन्धे में उथल–पुथल को कम किया जाना चाहियें।

असम्यक व अनावश्यक विलम्ब से अभियुक्त की स्वमं को पतिरक्षित करने वाली शक्ति का परिरक्षण होना निश्चत हैं। यह विलम्व किसी भी प्रकार से हो सकता हैं–यथा मृत्यू के कारण, साक्ष्य का गायब हो जाना, अनुपलब्ध होना अथवा अन्य प्रकरण से। इसी समय इस तथ्य को भी नकारा नही जा सकता की अभियुक्त अकसर मामले के लंबित होने में रूचि लेता हैं जैसा कि प्रायः स्पष्ट हैं कि–''**विलम्ब एक जानी–बूझी बचाव युक्ति हैं।''**

यह निश्चित करने के लिये कि क्या असम्यक/अनावश्यक विलम्व कारित हुआ अथवा नही ंतो ऐसा विनिश्चय करने वाले को सभी उपस्थित परिस्थितियों पर जिनमें की अपराध की प्रकृति अपराधियों की संख्या, साक्ष्यों की संख्या और संबंधित न्यायालय पर कार्यभार का बोझ और स्थानीय दशायें आदि जिसे पद्धति या क्रम के अनुसार विलम्व कहा जा सकता है को दूर करने के संबंध में प्रत्येक मामले की समीक्षा कर त्वरित निस्तारण हेतू यर्थाथवादी और व्यवहार योग्य उपागमों को लागू किया जाना चाहियें।

ऑल इंण्डियां जजेज एसों.बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विलम्व से न्याय मिलना न्याय न मिलने के बराबर हैं।

– रघुवीर सिंह बनाम बिहार राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल पुलिस अन्वेषण में हुये विलम्ब के आधार पर यह अनुमान नहीं किया जा सकता हैं कि विचारण में विलम्ब किया गया है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परीस्थितियों पर निर्भर करता हैं।

– संतोष डी. बनाम अर्चना गुहा के मामले में माननीय उच्चतम ने कहा कि यदि विचारण में विलम्ब हुआ हैं और अभियोजन पक्ष ने उसका कोई कारण स्पष्ट नहीं दिया हैं तो अभियुक्त के

विरूद्ध कार्यवाहियों को अपास्त कर देना चाहिये। यदि 14 वर्षो के भीतर एक भी साक्षी परीक्षित नही हुए है तो अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही को अपास्त कर देना चाहियें।
–शीला बसें बनाम भारत संघ 1986 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 16 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के विरूद्ध परीवाद का निस्तारण एवं विचारण अन्वेषण के 6 माह के भीतर अवश्य कर देना चाहिये ।
सारांश में लंबित मामले के संबंध में मामला निस्तारण हेतू मामला विचारण में कितने समय से लंबित हैं, मामले की प्रकृति गवाहान की संख्या एवं गुणवता, रिकॉर्डस, मुल्जिम पक्ष भी विचारण के कितने समय भी लगातार उपस्थित आदि– आदि सभी मुख्य बातों को देखते हुयें लंम्बि मामलों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाना चाहिए।

केसऑफिसरस्कीम(Case officer scheme)

न्यायालयों में गम्भीर अपराधों के विचारण में अत्यधिक विलम्व होना मुख्य रूप से कई कारणों पर आधारित रहता हैं। प्रायः यह देखने में आता हैं कि गम्भीर प्रकृति के अपराध जैसे चोरी,लूट,डकैती,अपहरण,बलात्कार,हत्या आदि में गवाहान का पक्ष द्रोही हो जाना या प्रकरण देरीना होने से गवाहान का मर जाना,अन्य कही चले जाना,गवाहा का अपराधी के साथ मिल जाना या न्यायालय की विचारध प्रक्रिया में गवाहान द्वारा अपने आप कोअसहज,असुरक्षित महसूस करना,मुल्जिमान द्वारा गवाहान को भयभीत और प्रताड़ित करना,गवाहा के रूप में न्यायालय में आने से रोकना या उनके पक्ष में गवाही दिलाने का दवाब डालना या मुल्जिमान द्वारा विचारण प्रक्रिया में अनावश्यक देरी करना आदि सभी कारणों को दृष्टिगत रखतें हुऐ अगर देखा जाये तो केस ऑफिसर स्कीम विचारण को शीघ्र एवं आसानी से निस्तारण करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। इस योजना का प्रारम्भ सन 2004 के करीब हुआ। सन 2006 में कार्यालय महानिदेशक पुलिस, स्थाई आदेश 2006/2006 दिनांक–19.06.2006 के द्वारा निकाला गया जिसके तहत यह बताया गया कि प्रायः आदतन एवं पेशेवर अपराधियों के भय के कारण गवाह उनके विरुद्ध साक्ष्य देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जिससे उनके विरुद्ध दर्ज बहुत कम अपराधों में सजा हो पाती है। इससे आपराधिक स्थिति पर विपरित प्रभाव पड़ता है तथा जनता में असुरक्षा एवं भय की भावना घर कर लेती है। साथ ही पुलिस की कार्य कुशलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व केस ऑफिसर योजना आरम्भ की गई थी। यह योजना अपराधियों की सक्रिय गतिविधियों पर अंकुश लगाने संगठित एवं गम्भीर अपराधों पैर काबू पाने तथा जनता में ऐसे अपराधों एवं अपराधियों से असुरक्षा एवं भय के वातावरण को दूर करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के सार्थक परिणामों के दृष्टिगत भविष्य में इसके प्रभावी निष्पादन हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं–
केस ऑफिसर योजना के अन्तर्गत सनसनीखेज गम्भीर अपराधों तथा पेशवर एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध अन्वीक्षाधीन प्रकरणों को चयनित कर उन प्रकरणों मे केस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। केस ऑफिसर का कार्य प्रकरण की अन्वीक्षा के दौरान केस की प्रगति पर निकट निगरानी रखना अभियोजक एवं गवाह से निकट सम्पर्क रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि अदालत में पेश होने वाले साक्ष्य समय पर एवं बिना व्यवधान के पेश हों। इसके

अतिरिक्त केस ऑफिसर स्वयं द्वारा एवं अभियोजक के मार्फत अदालत से सम्पर्क कर प्रकरण में शीघ्र निस्तारण हेतु जल्दी पेशियाँ करवाने का हर सम्भव प्रयास करेगा। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा भी समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को केस आफिसर के प्रकरण को प्राथमिकता देने हेतु निर्देश दिनांक.10.04.2006 के पत्रांक द्वारा जारी किये गये थे।

योजना के मुख्य बिन्दू :–

क. केस का चयन :–सही केस का चयन इस योजना को सुदृढ आधार प्रदान करता हैं। अतः केस चयन के समय निम्न बिन्दुओं पर गौर किया जावे :–

1.केस का चयन करते समय सर्व प्रथम ऐसे अपराधियों को चिन्हित करना चाहिए जिनसे आम जनता में भय व्याप्त हो तथा जिनसे लोग अपनी शारीरिक एवं सम्पति की सुरक्षा बाबत आशंकित हों।

2. ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी हो तथा संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना/सदस्य हो अथवा ऐसे गिरोह तैयार कर रहे हो।

3 अपराधी का चयन करने के पश्चात् उसके विरूद्ध अदालत में विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा ऐसे एक या दो प्रकरण जिनमें साक्ष्य सबसे सुदृढ़ हों और सजा होने की संभावना सर्वाधिक हो का चयन कर उन पर एक केस ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए। आदतन अपराधी के विरुद्ध दो मामले लेने लाभदायक रहते हैं ताकि अगर एक में बरी हो अथवा पी.ओ. एक्ट का फायदा मिले तो दूसरे सजा हो सकती है।

4.सामूहिक बलात्कार, बच्चियों के साथ बलात्कार तथा बलात्कार के ऐसे प्रकरण जो जनता में चर्चा का विषय रहे हों तथा जिनसे जनमानस उद्वेलित हुआ हो, को इस योजना के अन्तर्गत लिया जावे।

5. गो वध से सम्बन्धित प्रकरणों को भी केस ऑफिसर योजना में सम्मिलित किया जाये।

प्रकरणों का चयन एक निरन्तर प्रक्रिया रहेगी तथा जैसे–जैसे न्यायालय से प्रकरण निर्णित होते हैं, नये प्रकरण चयनित कर योजना में सम्मिलित किए जाएंगे।

वृत्ताधिकारी/थानाधिकारी सनसनीखेज एवं गम्भीर अपराधों का अनुसंधान के समय ही इस योजना के तहत चयन कर लेगें तथा विशेष ध्यान देकर साक्ष्य एकत्रित करवायेंगे व सुनिश्चित करेंगे कि अनुसंधान में कोई कमजोरी रह न जावे।

जिन प्रकरणों में अभियुक्त का चालान 299 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत किया गया है उनको इस योजना के अन्तर्गत रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इनमें अभियुक्त की अदम मौजूदगी में न्यायालय में कोई कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं रहती है।

केस ऑफिसर के कर्तव्यः

1.प्रत्येक केस में केस ऑफिसर मनोनीत होने के पश्चात् उक्त केस का भलीभांति अध्ययन करेगा तथा उस केस पर एक पत्रावली संधारित करेगा जिसमें वह केस से सम्बन्धित अदालत की कार्यवाही का सक्षिप्त विवरण लिखेगा, अदालत की ऑर्डरशीट की प्रतियाँ रखेगा, न्यायालय के आदेशों की पालना में उसके द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा लिखेगा व अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाही का उल्लेख करेगा।

2.केरा ऑफिसर जिस अपराधी के केस पर नियुक्त हो उस अपराधी पर एक डोजियर भी संधारित करेगा। इस डोजियर में अपराधी से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएं होंगी :–

(अ) नाम, वल्दियत, पता, टेलीफोन नम्बर

(ब) रिश्तेदारों, सहयोगियों, जमानतदारों, मित्रों के नाम, पते, पेशा, टेलीफोन नम्बर आदि

(स) अपराधी के सम्भावित शरणस्थल व छुपने के स्थान

(द) पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड मय प्र.र व चार्जशीट की नकल
(य) अपराधी का तरीका वारदात व अपराध करने का क्षेत्र
(र) अंगुल चिन्ह व फोटोग्राफ
3.केस ऑफिसर न्यायालय द्वारा जारी गवाहों के सम्मन एवं वारंट समय पर शामील होकर न्यायालय में पहुंचना तथा गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा।
4. केस ऑफिसर प्रत्येक पेशी पर अदालत में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन की कार्यवाही में आवश्यकतानुसार सहयोग करेगा।
5. केस ऑफिसर लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक से सम्पर्क करेगा और यह सुनिश्चत करेगा कि प्रकरण की पैरवी सही परिपेक्षय में प्रस्तुत की जा रही हैं।
6. केस ऑफिसर लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक को गवाह की यादाश्त ताजा करने में मदद करेगा।
7.केस ऑफिसर न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रादर्श समय पर एवं सही अवस्था में वस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
8. केस ऑफिसर जिन प्रकरणों में एफ.एस.एल. एफ.पी.वी आदि की रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा हो, उन्हें पुलिस अधीक्षक के ध्यान में लाकर रिपोर्ट को प्राथमिकता के आधार पर मंगवाने की कार्यवाही करेगा।
9. केरा ऑफिसर प्रकरण के समस्त गवाहान से सम्पर्क रखेगा तथा यह भी देखेगा की उनको अपराधियों द्वारा प्रभावित नहीं किया जावे तथा ऐसे अपराधियों के भय से ग्रसित ना हों। अगर केस ऑफिसर को पता लगे अथवा महसूस हो कि गवाह डरे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त कदम उठायेगा। अगर अपराधियों द्वारा गवाहों को धमकाने डराने की बात सामने आए तथा उनके प्रभावित होने की संभावना हो तो उनके विरुद्ध अदालत में रिपोर्ट पेश कर आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित करेगा व जमानत खारिज कराने की कार्यवाही करायेंगे।
10. केस ऑफरार अपराधी की आपतिजनक गतिविधियाँ, जिनकी सूचना उसको प्राप्त हुई हो, परन्तु किसी के द्वारा उन घटनाओं के बाबत रिपोर्ट नहीं की गई हो, की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने के रोजनामचा आम में दर्ज करायेगा तथा आवश्यकतानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
11. केस ऑफिसर जब भी अभियुक्त की जमानत हेतु अदालत में आवेदन प्रस्तुत हो तो लोक अभियोजक सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से अथवा केरा ऑफिसर स्वयं अपराधी का पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड एवं गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत कर उसकी जमानत का सशक्त विरोध करेगा।
12 केस ऑफिसर सम्बन्धित केस में स्वयं व लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय को निवेदन कर प्रकरण में दिन प्रतिदिन की पेशी साक्ष्य हेतु निर्धारित करवायेगा ताकि प्रकरण का फैसला शीघ्रातिशीघ्र हो सके।
13. केस ऑफिरार यह देखेगा कि लोक अभियोजक द्वारा सजा के बिन्दु पर बहस के समय ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने हेतु पुरजोर बहस की जावे तथा अपने तकों के समर्थन में अपराधी का आपराधिक रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
14. केस ऑफिसर उपयुक्त प्रकरण में धारा 75 भादरा व 401 भादसं के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करायेगा।

थानाधिकारी के दायित्व– थानाधिकारी प्रथम स्तर पर इस योजना के तहत लिए जाने वाले प्रकरणों का चयन कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। वे प्रत्येक पेशी के पश्चात केस

ऑफिसर के साथ प्रकरण की समीक्षा कर आगे की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित करेंगे। थानाधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश व लोक अभियोजक से भी सम्पर्क रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर केस ऑफिसर की मदद करेंगे। थानाधिकारी केंस ऑफिसर को अपने दायित्वों के निष्पादन में पूरी सहायता करेंगे।

वृत्ताधिकारी के दायित्व– वृत्ताधिकारी की इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उचित प्रकरणों का इस योजना के अन्तर्गत चयन हो, यह उनकी जिम्मेदारी है। वृत्ताधिकारी तारीख पेशी के दो दिन पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि गवाहान के सम्मन वारण्ट, समय पर तामील हो चुके हैं तथा अदालत को सूचित किया जा चुका है साथ ही यह भी देखेंगे कि साक्ष्य हेतु जाने से पूर्व गवाहान की यादाश्त ताजा करवा दी गई है तथा गवाहान किसी भय से ग्रसित तो नहीं है जब भी वृत्ताधिकारी थाने पर जाएं तो थानाधिकारी व केस ऑफिसर के साथ प्रकरणों की समीक्षा करें तथा उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। आवश्यकतानुसार सम्बन्धित से सम्पर्क कर अगर प्रकरण की अन्वीक्षा में कोई बाधा आ रही हो तो निराकरण करवाने की कार्यवाही भी करेंगे।

पुलिस अधीक्षक एवं अति पुलिस अधीक्षक के दायित्व–इस योजना की सफलता पुलिस अधीक्षक, अति पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करती हैं। उनकी प्रकरण के नऐ पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे यह सुनिश्चित करें कि कैस ऑफिसर योजना के तहत जिन प्रकरणों का चयन किया जाता हैं वह उस क्षैत्र की आपराधिक गतिधियों को मध्यय नजर रखते हुये उचित हो। पुलिस अधीक्षक, अति पुलिस अधीक्षक कम से कम माह में एक बार अपने जिले के समस्त केस ऑफिसर योजना के प्रकरणो की प्रगति की समिक्षा करेगे तथा केस ऑफिसर को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगें। साथ ही उन्हे किसी प्रकार का समन्वय का अभाव नजर आता हो तो जिला कलेक्टर सत्र न्यायाधीश से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करवायेंगे।
पुलिस अधीक्षक यह भी देखेंगे कि सामान्यत. एक फेस ऑफिसर को एक अथवा दो प्रकरणों में ही कैंस ऑफिसर नियुक्त किया जाये।
केस ऑफिगर योजना के तहत प्रत्यक मामले जिसमें गुलजिम को बरी किया जाता है उसका परीक्षण करवाकर पुलिस अधीक्षक अति. पुलिस अधीक्षक आवश्यक सुधारात्मक कदम उठायेंगे । अगर कोई केस ऑफिसर अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिल पाया जाता है तो पुलिस अधीक्षक उसके विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही करेंगे।

निर्णय एवंनिर्णय प्रति(Judgement & judgement copies)

निर्णय सम्बंधी प्रावधान :–
द.प्र.स. 1973 की धारा 353 के अनुसार 1– आरम्भिक अधिकारिता के दण्ड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण खत्म होने के पश्चात तुरन्त या बाद में किसी समय जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जायेगी :–
(क) सम्पूर्ण निर्णय देकर सुनाया जायेगा या

(ख) सम्पूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, या
(ग) अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय कासार समझाकर सुनाया जाएगा।
2– जहाँ उपधारा एक के खंड क के अधीन निर्णय दिया जाता है, वहाँ पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि मेंलिखवायेगा और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है, वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा, और उस पर निर्णय दिये जाने की तारीख डालेगा।
3–जहाँ निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग, यथास्थिति उपधारा (1) के खंड ख या खंडग के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहाँ पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किये जाएँगे और यदि वह उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।
4–जहाँ निर्णय उपधारा एक के खंड ग में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, वहाँ सम्पूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके प्लीडरों के परिशीलन के लिये तुरन्त निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
5.–यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जायेगा।
6.–यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाये जाने वाले निर्णय को सुनने के लिये हाजिर होने की अपेक्षा की जायेगी, किन्तु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी वैयक्तिक हाजिरी से उसे अभियुक्ति दे दी गई है और दण्डादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोषमुक्तकिया गया है।
परन्तु जहाँ एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय मेंहाजिर नहीं है जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने मेंअनुचित विलम्ब से बचने के लिये उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है।
7.–किसी भी दण्ड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण विधित अमान्य न समझा जाएगाकि उसके सुनाये जाने के लिये सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अनुपस्थितिथा या पक्षकारों पर या उनके प्लीडरों पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामिल करने में लोप या त्रुटि हुई थी।
8.–इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह धारा 465 के उपबन्धों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है। निर्णय संबंधी प्रावधान दण्डप्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 353 से 371 तक में दिये गये है जिनमें से मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है :–

धारा 353 निर्णय– (1) आरम्भिक अधिकारिता के दण्ड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण के खत्म होने के पश्चात् तुरन्त या बाद में किसी समय, जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी, –
(क) सम्पूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा, या
(ख) सम्पूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, या
(ग) अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाी भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा।
(2) जहां उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्णय दिया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि में लिखवाएगा और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है वैसे ही खुले न्यायालय

में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा, और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा।

(3) जहां निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग, यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे और यदि वह उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां निर्णय उपधारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, वहां सम्पूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकरों या उनके प्लीडरों के परिशीलन के लिए तुरन्त निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा।

(6) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, किन्तु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी वैयक्तिक हाजिरी से उसे अभियुक्ति दे दी गई है और दण्डादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोषमुक्त किया गया है।

परन्तु जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं है जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलम्ब से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है।

(7) किसी भी दण्ड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण विधितः अमान्य न समझा जाएगा कि उसके सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या सीन में कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अनुपस्थित था या पक्षकारों पर या उनके प्लीडरों पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामील करने में कोई लोप या त्रुटि थी।

(8) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 465 के उपबन्धों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है।

धारा 354 निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु– (1) इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, धारा 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय –

(क) न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा :

(ख) अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट करेगा,

(ग) वह अपराध (यदि कोई हो) जिसके लिए और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या अन्य विधि की वह धारा, जिसके अधीन अभियुक्त दोषसिद्ध किया गया है, और वह दण्ड जिसके लिए वह दण्डदिष्ट करेगा,

(घ) यदि निर्णय दोषमुक्ति का है तो, उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है और निदेश देगा कि वह स्वतन्त्र कर दिया जाए।

(2) जब दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की दो धाराओं में से इसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों में से इसके अधीन आता है तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पतः निर्णय देगा।

(3) जब दोषसिद्धि, मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वर्षो की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में, दिए गए दण्डादेश के कारणों का और मृत्यु के दण्डादेश की दशा में ऐसे दण्डादेश के लिए विशेष कारणों का, कथन होगा।

(4) जब दोषसिद्धि एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए है किन्तु न्यायालय तीन मास से कम अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित करता है, तब वह ऐसा दण्ड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा उस दशा के सिवाय जब वह दण्डादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं हैं या वह मामला इस संहिता के उपबन्धों के अधीन संक्षेपतः विचारित नहीं किया गया है।

(5) जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दण्डादेश दिया जाता है तो वह दण्डादेश यह निदेश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

(6) धारा 117 के अधीन या धारा 138 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश में और धारा 125, धारा 145 या धारा 147 के अधीन किए गए प्रत्येक अन्तिम आदेश में, अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

धारा 355 महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय– महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय को इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से अभिलिखित करने के बजाय निम्नलिखित विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा, अर्थात –

(क) मामले का क्रम संख्यांक

(ख) अपराध किए जाने की तारीख

(ग) यदि कोई परिवादी है तो उसका नाम

(घ) अभियुक्त व्यक्ति का नाम और उसके माता–पिता का नाम और उसका निवास–स्थान

(ङ) अपराध जिसका परिवाद किया गया है या जा साबित हुआ है,

(च) अभियुक्त का अभिवाक और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो),

(छ) अन्तिम आदेश,

(ज) ऐसे आदेश की तारीख,

(झ) उन सब मामलों में, जिनमें, धारा 373 के अधीन या धारा 374 की उपधारा (3) के अधीन अन्तिम आदेश के विरूद्ध अपील होती है, निर्णय के कारणों का संक्षिप्त कथन।

धारा 356 पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश– (1) जब कोई व्यक्ति, जिसे भारत में किसी न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 215, धारा 489क, धारा 489ख, धारा 489ग, धारा 489घ या धारा 506 (जहाँ तक वह आपराधिक अभित्रास से संबंधित है जो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनो से दंडनीय हो) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए या उसी संहिता के

अध्याय 12, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, किसी अपराध के लिए, जो उन धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय है या उन अध्यायों में से किसी के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तब, यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो वह उस व्यक्ति को कारावास का दण्डादेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात् उसके निवास–स्थान की और ऐसे निवास–स्थान की किसी तब्दीली की या उससे उसकी अनुपस्थिति की इसमें इसके पश्चात उपबन्धित रीति से सूचना ऐसे दण्डादेश की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक दी जाएगी।

(2) उपधारा (1) उपबन्ध, जहाँ तक वे उसमें उलिखित अपराधों के सम्बन्ध में है, उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यन्त्र और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उन्हें करने के प्रयत्नों को भी लागू होते है।

(3) यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, किया जा सकता है।

(5) राज्य सरकार, छोड़े गए सिद्धदोषी के निवास–स्थान की या निवास–स्थान की तब्दीली की या उससे उनकी अनुपस्थिति की सूचना से सम्बन्धित इस धारा के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है।

(6) ऐसे नियम उनके भंग किए जाने के लिए दण्ड का उपबन्ध कर सकते हैं और जिस व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम को भंग करने का आरोप है उसका विचारण उस जिले में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा अपने निवास–स्थान के रूप में अन्त में सूचित स्थान है।

धारा 361 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना–जहाँ किसी मामले में न्यायालय ,

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के सम्बन्ध मे कार्यवाही धारा 360 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबन्धों के अधीन कर सकता था, या

(ख) किसी किशोर अपराधी के सम्बन्ध में कार्यवाही, बालक अधिनियम, 1960 के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था,

किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है वहाँ वह ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा।

धारा 362 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना – इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय कोई न्यायालय जब उसने किसी

मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अन्तिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा।

धारा 363 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना– (1) जब अभियुक्त को कारावास का दण्डोदश दिया जाता है तब निर्णय के सुनाए जाने के पश्चात् निर्णय की एक प्रति उसे निःशुल्क तुरन्त दी जाएगी।

(2) अभियुक्त के आवेदन पर, निर्णय की एक प्रमाणित प्रति या जब वह चाहे तब, यदि सम्भव है तो उसकी भाषा में या न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद, अविलम्ब उसे दिया जाएगा और जहाँ निर्णय की अभियुक्त द्वारा अपील हो सकती है, वहाँ प्रत्येक दशा में ऐसी प्रति निःशुल्क दी जाएगी,

परन्तु जहाँ मृत्यु का दण्डादेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पुष्ट किया जाता है वहाँ निर्णय की प्रमाणित प्रति अभियुक्त को तुरन्त निःशुल्क दी जाएगी चाहे वह उसके लिए आवेदन करे या न करे।

(3) उपधारा (2) के उपबन्ध धारा 117 के अधीन आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस निर्णय के सम्बन्ध में लागू होते है जिसकी अभियुक्त अपील कर सकता है।

(4) जब अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश दिया जाता है और ऐसे निर्णय से साधिकार अपील होती है तो न्यायालय उसे उस अवधि की जानकारी देगा जिसके भीतर यदि वह चाहे तो अपील कर सकता है।

(5) उपधारा (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को, इस निमित्त आवेदन करने पर और विहित प्रभार देने पर ऐसे निर्णय या आदेश की या किसी अभिसाक्ष्य की या अभिलेख के अन्य भाग की प्रति दी जाएगी :

परन्तु यदि न्यायालय किन्हीं विशेष कारणों से ठीक समझता है तो उसे वह निःशुल्क भी दे सकता है।

(6) उच्च न्यायालय नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकता है कि किसी दाण्डिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को, जो निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित न हों, उस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस दिए जाने पर और ऐसी शर्तो के अधीन दे दी जाए जो उच्च न्यायालय ऐसे नियमों द्वारा उपबन्धित करें।

धारा 364 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा– मूल निर्णय कार्यवाही के अभिलेख में फाइल किया जाएगा और जहाँ मूल निर्णय ऐसी भाषा में अभिलिखित किया गया है जो न्यायालय भी भाषा से भिन्न है और अभियुक्त अपेक्षा करता है तो न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा।

धारा 365 सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना– ऐसे मामलों में, जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया

है, यथास्थिति, न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दण्डादेश की एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है।

अपील एवं अपील प्रक्रिया (Appeal & procedure for appeal)

अपील एवं अपील प्रक्रिया

अपील का अधिकार एवं विधिक अधिकार है किन्तु जब तब संहिता या किसी अन्य कानून में अन्यथा उपबंधित न हो तब तक दाखिल नही की जा सकती है। द.प्र.स. के अध्याय 29 में धारा 372 से 394 तक में अपील संबंधी प्रावधान दिये गए है। जो क्रमशः निम्नलिखित है :–

धारा 372 जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो किसी अपील का न होना– दण्ड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबन्धित हो, उसके सिवाय न होगी।

परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले, या कम अपराध के लिए दोषसिद्ध करने वाले, या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध मामूली तौर पर अपील की जाती है।

धारा 373 परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील– कोई व्यक्ति, –

(1) जिसे परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 177 के अधीन आदेश दिया गया है, अथवा

(2) जो धारा 121 के अधीन प्रतिभू स्वीकार करने से इन्कार करने या उसे स्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है,

सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरूद्व अपील कर सकता है :

परन्तु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिनके विरूद्ध कार्यवाही सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा 122 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार रखी गई है।

धारा 374 दोषसिद्वि से अपील– (1) कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरम्भिक दाण्डिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोषसिद्व किया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

(2) कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीन या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्व किया गया हैद्व जिसमें सात वर्ष से अधिक के कारावास का दण्डादेश (उसके विरूद्व या उसी विचारण में दोषसिद्व किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्व दिया गया हैं) उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

(3) उपधारा (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति –

(क) जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्व किया गया है, अथवा

(ग) जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के अधीन आदेश दिया गया है या दण्डादेश पारित किया गया है। सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है।

(4) जब भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376–क, धारा 376–कख, धारा 376–ख, धारा 376–ग, धारा 376–घ, धारा 376 घक, धारा 376–घक, धारा 376–घख या धारा 376–ङ के अधीन पारित किसी दण्डादेश के विरूद्व अपील फाइल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाइल किये जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र– उपराधा (3) में, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट शब्दों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट शब्द प्रतिस्थापित करें। (1983 का पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम संख्या 22) (22.06.1983 से प्रभावी)।

टिप्पणियाँ

निर्णय में आलोचना न्यायोचित नहीं – अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए पुलिस अधिकारियों के विरूद्व आलोचना न्यायोचित नहीं है कि वे अपने शासकीय कर्त्तव्य का निर्वहन करने में असफल ये–स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम बाबृ चक्रवर्ती, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 4324

दोषमुक्ति के विरूद्व अपील–सामान्य सिद्वान्त– निम्नलिखित सामान्य सिद्वान्त है। –

(1) दोषमुक्ति का आदेश जिस साक्ष्य पर आधारित है उसका पुनरावलोकन, पूनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने के लिए अपील न्यायालय पूर्ण शक्ति रखता है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई परिसीमा, नियन्त्रण अथवा शर्त नहीं लगाता और अपील न्यायालय अपने सामान्य साक्ष्य पर , अपने निजी निष्कर्ष पर तथ्य और विधि दोनों प्रश्नों पर पहुँच सकता है।

(3) अलंकृत अभिव्यक्तियाँ दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने में अपील न्यायालय की विस्तृत शक्तियों को कम करने के लिए आशयित नहीं हैं।

(4) अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के मामलों में यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्या अभियुक्त के पक्ष में दो प्रकल्पनायें है। प्रथम यह कि हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा उसवे अपराधी न सिद्व किया गया हो। द्वितीय यह कि उसकी निर्दोषिता आगे विचारण न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती है।

(5) यदि दो उचित निष्कर्ष सम्भव हैं तो अपील न्यायालय को इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। चन्द्रमा बनाम कर्नाटक राज्य, 2007 क्रि.लाज. 2136पृ. 2146 पर।

375. धारा कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना – धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है, और ऐसे अभिवचन पर वह दोषसिद्व किया गया है वहाँ–

(क) यदि दोषसिद्व उच्च न्यायालय द्वारा की गई हैद्व तो कोई अपील नहीं होगी, अथवा

(ख) यदि दोषसिद्वि सेशन न्यायालय, महानगर, मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील, दण्ड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

धारा 376. छोटे मामलों में अपील न होना– धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, दोषसिद्व व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में न होगी, अर्थातः–

(क) जहाँ उच्च न्यायालय केवल छह मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या एक हजार रूपए से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का, दण्डादेश पारित करता है,

(ख) जहाँ सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल तीन मास से अनधिक की अवधि के कारावास, का या दो सौ रूपये से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का, दण्डादेश पारित करता है,

(ग) जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल एक सौ रूपये से अनधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करता है, अथवा

(घ) जहाँ संक्षेपत : विचारित किसी मामले में, धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल दो सौ रूपये से अनधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करता है :

परन्तु यदि ऐसे किसी दण्डादेश के साथ कोई अन्य दण्ड मिला दिया गया है तो ऐसे दण्डादेश के विरूद्व अपील की जा सकती है किन्तु वह केवल इस आधार पर अपीलनीय न हो जाएगा, कि –

(1) दोषसिद्व व्यक्ति को परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, अथवा

(2) जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के निदेश को दण्डादेश में सम्मिलित किया गया है, अथवा

(3) उस मामले में जुर्माने का एक से अधिक दण्डादेश पारित किया गया है, यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले की बाबत इसमें पूर्व विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है।

धारा 377. राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरूद्व अपील– (1) उपधारा (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय राज्य सरकार , उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्वि के किसी मामले में लोक अभियोजक को दण्डादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरूद्व–

(क) सेशन न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है, और

(ख) उच्च न्यायालय में यदि दंछादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित यिका जाता है, अपील उपस्थित करने का निदेश दे सकती है।

(2) यदि किसी दोषसिद्वि किसी ऐसे मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन गठि न दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा या इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो लोक अभियोजक को दण्डादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरूद्व –

(क) सेशन न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है, और

(ख) उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, अपील उपस्थित करने का निदेश दे सकती है।

(3) जब दण्डादेश के विरूद्व अपर्याप्तता के अधारा पर अपील की गई है, तब यथास्थिति सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दण्डादेश में वृद्वि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्वि के विरूद्व कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है और कारण दर्शित करते समय अभियुक्त अपनी दोषमुक्ति के लिए या दण्डादेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर सकता है।

(4) जब भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376–क, धारा 376–कख, धारा 376–ख, धारा 376–ग, धारा 376–घ, धारा–घक, धारा 376–घख, या धारा 376–ङ के अधीन पारित किसी दण्डादेश के विरूद्व अपील फाइल की गई है, तो अपली का निपटारा, ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

धारा 378 दोषमुक्ति की दशा में अपील – (1) उपधारा (2) में जैया उपबंधित है उसके सिवाय और उपधारा (3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुये–

(क) जिला मजिस्ट्रेट, किसी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील उपस्थित करने निदेश दे सकेगा।

(ख) राज्य सरकार, किसी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीली आदेश से (जो खंड (क) के अन्तर्गत नही आता है) या पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निदेश दे सकेगी।

(2) यदि ऐसा दोषमुक्ति का आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस सीपन द्वारा या इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो केन्द्रीय सरकार भी उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, लोक अभियोजक को –

(क) दोषमुक्ति के ऐसे आदेश से जो संज्ञेय और अजमानतीय अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है सेशन न्यायालय में,

(ख) दोषमुक्ति के ऐसे मूल या अपीली आदेश से जो किसी उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है (जो खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आता है) या दोषमुक्ति के ऐसे आदेश से जो पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उच्च न्यायालय में, अपील उपस्थित करने का निदेश दे सकती है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन (उच्च न्यायालय को कोई अपील) उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी।

(4) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय, परिवादी द्वारा उससे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, दोषमुक्ति के आदेश की अपील करने की विशेष इजाजत देता है तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

(5) दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा, उस दशा में जिसमें परिवादी लोक सेवक है उस दोषमुक्ति के आदेश की तारीख से संगणित, छह मास की समाप्ति के पश्चात और प्रत्येक अन्य दशा में ऐसे संगणित साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(6) यदि किसी मामले में दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन नामंजूर किया जाता है तो उस दोषमुक्ति के आदेश से उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन कोई अपीले नहीं होगी।

धारा 379 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरूद्ध अपील– यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की दोषमुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे दोषसिद्ध किया है तथा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष अथवा अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया है तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

380 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार– इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दोषसिद्ध किए जाते है, और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलनीय निर्णय या आदेश पारित किया गया है, तब ऐसे विचारण में दोषसिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा।

धारा 381 सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी– (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी :

परन्तु द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेगी और निपटायी जा सकेगी।

(2) अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेगा जिन्हें खण्ड का सेशन न्यायाधीश, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उसके हवाले करे या जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायालय, विशेष आदेश द्वारा, उसे निदेश दे।

धारा 382 अपील की अर्जी– प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा उपस्थित की गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी, और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ (जब तक वह न्यायालय जिसमें वह उपस्थित की जाए अन्यथा निदेश न दे) उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरूद्ध अपील की जी रही है।

धारा 383 जब अपीलार्थी जेल में है, तब प्रक्रिया – यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को जेल के भारसाधक अधिकारी को दे सकता है जो तब ऐसी अर्जी और प्रतिलिपियां समुचित अपीलीय न्यायालय को भेजेगा।

धारा 384 अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना– (1) यदि धारा 382 या धारा 383 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं तो वह अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकता हैः

परन्तु –

(क) धारा 382 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक खारिज न की जाएगी जब तक अपीलार्थी या उसके प्लीडर को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर न मिल चुका हो,

(ख) धारा 383 के अधीन कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी, जब तक अपील न्यायालय का यह विचार न हो कि अपील तुच्छ है या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा होगी।

(ग) धारा 383 के अधीन उपस्थितज की गई कोई अपील तब तक संक्षेपतः खारिज न की जाएगी जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि का अवसान न हो चुका हो।

(2) किसी अपील को इस धारा के अधीन खारिज करने के पूर्व न्यायालय मामले के अभिलेख मंगा सकता है।

(3) जहाँ इस धारा के अधीन अपील खारिज करने वाला अपीलीय न्यायालय, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वहाँ वह ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

(4) जहाँ धारा 383 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील इस धारा के अधीन संक्षेपतः खारिज कर दी जाती है और अपील न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उसी अपीलार्थी की ओर से धारा 382 के अधीन सम्यक रूप से उपस्थित की गई अपील की अन्य अर्जी पर उसके द्वारा विचार नहीं किया गया है, वहाँ, धारा 393 में किसी बात के होते हुए भी, यदि उस न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह ऐसी अपील विधि के अनुसार सुन सकता है और उसका निपटारा कर सकता है।

धारा 385 संक्षेपत : खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया– (1) यदि अपीलय न्यायालय अपील को संक्षेपतः खारिज नहीं करता है तो वह उस समय और स्थान की, जब और जहाँ ऐसी अपील सुनी जाएगी, सूचना –

(i) अपीलार्थी या उसके प्लीडर को,

(ii) ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे,

(iii) यदि परिवाद पर संस्थित मामले में दोषसिद्धि के निर्णय के विरूद्ध अपील की गई है, तो परिवादी को,

(iv) यदि अपील धारा 377 या 378 के अधीन की गई है तो अभियुक्त को, दिलवाएगा और ऐसे अधिकारी, परिवादी और अभियुक्त को अपील के आधारों की प्रतिलिपि भी देगा।

(2) यदि अपील न्यायालय में मामले का अभिलेख, पहले से ही उपलब्ध नहीं है तो वह न्यायालय ऐसा अभिलेख मंगाएगा और पक्षकारों को सुनेगा

परन्तु यदि अपील केवल दण्ड के परिमाण या उसकी वैधता के बारे में है तो न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना ही अपील का निपटारा कर सकता है।

(3) जहाँ दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील का आधार केवल दण्डादेश की अभिकथित कठोरता है वहाँ अपीलार्थी न्यायालय की इजाजत के बिना अन्य किसी आधार के समर्थन में न तो कहेगा और न उसे उसके समर्थन में सुना ही जाएगा।

धारा 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ – ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे और धारा 377 या धारा 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात, अपीलीय न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकता है, अथवा –

(क) दोषमुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को उलट सकता है और निदेश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए अथवा अभियुक्त, यथास्थिति, पुनः विचारित किया जाए या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए, अथवा उसे दोषी ठहरा सकता है और उसे विधि के अनुसार दण्डादेश दे सकता है,

(ख) दोषसिद्धि से अपील में –

(i) निष्कर्ष और दण्डादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है तो ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसके पुनः विचारित किए जाने का या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है, अथवा

(ii) दण्डादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, अथवा

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना, दण्ड के स्वरूप या परिमाणा में अथवा स्वरूप और परिवर्तन कर सकता है जिसमें वृद्धि या कमी हो जाए,

(ग) दण्डादेश की वृद्धि के लिए अपील में, –

(i) निष्कर्ष और दण्डादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचारण करने का आदेश दे सकता है, या

(ii) दण्डादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, या

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना, दण्ड के स्वरूप या परिमाणा में अथवा स्वरूप और परिवर्तन कर सकता है जिसमें वृद्धि या कमी हो जाए,

(घ) किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकाता है या उलट सकता है,

(ङ) कोई संशोधन या कोई पारिणामिक या आनुषंगिक आदेश, जो न्यायसंगत या उचित हो, कर सकता है,

परन्तु दण्ड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरूद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो,

परन्तु यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए, जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दण्ड नहीं देगा, जो अपीलाधीन आदेश या दण्डादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था।

धारा 387 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय– आरम्भिक अधिकारिता वाले दण्ड न्यायालय के निर्णय के बारे में अध्याय 27 में अन्तर्विष्ट नियम, जहाँ तक साध्य हो, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अपील में दिए गए निर्णय को लागू होंगे :

परन्तु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त न तो लाया जाएगा और न उससे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय अन्यथा निदेश न दे।

धारा 388 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना– (1) जब कभी अपील में कोई मामला उच्च न्यायालय द्वारा इस अध्याय के अधीन विनिश्चित किया जाता है तब वह अपना निर्णय या आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके द्वारा वह निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई थी अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था और यदि ऐसा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की मार्फत भेजा जाएगा, और यदि ऐसा न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश जिला मजिस्ट्रेट की मार्फत भेजा जाएगा।

(2) तब वह न्यायालय, जिसे उच्च न्यायालय अपना निर्णय या आदेश प्रमाणित करके भेजे ऐसे आदेश करेगा जो उच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुरूप हों, और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा।

धारा 389 अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन– अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना – (1) अपील न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, आदेश दे सकता है कि उस दण्डादेश का निष्पादन, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, दोषसिद्धि व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लम्बित रहने तक निलम्बित किया जाए और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है तो यह भी आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर या उसके अपने बन्धपत्र पर छोड़ दिया जाए :

परन्तु अपील न्यायालय ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति को जो मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया है, जमानत पर या उसके अपने बन्धपत्र पर छोड़ने से पूर्व, लोक अभियोजक को ऐसे छोड़ने के विरूद्व लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगाः

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में जहां दोषसिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है वहां लोक अभियोजक जमानत रद्द किये जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) अपीलीय न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय भी किसी ऐसी अपील के मामले में कर सकता है जो किसी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में की गई है।

(3) जहाँ दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, वहां वह न्यायालय –

(i) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति, जमानत पर होते हुए, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, या

(ii) उस दशा में जब वह अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है, जमानतीय है और वह जमानत पर है,

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और उपधारा

(1) के अधीन अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए प्र्याप्त समय मिल जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाए, जब तक कि जमानत से इन्कार करने के विशेष कारण न हों और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक कारावास का दण्डादेश निलम्बित समझा जाएगा।

(4) जब अन्ततोगत्वा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया जाता है, तब यह समय, जिसके दौरान वह ऐसे छूटा रहता है, उस अवधि की संगणना करने में, जिसके लिए उसे ऐसा दण्डादेश दिया गया है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

धारा 390 दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी– जब धारा 378 के अधीन अपील उपस्थित की जाती है तब उच्च न्यायालय वारण्ट जारी कर सकता है जिसमें यह निदेश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तरी किया जाए और उसके या किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए, और वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है, अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार को सुपुर्द कर सकता है या उसकी जतानत ले सकता है।

धारा 391 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा–(1) इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचार करने में यदि अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसा साक्ष्य या तो स्वंय ले सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय है तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा, लिए जाने का निदेश दे सकता है।

(2) जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा ले लिया जाता है तब वह ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपील न्यायालय को भेजेगा और तब ऐसा न्यायालय अपील निपटाने के लिए अग्रसार होगा।

(3) अभियुक्त या उसके प्लीडर को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है।

(4) इस धारा के अधीन साक्ष्य का लिया जाना अध्याय 23 के उपबन्धों के अधीन होगा मानो वह कोई जांच हो।

धारा 392 जहाँ अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हों, वहाँ प्रक्रिया – जब इस अध्याय के अधीन अपील उच्च न्यायालय द्वारा उसके न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष सुनी जाती है और वे राय में समान रूप से विभाजित हैं, तब अपील उनकी रायों के सहित उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और ऐसा न्यायाधीश, ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, अपनी राय देगा और निर्णय या आदेश ऐसी राय के अनुसार होगा,

परंतु यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश या जहाँ अपील इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है वहाँ वह न्यायाधीश अपेक्षा करे तो अपील, न्यायाधीशों के वृहतर न्यायपीठ द्वारा पुनः सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी।

धारा 393 अपील पर आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना– अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश धारा 377, धारा 378, धारा 384 की उपधारा (4) या अध्याय 30 में उपबन्धित दशाओं के सिवाय अन्तिम होंगेः

परन्तु किसी मामले में दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील का अन्तिम निपटारा हो जाने पर भी, अपील न्यायालय –

(क) धारा 378 के अधीन दोषमुक्ति के विरूद्ध उसी मामले में पैदा होने वाली अपील को, अथवा

(ख) धारा 377 के अधीन दण्डादेश में वृद्धि उसी मामले से पैदा होने वाली अपील को, सुन सकता है और गुणागुण के आधार पर उसका निपटारा कर सकता है।

धारा 394 अपीलों का उपशमन– (1) धारा 377 या धारा 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अन्तिम रूप से उपशमन हो जाएगा।

(2) इस अध्याय के अधीन (जुर्माने के दण्डादेश की अपील के सिवाय) प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अन्तिम रूप से उपशमन हो जाएगाः

परन्तु जहाँ अपील, दोषसिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दण्डादेश के विरूद्ध है और अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है वहाँ उसका कोई भी निकट नातेदार, अपीलार्थी की मृत्यु के तीस दिन के अन्दर अपील जारी रखने की इजाजत के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है, और यदि इजाजत दे दी जाती है तो अपील का उपशमन न होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में '' निकट नातेदार'' से माता–पिता, पति या पत्नि, पारम्परिक वंशज, भाई या बहिन अभिप्रेत है।

मूटकोर्ट(Moot Court)

मूट कोर्ट एक वास्तविक अदालत का अनुकरण करने जैसा ही होता हैं। जंहा विधि के छात्रों को वास्तविक अदालत में होने वाली कार्यवाही को उसी रूप में एक मॉडल के तरह मे समझाया जाता हैं। इसमे विधि के छात्र भाग लेते हैं और वास्तविक अदालत की प्रक्रियां और उसकी गतिविधियां को सिखते हैं। इसमें पार्टियों के बिच एक काल्पनिक विवाद कर काल्पनिक सुनबाई और सबूत पेश किये जाते हैं, जिससे अदालतो की प्रक्रियां को प्रयोगात्मक तरीके से समझा जा सके। ज्यादातर लॉ स्कूलों में मूट कोर्ट आयोजित कियें जातें हैं, जहां छात्रों से वकील और जज क रूप में कानून के क्षैत्र में अपने कैरियर को आगे बढाने की उम्मीद की जाती हैं। इसलिये आवश्यक कौशल के विकास के साथ– साथ भविष्य के लिये प्रशिक्षित होने के लिये अभ्यास करने के लिये मूट कोर्ट में प्रशिक्षित कराया जाता हैं।

सरल शब्दों में मूट कोई मूल रूप से एक वास्तविक अदालत की प्रतिकृति की होती हैं, जहां कानूनी कार्यवाही और परिक्षण होता है और इस प्रकार इसे मॉक कोर्ट के रूप में भी जाना जा सकता है, जहां कानूनी पढाई करने वाले छात्र पेशेवर के रूप में कार्य करते हैं और अपनी भूमिका के अनुसार सभी जिम्मेदारियों एवं कर्त्तव्य को देखते हैं। मूट कोर्ट विधि के छात्रों को व्यावहारिक –ज्ञान देने के आधुनिक तरीको जैसे एक हैं। इसमें एक तरफ के दो पक्ष काल्पनिक मामलों पर बहस करते हैं, और उचित काल्पनिक सबूत और गवाहों को पेश करते हैं। मूट कोर्ट आज एक सबसे बङा और कुशल स्त्रोत हैं, जहां से विधि के छात्र प्रयोगात्मक रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं और उन सभी गुणों और कौशलों को आत्मसात करते हैं जो एक वकील को सर्वोच्च आवश्यकता होती हैं।

–मूट कोर्ट में काल्पनिक, विशिष्ट वाद या विषय को चुना जाता हैं और फिर उसी वाद/विषय में वाद– विवाद होता हैं।

–भागीदारों/पक्षकारों द्वारा अधिवक्ता, वादी, प्रतिवादी और साक्षी की भूमिका निभाई जाती हैं और वे मूट न्यायालय के समक्ष आते हैं।

–सहभागियों/पक्षकारों में से एक पक्ष न्यायिक अधिकारी की भूमिका निभाता हैं और न्यायालय की कार्यवाही को आगे बढाता हैं।

–आपराधिक मामलों में परिवाद और आरोप पत्र तैयार करने का ज्ञान प्राप्त होता हैं।

–न्यायालय से कौन पेश होना होता हैं कैसे दायर किया जाता हैं और कैस की शुरूआत कैसे करनी हैं, इसका भी ज्ञान होता हैं।

–न्यायालय के समक्ष बोलने ओर संकोच और डर मन में होता है वह घूट कोर्ट के जरियें समाप्त हो जाती हैं।

मूट कोर्ट से क्या सीखने को मिलता हैं–

1. न्यायालय में प्रस्तुत होने का ढग।
2. अभिवचन का प्ररूप।
3. वाइपत्र की विरचना।
4. लिखित कथन एवं इसका प्रारूप।
5. विचारण से पहले की तैयारी ।
6. विचारण की कार्यवाही।
7. अभिवचन प्रस्तुत करने का ढग ।
8. न्यायालय की कार्यवाही और उससे संबंधित शिष्टाचार कैसा होना चाहियें
9. न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करने कर ढंग।
10. न्यायालयों में होने वाली विभिन्न कार्यवाहियों का ज्ञान।
11. जिरह व बहस करने का ज्ञान और ढंग।
12. पक्षकारों और साक्षियों से लिये किये जाने वाले व्यवहार का ढंग ।
13. न्यायालय की गरीमा को बनाये रखने का ज्ञान।
14. व्यवयायिक व शिष्टाचार का ज्ञान।
15. सुसंगत विधियों का ज्ञान।
16. अधिवक्ताओं की आचार संहिता आदि।
17. आत्मविश्वास का विकास।
18. विधिक कुशलता का विकास।

काल्पनिक प्रश्न

प्रश्न 1 – अनुसंधान अधिकारी द्वारा हत्या के स्थल के निरीक्षण करते समय किन – किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

प्रश्न 2 –निम्न में किन्ही छः पर टिप्पणी करें –

(अ) मृत्यु कालिक कथन

(ब) सूत्र की भूमिका

(स) श्वेत कॉलर अपराध

(द) मर्ग

(य) जिला विशेष शाखा

(र) फिंगर एवं फुट प्रिन्ट्स का अनुसंधान में महत्व

(ल) आर्थिक अपराध

(व) हिस्ट्रीशीटर

प्रश्न 3 – प्रथम सूचना रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है ? प्रथम सूचना रिपोर्ट में किन – किन तथ्यों का समावेश आवश्यक है ? एफ. आई. आर. दर्ज करवाने के विभिन्न विधिक प्रावधानों के बारे में वर्णन कीजिए।

प्रश्न 4 – सी.आर.पी.सी. की धारा 173 से आप क्या समझते है ? धारा 173 की उपधाराओं के बारे में टिप्पणी करें।

प्रश्न 5 – घाव कितने प्रकार के होते हैं ? इनका संक्षिप्त विवरण कीजिए।

प्रश्न 6 – उद्घोषित अपराधी किसे कहते हैं ? उद्घोषित अपराधी को पकड़ने में सहायक सम्भावित तरीकों का वर्णन करें।

प्रश्न 7– प्रथम सूचना रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है ? प्रथम सूचना रिपोर्ट में किन – किन तथ्यों का समावेश आवश्यक है ? एफ. आई. आर. दर्ज करवाने के विभिन्न विधिक प्रावधानों के बारे में वर्णन कीजिए।

प्रश्न 8– तलाशी व जब्ती क्या है ? बंद स्थान की तलाशी के सम्बन्ध में दण्ड संहिता में दिये गये प्रावधानों का धाराओं सहित उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 9 – उद्घोषित अपराधी, भगोड़ा व स्थाई वारन्टी से आप क्या समझते हैं ? इन्हे पकड़ने में सहायक सम्भावित तरीकों का वर्णन करें।

प्रश्न 10 – (क) अन्वेषणाधिकारी द्वारा डकैती के स्थल के निरीक्षण करते समय किन – किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता में अन्वेषण के लिए क्या प्रक्रिया बताई गई है ?

प्रश्न 11 – (क) सी.आर.पी.सी. की धारा 173 से आप क्या समझते है ? धारा 173 की उपधाराओं के बारे में टिप्पणी करें।

(ख) फिंगर एवं फुट प्रिन्ट्स का अनुसंधान में क्या महत्व है ?

प्रश्न 12–निम्नलिखित में से किन्ही 5 पर टिप्पणी लिखें –

(क) विशेष प्रतिवेदन अभियोग (एस. आर. केस) (ख) मृत्यु कालिक कथन/घोषणा

(ग) इन्डेक्स टू क्राईम रजिस्टर (घ) असंज्ञेय अपराध

(ड़) भारसाधक अधिकारी (य) सूत्र की भूमिका

प्रश्न 13– (अ) महिलाओं, कमजोर वर्गों एवं बालकों के विरूद्ध अपराध के अनुसंधान किये जाने हेतु नवीनतम कानूनी संशोधनों के सम्बन्ध में उल्लेख करें।

(ब) श्वेतपोश अपराध क्या है ? इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए।

प्रश्न 14–निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें –

(क) डी. एन. ए. एवं पितृत्व विवाद (ख) घावों के प्रकार

(ग) फुट एवं फिंगर प्रिन्ट्स का अनुसंधान में महत्व (घ) घटनास्थल को सुरक्षित किया जाना

(ड़) पुलिस कार्यों में वीडियो – फोटोग्राफी की उपयोगिता

प्रश्न 15 – (अ) सड़क दुर्घटना प्रकरण के अनुसंधान में किन – किन महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया जाना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए।

(ब) तलाशी एवं जब्ती क्या है ? इनका सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों के अनुसंधान के सम्बन्ध में उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 16 –निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें –

(क) उद्घोषित अपराधी (ख) हिस्ट्रीशीट में प्रविष्टियां
(ग) लिखित सम्प्रेषण का महत्व (घ) विशेष शाखा की रिपोर्ट तैयार करना
(ड़) आपराधिक आसूचना का संकलन

प्रश्न 17 – (क) हत्या सहित डकैती के प्रकरण में एक काल्पनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मय कार्यवाही पुलिस तैयार

करें।

(ख) संगठित अपराध क्या है ? यह कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें।

प्रश्न 18– महिलाओं, कमजोर वर्गों एवं बालकों के विरूद्ध अपराध के अनुसंधान किये जाने हेतु नवीनतम कानूनी संशोधनों के सम्बन्ध में उल्लेख करें। बदलते परिप्रेक्ष्य में इसकी संवदनशीलता के बारे में लिखें।

प्रश्न 19–निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें –

(क) घावों के प्रकार

(ख) संस्वीकृति

(ग) उद्घोषित अपराधी

(घ) भारसाधक अधिकारी

(ड़) संज्ञेय अपराध

(य) डी. एन. ए. टेस्ट की महत्ता

(र) धारा 164 सी. आर. पी. सी.

(ल) धारा 75 आईपीसी

(व) अग्रिम जमानत

(श) मृत्युकालिक घोषणा

प्रश्न 20—तलाशी एवं जब्ती क्या है ? इसके कानूनी प्रावधानों के बारे में उल्लेख करें। इनका सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 21— हत्या सहित डकैती के प्रकरण में एक काल्पनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मय कार्यवाही पुलिस तैयार करें। इस प्रकरण में किये जाने वाले अनुसंधान के बारे में लिखें।

प्रश्न 22— "प्रथम सूचना रिपोर्ट" से क्या अभिप्राय है ? प्रथम सूचना रिपोर्ट में किन — किन तत्वों का समावेश आवश्यक है ? एफआईआर दर्ज करवाने के विभिन्न स्त्रोत बताइये। प्रथम सूचना रिपोर्ट व प्राथमिक जांच में अन्तर के बारे में विस्तार से लिखो।

प्रश्न 23— तलाशी व जब्ती क्या है ? बन्द स्थान की तलाशी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिये गये प्रावधानों का धाराओं सहित उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 24— "प्रथम सूचना रिपोर्ट" से क्या अभिप्राय है ? प्रथम सूचना रिपोर्ट में किन — किन तत्वों का समावेश आवश्यक है ? एफआईआर दर्ज करवाने के विभिन्न विधिक प्रावधानों का वर्णन करिए।